खण्ड-218, अंक-4
गुरूवार, 20 माघ, शक संवत् 1882
(9 फरवरी, 1961 ई0)

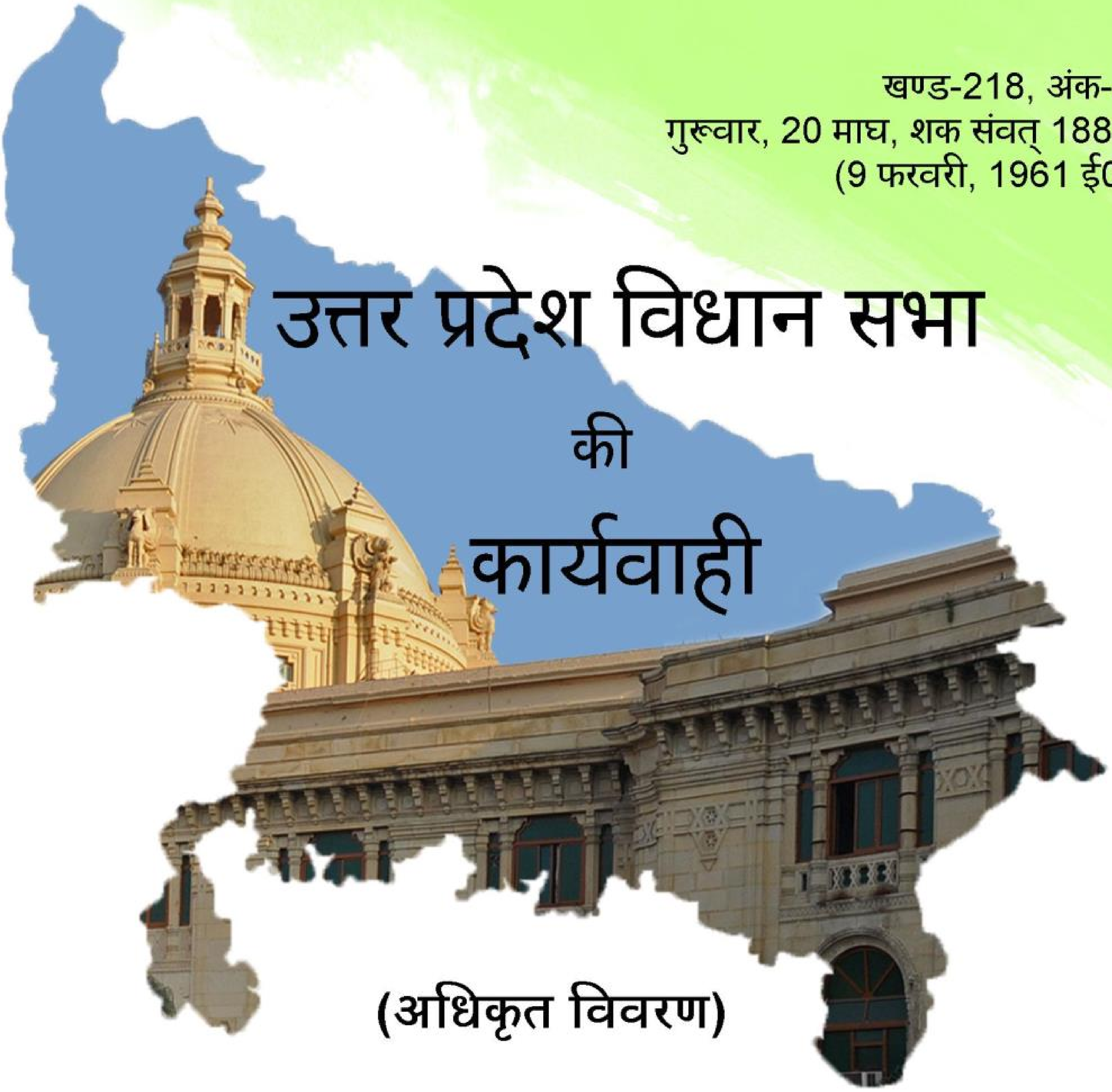

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE
MAY 1960

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ९ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७५

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी , श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खाँ, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल,श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह. श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ९ फरवरी, १९६१

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

वेजिटेबिल आयल की बिक्री के लिये लाइसेन्स

**१--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वेजिटेबिल आयल के बिक्रेताओं को सरकार से लाइसेंस लेना कब से कब तक अनिवार्य था ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मन्त्री (श्री धर्मसिंह)--वेजिटेबिल आयल की बिक्री का लाइसेन्स सब से पहले उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य नियम, सन् १९५२ के द्वारा लागू किया गया था । यह नियम दिनांक २६-१-५३ से लागू हुए ।

२ सितम्बर, १९५५ से उक्त नियमों का स्थान भारत सरकार द्वारा बनाये गये खाद्य अपामश्रण निवारण नियम में ले लिया है, जिसकी धारा ५० (१) (च) के अनुसार भी वेजिटेबिल आयल की बिक्री का लाइसेन्स लेना अनिवार्य है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लाइसेन्सों के अन्तर्गत वेजिटेबिल आयल बिक्रेताओं को कोई शुल्क भी देना होगा ? यदि हां, तो कितना ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन देना अवश्य पड़ेगा ।

लखनऊ में बाढ़ से क्षति

२—श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) **श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) तथा **श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर तथा जिले में अक्तूबर के प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह वाली बाढ़ में कितनी जन, धन तथा पशुओं की क्षति हुई है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अपेक्षित सूचना इस प्रकार है—

(१) जीव हानि—

मनुष्य—७ ।

पशु—१० ।

(२) मकान जिन्हें क्षति पहुंची	.. ..	८,२३९
(३) खरीफ की फसल की अनुमानित हानि	.. ..	८७,१३,००० रु०
(४) सरकारी व स्थानीय संस्थाओं की सम्पत्ति की अनुमानित हानि		३७,००,३३१ रु०
(५) गैर-सरकारी सम्पत्ति की अनुमानित हानि	..	५१,७५,०२० रु०

३—श्री झारखंडेराय, श्री राम स्वरूप वर्मा** तथा **श्री चन्द्रजीत यादव** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इतनी भयानक बाढ़ के मुख्य कारण क्या थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस बाढ़ का मुख्य कारण, अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में गोमती नदी के घाटी वाले (catchment areas) क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा थी ।

४—श्री झारखंडेराय, श्री राम स्वरूप वर्मा** तथा **श्री चन्द्रजीत यादव** (अनुपस्थित)—सरकार ने इस विपत्ति में जनता की सहायता हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पानी से घिरे हुए क्षेत्रों में से जनता को निकाल कर सुरक्षित स्थानों, शरणार्थी-गृहों में पहुंचाया गया तथा उनके लिये भोजन, चिकित्सा आदि का उचित प्रबन्ध किया गया । नाव, ट्रक, वायुयान तथा हेलीकाप्टरों द्वारा पानी से घिरे हुए क्षेत्रों में भोजन व भोजन सामग्री पहुंचाई गई । बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गईं । अहेतुक सहायता, मकान बनाने तथा मरम्मत कराने के लिये अनुदान, ऋण व तकावी वितरित की गई । रबी के बीज के लिये तकावी भी बांटी गई ।

लखनऊ की बाढ़ रोकने में अधिकारियों की कथित असावधानी

५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर) तथा **श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७–१०–६० को पी० डब्ल्यू० डी०, सीतापुर ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के उच्च-अधिकारियों को नैमिषारण्य और भट्टपुरवा घाट (सीतापुर) के गोमती नदी के पानी के स्तर की सूचना दी थी ? यदि हां, तो यह सूचना क्या थी और इस पर क्या एहतियाती कार्यवाही की गई ?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां, सूचना गोमती नदी का स्तर खतरे के बिन्दु (Danger level) को पार करने की थी । सूचना मिलने पर अधीनस्थ अधिकारियों को सावधान किया गया व उन्हें पुलों वगैरह की सुरक्षा के लिये उचित कार्यवाही करने को कहा गया ।

६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी** तथा **श्री मदन पांडेय**—क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त गोमती नदी के जल-स्तर की सूचना सीतापुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० को लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर और लखनऊ के जिलाधीश को भी दी थी ? यदि हां, तो यह सूचना क्या थी और इस पर क्या एहतियाती कार्यवाही अमल में लायी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सीतापुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस प्रकार की कोई सूचना ८-१०-६० को कमिश्नर लखनऊ अथवा जिलाधीश, लखनऊ को प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता। हां, इसके पूर्व ६-१०-६० के अपराह्न में जिलाधीश, सीतापुर ने टेलीफोन द्वारा गोमती के बढ़ते हुए स्तर की सूचना उक्त अधिकारियों को दी थी। इस सूचना के प्राप्त होते ही, तथा गऊघाट पंपिंग स्टेशन पर नदी के बढ़ते हुए स्तर को देखकर बाढ़ सुरक्षा तथा सहायता के लिये व्यवस्था की गई और पलड पोस्टों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई। सितम्बर की बाढ़ में खड़े किये गये सुरक्षा-गृहों को जो तोड़े ही जाने वाले थे कायम रक्खा गया तथा स्थानीय नौकाओं को एकत्र कर लिया गया। पलड पोस्टों पर जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह भी कर लिया गया।

जिलाधीश, सीतापुर से इसके बाद बराबर सम्पर्क कायम रखा गया और गोमती के स्तर की सूचना प्रति दिन प्राप्त की जाती रही। इस प्रकार सभी संभव उपाय समय रहते कर लिये गये थे।

७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी** तथा **श्री मदन पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ अक्तूबर, १९६० से ६ अक्तूबर, १९६० तक जो भारी वर्षा सीतापुर जिले में हुई इससे संबंधित सूचना जिलाधीश, सीतापुर ने किस-किस अधिकारी को टेलीफोन पर उपरोक्त तारीखों में दी और सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों ने क्या एहतियाती कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्नोत्तर अवधि में केवल ६-१०-६० को जिलाधीश, सीतापुर ने टेलीफोन द्वारा अपने जिले की बाढ़ की स्थिति तथा अत्यधिक वर्षा की सूचना जिला अधिकारियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा उत्तरी रेलवे के डिवीजन सुपरिन्टेन्डेन्ट को दी थी। यह संदेश सीतापुर जिले के लिये सहायता मांगने के लिये भेजा गया था। इस सूचना पर एहतियाती कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी जैसे पिछले प्रश्न में बताया गया है आवश्यक कार्यवाही की गई।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—७ नम्बर के प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि ६ अक्तूबर, ६० को जिलाधीश, सीतापुर द्वारा प्राप्त टेलीफोन की सूचना आने पर किसी एहतियाती कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता और बाढ़ वहीं तक सीमित थी, लेकिन प्रश्न ६ के उत्तर में बताया गया है कि एहतियाती कार्यवाही की गई, यह जो विरोधाभास है, उसको क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे तो कोई फर्क नहीं मालूम होता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—श्रीमन्, मैं उत्तर से अभी तक संतुष्ट नहीं हो सका, क्या आप मेरी सहायता करेंगे कृपाकर, मैं वह दोनों उत्तर पढ़कर सुनाये देता हूं . . . . .

श्री अध्यक्ष—सुना दें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—प्रश्न ६ का उत्तर है कि "इस प्रकार की कोई सूचना ८-१०-६० को कमिश्नर, लखनऊ अथवा जिलाधीश, लखनऊ को प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता। हां, इसके पूर्व ६-१०-६० के अपराह्न में जिलाधीश, सीतापुर ने टेलीफोन द्वारा गोमती के बढ़ते हुए स्तर की उक्त अधिकारियों को दी थी। इस सूचना के प्राप्त होते ही तथा गऊघाट पंपिंग स्टेशन पर नदी के बढ़ते हुए स्तर को देखकर बाढ़ से सुरक्षा तथा सहायता के लिये व्यवस्था की गई और पलड पोस्टों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी

गई। सितम्बर की बाढ़ में खड़े किये गये सुरक्षा-गृहों को जो तोड़े ही जाने वाले थे कायम रक्खा गया तथा स्थानीय नौकाओं को एकत्र कर लिया गया। फ्लड पोस्टों पर जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह भी कर लिया गया।

जिलाधीश, सीतापुर से इसके बाद....."

श्री अध्यक्ष--यह तो आप पूरा पढ़ रहे हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--जी हां, दो लाइन और रह गई हैं। "जिलाधीश, सीतापुर से इसके बाद बराबर सम्पर्क कायम रखा गया और गोमती के स्तर की सूचना प्रति दिन प्राप्त की जाती रही। इस प्रकार सभी संभव उपाय समय रहते कर लिये गये थे।"

इसके बाद प्रश्न ७ के उत्तर में लिखा है कि "प्रश्नोत्तर अवधि में केवल ६-१०-६० को जिलाधीश, सीतापुर ने टेलीफोन द्वारा अपने जिले की बाढ़ की स्थिति तथा अत्यधिक वर्षा की सूचना जिलाधिकारियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा उत्तरी रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट को दी थी। यह संदेश सीतापुर जिले के लिये सहायता मांगने के लिये भेजा गया था। इस सूचना पर एहतियाती कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी जैसे पिछले प्रश्न में बताया गया है आवश्यक कार्यवाही की गई।" तो मेरी प्रार्थना है कि इस पर तो एहतियाती कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता, यह गवर्नमेंट के अधिकारियों की मनोवृत्ति का परिचायक है....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप टीका कर रहे हैं, प्रश्न पूछिये।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--मुझे तो इन दोनों उत्तरों में विरोधाभास प्रतीत होता है।

श्री अध्यक्ष--६ के उत्तर में यह है कि सीतापुर के बढ़ते हुए स्तर की सूचना दी थी और ७ के उत्तर में है कि जिलाधीश, सीतापुर ने टेलीफोन द्वारा अपने जिले की बाढ़ की स्थिति तथा अत्यधिक वर्षा की सूचना जिलाधिकारियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा उत्तरी रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट को दी थी। तो इसमें क्या कंट्राडिक्शन है, वह आप बताइए।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--एक में तो कहते हैं कि इसमें एहतियाती कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी और दूसरे में कहते हैं कि एहतियाती कार्यवाही की गई।

श्री अध्यक्ष--कब लिखा है कि आवश्यकता नहीं समझी?

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--सातवें प्रश्न के उत्तर में देखिये। आखीर में लिखा है कि इस सूचना पर एहतियाती कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--आप चाहते हैं कि एहतियाती कार्यवाही लखनऊ में करते?

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--जी हां, लखनऊ में एहतियाती कार्यवाही करने की बात है।

श्री अध्यक्ष--वह यह समझे कि चूंकि जिलाधीश, सीतापुर ने कुछ थोड़ी-सी मदद वगैरह मांगी थी, तो वह समझे कि सीतापुर के बारे में आप पूछ रहे हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--तो जो टेलीफोन पर उनको इत्तला प्राप्त हुई उसको पढ़ने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—उसमें कोई विरोध नहीं है। आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—सीतापुर के जिलाधीश द्वारा ६–१०–६० को जो सूचना प्राप्त हुई, मंत्री जी उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसका तो उत्तर प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में दिया हुआ है कि जिलाधीश, सीतापुर ने टेलीफोन द्वारा अपने यहां बाढ़ तथा अत्यधिक वर्षा की सूचना जिलाधिकारियों को दी। अब टेलीफोन के ऐक्चुअल वर्ड्स तो कहीं लिखे नहीं जाते।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि ६ अक्तूबर को जो भारी वर्षा सीतापुर और लखीमपुर में हुई उससे सम्बन्धित बाढ़ ६ अक्तूबर को ही नहीं आ सकती सीतापुर में और उसकी सूचना ७ और ८ को ही हो सकती थी। तो ७ और ८ तारीख को लखनऊ में अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी गई इसका क्या कारण है ? इसकी कोई जांच हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उत्तर तो आया है। यह हम कब कहते हैं कि नहीं दी है। ६ तारीख को इत्तला उन्होंने दी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कितने बजे दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपराह्न में दी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी बतायेंगे कि ६ अक्तूबर को जो शाम तक वर्षा होती रही और उसके परिणामस्वरूप जो बाढ़ हुई उसकी कोई सूचना सीतापुर के जिलाधीश ने या अन्य अधिकारियों ने लखनऊ के अधिकारियों को दी ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, कल या परसों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गये और उस समय इस बात की मैंने घोषणा कर दी थी कि वार्निंग से सम्बन्धित जो प्रश्न आदि उठाये जा रहे हैं उन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिये सरकार ने उस कमेटी को जिसने बांध के सिलसिले में जांच-पड़ताल की, सरकार उनसे निवेदन करेगी कि वह इस विषय की भी जांच कर ले। तो जब ऐसी घोषणा हो चुकी है तो क्या यह मुनासिब होगा कि फिर वही प्रश्न जिनका सम्बन्ध वार्निंग आदि से है इस समय सदन में उठाये जायं ?

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न उठाया गया वह दूसरा है। जांच के लिये कल का सवाल था, उस विषय में जो-जो बातें सुझाव में आयीं सदस्यों को आपने आश्वासन दिया कि उनकी भी जांच हो जायेगी। यह सवाल पहले दिये गये थे, महीनों के बाद यह सवाल आते हैं और उनका उत्तर आपके न्याय मंत्री ने दे दिया। अब पूरक प्रश्न पूछने का वक्त है, तो जितने उत्तर आप दे सकते हैं दीजिये। नहीं देने हों तो न दीजिये। उस आश्वासन से कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं, प्रश्न पूछने का उनको अधिकार है। जो प्रश्न बार-बार पूछे जायेंगे, उनकी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

वह सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि बाढ़ के सम्बन्ध में ६ तारीख की रात तक पानी बरसता रहा उसकी सूचना दी कि नहीं दी। मैं समझता हूं कि इसका उत्तर प्रश्न संख्या ५ में दिया जा चुका है। प्रश्न संख्या ५ इस प्रकार है "क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७–१०–६० को पी० डब्ल्यू० डी०, सीतापुर ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के उच्च अधिकारियों को.....सूचना दी थी ? इसके उत्तर में कहा गया है "जी हां।" ७ तारीख को दी थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—माननीय मंत्री के आश्वासन के बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों से ही शिकायत है और उन्हीं की कमेटी निर्मित कर दी गयी है, तो क्या इसमें दो तीन और सदस्य सम्मिलित कर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह ठीक तहकीकात करेंगे, ऐसी आशा की जाती है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आपने जो व्यवस्था दी उसके सम्बन्ध में निवेदन करना था। ८ अक्तूबर को जब जिला जेल से मैं अदालत में लाया गया तो मैजिस्ट्रेट से मैंने कहा कि १३ तारीख मत छोड़ें, बाढ़ आने के कारण जेल का कम्पाउन्ड पानी से भरा हुआ है। लेकिन उन्होंने ८ तारीख स्थगित कर दी और ८ तारीख तक कोई सूचना नहीं थी कि बाढ़ आने वाली है। उन्होंने कहा कि आपकी जेल में बाढ़ होगी, हमारे यहां बाढ़ समाप्त हो गयी।

श्री अध्यक्ष—आप सीतापुर जेल में थे?

श्री राजनारायण—लखनऊ जेल में था। जेल कम्पाउन्ड पानी से भरा हुआ था और जब हम गये तो सड़कों पर पानी भरा हुआ था। अदालत में जब हमने कहा कि बाढ़ आ रही है तो उन्होंने कहा कि बाढ़ चली गयी, आपकी जेल में बाढ़ होगी. . . .

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछें।

श्री राजनारायण—५वां प्रश्न इस प्रकार है "क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७-१०-६० को पी० डब्ल्यू० डी०, सीतापुर ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के उच्च अधिकारियों को नैमिषारण्य और भट्टपुरवा घाट (सीतापुर) के गोमती नदी के पानी के स्तर की सूचना दी थी? यदि हां, तो यह सूचना क्या थी और इस पर क्या एहतियाती कार्यवाही की गई?"

श्री अध्यक्ष—आप का प्रश्न क्या है?

श्री राजनारायण—जब मंत्री महोदय ने यह कह दिया है कि इन तमाम प्रश्नों की जांच करने के लिये कोई कमेटी बनानी है तो मेरा यह सुझाव है कि ये सारे प्रश्न उस कमेटी के पास भेज दिये जायं, न कि मंत्री जी यहां जवाब दें और वह कमेटी उन जवाबों से प्रभावित हो और फिर उल्टे-सीधे सवालात आयें।

श्री अध्यक्ष—मैं भी यही समझता हूं कि जो प्रश्न अब आवें तो सरकार की तरफ से यही उत्तर दिया जाय चूंकि एक कमेटी बैठी है, उनके सामने ये प्रश्न उपस्थित होंगे इसलिये सरकार उत्तर देना उचित नहीं समझती है। क्योंकि अगर एक दफा कुछ जानकारी उत्तर में सरकार देगी तो पुनः प्रश्न पूछे जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस वक्त इनको स्थगित किया जाय। मैं समझता हूं कि यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—आपने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा उत्तर आना चाहिये तो क्या ये सारे प्रश्न उसमें सम्मिलित हो गये ऐसा आश्वासन सरकार दे रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्नों की एक फेहरिस्त हमें दे दीजिये और उन सबकी जांच पड़ताल हो जायगी।

सीतापुर जिले के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में तहसीलवार गोमती, संरायन, गोन, चौका, शुमाली नदियों को सन् १९६० की सितम्बर-अक्तूबर महीने में आई बाढ़ और अतिवृष्टि से कितने एकड़ फसल खरीफ की नष्ट हुई, कितने मकान बिलकुल नष्ट हो गये और कितने मकानों को क्षति पहुंची तथा कितनी एकड़ जमीन में रबी की फसल बोई नहीं जा सकेगी या कितने महीने पीछे बोई जा सकेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

जिन क्षेत्रों में रबी की बोआई ठीक समय में नहीं की जा सकी है उनमें बोआई करीबन एक माह पश्चात् की गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

****९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बाढ़ से हुई क्षति के सिलसिले में कितनी आर्थिक सहायता सीतापुर जिले को किन-किन मदों में किस प्रकार की, दिनांक १८ अक्तूबर, १९६० तक दी जा चुकी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उपरोक्त बाढ़ से हुई क्षति के सिलसिले में जिला सीतापुर को जो आर्थिक सहायता विभिन्न मदों में १८ अक्तूबर, १९६० ई० तक प्राप्त हुई है उसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

		रु०
(१)	अहेतुक सहायता के लिये	१०,०००
(२)	मकान बनाने के लिये सहायता	७५,०००
(३)	डिस्ट्रेस तकावी	१,००,०००
(४)	बीज तकावी	२,००,०००
	योग ..	३,८५,०००

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी क्षति की तालिका को देखते हुए सीतापुर जिले को और अधिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई डिमांड वहां के कलेक्टर ने नहीं भेजी।

गोमती की बाढ़ के सम्बन्ध में चेतावनी

****१०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक १४ सितम्बर, १९६० को जिलाधीश, सीतापुर न वर्षा कालीन दौरे के सिलसिले में कैम्प मिश्रिख (सीतापुर) से गोमती नदी की बाढ़ की सूचना रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ के जिलाधीशों को तथा लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर को और पी०डब्लू०डी० के चीफ इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, लखनऊ या इसी विभाग के किसी अन्य लखनऊ के इंजीनियर को तार द्वारा दी थी ? यदि हां, तो उपर्युक्त अधिकारियों ने सूचना प्राप्त होने के पश्चात् क्या एहतियाती कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिलाधीश, रायबरेली को छोड़कर प्रश्नोक्त अधिकारियों को सीतापुर से गोमती की बाढ़ की सूचना १४-९-६० को तार द्वारा प्राप्त हुयी थी। रायबरेली को सूचना नहीं भेजी गई थी क्योंकि गोमती उस जिले में होकर नहीं बहती।

सूचना प्राप्त होते ही फ्लड पोस्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई। जीवनोपयोगी सामग्री इन स्थानों पर एकत्र कर ली गई तथा नावें भी इकट्ठा कर लीं गईं।

लखनऊ के अधिशासी अभियंता ने अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं को सावधान किया तथा उन्हें लखनऊ के पुलों की विशेष देखभाल रखने का आदेश दिया। सौभाग्यवश बाढ़ शीघ्र ही उतर गई और किन्हीं विशेष उपायों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी १४ सितम्बर, १९६० को प्राप्त सूचना के बाद जो एहतियाती कार्यवाही की गयी उसका ब्योरा बताने के साथ ही कितने फ्लड पोस्ट्स किन-किन स्थानों पर कायम किये गये और उनमें कितने-कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये यह भी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में इतने ब्योरे की इजाजत में नहीं दूंगा।

बाढ़ पीड़ित गृह विहीनों के लिये पुनर्वासन योजना

**११--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर, १९६० के प्रथम सप्ताह की भयंकर बाढ़ से जो ग्राम समूल बरबाद हो गये हैं क्या उन्हें ऊंचे स्तर पर पुनः बसाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा पर क्या न्याय मंत्री प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव--बाढ़ से बरबाद हुये ग्रामों को ऊंचे स्तर पर बसाने के लिये सन् १९५५ में ही एक योजना बनी थी जिसके अनुसार बाढ़ से गृहहीन हुये व्यक्तियों को बसने के लिये भूमि प्राप्त करने में सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इन व्यक्तियों को यदि उपलब्ध हो तो गांव समाज और वन विभाग की भूमि दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनके लिये उत्तर प्रदेश ऐक्वीजिशन आफ प्रापर्टी (फ्लड रिलीफ) ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत समुचित मुआवजा देकर भी भूमि अधिकृत की जा सकती है। निःसहायों और निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त भी भूमि दी जा सकती है। इस वर्ष उक्त आयोजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रदेश के जिलाधीशों को निर्देश दे दिया गया है।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन बातों का उल्लेख उत्तर में किया गया है उसमें कानपुर जिले में रिन्द और पांडव नदियों के तटवर्ती गांव जो बरबाद हो गये हैं उनमें इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं कि जितनी कार्यवाही बतायी गयी है वह सब करें और उनको बसाने की चेष्टा करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी योजना है कि जो छोटी-छोटी नदियां और नाले हैं जिनकी भीषण बाढ़ के कारण गांव के गांव कट गये हैं उनको ऊंचा करने या वहां के लोगों को दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था की जाय या तकावी इत्यादि दें?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तकावी भी देते हैं, हाउस सबसिडी भी देते हैं, ऊंची जगहों पर भी मकान बनाते हैं; ये सब डायरेक्शन्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वक्तन फवक्तन हम देते रहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की रिन्द और पांडव नदियों के किनारे बसे हुये गांवों के संबंध में जो अभी सवाल किया गया, तो जो गांव विशेष तौर से जलमग्न हो गये उनके बारे में कानपुर के कलेक्टर ने कोई विशेष कार्यवाही की है या सरकार किसी आदेश द्वारा कोई विशेष कार्यवाही करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष--यह गांवों के ऊंचा करने के सम्बन्ध में है, बगीचे के बारे में नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्री रामदुलारे मिश्र का प्रश्न आ चुका है उसी पर मैंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, मगर वह हजार दास्तान नहीं हो सकती।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदेश जिलाधीश को भेजे गये हैं गांव ऊंचे करने के लिये, घर बनवाने के लिये या और तरह की सहायता करने के लिये तो वह किसी एक जिले के लिये भेजे गये हैं या हर जगह के लिये भेजे गये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां-जहां सैलाब आता है।

सहकारी चीनी मिल, बागपत

**१२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बागपत, जिला मेरठ में सहकारी चीनी मिल का निर्माण-कार्य सम्पन्न हो गया है ?

सूचना उपमन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां, इस मिल ने २९ नवम्बर, १९६० से उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

**१३—श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि अभी तक उक्त चीनी मिल की प्रमुख मशीनें पर्याप्त ऊंची दीवारें न बनाये जाने के कारण गर्मी, सर्दी तथा बरसात में सुरक्षित नहीं हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २३-११-६० को जब यह प्रश्न प्राप्त हुआ है उसके बाद प्रमुख मशीनों के ढंकने के लिये निर्माण-कार्य सम्पन्न किया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—जाहिर है कि यह २९ नवम्बर से शुरू किया गया है और यह बन रहा है और ईंटें न होने की वजह से दीवारों के बनने में देरी जरूर हुई । लेकिन इस वक्त जैसे कि पावर हाउस है उसकी दीवार बन गई है, बायलर हाउस की दीवार ३० फीट बन गई है और कुछ दीवारें २० फीट तक बनी हैं । अब मैनेजर को कोल डस्ट का कोटा मिल गया है और सब दीवारें जल्दी ही बन जायेंगी ।

श्री मदन पांडेय—इस समय तक मशीनों के ढंकने का प्रबंध नहीं किया गया है—क्या वह किया जायगा जिससे मशीनें खराब न हों ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, जरूर, मशीनों की हिफाजत का इंतजाम जी० सी० शीट्स से किया जायगा ।

श्री गेंदासिंह—इसमें मशीनों की खराबी के कारण उत्पादन कम हो रहा है । इसकी शिकायतें भी की गईं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

श्री रऊफ जाफरी—ऐसी इस वक्त शिकायत तो नहीं है कि मशीनों की खराबी की वजह से उत्पादन कम है, लेकिन कोई काम जब शुरू किया जाता है तो शुरू में टीदिंग ट्रबुल होती है, इस किस्म की ट्रबुल होगी ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी को मालूम है, जैसा कि उन्होंने टीदिंग ट्रबुल का जिक्र किया है, अच्छे डाक्टरों का कहना है कि टीदिंग ट्रबुल होनी ही नहीं चाहिये तो वह कौन-सी विशेष खराबियां हैं जिनको वह टीदिंग ट्रबुल कहकर गोल करना चाहते हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अर्ज किया कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं है और जैसा कि डाक्टरों का कहना है कि टीदिंग ट्रबुल नहीं होनी चाहिये और मैं भी कहता हूं कि नहीं होनी चाहिये, लेकिन इसके बावजूद हो जाती है ।

सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति का संरक्षण

**१४—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति को संरक्षण न देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के पास हाल में कोई सुझाव भेजे हैं ?

संसदीय विषयक उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी नहीं ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रिजर्वेशन देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से प्रादेशिक सरकार के पास कुछ सुझाव आये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इस सदन में बराबर सुझाव आये हैं, लेकिन यह किसी तरह से स्वीकार नहीं किये जा सके ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संविधान की धारा १६ (४) के अन्तर्गत प्रादेशिक सरकार पिछड़े वर्ग को संरक्षण देने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पिछड़ी जाति को संरक्षण देने का एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में जो नीतियां अभी निर्धारित हुई हैं उनके तहत में सरकार की बराबर यही चेष्टा रही है कि इन संरक्षणों के द्वारा वह सुभीते इत्यादि प्रदान कर दिये जायं जिनसे इस वर्ग के विद्यार्थी और ऐसे लोग जो अब तक शिक्षा इत्यादि प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं उनको अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये संरक्षण द्वारा सुभीते इत्यादि दिये जायं ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार से मांग की गई थी कि बैकवर्ड कमीशन की रपट जो १९५५ से विचाराधीन है, सरकार लागू करे और उसको लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे इस बात की सूचना है नहीं कि कोई मांग प्रस्तुत की गई थी और सरकार ने विचार प्रकट किया था । अगर ऐसी बात हुई है तो जानकारी प्राप्त करने के बाद में उत्तर दे सकूंगा ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, सरकार ने स्पष्ट किया कि जो-जो सुभीते और संरक्षण दिये गये हैं उनके मुताबिक कार्यवाही हो रही है; तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी जाति के विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों के लिये क्या-क्या सुभीते हैं ? श्रीमन्, फीस तक माफ नहीं होती है ।

श्री अध्यक्ष--देखिये यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है इसमें इतने ब्योरे में जाने की मैं इजाजत नहीं दे सकूंगा ।

श्री राजनारायण--मंत्री जी अगर कोई ऐसा भाषण दे दें जिससे जनता को भ्रम हो कि सरकार बड़ी उदार है, पिछड़ी जातियों के सब विद्यार्थियों की फीस माफ कर रही है.....

श्री अध्यक्ष--मंत्री यह भी नहीं कहेंगे कि हम सख्त हैं, अनुदार हैं, या कड़ुए मिजाज के हैं ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि पिछड़ी जाति के छात्रों को कोई स्कालरशिप दी जाती है ?

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--शेड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थी जो कालेज में पढ़ते हैं उन सबका शुल्क माफ है । सबको स्कालरशिप मिलती है । पिछड़ी जाति के वह विद्यार्थी जो अच्छे नम्बरों से पास होते हैं उनको भी स्कालरशिप मिलती है ।

श्री राजनारायण--हंसुआ करे बियाह का खुरपी रे होई । मेरा प्रश्न शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने दोनों के लिए कहा है । आप सुनते नहीं हैं । उन्होंने कहा कि शड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों को सबको मिलता है, लेकिन पिछड़ी जाति के जो होशियार भड़के रहते हैं उनको ही मिलता है । यह कहा उन्होंने ।

श्री रामवचन यादव--क्या प्रदेशीय सरकार को यह ज्ञात है कि इसी धारा के अन्तर्गत देश के कई प्रदेशों ने पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि अन्य प्रदेशों ने इस संबंध में क्या किया है । परन्तु मैं प्रश्न के उत्तर में कह सकता हूं कि मौजूदा सरकार की या विभिन्न स्थानों की सरकारों की यह नीति नहीं है कि रिजर्वेशन की प्रथा को आगे बढ़ाएं ।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरिट स्कालरशिप या स्टाइपेंड की मेरिट लिस्ट बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स की अलग बनती है या सब की साथ बनती है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--बैकवर्ड क्लास के लिए बिलकुल अलग है । शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए अलग है । उसमें जो छोटे क्लास में हैं, उनके लिए हरिजन कल्याण समितियां तय करती हैं । वह भी मेरिट के ऊपर स्कालरशिप देते हैं और फ्री पढ़ाई का सुभीता मिलता है ।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसे नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रश्न है इसी तरह से मंत्रिमंडल के सदस्यों में पिछड़ी जाति के लिए कोई रिजर्वेशन रखा गया है ?

(हंसी --उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि मैंने अपने ७ तारीख के पत्र द्वारा इसी वर्तमान मंत्रिमंडल को जो १५ प्वाइन्ट दिये हैं उन में ११ वें प्वाइंट में लिखा है--"बैकवर्ड कमीशन की रपट का आवश्यक अंग बिना केन्द्र का इंतजार किये अपने प्रदेश पर तत्काल लागू किया जाय ।" सरकार ने इस प्रश्न पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उठता नहीं । आपने जो कुछ लिखा, जिसका जिक्र किया वह इसमें नहीं है । उसके लिए आप अलग सवाल करें ।

श्री राजनारायण--मगर हम उनसे ज्यादा परेशान हैं ।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य के लिये धन की स्वीकृति

****१५--श्री मदन पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जितने रुपयों का तखमीना लगाया गया था, प्लानिंग कमीशन ने उसमें से कितना स्वीकार किया है ?

श्री रऊफ जाफरी--राज्य की तीसरी योजना के प्रारूप में लगभग ७६४ करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया था । नियोजन आयोग द्वारा निर्मित वर्किंग ग्रुप्स में राज्य अधिकारियों से सितम्बर, १९६० में इस योजना पर विचार विमर्श किया और ४८० करोड़ ३८ लाख रुपया निश्चित योजना (Category 'A') के लिये, २८ करोड़ उत्तराखंड के लिये तथा यदि और अधिक धन की व्यवस्था हो सके तो ५५ करोड़ ६१ लाख की अतिरिक्त योजना (Category 'B') के लिये सलाह दी । विचार विमर्श के बाद नियोजन आयोग ने ४९७ करोड़ रुपये की योजना बनाने की अनुमति दी । राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि योजना की रकम कम से कम ५१७ करोड़ रुपये कर दी जाय ।

****१६--श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रारूप में प्लानिंग कमीशन ने जो संशोधन किये हैं उनका संक्षिप्त विवरण क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर तालिका रूप में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७६ पर)

श्री मदन पांडेय—यहां उत्तर प्रदेश में जो संसदीय सदस्यों का सम्मेलन हुआ था उसमें जो पुस्तिका बंटी थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ३७.२७ रुपया खर्च होता है जबकि पंजाब में ९१.३९ रुपया । इस प्रकार इस संसदीय सदस्यों के सम्मेलन में दी हुई संख्या के आधार पर और इसी सदन में विगत अधिवेशन के अवसर पर जो अपनी भावनायें यहां के सदस्यों ने व्यक्त की थीं कि जो यहां की आबादी है उसके हिसाब से हमें योजना आयोग के सदस्यों से मांग करनी चाहिये, इसको ध्यान में रखते हुए यह जो मंजूरी दी गई है उसको और अधिक बढ़ाने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किये गये और जो दलीलें दी गईं उनके उत्तर में वह क्या थीं, योजना आयोग ने उस पर क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—अभी कल परसों ही इस विषय में यहां पर चर्चा हो चुकी है और उन्होंने जवाब भी दे दिया है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो हमारा हिस्सा लगाया गया है केन्द्र के बटवारे में जिसमें कि ४९७ करोड़ हमको दिया गया, वह किस आधार पर बटवारा हुआ है, रकबे के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, या हमारे यहां के पापुलेशन के हिसाब से या उत्पादन के हिसाब से किस हिसाब से वह रुपया दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब दिया जा चुका है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बात को देखते हुए कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप में परिवहन को सड़क वगैरह बनाने को और कम्यूनिकेशंस को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गई थी और ४६ करोड़ रुपया दिया गया था जिसको कि प्लानिंग कमीशन ने १८ करोड़ कर दिया है जबकि साढ़े सोलह करोड़ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस प्राथमिकता को बदलने का प्लानिंग कमीशन ने क्या कारण बतलाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्लानिंग कमीशन ने जैसा कि योजना के आंकड़ों से विदित होगा ज्यादा प्राथमिकता ऐग्रीकल्चर को दी है और उसके सिलसिले में उन्होंने अधिक अनुदान प्रदान किया है । उत्तर प्रदेश की इस आवश्यकता को जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने और यहां के प्लानर्स ने प्राथमिकता दी थी, उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस सदन ने सभी योजना सम्बन्धी विवादों में सड़क मार्ग व्यय को बहुत ऊंची प्राथमिता दी है, दुबारा इस बात की चेष्टा करेंगे कि इस सड़क निर्माण सम्बन्धी प्राथमिकता पर प्लानिंग कमीशन पुनर्विचार करे और ज्यादा रुपये का एलोकेशन सड़क निर्माण हेतु किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा करना तो अब सम्भव नहीं हो सकेगा क्यों कि योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न क्षेत्रों में प्लानिंग कमीशन के द्वारा हमें खर्च करने की इजाजत दी गई है हम उसके अन्दर ही खर्च कर सकते हैं । यह तो हो सकता है कि एजूकेशन की जो योजना मन्जूर हुई है तो उस एजकेशन के अन्दर ही उस योजना के किसी हिस्से से बचत करके उसी योजना के अन्तर्गत किसी और ढंग से खर्च कर ले, लेकिन अब यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि जिस योजना के अन्तर्गत उन्होंने जितनी जितनी रकम दी है उस योजना के बाहर दूसरी योजनाओं को मन्जूर करने के लिये हम रुपया खर्च कर सकें ।

गन्ने का दाम

**१७--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने वर्तमान सीजन, १९६०-६१ में गन्ने का दाम २ रुपया प्रतिमन किये जाने की सिफारिश यू० पी० बिहार शुगर कण्ट्रोल बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार से की है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं ।

**१८--श्री मदन पांडेय--क्या यह सही है कि क्या सरकार वित्तीय वर्ष १९५९-६० के सीजन के गन्ने का दाम गन्ने के काश्तकारों को २ रुपया प्रतिमन के हिसाब से दिलाने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि यू० पी० बिहार शुगर कंट्रोल बोर्ड ने २ रुपये की सिफारिश नहीं की थी तो क्या १ रुपया १२ आना की की थी ? यदि हां, तो सरकार बतलायेगी कि उस १ रुपया १२ आना की सिफारिश को मानने में क्या दिक्कत रही?

श्री रऊफ जाफरी--कंट्रोल बोर्ड ने १ रुपया ७५ नये पैसे की सिफारिश जरूर की थी, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसको मन्जूर नहीं किया।

श्री गेंदासिंह--केन्द्रीय सरकार के बावजूद नामन्जूर करने के बम्बई में इस वक्त १ रुपया १४ आना से २ रुपया २ आना मन तक गन्ने का दाम मिलता है; तो क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि भारत सरकार से झगड़ा न करते हुये अपने यहां गन्ने के काश्तकारों को गन्ने का उचित दाम दिला दें ?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक ज्यादा दाम मिलने का सवाल है वह कीमत जो मुकर्रर की जाती है वह मिनिमम प्राइस है । उससे ज्यादा दाम पर कोई रोक नहीं । बाकी रही बात प्रदेशीय सरकार की तो उसके मुताल्लिक कुछ करने का अख्तियार हमें नहीं है । वह हमारे अख्तियार के बाहर की बात है । मिनिमम प्राइस भी केन्द्रीय सरकार की तरफ से मुकर्रर होती है ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि गतवर्ष सीजन में मिलों ने २ रुपये मन गन्ने का भाव दिया तो प्रदेशीय सरकार को क्या कठिनाई है कि जब शुरू में ही काश्तकारों के पास काफी गन्ना है तो वह किसानों को गन्ने की कीमत २ रुपया मन नहीं दिलाती ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उठता नहीं है । वह कह चुके हैं कि यह केन्द्रीय सरकार के हाथ में है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस बात को देखते हुये कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में सारा पत्र व्यवहार इस सदन की मेज पर रखा था तो क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि किन कारणों से केन्द्रीय सरकार ने यू० पी० बिहार में शुगर कंट्रोल बोर्ड की सिफारिश को नहीं स्वीकार किया कि १ रुपया १२ आना मन गन्ने की कीमत दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक इसकी कीमत का विषय है केन्द्रीय सरकार को अपने समक्ष देश में और कमोडिटीज की कीमत को भी सामने रखना पड़ता है और उसको सामने रखकर उसके दाम लगाने पड़ते हैं । साथ ही कितनी कोमोडिटीज देश में तैयार हों इस बात को भी सामने रखकर उन्हें अपनी प्राइस पालिसी के विषय पर निर्णय लेना पड़ता है । यही कारण है कि सारे देश में और खाद्यान्न जो उत्पन्न होते हैं उनकी कीमत को सामने रखकर और कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है और कितनी दूसरी कमोडिटीज की आवश्यकता है इस बात को सामने रखकर वह प्राइस पालिसी के विषय पर अपना निर्णय लेते हैं ।

मुरादाबाद के कार्यवाहक पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट की गिरफ्तारी

**१९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला मुरादाबाद के कार्यवाहक पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को १५ अक्तूबर, १९६० को गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो उनके ऊपर क्या-क्या आरोप थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां, यह कथन है कि उन्होंने एक सब-इन्सपेक्टर से घूस ली।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कितना रुपया घूस में सब-इन्सपेक्टर से लिया था?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अब इसकी जांच हो रही है और उसके बाद मामला अदालत में जायगा तो यह तमाम बातें यहां बताना ठीक नहीं होगा।

मन्त्रियों तथा सभासचिवों के दौरे

**२०—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १७ सितम्बर, १९६० से ३ अक्तूबर, १९६० तक प्रदेश के किन-किन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों, एवं सभा सचिवों ने किन-किन जिलों का किस-किस तिथि को दौरा किया?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वांछित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय—इसमें २६ मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभासचिवों के दौरे का कार्यक्रम है, तो क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश में ऐसी क्या बड़ी भारी बात पैदा हो गयी कि २१ तारीख से १ तारीख तक, १० दिन के अन्दर ये सभी किसी न किसी जिले में दौरे में रहे और साथ ही इस बात का क्या कारण है कि एक एक जिले को एक ही सप्ताह में ५-५ या ६-६ मंत्रियों, उप-मंत्रियों या सभा सचिवों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? क्या विशेष परिस्थिति थी उस समय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे आवश्यकता के विषय में तो पता नहीं, लेकिन मेरा खयाल है और मेरा अनुमान ऐसा है कि असेम्बली का सेशन होने वाला था, हो सकता है कि विरोधी दल कुछ मंत्रणा कर रहे हों, सरकार के ऊपर कोई नो-कांफीडेंस आदि लाने वाले हों, इसके लिये ही यह दौरे हुए हों।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप देखेंगे कि मंत्री जी का उत्तर शायद में है और मंत्रियों का उत्तर डेफिनिट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रश्न का डेफिनिट उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय के कितने ही मंत्री इस समय मौजूद नहीं हैं।

श्री राजनारायण—यदि ज्यादा बड़ा विवरण न हो तो पढ़ दिया जाय और हम लोग भी जान लें।

श्री अध्यक्ष—और उसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि पुराने मंत्रियों के दिल में क्या था दौरा करते समय यह बात प्रस्तुत मंत्री नहीं बतला सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, १७ सितम्बर को असेम्बली स्थगित हुई थी और चार तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था। दो दिन बाद ही फिर असेम्बली चलती.....

---

* सूचना छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष—जो कुछ भी हो, किसी के दिल में क्या है वह नहीं कह सकते।

श्री गौरीशंकर राय—क्या ऐसी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को है कि १७ को असेम्बली स्थगित होने के बाद ४ अक्तूबर को जो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का चुनाव होने वाला था उसके सम्बन्ध में प्रत्येक मंत्री, उपमंत्री और सभा-सचिव दौरे पर चले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे तो इस बात की सूचना नहीं है। जो मैंने आपको बतलाया वही मेरा खयाल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी को जो सूचना मिली है उसके सिलसिले में वह कृपया बतलायेंगे कि वे लोग विरोधी दल के एम० एल० एज० को राजी करने के लिये दौरा कर रहे थे या दूसरे पक्ष के लोगों को राजी करने के लिये वह दौरा कर रहे थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कभी-कभी विरोधी दल के एम० एल० एज० को राजी करने की जरूरत पड़ जाती है। यह हो सकता है कि उनको ही राजी करने के लिये गये हों।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था कि अगर लिस्ट लम्बी न हो तो पढ़ दी जाय ताकि हम भी जान जायं कि एक-एक जिले में कब-कब और कौन दौरे पर गये थे ?

श्री अध्यक्ष—लिस्ट बड़ी लम्बी है.....

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैंने गिन रखा है। माननीय मंत्री जी को गिनने में दिक्कत होगी।

श्री अध्यक्ष—तो आप उसको रिपीट करके प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि २१ तारीख से ४ तारीख के बीच में ६ मंत्री, उपमंत्री और सभा-सचिवों ने मेरठ जिले का और ५ इसी प्रकार के लोगों ने मुजफ्फरनगर जिले का दौरा किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह ब्योरा जो दिया गया है, तालिका में, उससे सब जानकारी हो जायेगी। उससे ज्यादा आप और क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह और बता दिया जाय...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह वह बता नहीं सकेंगे, क्योंकि वह मंत्री अब यहां हैं नहीं और आजकल वे मंत्री भी नहीं हैं। तो यह कहना कि उनके दिल में क्या था, यह प्रस्तुत मंत्री नहीं बता सकते।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मंत्रियों के दिल में क्या था, मैं यह नहीं जानना चाहता किन्तु यह तो मैं पूछ सकता हूं कि उन मंत्रियों और उपमंत्रियों के दौरा करने में जो खर्च हुआ है वह उचित हुआ है या अनुचित हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—यह उत्तर भी वे नहीं दे सकेंगे। आप यह पूछ सकते हैं कि यह इतनी बार गये तो उसमें कितना व्यय हुआ, उसकी इन्क्वायरी आदि की बात आप पूंछ सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, इस असाधारण प्रकार के मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा-सचिवों, राज्य मंत्रियों, द्वारा दौरे के संबंध में, जो कि एक विशिष्ट समय के अन्दर हुआ है, उसकी कोई विशष जांच करायेंगे कि उसमें जो खर्च हुआ है उसमें सार्वजनिक धन का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ है और कितना कितना खर्च हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इस विषय में यह कह सकता हूं कि जहां तक इस सरकार का संबंध है वह इस प्रकार के असाधारण खर्चे को मुनासिब नहीं समझती है। लेकिन अब उस विषय में कोई जांच कराई जाय और जांच करा कर उन जांच कर्ताओं का समय भी लिया जाय, इसको मैं मुनासिब नहीं समझता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन असाधारण दौरों में कुल कितना व्यय हुआ है?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो आप अलग से नोटिस दीजिये, अल्प-सूचित प्रश्न में यह सब सूचना नहीं आ सकती।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी भविष्य के लिये दौरे के सम्बन्ध में कोई योजना बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि मौजूदा सरकार ने दौरों के सिलसिले में मंत्रियों से यह निवेदन किया है कि दौरों के ऊपर कम खर्च हो। और खर्चों में भी जो अब तक निर्धारित नियम थे जिनके अनुसार ४-४ सीटों वाला एक एक कम्पार्टमेंट रिजर्व कराया जाता था, उसके ऊपर मौजूदा सरकार ने स्वयं प्रतिबन्ध लगा दिया है और उन सब प्रतिबन्धों के लगने से यह आशा की जाती है कि काफी रकम जो इस तरह से खर्च होती थी, वह बच जायेगी।

श्री राजनारायण—क्या सरकार मेरी इस सूचना को आधार मान कर १२ सितम्बर से ३ अक्तूबर तक के दौरान में, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों आदि पर जो व्यय दौरों पर हुआ है, उसकी एक सूची सदन में पेश करेंगे?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये आप तो अलग से प्रश्न दें। इस तरह से तो जो प्रश्न पूछने का आप का अधिकार है उसको ही आप खत्म करना चाहते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब मंत्री, उप-मंत्री वगैरह अपना बड़ा तूफानी दौरा करके सब एक जगह गोमती पर इकट्ठा हुए, तभी गोमती में बाढ़ आ गयी? तो क्या भविष्य के लिये वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे फिर यह बात न हो?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप अपनी एक कविता बना कर पेश कर दें।

(हंसी)

नई प्रणाली के बाटों का प्रयोग

****२१—श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने नाप तौल की नई मैट्रिक प्रणाली को कुछ विशेष जिलों में अनिवार्य रूप से कार्यान्वित करने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो कब से और किन-किन जिलों में?

श्री रऊफ जाफरी—नई प्रणाली के बाटों का प्रयोग कुछ विशेष जिलों में तो नहीं किन्तु, मेरठ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, तथा मुरादाबाद के शहरों में कुछ विशेष उद्योग धंधों में पहली अक्तूबर, १९६० से अनिवार्य कर दिया गया है।

****२२—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने उक्त प्रणाली के बाटों के सेटों का कोई मूल्य निर्धारित किया है? यदि हां, तो लखनऊ के बने पचास किलोग्राम के जिन बाटों का मूल्य साढ़े चौबीस रुपया है उन्हें कानपुर के बने बाटों का मूल्य तैंतीस रुपया क्यों रखा गया है?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं, प्रश्न के शेष भाग का सवाल पैदा नहीं होता।

**२३--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि पुराने बाटों के समानान्तर वजन के नये दो किलोग्राम से एक ग्राम तक के बाटों का पुराने बाटों के साढ़े पन्द्रह आना मूल्य की अपेक्षा ग्यारह रुपये पैंतीस नये पैसे हैं?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, मीटरिक तथा उसके समानान्तर पुराने बाटों के मूल्य में कुछ अन्तर अवश्य है। जिसके कारण निम्नलिखित हैं:--

(१) नये बाटों को वैध करने के लिये निर्धारित मुद्रांक शुल्क (stamping fee) देना पड़ता है, जो बाटों के मूल्य में सम्मिलित किया जाता है। पुराने बाटों के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई नियम नहीं था।

(२) नये बाटों के बनने में जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है वह पुराने बाटों के कच्चे माल से कई गुना अच्छा होता है।

(३) नये बाटों के बनाने में भिन्न-भिन्न धातुओं की मात्रा तथा उनके आकार निर्धारित हैं। इस कारण नये बाटों को केवल निपुण कारीगर ही बना सकते हैं। निपुण कारीगरों को साधारण कारीगरों से अधिक मजदूरी देनी पड़ती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी जिस तरह कि नये सिक्के चालू होने पर जनता की सुविधा के लिये कुछ समय तक पुराने सिक्के भी चालू रखे गये थे, उसी तरह से पुराने बाटों को भी कुछ दिनों तक चालू रखने की कृपा करेंगे?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि प्रश्न के जवाब में बतलाया गया है, आम तरीके पर देहातों में और जिलों की दूसरी जगहों पर, सिवाय शहरों के, पुराने बाट चालू हैं और नये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। शहरों में यह समझा जाता है कि दो साल का जो मौका दिया गया जिसमें नये और पुराने दोनों बाट चालू हो गये थे, वह काफी है और अब जनता को सब मालूम हो गया है और इसकी जरूरत नहीं मालूम होती कि और वक्त दिया जाय।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि नये बाट मनमानी कीमतों पर बेचे जा रहे हैं उनका मूल्य निर्धारित करने की कृपा करेंगे?

श्री रऊफ़ जाफ़री--इसमें हमारी काफी मुश्किल है। अगर हम उनका मूल्य निर्धारित करें तो हमें उसकी मेशीनरी भी सेट-अप करनी पड़ेगी--जो इस वक्त हम नहीं कर सकते हैं--कि वह सही कीमत पर बिक रहे हैं या नहीं इसको चेक करे। दूसरे, अगर हम इसको कंट्रोल में लें तो हमें उनको कच्चा माल देना पड़ेगा, जो कि इस वक्त इतना कम है कि हम अपना काम ही पूरा नहीं कर पाते। तो इन वजहों से यह मुश्किल मालूम पड़ता है कि हम ऐसा कर सकें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--सरकार ने बताया कि देहात में पुराने बाट भी चालू हैं तो क्या ऐसा किसी कानून के अन्तर्गत है या सरकार ने उसको न चालू करने के लिये ऐसा किया है?

श्री रऊफ़ जाफ़री--जैसा कि उत्तर में बतलाया गया शहरों के लिये ऐसा नहीं है, देहातों में दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि पुराने बाट न इस्तेमाल किये जायं। शहरों में तो दो साल पहले से नये और पुराने दोनों किस्म के बाट इस्तेमाल हो सकते थे।

नोट--अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

भारत फाइबर ऐण्ड अलाइड इन्डस्ट्रीज फर्म को एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट न मिलना

**२४—श्री लक्ष्मण राव कदम तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को पता है कि Director of Industries, Kanpur ने सन् १९५७ में Bharat Fibre and Allied Industries नामक फर्म को fibrous leather boards,boots and shoe grindery आदि की योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक लाख बाइस हजार रुपये की मशीनें व कच्चा माल मंगाने के लिये Essentiality Certificate प्रदान करने की स्वीकृति दे दी थी और भारत सरकार के Development Wing ने अपने पत्र-संख्या 15 (c) 158/1—Ind. दिनांक १७ दिसम्बर, १९५८ द्वारा उक्त योजना को approve कर लिया था?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपलानी)—जी हां। १,२६,८०० रुपये के पांच essentiality certificates कथित फर्म को भारत कमर्शियल कम्पनी के नाम से सन् १९५७ में दिये गये थे।

**२५—श्री लक्ष्मण राव कदम तथा श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या सरकार को पता है कि लखनऊ से पांच मील दूर कानपुर रोड पर उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये लगभग दो वर्ष हुये उक्त आधार पर कई लाख रुपये की लागत से फैक्टरी की एक आलीशान इमारत बन कर तैयार हो गयी है व उसके लिये कुछ आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—उक्त फर्म ने लखनऊ कानपुर रोड पर एक बिल्डिंग बना ली है।

**२६—श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या सरकार को पता है कि उक्त फर्म को वह सर्टिफिकेट अभी तक प्रदान नहीं किये गये बल्कि अभी हाल ही में इंडस्ट्री विभाग ने सर्टिफिकेट देने से इन्कार कर दिया है? यदि हां, तो किस कारण?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—(क) जी हां।

(ख) फर्म के खिलाफ शिकायत होने के कारण।

फैजाबाद में जी० सी० शीट्स की खुली बिक्री

**२७—आचार्य दीपंकर—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला फैजाबाद में १ अगस्त से ३१ अक्तूबर, १९६० के बीच में जी० सी० शीट्स के फ्री सेल की इजाजत किसी दुकानदार को दी गई? यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितनी, किन-किन दुकानदारों को?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। केवल सर्वश्री भारत स्टील कारपोरेशन को १३ टन ९ क्वाटर जी० सी० शीट्स फ्री सेल करने की इजाजत दी गई थी।

*२८—आचार्य दीपंकर—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में जिन तारीखों में फ्री सेल की इजाजत दी गयी उन तारीखों में कितने व्यक्तियों को कितनी मात्रा में उक्त जी० सी० शीट्स प्राप्त करने की दरख्वास्त जिला सप्लाई आफिस में रजिस्टर्ड थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिस तारीख को भारत स्टील कारपोरेशन को फ्री सेल की इजाजत दी गई उस समय जिला पूर्ति कार्यालय में ७५ टन जी० सी० शीट्स के लिये ११८ व्यक्तियों के आवेदन पत्र रजिस्टर्ड थे परन्तु खराब और छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण इन शीटों को लेने के लिये कोई तैयार न था। कुछ व्यक्तियों ने परमिट भी वापस कर दिये थे।

कानपुर ऊलन मिल्स में तालाबन्दी की आशंका

२९--श्री मदन पांडेय**--क्या यह सत्य है कि कानपुर ऊलन मिल्स के प्रबन्धकों ने यह घोषणा की है कि कच्चे माल के अभाव के कारण १ जनवरी, १९६१ से उक्त मिल बन्द हो जायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--जी नहीं।

३०--श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बन्दी, जिसके कारण लगभग ३,००० मजदूर बेकार हो जाने की आशंका है, को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में ईंधन की कमी

३१--श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ शहर में जलाने की लकड़ी तथा कोयले की कमी के कारण लखनऊ शहर के नागरिकों को कष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय जलाने की लकड़ी पर कोई नियंत्रण नहीं है। लकड़ी बिना किसी रोक टोक के शहर में आती है। पर बाढ़ के दिनों में असाधारण कारणों से लकड़ी कम मात्रा में आ पाई। अब स्थिति संतोषजनक है। पिछले कुछ महीनों से जलाने का कोयला वैगनों की कमी के कारण निर्धारित कोटे से बहुत कम आ पाया। पर जब-जब स्थिति खराब हुई कोल कन्ट्रोलर से विशेष रूप से सप्लाई के लिये अनुरोध किया गया। अभी हाल में दो रेक कोयला लखनऊ में आया है और फिलहाल स्थिति संतोषजनक है।

श्रम विभाग के अन्तर्गत कम्पाउन्डरों का वेतन

३२--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)**--क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित होने वाले अस्पतालों के एलोपैथिक कम्पाउन्डरों को, अन्य सरकारी अस्पतालों के एलोपैथिक कम्पाउन्डरों का नया वेतन-क्रम ७५-५-१००-५-१२० रु० जो पहली अप्रैल, १९६० से लागू किया गया है ? प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--७५-५-१००-५-१२० रु० का वेतन-क्रम उन एलोपैथिक कम्पाउन्डरों के लिये स्वीकृत हुआ है जो चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत संचालित अस्पतालों में कार्य करते हैं। श्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित होने वाले अस्पतालों के एलोपैथिक कम्पाउन्डरों के लिये नये वेतन-क्रम की स्वीकृति का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

३३--श्री गेंदासिंह**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड बन गया है ? यदि हां, तो उस बोर्ड के कौन-कौन सदस्य और पदाधिकारी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--(क) जी हां।

(ख) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७७-३७८ पर)

३४--श्री गेंदासिंह**--क्या खादी बोर्ड ने खंडसारी गुड़ तथा जूट, सनई के विकास के लिये कोई कार्य-क्रम बनाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--जी नहीं।

अदालती भ्रष्टाचार जांच समिति की रिपोर्ट

३५--श्री ऊदल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अदालतों में भ्रष्टाचार के कारणों की जांच के सम्बन्ध में जो समिति हाई कोर्ट के न्यायाधीश माननीय श्री वी० मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी है क्या उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को दी है। यह रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

३६--श्री ऊदल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त समिति ने किन-किन जिलों की अदालतों में जाकर जांच की तथा इस सम्बन्ध में कितने लोगों का सुझाव लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--समिति द्वारा नियुक्त उप समितियों ने गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, देहरादून, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, फैजाबाद और इलाहाबाद जिलों का दौरा किया है। और वहां लगभग २५० व्यक्तियों के सुझाव लिये हैं।

३७--श्री ऊदल**--इस समिति के और कौन-कौन लोग सदस्य हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :--

(१) श्री के० एल० मिश्र, ऐडवोकेट जनरल।
(२) श्री एस० एन० काटजू, एम० एल० सी०,
(३) श्री गोविन्दसहाय, एम० एल० ए०,
(४) कुंवर श्रीपालसिंह, एम० एल० ए०,
(५) श्री परिपूर्णानन्द वर्मा,
(६) श्री टी० एन० कौल, एडवोकेट,
(७) श्री एस० सी० कंवर, एडवोकेट,
(८) श्री सी० सी० कुक्रेती, एडवोकेट,
(९) श्री महेश चन्द्र, रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद,
(१०) श्री एस० डी० खरे, जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद,
(११) श्री शिवराम सिंह, सचिव, राजस्व विभाग,
(१२) श्री ज्ञान प्रकाश, जिलाधीश, कानपुर,
(१३) जुडिशियल सेक्रेटरी--मेम्बर सेक्रेटरी।

लखनऊ में सिनेमा प्रदर्शकों पर मनोरंजन-कर का बकाया

**३८--आचार्य दीपंकर--क्या मुख्य मंत्री कृपया ८-८-६० के विधान सभा के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में यह बतायेंगे कि १६ जुलाई, तक जो ७,५२५ रु० ८९ न० पै० इन्टरटेनमेंट टैक्स बकाया था वह लखनऊ के किन-किन सिनेमा प्रदर्शकों के ऊपर था और यह रकम उक्त सिनेमा प्रदर्शकों के खिलाफ कब से बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--७,५२५ रु० ८९ न० पै० जो १६ जुलाई, १९६० को बाकी थे उसमें से एलफिन्सटन सिनेमा के जिम्मे ६,२५४ रु० ३२ न० पै० १३ जून से १० जुलाई, १९६० तक का व जगत सिनेमा के जिम्मे १,२७१ रु० ५७ न० पै० ६ जून से १२ जून, १९६० तक का बाकी था, यह पूरी रकम वसूल की जा चुकी है।

**३९--आचार्य दीपंकर--क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जब एक सिनेमा प्रदर्शक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है और उस सिनेमा हाल के लिये कोई दूसरा प्रदर्शक लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र देता है तो पिछले प्रदर्शक के ऊपर इन्टर-टेनमेंट टैक्स का बकाया इस नये प्रदर्शक से वसूल करके ही उसको लाइसेंस दिया जाता है ? यदि हां, तो इसका नैतिक या वैधानिक आधार क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसी कोई प्रथा नहीं है, फिर भी यदि नया लाइसेंस लेने वाला स्वयं अपने ऊपर ऐसी जिम्मेदारी लेता है और यह वह आमतौर पर तभी करता है जब वह पुराने लाइसेंसी के परिवार का होता है, तो लाइसेंस देने वाला अधिकारी यदि उचित समझता है तो ऐसा प्रतिबन्ध लाइसेंस में डाल देता है।

खाद्यान्न के आवागमन के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध

**४०--श्री गेंदासिंह--क्या खाद्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कोरिडार क्षेत्र अपने प्रदेश में कहां-कहां है और उनमें अनाज की बिक्री तथा आवागमन के सम्बन्ध में क्या प्रतिबन्ध लगाये गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यू० पी० फूडग्रेन्स (रिस्ट्रिक्शंस आन आर्डर मूवमेन्ट) आर्डर, १९५९ के अनुसार कोई कोरिडार क्षेत्र नहीं है। माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित वार्डर एरिया से है। जहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, देहली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार प्रदेशों से मिलती है, उस सीमा से उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ५ मील का क्षेत्र यू० पी० फूडग्रेन्स (रिस्ट्रिक्शंस आन बार्डर मूवमेन्ट) आर्डर, १९५९ में वार्डर एरिया घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में अनाज की बिक्री के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये हैं :—

(१) हर वह गल्ला व्यापारी जो एक समय पर ५० मन या उस से अधिक वह अन्न जिनका उल्लेख यू० पी० फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९५९ में किया गया है, को बेचता है या बेचने के उद्देश्य से भंडार करता है उसको उक्त आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

(२) जिन गल्ला व्यापारियों ने उक्त आदेश के आधीन लाइसेंस प्राप्त किया है उनके लिये यह अनिवार्य है कि वह अपने उस धान की किस्म के भंडार को जिससे उत्पादित चावल की खरीद सरकार कर रही है अपने ही जिले के केवल उन व्यापारियों के हाथ बेचें जिन्होंने यू० पी० फूडग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९५९ के अधीन लाइसेंस लिया हो या उन चावल मिलों के हाथ बेचें जिन्होंने राइस मिलिंग इंडस्ट्री (रेग्यूलेशन) ऐक्ट, १९५८ के अन्तर्गत लाइसेंस लिया हो।

अनाज के आवागमन से संबंधित प्रारम्भिक प्रतिबन्ध तो उक्त आदेश में ही हैं। समय समय पर इनमें जो परिवर्तन हुये हैं उन आदेशों की *प्रतियां भी माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई हैं।

**४१—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि अब उक्त प्रतिबन्धों को उठा लिया गया है? यदि हां, तो क्या जो आदेश जिले के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में भेजे गये हैं उसकी प्रतिलिपि खाद्य मंत्री कृपा कर सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिक्री से संबंधित जिन प्रतिबन्धों का ऊपर उल्लेख किया गया है उन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आवागमन के प्रतिबन्ध से संबंधित प्रतियां* प्रथम प्रश्न के उत्तर में दी जा चुकी हैं। इन विज्ञप्तियों के अतिरिक्त और कोई आदेश जिला अधिकारियों को नहीं भेजे गये।

कानपुर जिले के बाढ़-पीड़ित किसानों की मांगें

**४२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ दिसम्बर, १९६० को जिलाधीश कानपुर के समक्ष कानपुर जिले के बाढ़ क्षेत्रों के प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रजा-समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उक्त जिले की तात्कालिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मांग-पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री उक्त मांग पत्र की मांगें तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सदन के सम्मुख रखेंगे?

श्री हुकुम सिंह बिसेन—जी हां, प्रश्न में उल्लिखित मांग पत्र जिलाधीश को मिला था। उस मान पत्र में दी गई मांगों की एक सूची संलग्न नत्थी "क" पर है।

संलग्न सूची में दी गई १४ मांगों में से केवल मांग संख्या १,२,३,५,६ और १० का कुछ सम्बन्ध राजस्व विभाग से है। इन मांगों पर की गई कार्रवाई के बारे में आवश्यक सूचना संलग्न नत्थी "ख" पर है।

शेष मांगों का सम्बन्ध जिन विभागों से है उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७९–३८० पर)

उत्तर प्रदेशीय शुगर केन सेस ऐक्ट का अनियमित घोषित किया जाना

**४३—श्री मदन पांडेय, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रज-नारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित जजों द्वारा नई दिल्ली में १३ दिसम्बर, १९६० को "डायमन्ड शुगर फैक्टरी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार" नामक मुकदमें में दिये गये फैसले की ओर गया है जिसमें उत्तर प्रदेशीय शुगरकेन सेस ऐक्ट, १९५६ को अनियमित (invalid) करार दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस निर्णय से प्रदेशीय सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। केन्द्रीय सरकार ने यू०पी० शुगरकेन सेस (वैलीडेशन) आर्डिनेन्स, १९६१ द्वारा पिछली वसूलयावियों (recoveries) एवं levies को वैधानिक करार कर दिया है जिससे अब प्रदेश सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस आय के साधन को बनाये रखने के लिये प्रदेश में ३ फरवरी, १९६१ से उत्तर प्रदेश (बिक्री-कर) अध्यादेश, १९६१ भी प्रचारित कर दिया गया है।

---

*प्रतियां छापी नहीं गयीं।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षित वस्तुओं का घपला

**४४—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षित वस्तुओं के घपले की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जी हां। सरकार जांच करवा रही है ।

**४५—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य संग्रहालय (म्यूजियम), लखनऊ में सुरक्षित सामानों और संग्रहालय द्वारा क्रय किये गये सामानों की जांच-पड़ताल किसी अधिकारी द्वारा सरकार ने करायी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और क्या सरकार जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। संग्रहालय के कर्मचारियों और एक विशेषाधिकारी द्वारा यह जांच, करवाई जा रही है। अभी जांच की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि सामान बहुत है और जांच जारी है ।

मलिहाबाद के जेड० ए० सी० कार्यालय में आग लगने से क्षति

**४६—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, १९६० में लखनऊ जिले में मलिहाबाद की तहसील के केन्द्र में आग लग जाने से कितनी सरकारी व गैर सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिसम्बर, १९६० में तहसील मलिहाबाद केन्द्र के जेड० ए० सी० कार्यालय में आग लगने के फलस्वरूप सरकारी फर्नीचर आदि की क्षति १,००० रु० की तथा गैर सरकारी सामान की क्षति २,००० रु० की हुई ।

चीनी उद्योग सम्बन्धित केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट

**४७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार केन्द्रीय वेतन-आयोग (चीनी उद्योग) (Central Wage Board for Sugar Industry) की रिपोर्ट जो दिल्ली में ७ दिसम्बर, १९६० को प्रकाशित हो चुकी है, सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार की है और अभी उनके विचाराधीन है, अतः सदन के सम्मुख रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

**४८—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को प्रदेश की चीनी मिलों में कब से लागू करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—केन्द्रीय सरकार के निर्णय के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा ।

शाहगंज तहसील में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि के लगान में कमी

**४९—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज में जहां चकबंदी हो रही है, जिन किसानों के खाते से सार्वजनिक कार्यों के हेतु भूमि के रकबे से कटौती की जाती है उस कटौती की गई भूमि की मालगुजारी उस किसान की पूरी मालगुजारी में से कम नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील शाहगंज में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये ली गई भूमि की मालगुजारी संबंधित किसानों की पूरी मालगुजारी से अनुपाततः कम कर दी गई है ।

गोमती की बाढ़ के सम्बन्ध में बाराबंकी के अधिकारियों पर ढिलाई का आरोप

**५०—जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोमती में अक्तूबर, १९६० में जो सैलाब आया उस सम्बन्ध में जिला बाराबंकी के अधिकारियों द्वारा लापरवाही के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री तथा सरकार को श्री राम सेवक यादव, एम० पी० व प्रश्नकर्ता ने तार द्वारा सूचित किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का एक तार सरकार को प्राप्त हुआ था। उस पर जांच से ज्ञात हुआ कि बाढ़ के अवसर पर सहायता तथा सुरक्षा कार्य में जिलाधिकारियों ने कोई ढिलाई नहीं की। श्री राम सेवक यादव एम० पी० का कोई तार मुख्य मंत्री जी के नाम प्राप्त नहीं हुआ।

**५१—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बाराबंकी में गोमती की बाढ़ के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने हाकिम परगना, हैदरगढ़ को पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इस सम्बन्ध में हाकिम परगना को कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

२६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न ३९ के उत्तर का शोधन

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
३९—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास कोई ऐसी सूचना आई है कि तहसील कार्यालय जमानिया तहसील, जिला गाजीपुर में काफी बड़ा रुपयों का गोल-माल हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?	३९—तहसील जमानिया के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई वह यह थी कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने उस तहसील के कुछ मध्यवर्तियों का प्रतिकर धोखा देकर ले लिया है। सरकार द्वारा जांच कराने पर पता चला कि उक्त भुगतान के लिये तहसील का कोई कर्मचारी दोषी नहीं था बल्कि कुछ मुख्तारों ने उक्त भुगतान मुख्तारनामों के आधार पर लिया था जिन पर सही मध्यवर्तियों के हस्ताक्षर नहीं थे। मुख्तारों ने गलती मालूम होने पर प्रतिकर की धनराशि या तो खजाने में दाखिल कर दी या सही मध्यवर्तियों को प्रतिकर देकर उनकी रसीदें प्राप्त कर ली हैं। सम्बद्ध व्यक्तियों में से कुछ के विरुद्ध अदालत में अभियोग-पत्र दाखिल कर दिये गये हैं और कुछ के विरुद्ध पुलिस द्वारा जांच जारी है।

अनुपूरक प्रश्न	अनुपूरक प्रश्न का मूल उत्तर
खजाने से रुपया निकालने के पहले जो चेकिंग की पद्धति है खजाने की कि जिस फार्म पर रुपया निकाला जाता है वह खजाने के अधिकारियों द्वारा चेक किया जाता है तब रुपया मिलता है, लेकिन इस मामले में क्या खजाने के अधिकारियों ने ठीक से चेक नहीं किया उसी कारण यह गोल-माल हुआ ?	उन्होंने चेक किया था, लेकिन तसदीक वकील और मुख्तार लोगों ने की, तो खजाने के आदमियों को कैसे पता चल सकता है कि फर्जी है या नहीं। उन्होंने जितनी कार्यवाही थी वह तो कर ली, लेकिन मुख्तार लोगों ने गलत शख्सों के वकालतनामे लगाकर दिये। अब कुछ दे रहे हैं, कुछ रसीदें दाखिल कर रहे हैं और कुछ पर मुकदमा चल रहा है।

मूल प्रश्न का संशोधित उत्तर

३९—तहसील जमानिया के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई वह यह थी कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने उस तहसील के कुछ मध्यवर्तीयों का प्रतिकर धोखा दे कर ले लिया है। सरकार द्वारा जांच कराने पर पता चला कि उक्त भुगतान के लिये तहसील का कोई कर्मचारी दोषी नहीं था बल्कि कुछ मुख्तारों ने उक्त भुगतान मुख्तारनामों के आधार पर लिया था जिन पर सही मध्यवर्तियों के हस्ताक्षर नहीं थे। मुख्तारों ने गलती मालूम होने पर प्रतिकर की 'धनराशि' या तो खजाने में दाखिल कर दी या सही मध्यवर्तियों को प्रतिकर देकर उनकी रसीदें प्राप्त कर ली हैं। सम्बद्ध व्यक्तियों में से कुछ के विरुद्ध पुलिस में अभियोग दर्ज करा दिये गये हैं और पुलिस द्वारा जांच जारी है।

अनुपूरक प्रश्न का संशोधित उत्तर

उन्होंने चेक तो किया था, लेकिन तसदीक वकील और मुख्तार लोगों ने की, तो खजाने के आदमियों को कैसे पता चल सकता है कि फर्जी है या नहीं। उन्होंने जितनी कार्यवाही थी वह तो कर ली, लेकिन मुख्तार लोगों ने गलत शख्शों के वकालतनामे लगा कर दिये। अब कुछ दे रहे हैं कुछ रसीदें दाखिल कर रहे हैं और कुछ के विरुद्ध पुलिस में अभियोग दर्ज करा दिये गये हैं।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

प्रश्नोत्तर—(क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग में सामान की खरीदारी में गड़बड़ी

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) तथा श्री गौरीशंकर राय—क्या न्याय मंत्री २६-८-६० के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि पैथालोजी विभाग के सन् १९५८-५९ के बिलों के भुगतान का लेखा-जोखा सम्बन्धी श्री निसार अहमद सीनियर आडिटर, लोकल फंड एकाउन्ट्स की दिसम्बर, १९५९ एवं जनवरी, सन् १९६० की रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें कि शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स, मैकेनिक और आर्डर सप्लायर्स, बाबूगंज कुर्मी पाठशाला के पास, लखनऊ के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की शंकायें प्रकट की गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्राम राय तथा श्री गौरी शंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर लोकल फंड एकाउन्ट्स ने श्री शम्भू नाथ के टेंडर पर डा० एस० पी० गुप्ता रीडर द्वारा डा० शरदकुमार को जो पत्र लिखा था उसके सम्बन्ध में क्या राय जाहिर की है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—सीनियर आडिटर ने डा० एस०पी० गुप्ता के नोट से, जो कि उन्होंने श्री शम्भूनाथ एन्ड सन्स के टेन्डर पर किया था, यह संदेह किया कि शायद और फर्मों से भी टेन्डर आये थे किन्तु उनके कोटेशन्स कम होने के कारण हो सकता है कि उन्हें नष्ट कर दिया गया हो ।

*३—**श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री विश्राम राय तथा श्री गौरी शंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर ने यह भी लिखा है कि श्री शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स द्वारा सप्लाई केवल मेडिकल कालेज के पैथालोजी एवं सोशल और प्रीवेन्टिव विभाग में ही क्यों हुई है विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में क्यों नहीं हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*४—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर ने यह भी रिपोर्ट दी है कि शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स ने १९५८–५९ में १२ हजार रुपये से अधिक का माल मेडिकल कालेज के पैथालोजी विभाग में बेचा है फिर भी सेल्स टैक्स से बरी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस फर्म को १९५८–५९ में १२,००० रु० से अधिक भुगतान किया गया फिर भी सेल्स टैक्स विभाग के रेकार्ड में शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स फर्म का नाम दर्ज नहीं है । इस बात की जांच की जायगी ।

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर ने आपत्ति नं० १४७ पैथालोजी विभाग के सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आडिटर ने आपत्ति नं० १४७ पैथालोजी विभाग के सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट में शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स द्वारा पैथालोजी एवं प्रिवेन्टिव मेडिसिन विभाग के सूक्ष्म व विद्युत् यंत्रों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की है । आडिटर ने कहा है कि इस फर्म ने ज्यादातर पैथालोजी एवं प्रिवेन्टिव मेडीसन विभागों में ही सामान सप्लाई किया है और इन्हीं विभागों में यंत्रों की मरम्मत का कार्य भी किया है । चूंकि यह फर्म विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कार्य करती थी, आडिटर ने यह संदेह किया है कि यह फर्म अन्य प्रसिद्ध फर्मों का मुकाबला कैसे कर सकी जब कि यंत्रों की मरम्मत इत्यादि का कार्य फर्म की कार्यदक्षता के अनुसार ही किसी फर्म को दिया जाता है । आडिटर ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस सम्बन्ध में पूर्ण जांच की जाय और यह भी पता लगाया जाय कि शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स के quotations अन्य फर्मों Technical Corporation (Private) Ltd., Imperial Surgical Co. of India और Government Precision Instrument Factory, Lucknow के मुकाबले में कैसे कम रहे ।

*६—**श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री विश्राम राय तथा श्री गौरी शंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गौरीशंकर राय के पत्र में उल्लिखित मेडिकल कालेज के पैथालोजी विभाग में काम करने वाले दो कर्मचारी कब और क्यों मुअत्तल किये गये और उन्हें चार्जशीट कब और क्या दी गई तथा मुअत्तली के समय का वेतन क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दोनों कर्मचारी १४-४-१९६० से मुअत्तल किये गये । उन्हें चार्ज शीट २०-८-६० को दी गई जिसमें मुख्य चार्ज निम्न प्रकार थे :

(१) वे दोनों कर्मचारी विभाग के यंत्रों, औषधियों इत्यादि के सम्बन्ध में की गई गड़बड़ियों के लिये जिम्मेदार समझे गये ।

(२) जब ये दोनों स्टोर कीपर का कार्य कर रहे थे, उन्होंने स्टाक रजिस्टर में कई फर्जी इन्दराज किये ।

(३) आडिटर के सम्मुख जरूरी कागजात न रखकर उन्होंने फर्जी एन्ट्री वाले कागजातों को रखा उनके मुअत्तली के समय का वेतन प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज ने ३-९-६० को भुगतान के लिये निकाल लिया था ।

*७—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री श्री गौरीशंकर राय के पत्र में उल्लिखित डा० एस० पी० गुप्ता, डा० एन० पी० गुप्त और शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स के बैंक के हिसाब की जांच करायेंगे, जिससे उक्त सज्जनों के हिसाब की पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने डा० एन० पी० गुप्ता और शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स के बैंक के हिसाब की खुद जांच की और उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया । डा० एस० पी० गुप्ता के बैंक के हिसाब की भी जांच करायी जायगी ।

*८—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स को आडिटर की रिपोर्ट के बाद आर्डर देना बन्द कर दिया गया है और एक नई फर्म श्री सुरेशचन्द्र रामआसरे नाम से खोल दी गई है जिसमें श्री शम्भूनाथ के नौकर श्री सलीम पार्टनर की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं और उक्त फर्म को गोश्त, सब्जी आदि के आर्डर दिये जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपकुलपति की आज्ञा से श्री शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स को भविष्य में आर्डर देना बन्द कर दिया गया है । श्री सुरेशचन्द्र रामआसरे नामक फर्म जो कि श्री शम्भूनाथ के पिता के नाम से है, कुछ सामान पैथालोजी विभाग को सप्लाई किये थे । श्री सलीम, जो कि श्री शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स से युक्त थे इस नई फर्म में मैनेजर के हैसियत से काम करते हैं । इस फर्म को भी भविष्य में आर्डर देना बन्द कर दिया गया है ।

*९—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी एवं वैक्टिरयालोजी विभाग में सन् १९५२ से लेकर फरवरी, सन् १९६० तक श्री शम्भूनाथ, श्री सतीशचन्द्र शम्भूनाथ और श्री शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स फर्मों के नाम से कितने रुपये के सामानों के टेन्डर स्वीकार किये गये और लिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्री शतीशचन्द्र, शम्भूनाथ—

	रु० न० पै०
१९५५-५६	१२८४·१९
१९५६-५७	९२६·२५
श्री शम्भूनाथ—	
१९५२-५३	१२३·७५
१९५३-५४	१३६·५०
१९५४-५५	५·००

	रु० न० पै०
श्री शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स :—	
१९५६–५७	३०१८·४०
१९५७–५८	३१२५·१३
१९५८–५९	६०४८·८४
१९५९–६०	१०७९२·८४
श्री सतीशचन्द्र :—	
१९५२–५३	७३१·०८
१९५३–५४	१३२५·५३
१९५४–५५	२३५५·७५

*१०—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय, श्री विश्रामराय** तथा **श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में एक फर्म श्री आर० डी० गुप्ता ऐन्ड सन्स ने विश्वविद्यालय में शिकायत की कि श्री शम्भूनाथ डा० एस० पी० गुप्ता के नौकर हैं इसी कारण उन्हीं का टेन्डर किसी न किसी प्रकार स्वीकार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय के एकाउन्ट्स आफिसर श्री मथुरा प्रसाद ने तत्कालीन प्रिन्सिपल को इस विषय में कोई पत्र भी लिखा था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री आर० डी० गुप्ता ऐन्ड सन्स द्वारा कोई शिकायत विश्वविद्यालय के रेकार्ड में नहीं है, सन् १९५७ में विश्वविद्यालय के एकाउन्ट्स आफिसर ने पैथालोजी विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया था।

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय** तथा **श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६ तक अमरीका जाने के पूर्व डा० एस० पी० गुप्ता ही पैथालोजी विभाग की खरीदारी का काम देखते थे तथा वापस आने पर भी उन्हीं का दखल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*१२—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय** तथा **श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर की रिपोर्ट १–२–६० को विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्राप्त हो गई थी ? यदि हां, तो उनकी ओर से कोई कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आडीटर की रिपोर्ट में जो आपत्ति की गई थी उसकी पूरी जांच पैथालोजी विभाग के अध्यक्ष ने स्वयं की अतः उनको इक्जामिनर लोकल फन्ड एकाउन्टस् के पास पूर्ण रिपोर्ट भेजने में कुछ समय लगा, ये रिपोर्ट इक्जामिनर लोकल फन्ड एकाउन्ट्स को २४–५–६० को भेजी गई थी जिसके आधार पर इक्जामिनर, लोकल फन्ड एकाउन्ट्स ने सभी आपत्तियां हटा लीं ।

*१३—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय** तथा **श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शतीशचन्द्र गुप्ता मेडिकल कालेज के पैथालोजी एवं बैक्टिरयालोजी विभाग में नौकर हैं और फर्म शतीश चन्द्र शम्भूनाथ के साझेदार रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री शतीशचन्द्र गुप्ता फर्म सतीशचन्द्र शम्भूनाथ के साझेदार रह चुके हैं । श्री गुप्ता मेडिकल कालेज के पैथालोजी एवं बैक्टिरयालोजी विभाग में १९५६ के पूर्व नौकर थे ।

*१४—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शतीशचन्द्र गुप्ता ने ५-१२-१९५५ को डा० मांगलिक फर्म सतीशचन्द्र शम्भूनाथ के नाम से बैंक में करेन्ट एकाउन्ट खोलने हेतु आज्ञा क्यों मांगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के रेकार्ड में कोई सूचना नहीं है ।

*१५—**रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय, तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एन० पी० गुप्ता द्वारा प्रदत्त ७-१२-१९५५ का ८७९९३६ नम्बर चेक किसके नाम से दिया गया था और किसने भुनाया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चेक श्री शतीशचन्द्र गुप्ता के नाम से था और उन्होंने ही उसे भुनाया था ।

*१६—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शतीशचन्द्र गुप्ता ने डा० एन० पी० गुप्ता से अपने निजी काम के लिये लिये, हुये ५०० रु० के कर्ज का भुगतान फर्म श्री सतीशचन्द्र शम्भूनाथ से क्यों कराया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारी इस विषय में सूचना देने में असमर्थ हैं । उनका कथन है कि सम्भवतः श्री शतीशचन्द्र ने शम्भूनाथ ऐन्ड सन्स के साझेदार होने के नाते यह रकम फर्म से दिलाया ।

*१७—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री विश्रामराय तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय ने ७-८-६० को उप-सचिव, स्वास्थ्य विभाग श्री के० सी० जोशी को इस आशय का पत्र लिखा है कि उप-कुलपति को अभी तक पैथालोजी विभाग के लिपिकों की मुअत्तली आदि का कागज नहीं दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

[९ फरवरी, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खीरी कलेक्टरी के अस्थायी क्लर्क

*१—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के कलेक्टरी आफिस में जो क्लर्क लगातार पांच साल से कार्य कर रहे हैं, उन्हें मुस्तकिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि वे नियमानुसार मुस्तकिल होने के पात्र नहीं हैं ।

मानीपुर परगने में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क में हस्तगत भूमि

*२—**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जोदम्मन, रानापट्टी, बरहनपुर, सुल्तानपुर, परगना मानीपुर, तहसील कुंडा के जिन काश्तकारों के खेतों से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क निकाली गई है, उनका रकबा व लगान आज तक कम नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । मालगुजारी की वसूली १३६६ फसली से स्थगित है । काश्तकारों के मुआवजे के नक्शे बन चुके हैं और जब मुआवजा वितरण हो जायगा तब रकबा व मालगुजारी में कमी तथा अमलदरामद किया जायगा ।

*३—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जब से काश्तकारों के खेत सड़क में लिये गये हैं मालगुजारी न कटने के कारण वे मालगुजारी देते रहे हैं ? क्या उसे सरकार वापस करेगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो मालगुजारी पहले वसूल हो गई है वह या तो काश्तकारों के खातों में मुजरा कर दी जायगी या उनके प्रार्थना-पत्र पर वापस कर दी जायगी। यह कार्यवाही मुआवजे के वितरण के पश्चात् ही मालगुजारी की कमी या अमलदरामद के साथ ही की जायगी।

*४-५--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)--[१० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०२-१०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

औरंगाबाद परगने में वृहत जोतकर का बकाया

*६--**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में परगना औरंगाबाद के कितने काश्तकारों पर सन् १३६६ फ० से १३६७ फ० तक का वृहत जोत कर कितना बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला खीरी में परगना औरंगाबाद के ६ करदाताओं से १३६६ फसली का ९३० रु० ४४ नया पैसा और ९ करदाताओं से १३६७ फसली का १,२१७ रु० २१ नया पैसा वृहत जोत कर वसूल होना बाकी है।

कुण्डा तहसील में दाखिल खारिज के मुकदमे

*७--**श्री गयाप्रसाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ में दाखिल खारिज के मुकदमें कितने ऐसे हैं जिनको चलते हुये निर्धारित समय से अधिक हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुकदमों के फैसले होने के लिये कोई खास समय निर्धारित नहीं होता। उनको शीघ्र ही समाप्त करने का आदेश है।

*८-९--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[१० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०४-१०५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फरेंदा तहसील में कुछ गांवों की भूमि वन विभाग को देने की शिकायत

*१०--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार के पास अप्रैल, १९६० में कोई ऐसी शिकायत आई है कि जिला गोरखपुर की फरेंदा तहसील के ग्राम समाज बरडाड़, पुरन्दरपुर, पिचुरुवी और वरगाहपुर को जो भूमि जमींदारी उन्मूलन के बाद मिलनी चाहिये थी वह वन विभाग को दे दी गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या सरकार उक्त शिकायत की एक कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अप्रैल, सन् १९६० में कोई भी ऐसी शिकायत सरकार के माल विभाग में प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

सतवाड़ी तथा ककरही में गृह विहीनों का पुनर्वासन

*११--**श्री प्रभुदयाल** (जिला बस्ती)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सतवाड़ी तथा ककरही तहसील, नौगढ़ (बस्ती) के कितने घर नदी में गिर गये और कितने घर बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो चुके हैं ? ग्रामों को ऊपरी जमीन पर बसाने की क्या व्यवस्था अब तक की गई है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इन ग्रामों के १४ घर नदी में गिर गये तथा ४६ घर बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो गये और ४७ घरों को आंशिक क्षति पहुंची। ग्राम सतवाड़ी के क्षतिग्रस्त निवासियों में से कुछ तो वहीं ऊंचे स्थान पर बस गये और शेष को बसाने के लिये पड़ोस के नवैला ग्राम में भूमि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ग्राम ककरही के क्षतिग्रस्तों को पास की पी० डब्ल्यू० डी० सड़क पर जो अब आम रास्ता नहीं है बसाने का विचार है।

*१२-१३--**श्री शिवप्रसाद नागर**--[१४ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ८३-८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

पशु, कुक्कुट, मत्स्य पालन का इन्दराज न होना तथा मालगुजारी का बकाया

*१४--**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिस खेत पर कोई भूमिधर पशुपालन, कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्य करता है तो उस कार्य का इन्दराज माल विभाग के कागजात में लेखपाल करता है ?

(क) यदि हां, तो खसरा और खतौनी के किस खाने में और क्या दर्ज करता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

(क) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती ।

*१५--**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री बलदेवसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक जिले में सरकारी मालगुजारी का कितना-कितना ऐसा धन पड़ा है जो अब तक वसूल हो जाना चाहिये था, मगर बाकी रह गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

कोंच के वर्षापीड़ितों को सहायता

*१६--**श्री चित्तरसिंह निरंजन** (जिला जालौन)--क्या सरकार को विदित है कि जिला जालौन के अन्तर्गत कस्बा कोंच दो नालों से घिरा हुआ है और अगस्त, १९६० में भीषण वर्षा होने के कारण उक्त नालों के सन्निकट बसने वाले हरिजनों एवं अन्य व्यक्तियों की जान और माल की अधिक क्षति हुई है ? यदि हां, तो सरकार उनकी क्षति पूर्ति के लिये एवं भविष्य में इस प्रकार के संकट निवारणार्थ कोई विशेष कदम उठाने की कृपा करेगी ताकि उनके धन-जन की सुरक्षा हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पिछली वर्षा से इस कस्बे को काफी क्षति हुई । क्षति पूर्ति करना तो संभव नहीं है परन्तु सहायतार्थ क्षतिग्रस्त लोगों को अहेतुक सहायता, गृह निर्माण सहायता तथा आपत्तिकाल सहायता (डिस्ट्रेस तकावी) आदि के रूप में आवश्यकतानुसार दी जाती है ।

लेखपालों का कार्यक्षेत्र तथा स्थानान्तरण

*१७--**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लेखपालों को अपने रहने के मुकाम से कितनी दूर पर रक्खा जाता है और उनके तबादले किस-किस आधार पर और कितने दिनों बाद किये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लेखपालों को अपने मुकाम (मूल निवास स्थान) से कितनी दूरी पर रखा जाय, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं हैं । लेखपालों के तबादले प्रशासकीय आधार पर किये जाते ह और इसके लिये कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है ।

अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स

*१८--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६० तक सरकार द्वारा संचालित प्रदेश के अस्पतालों में कितने अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जुलाई, सन् १९६० तक सरकार द्वारा संचालित प्रदेश के अस्पतालों में १२८ एलोपैथिक अन्ट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स. ३१ जुलाई, १९५६ के पूर्व से, तथा ७०० आयुर्वेदिक एवं यूनानी अन्ट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स अपनी-अपनी सेवा काल के प्रारम्भ से कार्य कर रहे थे ।

बाढ़ पीड़ितों को सहायता तथा लखनऊ में बाढ़ से क्षति

*१९--श्री मदन पांडेय, श्री झारखंडे राय, श्री जंगबहादुर वर्मा, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर, सन् १९६० के प्रथम पखवारे में राज्य के किन-किन भागों में बाढ़ आई तथा उससे कितनी धन तथा जन की क्षति हुई ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विपत्ति ग्रस्तों को सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अक्तूबर, सन् १९६० के प्रथम पखवारे में बाढ़ से राज्य के १८ जिले--लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, हरदोई, मैनपुरी, रायबरेली, खीरी, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, बाराबंकी, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत व एटा बाढ़ से प्रभावित हुए। इन जिलों में २०१ मनुष्य तथा १,०३० पशुओं की जान हानि हुई, ३,५१,०६९ मकानों को आंशिक या पूर्णरूप से क्षति पहुंची तथा खरीफ की फसल का लगभग २०.४६ करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है ।

सहायतार्थ निम्न धनराशि सरकार की ओर से स्वीकृत की गई--

	रु०
१--अहेतुक सहायता, मकान बनाने के लिये अनुदान व अन्य कार्य के लिये	२२,०१,०००
२--ऐक्ट १२ के अधीन तकावी (जिसमें मकान बनाने के लिये ऋण शामिल है)	६३,७६,५२८

इसके अतिरिक्त चारे व भूसे का प्रबन्ध, सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने तथा अन्य सम्भव सहायता कार्य भी किये गये ।

*२०--श्री मदन पांडेय, श्री झारखंडे राय, श्री जंगबहादुर वर्मा, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री भीखालाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त बाढ़ में लखनऊ शहर में स्थित किन-किन ऐतिहासिक महत्व की इमारतों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंची ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :--

१--ऐतिहासिक महत्व की इमारतें :--

(१) इमाम बाड़ा छोटा।
(२) इमाम बाड़ा बड़ा ।
(३) छत्तर मंजिल ।

२—सार्वजनिक सम्पत्ति—

(१) जिन्दा अजायब घर
(२) नदुआ कालेज
(३) आर्ट स कालेज
(४) लखनऊ विश्वविद्यालय ।

इसके अतिरिक्त सड़क, पुल तथा बहुत से सरकारी कार्यालयों की इमारतों को क्षति पहुंची है जिसका अनुमान लगभग ३३,८४,४४२ रु० का है ।

बाराबंकी जिले में बाढ़पीड़ितों को सहायता

*२१—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी में अति-वृष्टि तथा गोमती, कल्यानी, समलों, घाघरा नदी की बाढ़ से सितम्बर व अक्तूबर, १९६० में कितने और किन ग्रामों में कितन घर गिरने वा जन-धन की हानि हुई और प्रत्येक ग्राम के बचाव के लिये क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त वृष्टि तथा बाढ़ से ७२० ग्राम, १५,१५४ मकान तथा १९ पशु क्षतिग्रस्त हुये । धन सम्पत्ति की अनुमानित हानि लगभग १,७५,००० रु० की हुई । कुल २२,१०५ रुपये ८६ नय पसे अहेतुक सहायता हेतु, १,१२,८१० रु० मकान बनाने के लिय, १,७३,९४० रु० तकावी के रूप में तथा १,८८२ रुपये ६५ नये पैसे की अन्य सहायता दी गई । बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिये नावों द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और खाने की सामग्री, मिट्टी का तल तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें पहुंचाई गईं ।

७२० ग्रामों के नाम व प्रत्येक में हानि और सहायता का विवरण कार्यालय में देखा जा सकता है । इसकी प्रतिलिपियां तैयार कराने में जो समय व धन व्यय होगा वह इससे होने वाले लाभ से कम ही होगा ।

भवाली क्षय रोगाश्रम में शय्या बढ़ाने तथा डालकंडिया में अस्पताल खोलने की मांग

*२२—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार भवाली क्षय रोगाश्रम में फ्री बेडों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भवाली क्षय रोगाश्रम में फ्री बेडों के बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*२३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि भवाली क्षय रोगाश्रम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास के हेतु पर्याप्त क्वार्टर्स नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भवाली क्षय रोगाश्रम में इस समय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पूर्णतया पर्याप्त क्वार्टर्स नहीं हैं । इन कर्मचारियों के क्वार्टर्स बनाने के लिये शासन ने पिछले वित्तीय वर्ष में ४८,००० रुपये स्वीकृत किये हैं ।

*२४—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार के पास डालकंडिया (Dalkandiya) पट्टी चौगढ़, जिला नैनीताल में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक अस्पताल स्वीकृत किये जाने हेतु कोई मांग आई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, एक आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया किन्तु उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण औषधालय स्थापित करना सम्भव नहीं हुआ ।

नगरपालिका फर्रुखाबाद के हेल्थ आफिसर के विरुद्ध शिकायतें

*२५—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद के हेल्थ आफीसर के विरुद्ध १९५८–५९ में और १९५९–६० के अगस्त तक फर्रुखाबाद के नागरिकों की ओर से कोई शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, एक शिकायत १९५८ में और दूसरी १९५९ में आई थी, इन शिकायतों में लगाये गये आरोप जांच करने पर सिद्ध नहीं हुये इस लिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

कानपुर के प्रमुख अस्पतालों के सम्बन्ध में शिकायतें

*२६—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास किन-किन विधायकों ने कानपुर के उर्सिला अस्पताल, डफरिन अस्पताल, लाला लाजपत राय अस्पताल, मेडिकल कालेज व आई० डी० अस्पताल के सम्बन्ध में १५ अक्तूबर, १९६० को शिकायतें भेजीं और उनके सम्बन्ध में न्याय मंत्री ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसी एक शिकायत १५ अक्तूबर, १९६० को श्री राम स्वरूप वर्मा से प्राप्त हुई है । इसकी जांच की जा रही है ।

*२७—श्री टीकाराम—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि डफरिन अस्पताल, कानपुर के सम्बन्ध में सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां प्रसव करने वाली भारतीय महिलाओं को प्रसव के समय मेडिकल कालेज के विद्यार्थी उनकी इच्छा के विरुद्ध देखते हैं ? यदि हां तो क्या सरकार इस अभद्रता का अन्त करने के लिये उचित कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*२८—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डफरिन अस्पताल और उर्सिला अस्पताल व लाला लाजपत राय अस्पताल, परेड कानपुर में ऐसे कौन-कौन पुरुष व स्त्री डाक्टर हैं जो तीन वर्ष या इससे अधिक दिनों से वहां हैं और उन्हें तीन वर्ष से अधिक रखने के कारण क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डफरिन अस्पताल एवं लाला लाजपत राय अस्पतालों में शिक्षक डाक्टर ही नियुक्त किये गये हैं । जिनके स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता । उन की नियुक्ति स्थाई रूप में मेडिकल कालेज के लिये ही हुई है ।

उर्सिला अस्पताल में डा० बी० के० रोहतगी जून २५, १९५६ से कार्य कर रहे हैं क्यों कि उनकी पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता का सदुपयोग किया जा रहा है ।

मेडिकल कालेज, कानपुर में नियुक्तियों में अनियमितता की जांच

*२९—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मेडिकल कालज, कानपुर में डाक्टरों व अन्य स्टाफ की पदोन्नति व नियुक्ति के सम्बन्ध में अनियमितता, पक्षपात व जातीयता की शिकायत सरकार को १ जुलाई से ३० सितम्बर, १९६० के बीच प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में किससे जांच कराई, क्या तथ्य स्पष्ट हुये तथा क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में सरकार ने की है, या अब करने जा रही ह ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, एक गुमनाम शिकायत इस आशय की प्राप्त हुयी थी कि कानपुर मेडिकल कालेज के एनोटामी के प्रोफेसर ने कुछ निम्न श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां करने में अनियमितता की ।

शिकायत स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेज दी गई है जो आरोपों की जांच कराने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

*३०—**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—[हटा दिया गया ।]

हसनगंज तथा पुरवा तहसीलों में बाढ़ व वर्षा पीड़ितों को सहायता

*३२—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष उन्नाव जिले की हसनगंज और पुरवा तहसीलों में बाढ़ और अतिवृष्टि से सम्पत्ति और फसलों को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गत बरसात में उन्नाव जिले की हसनगंज और पुरवा तहसीलों में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण ३५० ग्रामों में खरीफ की फसल को रुपये में ४० नये पैसे या उससे अधिक क्षति का अनुमान है । फसल के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति को जो क्षति पहुंची है उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

(१)	पूरे नष्ट हुये मकानों की संख्या	२,०४२
(२)	अधूरे बर्बाद हुये मकानों की संख्या	४,१३६
(३)	मरे पशुओं की संख्या	२२
(४)	अन्य सम्पत्ति करीबन	७६,७३६ (रु० कीमती)

*३३—**श्री सजीवनलाल**—सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित इन क्षेत्रों के निवासियों के लिये लगान तथा अन्य वसूलयाबियों के सिलसिले में क्या सुविधायें प्रदान की हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बाढ़ तथा अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी तथा अन्य सरकारी मतालबों की वसूली पहले १५-११-६० तक स्थगित कर दी गई थी । इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त ग्रामों के जिन खातों में क्षति की मात्रा का रुपये में ५० नये पैसे या उससे अधिक का अनुमान है उनमें फिलहाल खरीफ १३६८ फसली की मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

*३४—**श्री सजीवनलाल**—सई नदी की बाढ़ को रोकने के लिये, जिससे प्रायः हर साल उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ जिले में हजारों एकड़ जमीन तबाह हो जाया करती है, सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सई नदी का सर्वेक्षण जिला हरदोई में उसके उद्गम स्थान से लेकर जिला जौनपुर में गोमती नदी पर उसके संगम स्थान तक किया जा रहा है । इस नदी की बाढ़ से होने वाले नुकसान की क्षमता को कम करने के सम्बन्ध में उपयुक्त सुझाव सर्वेक्षण समाप्त हो जाने के बाद ही तैयार किये जायेंगे ।

*३५-३६—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

बाढ़ से जिलेवार क्षति

*३७--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री भीखालाल**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९६० तक उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण जिलेवार कितने जन, धन, सम्पत्ति, मवेशी व फसल का नुकसान हुआ ? कितनी जमीन पानी भरने के कारण रबी की बोआई से रह गई तथा सरकार ने जनता को क्या-क्या सहायता दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश के १४ जिलों में बाढ़ के कारण क्षति हुई । क्षति व सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दे दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८२-३८३ पर)

खाद की तकावी

*३८--**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रबी व खरीफ अभियानों में खाद की तकावी देने का अधिकार किन-किन अधिकारियों को है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अन्य प्रकार की तकावी के समान खाद की तकावी देने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश तकावी नियम, १९४२ के नियम ५२ के अन्तर्गत जिलाधीश, परगनाधीश और तहसीलदार को है ।

सिधौली तहसील में कृषि आय-कर का बकाया

*३९--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिधौली (सीतापुर) के कितने व्यक्तियों पर ऐग्रीकल्चर टैक्स (कृषि-कर) की कितनी धनराशि दिनांक १५-१०-१९६० तक कब से बकाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तहसील सिधौली (सीतापुर) में चार व्यक्तियों पर १५-१०-६० तक कृषि आयकर की कुल धनराशि १,०१८ रु० १९ न० पै० बकाया थी, एक व्यक्ति पर यह बकाया १९ जून, १९५७ और तीन व्यक्तियों पर २६ नवम्बर, १९५९ से थी ।

बाढ़ से जिलेवार क्षति

*४०--**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६० में सितम्बर १५ के पूर्व तक बाढ़ से राज्य के किन-किन जिलों में निम्न प्रकार की क्षति हुई--

(अ) कितने मकान ध्वस्त हुये और कितने क्षति-ग्रस्त हुये ?

(ब) कितने मनुष्यों और जानवरों की मृत्यु हुई ?

(स) कितने रुपये के गल्ले की क्षति का अनुमान है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--अपेक्षित सूचना का विवरण निम्न प्रकार है :--

(अ) (ब) संलग्न † तालिका १ के स्तम्भ ९,१० व ११ में दे दी गई है ।

(स) गत खरीफ फसल में गल्ले की क्षति की †सूचना तालिका २ के स्तम्भ ३ में दी गयी है ।

---

†तालिका छापी नहीं गई ।

*४१—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार ने उपर्युक्त बातों को ध्यान में रख कर कोई statement of loss तैयार कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, ९ सितम्बर, १९६० तक की बाढ़ से क्षति का एक विवरण-पत्र सरकार ने तैयार कराया था जो १० सितम्बर को सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया था। १० और १५ सितम्बर के बीच में कोई विशेष घटना नहीं हुई जिससे इसमें संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत होती।

डफरिन अस्पताल, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद की अधीक्षिकायें तथा कथित जिला स्वास्थ्य समितियां

*४२—**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पांच महानगरों के जनाने अस्पतालों में कितनी अधीक्षिकायें तीन वर्ष से अधिक से एक ही अस्पताल में काम कर रही हैं और उनको अब तक स्थानान्तरित न करने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश के निम्नलिखित महानगरों के जनाने अस्पतालों में अधीक्षिकायें तीन वर्ष से अधिक से कार्य कर रही हैं :—

(१) डफरिन अस्पताल, लखनऊ।

(२) डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद।

(३) ए० एच० एम० एवं डफरिन अस्पताल, कानपुर।

उनको अब तक स्थानान्तरित न करने का कारण निम्नलिखित है :—

(१) डफरिन अस्पताल, लखनऊ शिक्षण केन्द्र है। अतः वहां पर बहुत ही योग्य, उच्च शिक्षा प्राप्त और ज्येष्ठ अधीक्षिका की आवश्यकता है। इसलिये उक्त अस्पताल की अधीक्षिका का स्थानान्तरण नहीं किया जा सका है।

(२) डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद की अधीक्षिका का इलाहाबाद में ३ वर्ष दिनांक ९ अगस्त, १९६० को पूरा हुआ। मई, १९६१ में जब वार्षिक स्थानान्तरण होयेंगे उस समय इनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(३) डफरिन अस्पताल, कानपुर मेडिकल कालेज, कानपुर, का एक अंग है। इस कालेज का गायनीकालोजी और आब्सटेट्रिक्स का प्रोफेसर उच्च अस्पताल का अधीक्षक भी होता है। अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

*४३—**श्री देवनारायण भारतीय**—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी जिला स्वास्थ्य समितियां ऐसी हैं जिनकी बैठकें एक अप्रैल, १९५७ से ३० सितम्बर, १९६० के बीच प्रतिवर्ष एक बार भी नहीं हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से कोई समिति नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

*४४—**श्री देवनारायण भारतीय**—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[१२ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६—**श्री मदन पांडेय**—[१० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४७-४८—**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी** (जिला गोरखपुर)—[छठे बुधवार के लिये प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उतरौला तहसील कार्यालय की इमारत

*४९—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तहसील उतरौला की इमारत किस सन् में बनी थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील उतरौला, जिला गोंडा की इमारत सन् १८७५ ई० में बनी थी।

*५०—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त इमारत की दशा शोचनीय है और बरसात में जितना पानी बरसता है वह सब अन्दर ही रह कर कागजात को रद्द कर देता है, साथ ही कर्मचारियों को बड़ी तकलीफ होती है? यदि हां, तो क्या सरकार का इस इमारत को बनवाने का विचार है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। नई इमारत बनवाने के लिये उचित कार्यवाही की जारही है।

*५१—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या यह भी सत्य है कि किसी भी समय इमारत के गिर जाने का भय है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इमारत सुरक्षा सीमा पार कर चुकी है, इस कारण गिर भी सकती है।

बुढ़ानपुर के लिये चकबन्दी सम्बन्धी विज्ञप्ति

*५२—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मौजा बुढ़ानपुर ए० सी० ओ० हल्का फफूंद, जिला इटावा के कागजात मुहाफिज खाना, जिला इटावा में एक साल से जमा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*५३—**श्री भजनलाल**—यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसलिये कि चकबन्दी की कार्यवाही समाप्त हो गई थी।

*५४—**श्री भजनलाल**—क्या यह भी सही है कि उपर्युक्त मौजे में अब तक चकबन्दी ऐक्ट की धारा ५२ का प्रकाशन नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार शीघ्र ही धारा ५२ का प्रकाशन करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम बुढ़ानपुर के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिनियम की धारा ५२ के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है।

उन्नाव जिले में लोक सभा के उपनिर्वाचन में कार्य करने वाले अध्यापकों का भत्ता

*५५—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९६० में उन्नाव जिले में लोक सभा के लिये होने वाले उप-निर्वाचन में अन्तरिम जिला परिषद् के कितने अध्यापकों की सेवायें प्राप्त की गई थीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये १९६० के उप-निर्वाचन में अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के १३५९ अध्यापकों तथा अन्तरिम जिला परिषद्, लखनऊ के ५१६ अध्यापकों की सेवायें प्राप्त की गई थीं।

*५६--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त उप-निर्वाचन में परिषद् के जिन अध्यापकों की सेवायें प्राप्त की गई थीं, उन्हें उस समय का यात्रा व्यय तथा दैनिक भत्ता प्रदान कर दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव से कोई भी यात्रा भत्ता बिल अभी (दिनांक १२ जनवरी, १९६१ तक) जिला निर्वाचन कार्यालय, उन्नाव में नहीं प्राप्त हुआ है। जब भी उनकी प्राप्ति होगी कार्यवाही की जायगी।

अन्तरिम जिला परिषद्, लखनऊ के अध्यापकों के जो भी भत्ते के बिल निर्वाचन कार्यालय, लखनऊ में प्राप्त हुये थे उन सबका भुगतान किया जा चुका है।

*५७--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--[१० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सगड़ी तहसील में सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत मालगुजारी में वृद्धि

*५८--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)-- क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि इस वर्ष आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में C. L. R. D. के द्वारा कितने छूटे हुये नम्बरान की मालगुजारी दुरुस्त की गई और कितनी रकम इससे बढ़ी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- सगड़ी तहसील में सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत १०२७८ नम्बरान की मालगुजारी दुरुस्त की गई और इससे मालगुजारी में १९१४ रुपये की वार्षिक वृद्धि हुई।

*५९--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि खाते से यह नम्बरान किस प्रकार छूटे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकार द्वारा किसानों से सीधे मालगुजारी वसूल करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। इस सम्बन्ध में भू-अभिलेखों को थोड़े ही समय में तैयार करना पड़ा और इसी कारण कुछ खातों के इन्द्राज में अशुद्धियां रह गईं।

*६०--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश प्रसारित किया गया है जिसके अनुसार १३६२ फसली से १३६६ फसली तक खसरे के कैफियत के खाने में काबिज दर्ज होने पर उन व्यक्तियों को सीरदार बना दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। भू-राजस्व शुद्धीकरण योजना (Correction of Land Revenue Demand Scheme) के अन्तर्गत अवश्य १३६२ से १३६६ फसली तक खसरे के कैफियत के खाने में दर्ज ऐसे काबिजों को जिन्हें कानून सीरदार मानता है, लेकिन जो भू-अभिलेखों में उस प्रकार दर्ज नहीं थे सीरदार दर्ज किया जा रहा है।

प्रधान चिकित्सिका, डफरिन अस्पताल, लखीमपुर के विरुद्ध शिकायत

*६१--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि संचालक, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश को अगस्त, १९६० को कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें डफरिन अस्पताल, लखीमपुर (खीरी) की प्रधान चिकित्सिका (लेडी डाक्टर) के विरुद्ध असावधानी के कारण किसी महिला की मृत्यु हो जाने के विषय में लिखा है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

संचालक, चिकित्सा, एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन, लखीमपुर-खीरी को उस पत्र में की गई शिकायतों पर जांच करने को लिखा। सिविल सर्जन ने पूरी तरह से जांच की जिसके फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि लेडी डाक्टर ने उक्त महिला के इलाज के सम्बन्ध में प्रत्येक आवश्यक कदम उठाये पर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि लेडी डाक्टर ने इलाज करने में कोई त्रुटि नहीं की अतएव उनको किसी प्रकार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अब किसी और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

*६२-६४--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--[१६ फरवरी, १९६१ के लिए स्थगित कये गये।]

*६५--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--[२३ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।

जालौन जिले में दफा १०७ के मुकदमे

*६६--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय जिला जालौन में कितने मुकद्दमे दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के पृथक्-पृथक् हाकिम परगना जालौन, कौंच तथा उरई, कालपी के इजलासों में चल रहे हैं और कब-कब से तथा कुल मुकद्दमों में कुल कितने मुल्जिमान हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- १--हाकिम परगना जालौन के इजलास में ४ मुकदमे दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के चल रहे हैं। कुल मुल्जिमान ५० हैं। क्रमशः यह मुकदमे दिनांक २-८-१९६०, १२-९-१९६०, २४-१०-१९६०, २४-१०-१९६० से दायर हैं।

२--हाकिम परगना कोंच के इजलास में कुल २ मुकदमे चल रहे हैं। उनमें १५ मुल्जिमान हैं। दोनों मुकदमे ९-१-१९६१ से चल रहे हैं।

३--हाकिम परगना उरई, कालपी के इजलास में कुल ९ मुकदमे चल रहे हैं। कुल मुल्जिमान ८० हैं। यह मुकदमे क्रमशः दिनांक ४-५-१९६०, १८-६-१९६०, २१-७-१९६०, १६-८-१९६०, १-९-१९६०, १२-९-१९६०, १२-९-१९६०, ५-११-१९६०, ५-११-१९६० से चल रहे हैं।

*६७--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी**--[हटा दिया गया।]

जालौन जिले में द्वितीय श्रेणी का आनरेरी मैजिस्ट्रेट न होना

*६८--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस समय जिला जालौन में द्वितीय श्रेणी का कोई आनरेरी मैजिस्ट्रेट नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला जालौन में द्वितीय श्रेणी का कोई आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नहीं है। इस समय ऐसा कोई विचार भी नहीं है।

लेखपालों को महंगाई भत्ता

*६९—**श्री गेंदासिंह**—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकार द्वारा १९६० में महंगाई भत्ते में जो वृद्धि हुई उसको पाने वालों में लेखपाल भी शामिल हैं या नहीं ? यदि शामिल हैं, तो क्या उन्हें यह रकम दी जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शामिल हैं। महंगाई भत्ते की वृद्धि की रकम उन्हें दी जा रही है।

*७०—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार को ऐसी शिकायत भी प्राप्त हुई है कि लेखपालों को महंगाई का उक्त भत्ता अभी तक नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

*७१—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपा कर के एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिसमें यह अंकित हो कि किस जिले में कितनी रकम लेखपालों को महंगाई भत्ते की मिलनी थी और उसमें से अब तक कितनी दी जा चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—महंगाई भत्ते की वृद्धि के आदेश जिलाधीशों को हाल ही में भेजे गये हैं इसलिये ऐसी तालिका प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त समय की अपेक्षा होगी।

*७२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[१० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उन्नाव जिले में सी० एल० आर० डी० के अन्तर्गत आपत्तियां

*७३—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला उन्नाव में सी० एल० आर० डी० योजना के अन्तर्गत जनवरी, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक कितनी आपत्तियां दाखिल हुईं और उनमें कितनी आपत्तियों का फैसला हो पाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला उन्नाव में सी० एल० आर० डी० योजना के अन्तर्गत जनवरी, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक कुल ३९१८ आपत्तियां दाखिल हुईं और उनमें से १४३७ आपत्तियों पर फैसला हो चुका है।

*७४—**श्री जगन्नाथप्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में सी० एल० आर० डी० योजना के अन्तर्गत जनवरी, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक कितनी आपत्तियां दाखिल हुईं और उनमें कितनी आपत्तियों का फैसला हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला खीरी में सी० एल० आर० डी० योजना के अन्तर्गत जनवरी, सन् १९६० से दिसम्बर, १९६० तक कुल ८४५ आपत्तियां दाखिल हुईं और उनमें से ७७४ आपत्तियों पर फैसला हो गया है।

लखनऊ व मोहनलालगंज तहसीलों में बाढ़ग्रस्त फसल के लगान में छूट का आश्वासन

*७५—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष लखनऊ जिले की लखनऊ व मोहनलालगंज तहसीलों के किन-किन ग्रामों में बाढ़ से फसल की क्षति हुई और लगान में क्या छूट दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गत बरसात में बाढ़ से लखनऊ जिले की लखनऊ और मोहनलालगंज तहसीलों में क्रमशः १२६ और ४५ ग्रामों में फसल को क्षति पहुंची है। संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है।

तहसील लखनऊ के क्षतिग्रस्त ग्रामों में खरीफ १३६८ फसली की मालगुजारी व लगान में क्रमशः ९०,४११ रु० और १,४४,७४६ रु० की तथा तहसील मोहन लाल गंज में मालगुजारी में २३,५८४ रु० ३७ नये पैसे की सहायता देने का अनुमान है। सहायता के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर मालगुजारी व लगान में नियमानुकूल उचित छूट दी जायेगी।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८४-३८६ पर)

बहराइच जिले में चकबन्दी सम्बन्धी साहित्य का वितरण

*७६--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में किस-किस तहसील में चकबंदी का कार्य हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बहराइच जिले की केवल सदर तहसील में भाखला नदी के दक्षिणी भाग के ३८१ ग्रामों में चकबंदी का कार्य हो रहा है।

*७७--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जिन-जिन स्थानों पर चकबंदी का कार्य शुरू होने वाला है उन स्थानों पर किसानों को चकबन्दी की जानकारी कराने के हेतु क्या प्रश्नकर्ता ने दिनांक २-१२-६० को संबंधित मंत्री को एक पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि जैसे पंचायत या सूचना विभाग वगैरह में छोटी-छोटी पुस्तिकायें बटवाई जाती हैं वैसे ही चकबंदी विभाग की ओर से एक छोटी सी सूचना पुस्तिका जिसमें चकबंदी क मुख्य मुख्य नियम, चकबंदी करने के ढंग तथा जमीन की मालियत निश्चित करने के कानूनी ढंग तथा किसानों के आवश्यक कागजात जो दुरुस्ती के समय आवश्यक हैं उनके बारे में सारी बातें उस सूचना पुस्तक में ही छपवाकर बटवा दी जाय यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। इस प्रसंग में प्रश्नकर्ता का एक पत्र प्राप्त हुआ था। चकबंदी विभाग की ओर से चकबंदी कार्य के सम्बन्ध में किसानों की जानकारी कराने के लिये "चकबंदी के विषय में आवश्यक बातें" नामक पुस्तिका प्रदेश में चकबंदी योजना आरम्भ किये जाने के समय से ही संबंधित काश्तकारों में बटवाई जाती रही हैं। समय-समय पर चकबंदी कानून में हुये परिवर्तनों के अनुसार इस पुस्तिका में यथोचित संशोधन भी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त चकबंदी कार्य की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में विस्तृत जानकारी कराने के लिये १० नोटिसें भी छपवाई गई हैं जो यथासमय आवश्यकतानुसार किसानों को बांटी जाती हैं। जिलाधीश ने भी एक और पुस्तिका "जोत चकबंदी क्रियाओं की मुख्य बातें" छपवाकर वितरित करवाई हैं। अतः प्रश्न कर्ता के सुझाव पत्र पर कोई विशेष कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*७८-७९--श्री ऊदल--[२३ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किय गये।]

गोला गोकरणनाथ का जनाना अस्पताल

*८०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गोलागोकरण नाथ, जिला लखीमपुर खीरी के जनाने अस्पताल में कोई क्वालीफाइड डाक्टर नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ?

*८१--श्री रामशरण यादव--[२३ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

होम्योपैथ डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र

*८२--श्री रामशरण यादव--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक होम्योपैथ डाक्टर रजिस्टर्ड होने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने स्वीकृत व कितने अस्वीकृत हुये एवं कितने विचाराधीन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार हैं--

१ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक ५,९८१ प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् को प्राप्त हुये उनमें से ५,४९६ स्वीकृत हो गये और ४८५ अस्वीकृत हुये ।

इस समय परिषद् के रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध ११ अपीलें परिषद् के विचाराधीन हैं ।

बलिया जिले में गंगा व घाघरा के कटाव में आये गांव

*८३--श्री शिवमंगलसिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष बलिया जिले में गंगा व घाघरा नदी की कटान से किन-किन गांवों तथा कितनी एकड़ भूमि की फसल को क्षति पहुंची है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५८ में बलिया जिले में गंगा तथा घाघरा नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची संलग्न तालिका में दिखा दी गई है । इन ग्रामों में कुल २१५१.५ एकड़ भूमि की फसल की हानि हुई थी ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३८७ पर)

*८४-८५--श्री भीखालाल--[२३ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

घोसी तहसील कार्यालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा घूस लेने की शिकायत

*८६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुवारी, जिला आजमगढ़ के किसानों का ३-८-६० का भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र उन्हें तथा जिलाधीश को प्राप्त हुआ है जिसमें तहसील कार्यालय, घोसी के कुछ कर्मचारियों की शिकायत घूस लेने की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जिलाधीश को प्राप्त हुआ । उसकी जांच की गयी थी और आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

*८७--श्री रामसुन्दर पांडेय--[हटा दिया गया ।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेडिकल कालेज खोलने की प्रार्थना

*८८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या मुख्य मंत्री २५ मार्च के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

फर्रुखाबाद जिले में कंट्रोल के दूकानदारों को चेतावनी

*८९--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि क्या फर्रुखाबाद जिले में जनवरी, १९६० से अब तक सप्लाई आफिसर द्वारा किये गये दौरे के समय कंट्रोल की दूकानों की शिकायतें मिलीं ? यदि हां, तो किस किस्म की और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। इन्सपेक्शन के दौरान में कुछ दूकानों पर साधारण टेक्निकल त्रुटियां मिली थीं और तत्सम्बन्धित दूकानदारों को समुचित चेतावनी दे दी गई ताकि वे भविष्य में ऐसी त्रुटियां न करें।

लखनऊ जिले के देहाती क्षेत्र में कंट्रोल की नई दूकानें न खुलना

*९०--**श्री रामशरण यादव**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले में देहाती क्षेत्र में इस वर्ष कितनी और नयी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयीं? उनकी तादाद मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र में कितनी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कोई नहीं।

गोकरणनाथ मिश्र रोड, लखनऊ निवासी, श्री विष्णुकुमार वाजपेयी का निष्कासन

*९१--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान नं० १२४२, स्थित गोकरणनाथ मिश्रा रोड, लखनऊ को पुलिस की मदद से श्री विष्णुकुमार वाजपेयी को क्यों निकाल बाहर किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ मंडल के आज्ञानुसार मामला जिलाधीश, लखनऊ के निर्णयाधीन है। अतः इस सम्बन्ध में सूचना देना उपयुक्त न होगा।

*९२--**श्री त्रिलोकीसिंह**--क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि उक्त बाजपेयी जी मकान से न निकाले जायं इस सम्बन्ध में कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन ने उसी दिन स्टे-आर्डर निकाल दिया था जो समयानुसार थानेदार हल्का के पास पहुंच गया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर को दृष्टिगत करते हुये इस प्रश्न का भी उत्तर देना सम्भव नहीं है।

उन्नाव जिले में दूकानों का एलाटमेंट

*९३--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में २१ मार्च, १९५८ से १५ फरवरी, १९६० तक उन्नाव शहर में कुल कितनी दूकानों का एलाटमेंट रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के अधीन हुआ? क्या सरकार ऐसे एलाटमेंट की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--२१ मार्च, सन् १९५८ से १५ फरवरी, सन् १९६० तक कुल २० दूकानों का एलाटमेंट हुआ। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३८८ पर)

खाद्य विभाग में छटनी

*९४--**श्री रामदुलारे मिश्र तथा श्री ऊदल**--क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या खाद्य विभाग अभी हाल के अपने किसी परिपत्र द्वारा उन तमाम कर्मचारियों की जो अपनी दीर्घकालीन सेवाओं के कारण उच्च पदों पर पहुंच गये थे शैक्षिक योग्यता के अभाव के कारण प्रत्यावर्तित (revert) कर रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

चीनी, खांडसारी तथा गुड़ के भाव

*९५--श्री गेंदासिंह--क्या मुख्य मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि प्रदेश के बाजारों में पिछले चार वर्षों के भीतर प्रत्येक मास में थोक तथा फुटकर भाव मिल की चीनी तथा खांडसारी और गुड़ के क्या रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों और मंडियों में जनवरी, १९५७ से सितम्बर १९६० तक मिल की चीनी, खांडसारी तथा गुड़ के प्रचलित थोक तथा फुटकर भावों की निम्नलिखित विस्तृत तालिकायें उपलब्ध हैं और माननीय सदस्य मेरे कमरे में उनका अवलोकन कर सकते हैं ?

१--मिल की चीनी और खांडसारी के थोक भाव ।
२--मिल की चीनी का फुटकर भाव ।
३--गुड़ का थोक भाव ।
४--गुड़ का फुटकर भाव ।

खांडसारी का फुटकर भाव सरकार संकलित नहीं करती ।

गुड़, खांडसारी तथा चीनी के थोक भावों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

*९६--श्री गेंदासिंह--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस वर्ष अप्रैल के बाद अगस्त तक के उक्त वस्तुओं के भाव का तुलनात्मक अध्ययन सरकार ने किया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि मिल की चीनी के मूल्य की अपेक्षा गुड़ तथा खांडसारी का मूल्य नीचे गिरा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, मिल की चीनी का एक्स फैक्टरी भाव समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है । उनका एक हद से ज्यादा घटना-बढ़ना सम्भव नहीं है । किन्तु गुड़ और खांडसारी के भाव व्यापार के नियमों के अनुसार घटते-बढ़ते हैं । यद्यपि गुड़ और खांडसारी के भाव १९५८-५९ की तुलना में थोड़े गिरे हैं फिर भी १९५७ की तुलना में काफी ऊंचे हैं ।

धान की कथित खरीद

*९७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ में खरीफ की फसल में प्रदेश के कितने जिलों में धान की खरीद हुई और ३१ मार्च, सन् १९६० तक जिलेवार कितने मन धान खरीदा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९५८ से अब तक इस प्रदेश में धान की खरीदारी नहीं की गई है ।

*९८--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ ई० की खरीफ की फसल में जो धान की खरीद हुई थी, ३१ मार्च, १९६० तक खरीदे गये कुल धान में से कितने मन धान या चावल के रूप में खर्च हो चुका है और बचा हुआ स्टाक धान या चावल के रूप में उक्त तारीख तक कितना-कितना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता ।

कोल डिपो होल्डरों की नियुक्ति स्थगित करना

*९९--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि अक्तूबर, नवम्बर, १९६० में खाद्य व रसद विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में कुछ कोल-डिपो तथा ईंट के भट्टों के लिये कोयला मंजूर हुआ था मगर उन आज्ञाओं को रोक दिया गया ? अगर हां, तो इस रद्दोबदल का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। अक्तूबर, नवम्बर, १९६० में कुछ नये कोल डिपो होल्डरों की नियुक्ति के निर्णय लिये गये थे। ये निर्णय बाद में इस कारण स्थगित कर दिये गये क्योंकि वैगनों की कठिनाई के कारण इस समय कोयला बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है। जहां तक भट्ठों के कोयले का सम्बन्ध है पुराने आदेशों को स्थगित नहीं किया गया है।

आजमगढ़ जिले में साफ्ट कोक की दूकानें

*१००—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दोवर्षों में आजमगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर साफ्ट कोक की दूकानें खोली गई हैं और किनकिन आधारों पर दूकानें प्रदान की गईं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत दो वर्षों में आजमगढ़ शहर में केवल एक साफ्ट कोक की दुकान खोली गई। दूकान प्रदान करने का आधार यह था कि दूकानदार की आर्थिक दशा अच्छी हो, व्यापार का अनुभव हो और सुचारु रूप से कार्य करने की क्षमता रखता हो।

*१०१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[हटा दिया गया।]

झांसी डिवीजन को औद्योगिक केन्द्र बनाने की योजना

*१०२—श्री गज्जूराम—क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार झांसी डिवीजन को औद्योगिक केन्द्र बनाये जाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो जिले के किन-किन स्थानों के सम्बन्ध में क्या-क्या योजना है, कब से उसके आरम्भ होने की सम्भावना है तथा उस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३९०–३९१ पर)

भाऊवाला क्षेत्रीय प्रजा समाजवादी पार्टी के मंत्री की मांगें

*१०३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मुख्य मंत्री के पास २९ जुलाई, १९६० को देहरादून की भाऊवाला क्षेत्रीय प्रजा समाजवादी पार्टी के मंत्री द्वारा प्रेषित की गई मांग प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। मांगों पर की गई कार्यवाही का †विवरण संलग्न है।

*१०४—श्री ओंकारनाथ (जिला मिर्जापुर)—[स्थगित किया गया।]

उद्योग विभाग में छटनी

*१०५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च एवं अप्रैल, १९५९ में उद्योग विभाग में काम करने वाले कितने कर्मचारियों को संचालक उद्योग विभाग, कानपुर द्वारा छटनी की नोटिसें दी गईं थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—१५२।

नैनी के कारखाने को लोहे की सप्लाई

*१०६—श्रीमती बिन्दुमती दास (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार ने नैनी, जिला इलाहाबाद के छोटे-छोटे कारखानों के लिये जो थोड़ी मात्रा में लोहा खरीदते हैं, लोहा देने का कोई प्रबन्ध किया है ? यदि हां, तो कितना ?

---

† विवरण छापा नहीं गया।

श्रीमती सुचेता कृपलानी—(क) जी हां ।

(ख) कथित कारखानों को २७८ टन विभिन्न प्रकार का लोहा तिमाही में दिया जाता है । इसके अतिरिक्त १८६.७५ टन माल विदेशों से मंगाने के लिये इसेन्शियलटी सर्टीफिकेट भी दिये गये हैं ।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सहकारी चीनी मिलें तथा किच्छा चीनी मिल की प्रगति

*१०७—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या मुख्य मंत्री १० अगस्त, १९६० को उनके द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या १० के क्रम में दिये गये अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में कृपया बतायेंगे कि प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल व्यवस्थापन संगठन की क्या रूपरेखा होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मामला अभी विचाराधीन है ।

*१०८—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किच्छा चीनी मिल, जिला नैनीताल के निर्माण में क्या प्रगति हो रही है तथा क्या यह चीनी मिल इस वर्ष कार्य प्रारम्भ कर देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किच्छा चीनी मिल (नैनीताल) की इमारतें बन चुकी हैं और विदेश से मंगाई गई मशीनरी मिल साइड पर आ गई है । उसके लगाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है । आशा की जाती है कि यह मिल अगले सीजन से चालू हो जायेगी । इस सीजन में यह सम्भव नहीं है ।

नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में कारखानों की स्थापना

*१०९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में कितने नये कारखाने स्थापित किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—तैंतीस ।

गन्ना किसानों को अतिरिक्त मूल्य देने की सिफारिश

*११०—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार गन्ने के काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुये चालू वर्ष में केन सेस तथा excise duty में दी जाने वाली छूट का कुल या कुछ भाग गन्ना किसानों को अतिरिक्त मूल्य के रूप में दिये जाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९५८–५९ सीजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्राइस लींकिंग फारमूला कानूनन लागू है । इस फारमूले में यह व्यवस्था कर दी गई है कि किसी क्रशिंग सीजन में केन सेस तथा एक्साइज ड्यूटी में दी गई छूट के कारण जो चीनी मिलों को अतिरिक्त मुनाफा होगा उस को भी किसानों को दिये जाने वाले अतिरिक्त मूल्य निकालने में शामिल कर लिया जायगा ।

दोहरी घाट विकास क्षेत्र में गबन

*१११—**श्री झारखंडेराय**—मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दोहरीघाट (जिला गाजमगढ़) स्थित खंड विकास केन्द्र (N.E.S. Block) में इधर कई वर्षों के रुपये के गबन, हिसाब-किताब की अनियमितता तथा सार्वजनिक धन तथा सम्पत्ति के अपव्यय एवं गोलमाल का मामला पकड़ा गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—दोहरीघाट विकास क्षेत्र में अक्तूबर, १९५८ से जुलाई, १९५९ तक के हिसाब-किताब की जांच करने पर वित्तीय अनियमिततायें तथा सरकारी रुपये के गबन होने का पता चला था ।

*११२—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर अब तक प्राप्त सामग्री पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—इस मामले की प्रथम रिपोर्ट सहायक लेखा अधिकारी ने सहायक विकास आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर को सितम्बर, १९५९ में की । तदुपरान्त अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) द्वारा जांच किये जाने पर तत्कालीन लेखा लिपिक के विरुद्ध १०३ रुपये ५९ नये पैसे गबन करने का आरोप सही पाया गया तथा वित्तीय अनियमितताओं का होना भी सिद्ध हुआ ।

*११३—**श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस मामले में कोई गिरफ्तार किया गया है अथवा नौकरी से निलम्बित अथवा बरखास्त किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई । बल्कि उपरोक्त विकास क्षेत्र के तत्कालीन लिपिक को निलम्बित किया गया एवं वैभागिक कार्यवाही के उपरान्त उनको सरकारी सेवा से बरखास्त कर दिया गया ।

ठठिया की चर्मशोधन शाला

*११४—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ठठिया, जिला फर्रुखाबाद में उद्योग विभाग की ओर से बनने वाली चर्मशोधन शाला का निर्माण कब से हो रहा है और कब तक उपरोक्त चर्मशोधन शाला का निर्माण-कार्य पूरा हो जावेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—कथित चर्मशोधन शाला जुलाई, सन् १९५७ में बनना शुरू हुई । उसका भवन बन चुका है ।

सीतापुर से कैम्फर का कोटा प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र

*११५—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर से कितने प्रार्थना-पत्र १ जनवरी, सन् १९५९ से ४ अक्तूबर, १९६० तक "कैम्फर" (कपूर) के कोटे प्राप्त करने के सम्बन्ध में जिला उद्योग अधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करा के डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज ऐड (aid) सेक्शन, कानपुर को या उत्तर प्रदेशीय सरकार को भेजे गये ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—दो ।

*११६—**ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि सीतापुर के जो भी प्रार्थना-पत्र कैम्फर (कपूर) का कोटा प्राप्त करने से सम्बन्धित डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज ऐड (aid) सेक्शन, कानपुर द्वारा इस्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, दिल्ली को भेजे गये, उनमें से प्रत्येक को कितनी मात्रा में माल (कैम्फर) का ऐलाटमेंट किया गया और ऐलाटेड क्वान्टिटी में से कितनी क्वांटिटी दिनांक २४-१०-६० तक प्राप्त हो चुकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—एक प्रार्थी को एक केस अर्थात ११० पौंड कपूर दिये जाने की सिफारिश की गई और उसे ५५ पौंड माल मिला । दूसरे प्रार्थी को ३० केस कपूर दिये जाने की सिफारिश की गई पर उसे कुछ माल नहीं मिला ।

फरेंदा तहसील में विकास कार्यों की योजना

*११७—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा (आनन्दनगर) ब्लाक, बृजमनगंज ब्लाक तथा घानी छाया ब्लाक में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सा विकास कार्य करने का सरकार का लक्ष्य था ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—उक्त प्रत्येक ब्लाक के विकास कार्यों की सूची † संलग्न है ।

*११८—श्री गौरीराम गुप्त—सिंचाई के कुओं के लिये दी जाने वाली सब्सिडी के विषय में ३१-८-६० के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सिंचाई के कुओं के लिये १९४९ और १९५० की भांति पुनः पांच सौ रुपये की सब्सिडी देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जी नहीं । इस प्रश्न पर पहले ही भली-भांति विचार किया जा चुका है ।

गोरखपुर जिले के सीमेंट स्टाकिस्टों की कथित शिकायत

*११९—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत इन वर्ष प्राप्त हुई है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, जिला मिर्जापुर से गोरखपुर जिले के स्टाकिस्टों को सीमेंट उस क्रम से नहीं दिया गया जिस क्रम में उन्होंने सीमेंट के लिये रुपया जमा किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

तिलौर में कोसी नदी पर पुल न बन सकना

*१२०—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिलौर, पट्टी तल्ला स्युनरा, जिला अल्मोड़ा के अन्दर कोसी नदी पर पुल बनाने के लिये १०,०००रुपया या कोई अन्य धनराशि स्वीकृत हुई जिसकी सिफारिश ब्लाक विकास परामर्शदात्री समिति एन० ई० एस० ब्लाक, हवालबाग ने दिनांक ३१-७-५७ को की थी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जी हां । हवालबाग की परामर्शदात्री समिति ने २७ अक्तूबर, १९५७ को एक प्रस्ताव द्वारा कुल ९,४६० रु० की अनुमानित लागत पर, तिलौर पुल के निर्माण हेतु ६,३०० रु० का शासकीय अनुदान, जो कुल अनुमानित लागत का दो तिहाई था, स्वीकृत किया था । शेष एक तिहाई लागत स्थानीय जनता से नकद धन एवं श्रमदान के रूप में प्राप्त होनी थी ।

*१२१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या उपरोक्त पुल के लिये ग्रामवासियों से श्रमदानके एवज १,३२७ रुपया पुल बनाने के लिये जमा करने का आदेश हुआ था जिसके अनुसार यह रुपया प्रिंसिपल, ट्रेनिंग-कम-ऐक्सटेंशन प्रोजेक्ट सेंटर, हवालबाग के पास दिनांक २५-१०-१९५८ को जमा कर दिया था ? अगर हां, तो यह पुल अब तक क्यों नहीं बना व कब तक बन जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जैसा कि कहा जा चुका है, जनता से, पुल निर्माण की कुल अनुमानित लागत का एक तिहाई अंश नकद धन अथवा श्रमदान के रूप में प्राप्त होना था इसमें से १,३२७ रु० सम्बन्धित खन्ड विकास अधिकारी के पास नकद जमा कर दिया गया था । शेष लागत जनता के श्रमदान के रूप में प्राप्त होनी थी । कुछ श्रमदान जनता ने वस्तुतः किया भी था ।

---

† सूची छापी नहीं गई ।

निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग को सौंपा गया था, किन्तु, यथाशक्ति प्रयत्न के बावजूद गर्डर्स (girders) न मिल पाने के कारण कार्यारम्भ न हो सका और अक्तूबर, १९५९ में यह पता चला कि जिन चट्टानों पर पुल के आधारस्तम्भों का निर्माण होना था, उनमें खोखलापन आ गया है, तथा उन पर निर्माण करना सर्वथा अनुचित है । इसके अतिरिक्त जनता ने इस सम्बन्ध में जो थोड़ा-बहुत श्रमदान किया था, वह भी दोषयुक्त था । जनवरी, १९६० में इस पुल के निर्माण के लिये एक अन्य स्थान नियत किया गया, तथा लागत के नवीन अनुसंधान तैयार किये गये । नई अनुमानित लागत १८,२६८ रु० की थी, जिसके हिसाब से जनता को ६,०८९ रु० के मूल्य का योगदान देना था । सम्बन्धित ग्राम सभा इतने योगदान के लिये तैयार नहीं हुई और उसने यह इच्छा प्रकट की कि यदि १,३२७ रु० की नकद राशि, जो जनता ने इस सम्बन्ध में जमा की थी, ग्राम सभा को दे दी जाय, तो प्रसंगगत निर्माण-कार्य ग्राम सभा स्वयं करा लेगी । इस बात की पड़ताल की जा रही है कि गांव सभा पुल बनवा सकेगी या नहीं और हमे क्या कार्यवाही करना उचित होगा ।

डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस, कम्पलेंट्स के कार्य की हाईकोर्ट द्वारा निन्दा

*१२२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार का ध्यान गाजीपुर के स्पेशल जज द्वारा सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, गाजीपुर के कोर्ट के क्रिमिनल अहलमद, श्री हरिप्रसाद, की दोष मुक्ति (acquittal) के बारे में दिये गये आदेश के विरुद्ध राज्य की अपील के मामले में श्री जस्टिस माथुर द्वारा २७ जून, १९५९ को दिये गये निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण की ओर आकृष्ट हुआ है :

"In this connection it might be observed that Sri Mohammad Ashfaq Vakil and also the Deputy Superintendent of Police (Complaints) had no regard for decency. It was the usual practice, he might say, by convention, might not be under some rule, that the Police did not enter the premises of a court building without the permission of the head of the office..... In the present case both the Deputy Superintendent of Police (Complaints) and the Vakil Saheb disregarded the Presiding Officer. Why did they act in such a manner was difficult to say..... There was thus over zealousness on the part of the Vakil and also the Deputy Superintendent of Police (Complaints) and their testimony could not be given weight which the Courts might have otherwise attached."

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न के पहिले इस निर्णय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ था । हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय की ओर सरकार का ध्यान किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिये आकृष्ट करना उपयुक्त नहीं समझा ।

*१२३—श्री रामस्वरूप वर्मा—यदि हां, तो उक्त डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस (कम्पलेंट्स) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि जांच से यह निष्कर्ष निकला कि प्रश्न के उद्धृत वाक्यांश जांच की जिस त्रुटि की ओर संकेत करते हैं उसे पूरा कर लिया गया था और अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

उन्नाव जिले को उद्योगों के लिये ऋण

*१२४—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में उद्योग विभाग की ओर से १९५८-५९ व १९५९-६० में कितना-कितना रुपया कर्ज के रूप में दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत उन्नाव जिले में १९५८-५९ व १९५९-६० में क्रमशः ८९,७६६·०० रु० तथा १,५३,१५२·५० रु० ऋण के रूप में वितरित किये गये ।

*१२५--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की प्रत्येक तहसील में उद्योग विभाग की ओर से लिये गये कर्ज और अनुदान के रुपये से कौन-कौन उद्योग चल रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--मांगी हुई सूचना को इकट्ठा करने में जो धन, समय तथा परिश्रम लगेगा वह इस सूचना से प्राप्त हो सकने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा, अतः सरकार इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझती ।

सहकारी समितियों द्वारा नियोजन कार्य

*१२६--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नियोजन विभाग के कार्यों में ठेकेदारों के अलावा सहकारी समितियों द्वारा कहां और कितने कार्य १ जनवरी, १९६० से १५ नवम्बर, १९६० तक हुये ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--वांछित कार्यों के स्थान व संख्या का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३९२ पर)

उत्तरकाशी जिला कार्यालयों की इमारतों के लिये भूमि प्राप्ति का विरोध तथा उत्तराखण्ड में सरकारी कर्मचारियों का भत्ता

*१२७--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तरकाशी जिले के कार्यालयों के निर्माण हेतु उत्तरकाशी ग्राम तथा नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत समस्त भूमि एक्वायर करने के निश्चय के विरुद्ध उत्तरकाशी की जनता ने विरोध प्रकट किया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । इस सम्बन्ध में अभी छानबीन चल रही है और मामला सरकार के विचाराधीन है ।

*१२८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि उत्तराखण्ड डिवीजन में जिला परिषद् एवं म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी, पंचायत मंत्रियों, कोआपरेटिव सुपरवाइजरों, वर्क चार्ज के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों आदि की श्रेणी में आने वाले किन्हीं भी कर्मचारियों को बार्डर एलाउन्स या स्पेशल वेतन नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । स्पेशल वेतन केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दिया जा रहा है और जिन श्रेणी के कर्मचारियों के विषय में प्रश्न में पूछा गया है वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

*१२९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार उत्तराखण्ड डिवीजन में कर्मचारियों को स्पेशल वेतन या बार्डर एलाउन्स दिये जाने हेतु प्रसारित आदेशों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रसारित आदेशों की एक †प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

---

† प्रति छापी नहीं गयी ।

नवतनवां विकास खण्ड का निरीक्षण

*१३०--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या जिलाधीश, गोरखपुर ने ३१-१०-६० को नवतनवां N. E. S. ब्लाक का मुआइना किया था ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--जी हां ।

*१३१--श्री अब्दुल रऊफ लारी--यदि हां,तो क्या सरकार उक्त मुआइने की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--जिलाधीश, गोरखपुर के मुआइने की रिपोर्ट की † एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

*१३२--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि उन सुझावों को जो जिलाधीश ने दिये हैं, कार्यान्वित करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--इसका विवरण † संलग्न है ।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के व्यय में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी

*१३३--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार का ध्यान ११ नवम्बर, १९६० के 'आज' अखबार में प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि चुर्क फैक्टरी के लिये आयी मशीनों पर ८ लाख का डैमरेज तथा वारफेज दिया गया तथा सीमेंट का उत्पादन नहीं बढ़ा और कोयले का खर्च बढ़ गया ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

यह सही है कि पिछले डेढ़ दो वर्षों में कलकत्ता के पोर्ट कमिश्नरों ने सीमेंट फैक्टरी के विस्तार के लिये आई नई मशीनरी पर समय समय पर कुल लगभग ८ लाख रुपये बतौर पेनल रेन्ट वसूल किया है । परन्तु संचालक, सीमेंट फैक्टरी तथा सरकार उसके वापसी के लिये पोर्ट कमिश्नरों से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं । साथ ही साथ मशीनरी सप्लायर और क्लियरिंग एजेन्ट्स को भी लिखा गया है ।

विगत वर्ष में आर्डरों के अभाव में सीमेन्ट का उत्पादन अवश्य कुछ कम हुआ और फिर भी ७,००० टन सीमेन्टसन्, १९५९-६० के अन्त में बचा रहा । स्थिति अब सुधर गई है और पर्याप्त आर्डर प्राप्त हैं ।

कोयले का खर्च पिछले सालों की अपेक्षा नाममात्र (०.८६ प्रतिशत) बढ़ा । कोयला वांछित मात्रा में ही खर्च हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है ।

उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली चीनी मिलें

*१३४--श्री गेंदासिंह--मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या प्रदेश की किसी चीनी मिल को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार से सिफारिश की है और कितनी क्षमता वृद्धि के लिये तथा कितने धन का व्यय उसमें होगा ?

---

† विवरण छापा नहीं गया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रदेश की लगभग ५६ चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिये भारत सरकार से सिफारिश की जा चुकी है। इस अतिरिक्त क्षमता (additional capacity) का कुल योग लगभग ४१,००० टन गन्ना प्रति दिन है। इसमें से लगभग १०,५०० टन की क्षमता बढ़ गई है, लगभग २०,५०० टन की क्षमता बढ़ाने के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं पर अभी एक्सटेंशन नहीं हुये हैं और तकरीबन १०,००० टन की क्षमता बढ़ाये जाने के विषय में अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है। इस अतिरिक्त क्षमता में नई फैक्टरियों की क्षमता जो लग चुकी हैं या प्रस्तावित हैं सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि में जितना धन व्यय हो चुका है या अब होगा उसका ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

*१३५--**श्री गेंदासिंह**--क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार की सिफारिशों को नहीं माना है? यदि हां, तो किस-किस मिल के मामले में और उसका क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। अलबत्ता कुछ मिलों की क्षमता वृद्धि के विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है।

*१३६--**श्री गेंदासिंह**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के भीतर प्रदेश की किस मिल ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है और उसमें कितना धन व्यय हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रदेश की लगभग १९ चीनी मिलों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई है और उनके नाम संलग्न तालिका में दिये हुये हैं। ये निजी कारखाने हैं और उनके द्वारा क्षमता वृद्धि पर जो धन व्यय किया गया उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३९३ पर)।

जौनपुर जिले का कथित 'कन्जा ब्लाक'

*१३७--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्जा ब्लाक, जिला जौनपुर को छब्बीस सौ रुपया गांव के आवागमन के पथों को ठीक करने के लिये दिया गया है?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--जिला जौनपुर में कन्जा नाम का कोई ब्लाक नहीं है।

गोबर गैस प्लान्ट स्कीम का प्रचार

*१३८--**श्री मुक्तिनाथ राय**--सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बख्शी का तालाब, लखनऊ में गोबर गैस प्लान्ट की स्कीम कामयाब हुई है? यदि हां, तो इसके प्रचार की क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--जी हां। इस स्कीम का प्रचार विकास अन्वेषणालय द्वारा किया जा रहा है।

महाराजसिंह को पुलिस संरक्षता में जिलाधीश सीतापुर के पास भेजना

*१३९--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि अगस्त, १९६०, के आखिरी हफ्ते में या सितम्बर, १९६० के शुरू हफ्ते में सीतापुर जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने दो सिपाहियों की संरक्षता में किसी व्यक्ति को जिलाधीश, सीतापुर के यहां भेजा था और इस व्यक्ति ने जो भी बयान उक्त जिलाधीश के यहां दिये हैं, उसमें सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस के विरुद्ध शिकायत की चर्चा है? यदि हां, तो वह बयान क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक कांस्टेबुल के साथ महाराजसिंह नाम के एक व्यक्ति को भेजा था। उसने सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध कुछ नहीं कहा।

आजाद हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मुबारकपुर के विरुद्ध कथित शिकायत

*१४०--**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजाद हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मुबाकरपुर (आजमगढ़) के विरुद्ध मुबारकपुर के नागरिकों की ओर से कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र आया था जिसकी जांच सन् १९६० में कराई गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच का फल क्या रहा ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--जी नहीं, इस प्रकार का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र नहीं आया। अतएव जांच का प्रश्न नहीं उठता।

बचत योजनान्तर्गत पदों की समाप्ति

*१४१--**श्री चन्द्रजीत यादव, श्री जवाहर लाल** (जिला इलाहाबाद) **तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६०, के उपरान्त से राज्य में सरकार ने कुछ उच्च पदों को समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से पद हैं, उनकी रचना कब हुयी थी और उनके तोड़ने से राज्य कोष को कितने रुपये की बचत होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--राज्य सरकार ने दिसम्बर, १९६० और जनवरी, १९६१ में खर्च के कम करने की दृष्टि से जिन पदों को समाप्त किया अथवा अवनति किया या नहीं भरा उनकी वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है। इससे राज्य कोष को करीब २,०६,४१५ रु० सालाना की बचत हुई।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ. ३९४-३९५ पर)

*१४२--**श्री चन्द्रजीत यादव, श्री जवाहर लाल** तथा **श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार ने दिसम्बर, १९६० से 'बचत योजना' चालू करने के सम्बन्ध में सचिवालय के विभागों के पास कोई निर्देश या गश्ती चिट्ठी भेजी है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। इस गश्ती पत्र में नीचे लिखी बातों पर जोर दिया गया है--

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनायें बनाने के समय प्रत्येक विभाग इस बात पर ध्यान देवे कि किसी भी मद में अनावयश्क खर्चा न हो।

(२) प्रत्येक विभाग अपने सर्वे के ब्यौरे का पुनरीक्षण करे और जिन खर्चों में विभागीय कार्य कुशलता अथवा तीव्रता की गति पर बिना असर डाले कमी लाई जा सकती हो उसमें कमी ले आये।

गन्ना किसानों को अतिरिक्त मुनाफे में भाग दिलाने की सिफारिश

*१४३--**श्री जगन्नाथ प्रसाद**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गन्ना किसानों को चीनी मिल मालिकों के १९५८-५९ एवं १९५९-६० के अतिरिक्त मुनाफे में कब तक हिस्सा मिल सकेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार ने निर्दिष्ट वर्षों के अतिरिक्त मुनाफे में गन्ना किसानों को हिस्सा दिलाने के लिये जो फारमूला बनाया है उसे उन्होंने अभी टैरिफ कमीशन के पास जांच के लिये भेजा है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किसानों के हिस्से का भुगतान हो सकेगा।

झांसी में मशीनों व औजारों के कारखाने की आवश्यकता

*१४४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या झांसी में कुछ मशीनों व औजारों के बनाने का कारखाना खोला जाने वाला है? यदि हां, तो कितनी लागत से और उसमें किस प्रकार की मशीनें व औजार बनेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी ऐसा कुछ निश्चित नहीं है।

*१४५—**राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे**—[८ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ७० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

भूतपूर्व शासन के सदस्यों के ट्रंक-काल पर व्यय

*१४६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के मुख्य मंत्री, उप-मंत्री तथा सभा सचिव को जनवरी, १९६० से ८ दिसम्बर, १९६० तक उनके इस्तेमाल में लगे हुये टेलीफोन पर कितना धन (Trunk call) में सरकार को देना पड़ा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ जनवरी, १९६० से ३० नवम्बर, १९६० तक भूतपूर्व शासन के सदस्यों के ट्रंककाल पर सरकार के कुल ४१,८९९ रुपये और २७ नये पैसे व्यय हुये। १ दिसम्बर से ८ दिसम्बर, १९६० तक के ट्रंक काल के बिल अभी प्राप्त नहीं हुये हैं, अतएव तत्सम्बन्धी व्यय का विवरण देना सम्भव नहीं है।

बाजार बन्दी दिवस के लिये जिलाधीश, बलिया की आज्ञा

*१४७—**श्री रामशरण यादव**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया के जिलाधीश ने १७ दिसम्बर, १९६० के लगभग दूकानों को रविवार के बजाय मंगलवार को बन्द रखने का आदेश जारी किया है? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश जारी करने के पूर्व कर्मचारी संघ, क्लाथ डीलर्स एसोसियेशन, सर्राफा कमेटी आदि की राय ली गई थी?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जी हां।

दूकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों के नियोजकों की बन्दी दिवस के सम्बन्ध में राय जानने के पश्चात् ही जिलाधीश ने उक्त आदेश जारी किये थे।

*१४८-१४९—**श्री जवाहरलाल**—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

लीडर प्रेस, इलाहाबाद में कापी होल्डरों को निर्धारित वेतन न मिलना

*१५०—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, १९५६ जिन समाचार-पत्रों पर लागू है उनमें "लीडर प्रेस,' इलाहाबाद भी सम्मिलित है?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जी हां।

*१५१--श्री भगवती सिंह विशारद--श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त पत्र के कापी होल्डरों को अधिनियम के अनुसार निर्धारित वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो वेतन दर क्या है और यदि नहीं, तो निर्धारित वेतन न मिलने के क्या कारण हैं?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--जी नहीं, सेवायाचकों के मतानुसार कापी होल्डर्स उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते।

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री गौरीशंकर राय--प्रश्नों के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार से निवेदन करना है। हमारे १७ प्रश्न हैं मेडिकल कालेज के पैथालाजी डिपार्टमेंट के और ऐसा दुर्भाग्य है कि तीन बार तो मंत्री जी के कहने से टाल दिये गये, अब नियम ३० के अन्तर्गत फिर खटाई में पड़ गये। अब आप पुनः किसी दूसरे दिन उत्तर दिलवा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका और अगर आप देखें कि ठीक उत्तर नहीं आये हैं तो आप को अधिकार प्राप्त है कि उनके बारे में नियम ५० के अन्दर आधे घंटे की जो बहस होती है उसको आप मांग लें। यही तरकीब उसकी हो सकती है।

श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--अभी मेरे पास श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा की मृत्यु की खबर आई है।

*न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि हमारे कानपुर निवासी श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा जी का आज सुबह देहान्त हो गया। वह कानपुर के मुख्य कार्यकर्ताओं में से थे। वह पोलिटिकल सफरर भी थे, जेल-यातनायें भी काटीं और सन् १९२३ से १९२६ तक यू० पी० काउंसिल के सदस्य भी रहे। मुझे उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त था। काउंसिल में स्वराज्य पार्टी में हम और वह साथ थे। वह इतने कर्मठ थे कि हर राजनीतिक आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया। कानपुर में समाज सुधार सम्बन्धी कार्यों में भी वह अग्रसर रहा करते थे और जब जब देश की पुकार हुई वह किसी से पीछे नहीं रहे। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु से एक ऐसी जगह खाली हो गई है जिसकी पूर्ति शीघ्र होना सम्भव प्रतीत नहीं होता। हमारे सूबे के सभी भाई जो उनसे परिचित हैं उनकी मृत्यु पर दुखी होंगे। उनके दुखित परिवार की क्या अवस्था होगी उसका हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं, अक्षरों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। लिहाजा मैं इस सरकार की ओर से, सदन की ओर से और अपनी ओर से उनके परिवार के साथ समवेदना प्रकट करता हूं और श्रीमान् से दरख्वास्त करता हूं कि यह समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा की जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, नारायणप्रसाद जी अरोड़ा कानपुर नगर के उन प्रमुख व्यक्तियों में थे जिन्होंने महात्मा जी के असहयोग आन्दोलन की आवाज पर अपना सर्वस्व राष्ट्रीय सेवा में न्योछावर कर दिया। वह एक प्रतिष्ठित परिवार के थे और कार्य करने का उनका एक विशेष ढंग था। जैसा कि माननीय उपनेता सदन ने कहा वह अपने विचार में किसी से दबते नहीं थे। मान्यवर को याद होगा कि जब कांग्रेस के अन्दर, काउंसिल में जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये, इसका विवाद सन् १९२२ में उठ खड़ा हुआ तो नारायणप्रसाद जी उन लोगों में थे कि बावजूद इसके कि प्रदेश के बड़े-बड़े प्रमुख नेता और कानपुर नगर के लगभग सभी इस पक्ष में थे कि काउंसिल में नहीं जाना चाहिये, नारायणप्रसाद जी ने स्वर्गीय मोतीलाल जी और देशबन्धुदास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी में शिरकत की और कानपुर शहर से उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य चुने गये। लगातार उनका सम्बन्ध समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा से रहा। सभी को ज्ञात है कि उनके सुपुत्र श्री अर्जुन अरोड़ा अपने पिता के पदचिह्नों पर चलकर बचपन से ही समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। उनके न रहने से हमारे बीच से एक बहुत बड़ा समाजसेवी उठ गया। मैं मान्यवर से प्रार्थना करूंगा कि उनके दुखी परिवार को आप मेरी और इस ोर बैठने वाले अन्य माननीय सदस्यों की समवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपनेता सदन तथा विरोधी दल के नेता के विचारों से अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हुआ आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी तथा मेरी पार्टी की ओर से हार्दिक समवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, नारायणप्रसाद जी अरोड़ा कानपुर के एक संभ्रान्त परिवार में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी ने जब देश का नेतृत्व अपने हाथ में लिया तो वे उनके त्याग और सदाचार से प्रभावित हुए तथा उन्होंने राष्ट्रीय सेवा करने का प्रण किया। अरोड़ा जी ने कानपुर का इतिहास भी लिखा है, वे उच्च कोटि के साहित्यिक भी थे। कुछ मासिक पत्रिकायें भी उन्होंने निकालीं। बहुत-सी शिक्षा संस्थाओं से उनका घनिष्ट सम्बन्ध रहा। ऐसे योग्य जन नेता के निधन से सभी को कष्ट होना स्वाभाविक ही है। मुझे और मेरे दल के लोगों को भी उनके निधन से बहुत कष्ट है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से और हमारे विचारों के जितने भी लोग हैं, उन सभी की ओर से आप से प्रार्थना करता हूं कि अर्जुन जी अरोड़ा, जो उनके पुत्र हैं उनके तथा उनके अन्य परिवार वालों के पास हमारी समवेदना और दुःख पहुंचाने की कृपा करें।

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, माननीय अरोड़ा जी के दुःखद निधन पर माननीय उपनेता सदन, साथी त्रिलोकीसिंह, कुंवर श्रीपालसिंह व श्री राजनारायण ने जो बातें कहीं, उनसे मैं अपने को तथा जनसंघ को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन् से निवेदन है कि हम लोगों की समवेदना और सहानुभूति उनके दुःखी और संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--श्री नारायणप्रसाद जी अरोड़ा के दुःखद निधन के ऊपर जो भावनाएं उपनेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट की हैं, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। यह बात सही है कि वे उन राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं में से थे जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कानपुर में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ किया। वे लोकमान्य तिलक के साथ काम किये थे और उनको हम पहले तिलकीय ही कहा करते थे। उस समय हमारे देश में दो दल थे--एक गरम दल और दूसरा नरम दल। वे गरम दल में थे। महात्मा गांधी के कांग्रेस में आने के बाद, उनके त्याग, तपस्या और प्रोग्राम से प्रभावित होकर वे गांधी जी के आन्दोलन में आये और उनके हर एक आन्दोलन में उन्होंने आगे बढ़ कर काम किया। वे अच्छे साहित्यिक भी थे, समाज सेवी भी थे और मैं यह कह सकता हूं कि कानपुर में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो उनको श्रद्धा और आदर से न देखता हो। वे १९२३ में कौंसिल के सदस्य रहे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कभी यह इच्छा व्यक्त नहीं की कि उन्हें फिर कुछ होना चाहिये। वे हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाते रहे। यह उनकी खूबी रही। उनके इस त्यागमय जीवन का ही यह परिणाम रहा कि परमात्मा ने उनको एक लोकसेवी सुपुत्र दिया। मेरे लिये वे विशेषकर आदरास्पद थे। एक तो उनसे मेरा सम्पर्क भी अधिक था, दूसरे वे मेरे चाचा के क्लासफेलो रहे थे। मैं उन दोनों को सदैव जोड़ी में देखा करता था। जब कभी कानपुर आना जाना होता या वे यहां आते तो वे साथ ही साथ आते। खैर, इस कारण वे सदैव मेरे लिये आदरस्पद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

रहे हैं और वे कभी-कभी मुझे कुछ सुझाव भी एक भतीजा मान कर दे दिया करते थे कि इस तरह से कार्य होना चाहिये। मेरे साथ वे बरेली जेल में भी सन १९४२ और १९४३ में रहे थे। तो आज अचानक खबर पाकर मैं चौकन्ना-सा रह गया कि इतनी जल्दी वे हमसे अलग हो गये। मैं तो समझता था कि उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि वे अभी कई वर्ष तक रहते लेकिन यह दुःखद समाचार मुझे मिला और बड़ा धक्का सा लगा। जो दुख हम सब को हुआ है और जो प्रान्त और देश का नुकसान हुआ है उससे हम सब लोग दुखी हैं और जो भावनायें अभी व्यक्त की गयी हैं तथा समवेदना व्यक्त की गयी हैं उसको मैं उनके परिवार के पास भेज दूंगा। मैं आशा करता हूं कि अब सदन के सभी माननीय सदस्य उठ कर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये परमात्मा से प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

१९५६–५७ के विनियोग लेखे तथा १९५८ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भाग १ व २ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १९५६–५७ के विनियोग लेखे तथा १९५८ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भाग १ व २ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति ने १९५६–५७ के विनियोग लेखे और १९५८ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भाग १ व २ पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों, सुझावों और आलोचनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के स्मृति-पत्र परिशिष्ट–क पर विचार किया। समिति को संतोष है कि सरकार ने समिति के अधिकांश सुझावों पर उचित कार्यवाही कर ली है किन्तु अब भी कुछ मामलों में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही या तो अधूरी है या तत्सम्बन्धी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इस प्रतिवेदन के तृतीय भाग में उन पुरानी सिफारिशों का भी संकलन किया गया है, जिन पर विभागों द्वारा अब भी कार्यवाही नहीं की जा सकी। समिति आशा करती है कि सम्बन्धित विभाग इन मामलों पर शीघ्र निर्णय लेंगे।

इस स्मृति-पत्र की जांच करने में समिति को श्री सी० कोनार, आई० डी० ए० एस०, महालेखापाल, श्री एस० बी० राय, सहायक लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश, श्री ह्वी० एम० भिडे०, आई० ए० एस०, सचिव, वित्त विभाग, श्री एम० एल० दबे, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस०, सचिव, विधान मंडल और श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा द्वारा दी गयी सहायता के लिये समिति ने उन्हें धन्यवाद दिया।

समिति के सामने विवरणादि प्रस्तुत करने में विधान सभा सचिवालय तथा महालेखापाल, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने जो कठिन परिश्रम किया उसकी भी समिति सराहना करती है और इस कठिन कार्य के लिये उन्हें पूर्व परम्परानुसार उचित मानदेय दिये जाने की सिफारिश करती है।

श्री अध्यक्ष—सदन में काफी बातचीत हो रही है, कुछ शान्ति रहनी चाहिये।

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन†

*श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान उस सुस्पष्ट और प्रतिभापूर्ण वक्तव्य की ओर आकर्षित करूंगा जो श्रीमन् ने वर्तमान समिति के उद्घाटन के समय दिया था। इस के साथ-साथ श्रीमन्, मुझे एक बात और निवेदन करना है और वह यह है कि हमारी नियमावली के अन्तर्गत सम्बन्धित मंत्रियों के लिये यह संकेत है कि वह अपना वक्तव्य प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दें, लेकिन चूंकि प्रतिवेदन प्रायः जब इस सदन के समक्ष रखे जाते हैं उस समय उन को इस की जानकारी नहीं होती और यह कठिनाई उन के समक्ष आती है कि वह कोई वक्तव्य नहीं दे पाते। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो प्रतिवेदन सदन के समक्ष उपस्थित हो उस की एक प्रति पहले से माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दी जाय ताकि प्रतिवेदन उपस्थित होने के तत्काल बाद वह अपना वक्तव्य दे सकें। यही मेरा निवेदन था।

श्री शिवप्रसाद नागर का सुझाव

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं श्रीमन्, कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, इस सदन में एक बड़ा दुखान्त वातावरण उपस्थित हो गया है कि जब से इस बार हम बैठे हैं तब से नित्य प्रति, रोज ही किसी न किसी के निधन का शोक हमें प्रकट करना पड़ता है। आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्थान पर बैठे हैं, मैं आपको इसके लिये एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप एक मृत्युंजय का जाप करा दें तो उस से सरकार का और इस सदन का बड़ा कल्याण होगा।

परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियमों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जो मेरे पास ध्यान आकृष्ट करने के बारे में प्रश्न उपस्थित किये गये हैं उनमें से एक मैंने स्वीकार किया है आज के लिये। वह श्री उग्रसेन जी का है कि "राज्य सरकार के परिवहन मंत्रालय ने १६ दिसम्बर, १९६० के शासकीय आदेश द्वारा राज्य के परिवहन विभाग में काम करने वाले २० हजार कर्मचारियों के सेवा नियमों में बिना पूर्व सूचना के एकाएक परिवर्तन कर दिया है। काम के घंटे में वृद्धि, छुट्टियों की कटौती, पेंशन तथा फंड की सुविधा सभी कर्मचारियों को न देकर विभाग ने अवैधानिक कार्य किया है। उस की प्रतिक्रिया समूचे प्रदेश में हुई और कर्मचारियों ने एग्रीमेन्ट फार्म पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जिस से आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ तथा गोरखपुर रीजन में ७०० से अधिक कर्मचारी निकाले गये। इस से एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है और राज्य का परिवहन संकट काल से गुजर रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम ५२ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की मांग करता हूं"।

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, यह मुझे देर में मिला है, इसके लिये मुझे मौका दिया जाय और एक बात यह भी देख ली जाय कि कल इसी विषय पर जो माननीय सदस्य ने दिया है २–३ प्रश्न भी आने वाले हैं, अगर वह मुनासिब समझें तो इस की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैंने इस को एक वक्तव्य देने के लिये स्वीकार किया है, मंत्री जी कल या आगे जब वक्तव्य दे सकें बता दें।

श्री मुजफ्फर हसन—मैं कल दे दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत व्यापक है, यह रोडवेज के २० हजार कर्मचारियों से सम्बन्धित है, यह तभी साफ हो सकता है जब मंत्री जी वक्तव्य यहां दें।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह तो दिया कि कल वक्तव्य देंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैंने भी दफा ५२ के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था कि गन्ने की समस्या को लेकर गोरखपुर में भूख हड़ताल चल रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस सम्बन्ध में कल से आज तक कई तार आ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं तो एक ही ले सकता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मेरा निवेदन यह है कि आज नहीं ले सकें तो कल ले लें।

श्री अध्यक्ष—तो आपको फिर से नोटिस देना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक हमने भी नोटिस दिया था, तो कल फिर देना पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष—आप कल फिर दे दीजियेगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० के संबंध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने दो दिन पूर्व आपसे प्रार्थना की थी संविधान के अनुच्छेद १९७ के अनुसार...

श्री अध्यक्ष—आज भी आपने फोन पर बातचीत की थी। मैं जरा उसको स्टडी कर लूं। यहां उठाने से मैं तत्काल जवाब दे नहीं सकूंगा। मैंने कागजात मंगाए हैं।

श्री राजनारायण—बात यह है कि हमारे पास विधान परिषद् के सचिव की भी चिट आ गयी है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०, २०–९–६० को परिषद् की मेज पर रखा गया था।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ जायं तो हम लोग इस विषय में बातचीत कर लेंगे।

जिला फतेहपुर तथा मैनपुरी में लोध जाति का जनगणना में जरायम पेशा करार देने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब भजनलाल जी द्वारा ८ फरवरी, १९६१ को दी गई सूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—उत्तर प्रदेश में ३० स्थायी निवास करने वाली और ३० खानाबदोश जरायम पेशा जातियां थीं। उनमें से कुछ सारे प्रदेश में और कुछ विशेष जिलों ही में जरायम पेशा थीं। इसका विवरण क्रिमिनल ट्राइब्स मैनुअल और अनेक सरकारी तथा गैरसरकारी प्रकाशनों में मौजूद है। लोध अथवा लोधा जाति फतेहपुर और मनपुरी जिलों में अपराधशील जाति थी। ३१ अगस्त, १९५१ को क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट को रिपील करके सब जातियां.....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—साफ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप जरा अटेंशन रक्खें।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मैं फिर से पढ़े देता हूं.....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—धीरे-धीरे शान्ति से पढ़ें तो समझ में आयेगा।

श्री अध्यक्ष—लोग समझते हैं कि कुछ बालों का आब्सट्रक्शन भी हो रहा है शायद आवाज में। (हंसी)....

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—३१ अगस्त, १९५१ को क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट को रिपील करके सब जातियों को उन पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया जो उन पर लागू थीं। उनको उस समय विमोचित और बाद में विमुक्त जातियों के नाम से पुकारा जाने लगा है। इन जातियों की जन संख्या उत्तर प्रदेश में सब प्रदेशों से अधिक है। बिलकुल ठीक तो नहीं कहा जा सकता लेकिन करीब २५ लाख के हैं। हमारे सारे देश में उनकी जितनी संख्या है उसमें से करीब ५० परसेन्ट हमारे प्रदेश में हैं और उनके उत्थान एवं विकास के हेतु सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। इनमें से अनेकों जातियों ने अब अपराध करना छोड़ दिया है परन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी न होने के कारण इनके लिये योजना कार्यान्वित करने में कठिनाई होती है। इसीलिये जहां अन्य सूचना जनगणना द्वारा एकत्रित की जा रही है वहां यह भी पता चलाया जा रहा है कि विमुक्त जातियों में कौन व्यक्ति अब अपराधी है। इस सूचना को जानने के लिये टैक्टफुली जानकारी लेने के लिये आदेश हैं। इसका यह उद्देश्य बिलकुल नहीं है कि उनको फिर जरायम पेशा घोषित किया जावे बल्कि इसके बिलकुल विपरीत है। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्रशासन को प्राप्त नहीं प्रतीत होती।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जाति को दोषी नहीं कहा गया है बल्कि व्यक्ति को दोषी कहा गया है, अतः उक्त संविधान की मर्यादा रखने हेतु ऐसे आदेश जारी करेंगे कि व्यक्ति को ही दोषी करार दिया जाय जाति को नहीं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मैंने अर्ज किया कि वह ऐक्ट रिपील हो चुका है, अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई क्रिमिनल ट्राइब कही जाती हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मन्त्री जी ने अभी बताया कि इन जातियों में से कुछ की जांच की जा रही है कि उनमें अब भी कितने अपराध कर रहे हैं। तो इस जांच की इस जनगणना में क्यों आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। जिनके यहां सैकड़ों सालों से जरायम होते थे, बहुत से सुल्ताना डाकू के साथ के लोग अब भी क्रिमिनल ट्राइब बस्तियों में हैं तो वह खुशी-खुशी बताते हैं कि हम ऐसा करते थे, लेकिन अब नहीं करते

[डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी]

हैं। तो अगर कोई अब भी ऐसा काम करता है और वह मालूम हो जाय तो यह सब के लिये अच्छा है ताकि उनके सुधार की कोशिश की जाय। वह क्रिमिनल ट्राइब में नहीं गिने जाते हैं बल्कि उनको अलग से मालूम करने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—आपका इरादा वैयक्तिक रीति से पूछने का है न कि जाति की हसियत से।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में पूरक प्रश्न यह है कि बहुत से ऐसे डकैत कातिल, राहजनी करने वाले, चोरी करने वाले ब्राह्मण, ठाकुर और भूमिहार भी हैं। तो क्या उन लोगों के पास भी जाकर के सरकार उनकी जांच करेगी?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मेरा खयाल है कि अगर कोई ऐसा खानदान है, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जिनके खानदान में यह काम चला आता है तो उनसे पूछा जाय कि वह अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलना चाहते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष—जनगणना के सिलसिले में है जो कि केन्द्रीय सरकार कराती है। उन्होंने बता दिया कि उसमें कोई जरायम जाति करके दर्ज नहीं होगा। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजनारायण—उन्हीं जातियों के यहां जाकर क्यों जांच होती है?

श्री अध्यक्ष—पहले का उनका इतिहास है इसलिये अगर वह उनको रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं, उनको सही रास्ते पर लाना है तो जो लोग उनमें से ऐसे काम अब भी करते हैं उनको सिखाने और पढ़ाने की गुंजाइश करेंगे, यह उनकी ड्यूटी है।

श्री भजनलाल—मन्त्री जी मेरे प्रश्न को सूचना समझ कर जिला फतेहपुर और मनपुरी में ऐसे आदेश जारी करेंगे कि जो इस जन गणना में योजना चलाई जा रही है उसको न किया जाय?

श्री अध्यक्ष—उनकी मर्दुमशुमारी ऐसी तो हो नहीं रही है कि उन्हें जरायम जाति लिखें।

श्री भजनलाल—वहां के डेप्यूटेशन ने हमको बताया कि इस तरह से वहां लोगों को लिखा जा रहा है और मुझे शंका है। क्या उस कार्यवाही को मन्त्री जी रोकने की कोशिश करेंगे?

श्री अध्यक्ष—जरायम जाति उनको लिखने से रोका जाय?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई ऐसी शिकायत होगी तो जरूर आदेश दिये जायेंगे कि वह उनको जरायम पेशा के तौर पर न लिखें।

श्री भजनलाल—मन्त्री जी को पता है कि फतेहपुर जिले में प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में आये हैं, सभाओं के प्रस्ताव भी आपके पास आ चुके हैं। उनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मेरे दफ्तर में कोई नहीं आया।

श्री अवधेशप्रतापसिंह द्वारा पायनियर में उनको स्वतंत्र पार्टी का सदस्य छापने के संबंध में आपत्ति

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री अवधेश प्रताप सिंह ने यह सूचना भेजी है कि ९ तारीख के पायनियर में जो यह छपा है कि वह स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य हैं वह गलत है, वे किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, खाली स्वतन्त्र हैं। तो यह जो गलती हो गई है मैं समझता हूं कि आगे कभी मौका आये तो इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये उस पेपर में कि वे स्वतन्त्र पार्टी के मेम्बर नहीं हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—स्वतन्त्र पार्टी के कितने मेम्बर हैं, इसकी सूची है आपके पास? हमारा हक मारा जाता है। उनकी संख्या निश्चित हो जाय तो हम दूसरे नम्बर पर आ जायें वरना तीसरे नम्बर पर रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह लिस्ट तैयार हो गई है, वह छपने के लिये गई हुई है।

श्री राजनारायण—हमारे मित्र अवधेश प्रताप सिंह जी का नाम उसमें है?

श्री अध्यक्ष—उनका नाम नहीं है।

३१ अगस्त, १९६० के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १–२ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर

श्री अध्यक्ष—अब दिनांक ३१ अगस्त, १९६० को विधान सभा के सदस्य सर्वश्री गेंदासिंह तथा गौरी शंकर राय द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १–२ से सम्बन्धित श्री गौरी शंकर राय द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री शोधन वक्तव्य देंगे।

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—३१ अगस्त १९६० को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १–२ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री गौरीशंकर राय ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था, वह इस प्रकार है:—

†"क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समिति की चर्चा उनके उत्तर में है, उस समिति को बने हुये कितने दिन हो गये और इसकी मीटिंग बुलाने के लिये कितने प्रयास हुये और उसकी कोई मीटिंग हुई भी या नहीं?"

उस समय निम्नलिखित उत्तर दिया गया था:—

"वह समिति बनी थी नवम्बर, १९५८ में और वह यह कि उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई कुछ हुई जिनमें कि फार्मूला निकला लेकिन उस फार्मूले का अन्तिम रूप निकालने के लिये उसकी मीटिंग नहीं हो सकी।"

उपरोक्त उत्तर में कुछ अशुद्धियां रह गई थीं, सही उत्तर इस प्रकार है:—

"वह समिति (शुगर केन प्राइस लिंकिंग एडवाइजरी कमेटी) नवम्बर, १९५८ में नहीं वरन् जनवरी, १९६० में बनी थी।"

इसी प्रकार उपरोक्त अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य देव नारायण भारतीय ने भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था वह इस प्रकार है:—

"यह जो गत दो साल से कोई फार्मूला नहीं बना है और अभी यह भी निश्चित नहीं है कि कितना समय लगेगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भी यह फार्मूला बन सकेगा तब '५८' से अब तक का जो बकाया है वह सब उनको दिया जायगा?"

---

†(मूल प्रश्न के लिये देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३९६ पर)

[श्री रऊफ जाफरी]

उस समय निम्नलिखित उत्तर दिया गया था:—

"वह १९५८ से नहीं बल्कि "१९५३–५४ तक का दिया जायगा।"

उपरोक्त उत्तर में कुछ अशुद्धियां रह गई थीं, सही उत्तर इस प्रकार है:—

"डेफर्ड पेमेन्ट केवल १९५८–५९ से ही मिलेगा क्योंकि इसके पहले कोई फार्मूला कानूनन लागू नहीं था।"

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस सम्बन्ध में एक सवाल जानना है।

श्री अध्यक्ष—अनुपूरक प्रश्न इस समय नहीं होंगे।

श्री मदन पांडेय—अनुपूरक नहीं कर रहा हूं। जो शोधन उत्तर इस समय दिया जा रहा है इसका कारण क्या यह है कि मिल मालिकों की तरफ से कोई रिप्रजेंटशन हुआ था?

श्री अध्यक्ष—सरकार के यहां भी जांच होती रहती है कि कोई गलत उत्तर तो नहीं दिया गया? अगर ऐसा होता है तो सरकार उस समय हमको यह लिखती है कि हमन यह गलत उत्तर दे दिया था, हम को मौका दिया जाय कि हम उसे शुद्ध कर दें।

श्री मदन पांडेय—डेफर्ड पेमेन्ट का प्रश्न किसानों की तरफ से बराबर उठाया जाता रहा, है १९५३–५४ से, लेकिन यह शोधन वक्तव्य यकायक दिया गया है, तो सरकार साफ कर दे कि मिल मालिकों की तरफ से कोई दबाव पड़ा जिससे यह शोधन वक्तव्य दिया जा रहा है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो शोधन वक्तव्य दिया जा रहा है, वह अत्यन्त अशुद्ध है। शुद्ध उत्तर पुराना था। १९५३–५४ से डेफर्ड पेमेन्ट किसानों को मिलना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को फिर इस पर विचार करना चाहिये और अपने सारे कागजात को देखना चाहिये और देख करके इस उत्तर को फिर बदलने की कोशिश करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—एक दूसरा और है, श्री रामसुन्दर पांडेय ने जो तारांकित प्रश्न पूछे थे उस समबन्ध में भी शोधन वक्तव्य देना है।

२९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३–४ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक २९ अगस्त, १९६० को श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३–४ के सम्बन्ध में श्री राम सुन्दर पांडेय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि:—

†"(१) क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहगंज मिल ने उस क्षेत्र के किसानों के गन्ने के विकास के लिये कितना रुपया दिया है?

(२) क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया की चीनी मिलों में आजमगढ़ की सोसाइटीज को अबतक कितना रुपया इस मद में प्रदान किया है?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था:—

"(१) ३४,००० रु० सन् १९५८–५९ में और ३६,००० रु० सन् १९५९–६० में।

(२) २४,००० रु० सन् १९५८–५९ में और १,००,००० रु० सन् १९५९–६० में।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था इसका बाद में पता चला सही उत्तर इस प्रकार है:—

"(१) ११,३४० रुपया ७ नये पैसे सन् १९५८–५९ में।

(२) चीनी मिलें विकास मद का रुपया सोसाइटीज को नहीं देतीं।"

---

†(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'त' आगे पष्ठ ३९७ पर)

हुसैनाबाद इंडाऊमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि हुसैनाबाद इन्डाऊमेन्ट ऐक्ट (१८७८ का ऐक्ट नं० पन्द्रह) के अन्तर्गत हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु निर्धारित स्कीम की धारा २ के साथ पठित धारा १३(३) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष विधान सभा तथा श्री सभापति, विधान परिषद्, उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु समिति के लिये विधान मन्डल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें करें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि हुसैनाबाद इन्डाऊमेन्ट ऐक्ट (१८७८ का ऐक्ट नं० पन्द्रह) के अन्तर्गत हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु निर्धारित स्कीम की धारा २ के साथ पठित धारा १३(३) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष विधान सभा तथा श्री सभापति, विधान परिषद, उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु समिति के लिये विधान मन्डल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शोधन उत्तरों के सम्बन्ध में जानकारी

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, जो आज एजेन्डा दिया गया है इसमें नत्थी 'ख' भी एक है। उसमें भी मन्त्री महोदय को अपना संशोधित उत्तर देना चाहिये। परन्तु यहां जो आपके सामने कार्य विवरण दिया हुआ है इसमें नत्थी 'ख' का कहीं जिक्र नहीं है। तो यह नत्थी 'ख' आज ली जायगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष---यह तो प्रश्नों के सिलसिले में ही था। तो यह माना जायगा कि यह उत्तर दे दिया गया। यह प्रश्नों में ही माना गया था। अगर आज उस जगह तक पहुंच जाते तो आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे और जो अभी शोधन उत्तर दिये गये हैं इनम पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। कल मन्त्री महोदय, ठाकुर हुकुम सिंह साहब ने कहा था कि वह तो बहुत तैयारी के साथ आते हैं, माननीय सदस्य तैयार नहीं रहते हैं, तो मैं यह चाहूंगा कि जब मन्त्रिगण उत्तर दिया करें तो वह सही उत्तर देने की कृपा किया करें। इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---शोधन उत्तर अनपूरक प्रश्न के बारे में होते हैं, मूल प्रश्न के बारे में तो नहीं होते।

श्री अध्यक्ष---एक बात तो सही है कि जब मन्त्रिगण अनुपूरक प्रश्नों का भी उत्तर दें तो जिम्मेदारी के साथ दें। अगर नहीं मालूम है तो कह दें कि सूचना की जरूरत है। यह कहने का जब उनको अधिकार है तो क्या जरूरत है कि उत्तर देना ही चाहिये। अन्दाजन उत्तर दे देते हैं इसकी वजह से यह गड़बड़ी होती है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब माननीय नवलकिशोर जी का जो प्रस्ताव था श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद का, उसके ऊपर बहस शुरू होगी।

---

*८ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन के समर्थन में या उसके सिलसिले में अपनी बात रखूंगा। ऐसे तो हमारी पार्टी की तरफ से श्री राजनारायण जी द्वारा १७ संशोधन रखे जा चुके हैं, लेकिन मेरे संशोधन की संख्या १३ है, उसको जोड़ते हुये मैं अपनी बात रख रहा हूं।

महामान्य राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारे सामने है, उसमें कुछ ऐसी बातें हमको दिखाई पड़ीं जिनकी ओर मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। यह अभिभाषण जिस समय हुआ था उसके पूर्व कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें साधारण किसान विशेषतौर से पीड़ित रहे और वह आशा करते थे कि हमारे प्रदेश के सर्वाधिकारी श्रीमान् राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में उसका कुछ न कुछ उल्लेख अवश्य करेंगे। उसके बारे में मुझे सदन का विशेष ध्यान दिलाना है। इस प्रदेश में पिछले अक्तूबर में एक ऐसी आपत्ति आई जो सारे प्रदेश में व्याप्त थी और इसमें सैकड़ों हजारों किसान बे-घरबार हो गये, उनकी फसल बरबाद हो गई और पशुओं की बड़ी भारी हानि हुई।

इसके सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है कि इसी सिलसिले में लखनऊ में भी हानि हुई थी और इस मन्त्रिमन्डल तथा उस मन्त्रिमन्डल, दोनों ने सोचा कि ऐसी हानि आयन्दा न हो और इसके सम्बन्ध में जांच भी कराई जा रही है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे स्थानों में जहां अचानक वर्षा और बाढ़ के कारण अधिक हानि हुई है तो उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि कानपुर जिले में पांडु, ईसान आदि छोटी-छोटी नदियां बहती हैं, उनमें बाढ़ आई और जो किनारे के गांव थे वह सब तहस-नहस हो गये। वहां के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ऐसी बाढ़ पिछले कई वर्षों से नहीं आई। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उसके कारणों को जानने की कोशिश की जब कि लखनऊ के लिये जांच कमीशन बैठा हुआ है और मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह यह जानना चाहते हैं कि बाढ़ के पूर्व सूचना मिली थी या नहीं और वह सचेत थे या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे जिलों में जो बाढ़ आई उसके बारे में और जो छोटी-छोटी नदियां तथा नाले हैं उनके बारे में सूचना वहां के अधिकारियों ने दी या नहीं? यदि नहीं दी तो उनका अपराध था या नहीं और यदि था तो क्या वह अधिकारी सतर्क रहेंगे और आयन्दा ऐसी सूचना देते रहेंगे ताकि किसान को हानि न उठानी पड़े? विशेष तौर से कानपुर जिले के बारे में फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड इन बातों पर ध्यान दे। जो सरकार ने सहायता दी है उसको राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे, लेकिन कम से कम इतना आश्वासन अवश्य मिल जाना चाहिये कि इन कृषकों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा और सरकार उनको सहायता देना चाहती है।

एक सप्ताह पहले इस प्रदेश में एक ऐसी आपत्ति आई जो विशेष उल्लेखनीय रही क्योंकि ओले तथा पत्थरों से हानि चन्द घंटों में बहुत ज्यादा हो जाती है और इसमें सैकड़ों हजारों किसान तबाह हो जाते हैं और खड़ी फसल को बरबाद होते देख कर किसान का दिल तड़प जाता है। ऐसी दुखमय घटना होते हुए हमारे राज्यपाल के सुन्दर मुंह से उसका उल्लेख भी न हो यह आश्चर्य की बात है। एक दिन इसी हाल के ऊपर उपल वृष्टि हुई थी। मैं समझता हूं कि उपल वृष्टि महामान्य राज्यपाल के बंगले में भी हुई होगी और उस दिक्कत को उन्होंने महसूस किया होगा। किसानों की उससे कहीं ज्यादा हानि हुई है। अगर उसका थोड़ा सा उल्लेख वह अपने अभिभाषण में कर देते तो किसान भी समझता कि उनके दिल में उसके लिए कुछ हमदर्दी है। कानपुर जिले के कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें डेढ़ सेर तक के वजन के पत्थर गिरे, जिनकी एक तह जम गयी और तीन-तीन दिन तक वह खुली नहीं। किसान उन पत्थरों को लेकर, २४ घंटे के बाद, जिला अधिकारियों को दिखाने गये। कुछ अधिकारियों ने उनका उपहास करके कहा कि भाग जाओ, नहीं तो जेल में बन्द कर देंगे और लौटा दिया। आज इस प्रजातांत्रिक जमाने में राजकर्मचारी किसानों के प्रतिनिधियों के प्रति इतनी उदासीनता दिखाते हैं, ऐसा उपहास करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी प्रकार फतेहपुर और उन्नाव से भी मुझे ऐसी खबरें मिली हैं कि वहां भी उपल वृष्टि अति रूप में हुई है । सरकार को चाहिए था कि इस संबंध में प्रथम दिन ही एक वक्तव्य देती और बताती कि वह इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है । मुझे उन क्षेत्रों से आने का मौका मिला है जो देहाती क्षेत्र हैं और जिनको यह विशेष आशा रहती है कि सरकार ऐसे मामलों में सचेत होगी । इसके अलावा संशोधन में जो बहुत सी बातें रखी गयी हैं सब का उल्लेख न करके, एक दो बातों का ही उल्लेख करना चाहता हूं ।

पिछली सरकार ने अपने पूरे चार साल के काल में बार बार यह घोषणा की कि वह माध्यमिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने के लिए काम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहती है । आज हमारे सामने माननीय कमलापति, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं । उन्होंने इस संबंध में बार-बार घोषणा की । लेकिन सरकार ने—अब जो सरकार है उसको भी याद दिलाना चाहता हूं, एक आयोग जरूर मुकर्रर किया है लेकिन जब मैं उसके विचारणीय विषयों को देखता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है । उसमें मौलिक बात छोड़ दी गयी है । उसमें यह नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान जो इतना जमकर बैठा हुआ है, उसको किस प्रकार दूर किया जाय । आज माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी के दबाव से मरी जा रही है, जिसके कारण आज ८० फीसदी विद्यार्थी फेल होते हैं । उसके लिए क्या उपाय किया जाय ? विचारणीय विषयों में इसको नहीं रखा कि किस प्रकार अंग्रेजी को हटा दिया जाय ।

मैंने जैसे ही शिक्षा की बात शुरू की शिक्षा मंत्री उठ कर चले गये । मालूम होता है कि वह शिक्षा के संबंध में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते और कोई सुधार नहीं करना चाहते तथा मनमाने ढंग पर काम करना चाहते हैं । यह सरकार जन प्रतिनिधियों के तर्कों के प्रति कितनी उदासीन है, यह उनके व्यवहार से पता चलता है । यह नयी सरकार, जो इस आशा से आयी है कि कोई नये ढंग से सुधार करना चाहती है, मुझे इससे जरा भी संतोष नहीं है । उनके आने का कारण तो मैं बताना नहीं चाहता लेकिन जिस आडम्बर के साथ वह आयी है, उससे और भ्रम हो जाता है कि वह अपनी आडम्बरी नीति को आगे बढ़ाना चाहती है । उनके जितने भी कार्य मैंने देखे उनसे पता चलता है कि वह व्यय नीति में कोई परिवर्तन नहीं चाहते । जब मैं देखता हूं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें भ्रष्टाचार, पक्षपात और ढील की नीति जो पहले थी वह कम नहीं हुई है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार भी उसी तरह से फैल होने जा रही है जैसे कि पूर्व का मंत्रिमंडल । इन्होंने आरोप लगाया था उस समय के वर्तमान मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसके होते हुए भी उन्हीं में से कुछ सदस्यों को आज भी आसनारूढ़ क्यों कराया गया ? क्या उन्होंने अब इस बात को मान लिया है कि उनकी गलती अब नहीं रह गई है ? लेकिन इन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

मैं विशेष तौर से अपने ही जिले की बात बतलाऊं कि जबसे हम लोग सत्याग्रही बाहर निकल कर आये हैं, तब से सरकार और भी हम लोगों से बदला लेने की भावना से भर उठी है । सीतापुर जिले के माननीय सदस्य डाक्टर अवधेश जी बैठे हैं । उन्होंने बतलाया कि जुर्माने की रकम उनके जेल में सजा काट लेने के बाद भी उनकी तनख्वाह से काट ली गई । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आज भी हमारे घरों में जुर्माने की रकम वसूल करने के लिए कुर्कियां जा रही हैं । कहा गया कि मुख्य मंत्री जी ने ज्यों ही मुख्य मंत्री का पद ग्रहण किया त्यों ही एक समझौते का हाथ बढ़ाया और कहा कि समाजवादी आन्दोलन वालों की रिहाई की जा रही है । लेकिन रिहाई करने के मानी यह भी होते हैं कि कुछ नीति भी बदलें । लेकिन बदलने के बजाय वह नीति को और भी तीव्र कर रहे हैं । वह चाहते हैं कि जो कुछ रही सही कसर है वह भी निकाल लें । इस प्रकार से सजा काट लेने के बाद भी जुर्माने की वसूली के लिए कुर्कियां ले जाना इसी भावना का द्योतक है ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल के भाषण पर आज तीसरा दिन है कि वादविवाद इस सदन में हो रहा है । हमारे बहुत से माननीय

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

मित्रों ने अपने विचार उस पर प्रकट किये । उस संबंध में मैं भी कुछ बातें कहना चाहता हूं । एक एतराज तो उस तरफ से यह हुआ कि आर्डिनेंस बहुत से जारी किये गए । यदि श्री राज्यपाल के भाषण को ठीक तौर से पढ़ा जाय तो हर आर्डिनेंस के मुताल्लिक उसमें बताया गया है कि क्यों ऐसा करना जरूरी समझा गया । मैं एक मिसाल लेता हूं शुगर केन परचेज टैक्स की । जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा, अभी हाल में शुगर केन का जो सेल ऐक्ट था वह सुप्रीम कोर्ट से अवैध करार दिया गया । जिसके फलस्वरूप करोड़ों रुपये का नुकसान इस राज्य का हो जाता और इस राज्य को करोड़ों रुपया मिल मालिकों को वापस भी करना होता । केन्द्रीय सरकार ने भी एक आर्डिनेंस निकालकर उस रकम को, उस टैक्स को जायज करार दिया है । उसमें रिफंड करने से यह राज्य सरकार बच जायगी और आइन्दा जो आजकल सीजन चल रहा है, गन्ने की खरीदारी हो रही है, अगर ऐसा आर्डिनेंस न निकाला जाता तो जितने मिल मालिक हैं इससे उन्हीं को फायदा होता, यह रकम उन्हीं की जेबों में जाती और चूंकि दोनों सदन प्रोरोग थे इसलिये कोई कानून हम इतनी जल्दी ला नहीं सकते थे । लिहाजा इस सोर्स आफ इनकम की रक्षा करने के लिए आर्डिनेंस लाना पड़ा । अगर हम न लाते तो हमारे ऊपर यह चार्ज लगाया जा सकता था कि यह कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट है, लिहाजा उनके इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया और अगर हम उठाते हैं तो कहा जाता है कि आर्डिनेंस क्यों लाये ? मैं यह चाहता हूं कि जिनका यह ख्याल है कि आर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए था वह खुद ही कैपिटलिस्ट्स की मदद करना चाहते थे, ऐसी भावना मेरे दिल में उठती है, मुमकिन है गलत हो ।

अभी माननीय मोतीलाल अवस्थी ने सैलाब और ओलाबारी के बारे में भी बात कही और यहीं नहीं हमारे कमरे में भी उनसे सैलाब और ओलाबारी के बारे में मेरी बातें हुई । मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि जहां तक सैलाब का संबंध है इसके नुकसानात की इन्क्वायरी हर जिलाधीश से कराकर हम बोर्ड आफ रेवेन्यू के जरिये से जो कुछ भी सहायता छूट की शक्ल में या इल्तवा की शक्ल में जो कानून इजाजत देगा उसको करने के लिये कार्यवाही करेंगे । लिहाजा ऐसा कहना कि सरकार बिलकुल उपेक्षा कर रही है, मैं इसको ठीक नहीं समझता ।

जहां तक ओले का संबंध है, मैं समझता हूं कि हमने कह रखा है और माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार मैंने कहा है कि एक हफ्ते के अन्दर सारी इत्तला सारे सूबे से मंगाकर इस सदन में उपस्थित करेंगे और जो कुछ मुनासिब कार्यवाही आवश्यक होगी और जितनी इजाजत हमारी पूंजी देगी, उसमें हम काश्तकारों की सहायता करने के लिए तैयार हैं, उस संबंध में हमारा यह खयाल है । इसलिये यह कहना कि सरकार की तरफ से तवज्जह नहीं की जा रही है मैं इसको ठीक नहीं समझता ।

हमारे मित्र बहराइच के श्री बदलूराम शुक्ल ने जो अपना प्रथम भाषण इस सदन में दिया, मैं उनको उसके लिये मुबारकबाद देता हूं । उन्होंने अपनी तकरीर में यह कहा है कि राज्य में जस्टिस बेची जाती है ताकि और डिपार्टमेंट चलाये जायं उसकी आमदनी से, यह बात उन्होंने कही । वह एक अच्छे होनहार वकील हैं, एक राईजिंग सन हैं, उनकी जबान से ऐसी बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । मैंने अब जाकर खोजा कि कितनी आमदनी इस कोर्ट फीस से होती है और कितना कोर्टस् पर हमारा खर्चा होता है तो पता लगा कि ६०-६१ में १,२६,९२,७०० रुपया हमारा एस्टीमेटेड एक्सपेन्डीचर है और आमदनी है १,५०,००० रुपया केवल । तो लगभग १।। करोड़ हमारा खर्च है और लगभग १।। लाख हमारी आमदनी उससे होती है । इस तरह से हम आमदनी से कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं । तो यह कहना कहां तक ठीक है कि कोर्ट फीस की आमदनी से हम दूसरे महकमे चलाते हैं ।

एक बात और किसी माननीय सदस्य ने फरमाई कि भूस्वामित्व काश्तकारों को नहीं दिया जाता है और उनके लिये मालगुजारी में कमी नहीं की जाती है । यह बात भी उनकी तरफ से

कही गई और शायद ब्रजनारायण जी तिवारी, देवरिया ने कही कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है । यह सरकार जो कुछ भी कर रही है वह इस सदन के हुकुम से कर रही है और सदन के हुकुम की तामील कर रही है । इस सदन ने जमींदारी अबालिशन ऐण्ड लैंड रिफार्म ऐक्ट पास करके उसको कानून का रूप दे दिया और यह हमारे सूबे में लागू है । हम उसी कानून के तहत सारा इन्तजाम करते हैं । तो इस सदन का जो आदेश होगा हर सरकार का उसको मानना फर्ज होगा और हम भी उसके ही मुताबिक अमल कर रहे हैं ।

जहां तक रिडक्शन आफ रेण्ट का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लगान की कमी का सवाल पैदा नहीं होता । अगर हम देखें तो मालूम होगा कि यह उसी जमाने का लगान है । उसमें इजाफा तो हुआ नहीं क्योंकि २५१ धारा में यह रखा गया कि ४० वर्ष तक हम इजाफा नहीं कर सकेंगे । भूमिधरों के लिये इजाफा नहीं होगा . . . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन लीकेज पर तो आपने लगाया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो बिला मालगुजारी दिये हुये भी नाजायज फायदा उठाते थे, उन पर हमने लगाया है और इजाफा किया है और मैं जस्टीफाइड हूं, किसी को अधिकार नहीं है बिना लगान के जमीन जोतने का । जिन लोगों ने बदनीयती से कब्जा करके या इंदराज में दर्ज न होने की वजह से कब्जा कर रखा है, उससे फायदा उठाते रहे और मालगुजारी नहीं दी, उनसे मालगुजारी ली जानी चाहिये और उनसे करेक्सन आफ लैंड रेकार्ड्स के जरिये से मालगुजारी असेस कर के ली जाती है । इजाफा तो जब होता है कि जब लगान १० रुपये की जगह १५ रुपये कर दिया जाय । जिन लोगों ने बदनीयती से मालगुजारी हड़प कर ली है उनके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है । जितने साल से वह उस जमीन से फायदा उठाते रहे हैं उन सबकी मालगुजारी उनसे ली जायगी । बिना मालगुजारी दिये क्यों वह कब्जा किये रहे ? लेकिन उनको भी हमने सहूलियत दी है । एक साल की बकाया मालगुजारी लेते हैं और एक साल की चालू, इस तरह से उनसे वसूली हो रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—ऐसा नहीं हो रहा है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो हमने आदेश दिये हैं उनका लफ्जबलफ्ज पालन होता है । तो ऐसी सूरत में जब कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कीमत इतनी बढ़ गयी है, रिडक्शन आफ रेंट का सवाल पैदा नहीं होता । कायदे से तो इजाफा होना चाहिये लेकिन वह हम अभी नहीं करते क्योंकि कानून में कुछ बंदिश ही ऐसी है । हां, इसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू जरूर हो सकती है । इस सदन में भी एक बार इस प्रकार का सवाल आया लेकिन सदन की राय यही रही कि अभी रिडक्शन की कोई गुंजायश नहीं है । इसलिये इस संबंध में जो प्वाइंट्स उठाये गये हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है और मैं इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के भाषण के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के भाषण को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है । पहला हिस्सा वह है जिसके द्वारा अध्यादेशों के औचित्य का सिद्धीकरण किया गया है, दूसरा है जिसमें मौजूदा सत्र में आने वाले बिलों और सदन के प्रोग्राम का जिक्र है यानी वह कार्यसूची के किस्म की एक चीज है, और तीसरा हिस्सा वह है जिसमें राज्य की कुछ भावी नीतियों के बारे में चर्चा की गयी है । श्रीमान्, अध्यादेशों के औचित्य के बारे में कल से ही मैं सुन रहा हूं । सरकार की ओर से लोग यही एक स्वर से कहते हैं कि अध्यादेश ले आने की आवश्यकता इसलिये हुई कि न्यायालय ने कानूनों को अवैधानिक करार दे दिया । इसलिये आदेश ल आने पड़े । बिलकुल सत्य है । माना कि न्यायालयों ने कानूनों को अवैध घोषित किया, लकिन राज्यपाल महोदय को देखने की यह चीज थी और उन्हें इस बात पर विचार करना

[कुंवर श्रीपालसिंह]

चाहिये था कि कानून क्यों अवैध घोषित कर दिये जाते हैं, क्यों उनमें गलतियां रह जाती हैं जिनके कारण उन्हें अवैध घोषित करना पड़ता है ।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, पीठासीन हुए)

यह भी देखा जाता है कि आज कानून बना और १० रोज के बाद संशोधन आया, फिर संशोधन में संशोधन आया और उसके बाद भी कानून न्यायपालिका में जाने पर अवैधानिक करार दिया जाता है । इसके माने यह होते हैं कि कहीं मूल में ऐसी गलती है जिसके कारण ऐसी गलतियां होती हैं और अगर थोड़ा विचार किया जाय तो उसका कारण स्पष्ट मालूम हो जायगा ।

गलती इस जगह पर नहीं है । गलती तो जो हमारी दलगत राजनीति है, वहां पर है । जिस दल का राज्य होता है उस दल के लोग यह जानते हुए भी कि वह चीज गलत है उसका समर्थन करते हैं पार्टी ह्विप के कारण उनको हाथ उठाना ही पड़ता है, वे उसका विरोध नहीं कर पाते । तो गलती तो दलगत राजनीति है जिसके कारण कानून पास होता है और बाद में उस पर संशोधन पर संशोधन आते हैं, जनता के धन का अपव्यय होता है और अन्ततोगत्वा उच्च न्यायालय उसको रद्द कर देता है ।

कल हमारे एक मित्र गोविन्द सहाय जी ने यहां तक कह डाला कि न्यायपालिका के अधिकारों तक को कम कर दिया जाय । उन जैसे योग्य व्यक्ति के मुख से एसी बात सुन कर बड़ा दुख हुआ । इस तरह से तो वे राज्य को पूर्णरूपेण निरंकुश बना देना चाहते हैं कि जो उसकी मर्जी में आये वह करे ।

दूसरी चीज राज्यपाल महोदय के भाषण में जो देखने की थी, वह थी कार्य-सूची । मैं नहीं समझता कि उस भाषण में उस कार्य-सूची को छापने की क्या जरूरत थी क्योंकि जो हमको करना होता है उसकी सूची तो प्रत्येक सदस्य को मिल ही जाती है । मगर चूंकि भाषण इतना छोटा था मेटर कुछ था नहीं । नयी नयी सरकार बनी थी उसको भी कुछ पता नहीं था । भाषण दिलवाना जरूरी था, लिहाजा इस सत्र में कौन कौन से बिल लाना है उनकी सूची भी छाप दी गयी ताकि वह कुछ लम्बा हो जाय मगर उससे उसकी लम्बाई बढ़ी नहीं और कम ही हो गयी ।

तीसरी चीज जरूर उसमें ऐसी थी जिसे माननीय राज्यपाल के भाषण में एक मुख्य चीज कहना चाहिये । उसमें उन्होंने राज्य की भावी नीति के बारे में कुछ विश्लेषण किया है । किन्तु खेद है कि उस विश्लेषण में कोई विस्तृत बात किसी भी चीज पर नहीं कही गयी केवल इतना ही कह दिया गया कि मितव्ययिता के सिद्धान्त पर हमारी सरकार कुछ काम करने वाली है और वह क्या करेगी इस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला । मंत्रियों और उप-मंत्रियों की तनख्वाहें कम कर दी गयीं । यह बड़ा अच्छा हुआ, श्रीमन् । मगर दखना तो यह है कि यह जो तनख्वाह में कमी हुई है इसके अलावा कहीं और कुछ बढोत्तरी तो नहीं हुई है । श्रीमन्, जहां तक मुझे मालूम हुआ है, हो सकता है वह गलत भी हो किन्तु मेरी सूचना यह है कि दारुलशफा में जो फैमिली क्वाटर्स बने हुये हैं विधायकों के लिये उनमें कुछ मंत्री उपमंत्री रहते हैं फ्री, बहैसियत एम० एल० ए० के, मगर हाऊसिंग एलाऊन्स भी साथ साथ ले रहे हैं । तो अगर वास्तव में ऐसा है तो उस तनख्वाह की कमी को वे इस तरह से पूरा कर रहे हैं ।

इसके अलावा श्रीमन् जो सन् १९५२–५७ तक की सरकार थी वह भी इसी पार्टी की सरकार थी, उसने तनख्वाहों में कमी नहीं की थी । अब की सरकार की तनख्वाहों से उसकी तनख्वाहें ज्यादा थीं । मगर उतनी तनख्वाह पाने वाले मंत्रियों के बारे में क्या क्या बातें कही गयीं उसे मैं इस समय दोहराना नहीं चाहता । उसको सभी विधायक जानते हैं । आप भी जानते हैं । वे बातें अखबारों में भी छपी थीं और यहां तक लोगों ने चैलेंज किया था कि

अगर हमारी बातें झूठी साबित हों तो हमारे ऊपर मुकदमा चलाया जाय। मगर उस समय के मंत्रिमंडल के लोगों की यह हिम्मत नहीं हुई कि उसकी जांच कराते और गलती साबित होने पर उनपर मुकदमा चलवाते क्योंकि वे तो सही बातें थीं। जब तनख्वाहें उतनी ज्यादा थीं तब यह हालत थी, अब तनख्वाह कम करने पर उन्हीं आदमियों की क्या हालत होगी, यह समय बतलायेगा। मैं नहीं कहना चाहता।

श्रीमन्, इसी मितव्ययिता के सिलसिले में सुनने में आया, हालांकि भाषण में नहीं, कि मोटरें छोटी की गयीं। काट के नहीं, बड़ी मोटरों को हटा कर उनके स्थान पर छोटी रखी जा रही हैं इसलिये कि इससे मितव्ययिता होगी। बड़ा अच्छा है। जरूर हो। छोटी मोटरें, पैट्रोल कम खर्च होगा, मानता हूं। मगर उसका दूसरा पहलू नहीं देखा गया। मोटर छोटी होगी, एंजिन छोटा होगा, पैट्रोल कम खायेगा, मगर उसमें सवारी करने वाले बूढ़े मंत्री ज्यादा दूर एक स्ट्रेच में नहीं जा पायेंगे। अगर पहले एक मंत्री को दिल्ली जाना हुआ तो ६ घंटे में बड़ी मोटर में चला जाता था। अब छोटी मोटर होने के कारण एक रोज़ में नहीं पहुंच पायेंगे, एक रोज़ बीच में रुकना पड़ेगा और उसके कारण उनका और उनके साथ के आदमियों का भत्ता और जोड़ दिया जाय तो जो पैट्रोल की सेविंग होगी, उससे वह कहीं ज्यादा बढ़ जायगा। यह मितव्ययिता है? छोटी मोटर में माना कि हमारे मुख्यमंत्री जी तो आसानी से आराम से पहुंच जायंगे। मगर उप नेता सदन को बैठाल दीजिये और बहराइच भेज दीजिये तो ब्लड प्रेशर हाई हो जायगा, तुरन्त तार देना पड़ेगा बलरामपुर अस्पताल को कि डाक्टर साहब को भेजिये, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसमें भी खर्च बढ़ जायेगा। तो यह दूसरा आइटम मितव्ययिता का हुआ।

तीसरा एक आइटम मैंने सुना है—मालूम नहीं कि सत्य है या असत्य है क्योंकि अब तो सारी चीज़ें गुप्त हैं, पता नहीं क्या है? कुछ पोस्ट्स अबालिश की जाने वाली हैं, राज्य कर्मचारियों के पदों का विनाश होने वाला है—जैसे कमिश्नर्स का। तो श्रीमान् पोस्ट के हटा देने से मितव्ययिता कहां से होगी, खर्च में कमी कहां से होगी, मेरी बुद्धि में तो नहीं आया। क्योंकि जबतक उस पोस्ट पर रहने वाला आदमी न बरखास्त किया जाय, जिसको कि यह सरकार कर नहीं सकती, जबतक उस पोस्ट पर काम करने वाले आदमी को तनख्वाह देना हमें है ही तो फिर उसको हम चाहे ऐडीशनल कमिश्नर रखें, एक मंडल आयुक्त रखें या दूसरे किस्म का आयुक्त बना दें, तनख्वाह तो हमें देनी ही है चाहे जो भी काम उससे लें। तो उस पोस्ट के अबालिश करने से कहां से मितव्ययिता आयी, इसको हमारी सरकार ही समझ सकती है हमारी बुद्धि के परे की बात है।

इस प्रकार यह देखने में आया कि यह जो तीन सिद्धान्त माननीय राज्यपाल के भाषण म थे वे कुछ इसी प्रकार के थे कि भाषण को लम्बा करने के लिए कुछ कहा गया वरना उससे कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती।

श्रीमन्, एक चीज और जरा सी निवेदन करूंगा। कल हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय राजनारायण जी ने बहुत ही व्यंगात्मक शब्दों में एक चीज कही कि "तथा कथित स्वतंत्र पार्टी, वह कुछ पार्टियों क नाम गिना रहे थे उनमें स्वतंत्र पार्टी का भी जिक्र आया। तो मैं यह जानना चाहता हूं श्रीमन्, कि स्वतंत्र पार्टी तो तथाकथित हो गयी लेकिन सोशलिस्ट पार्टी क्या है?" क्योंकि सोशलिज्म के मानन वाले जो हों वही सोशलिस्ट हैं और सोशलिज्म एक है नहीं। पता नहीं हमारे राजनारायण जी जर्मन सोशलिस्ट है, पता नहीं फ्रेंच सोशलिस्ट ह, इंगलिश सोशलिस्ट है, पता नहीं रशियन सोशलिस्ट है, पता नहीं चाइनीज सोशलिस्ट हैं, पता नहीं अमेरिकन सोशलिस्ट है या स्वयंसिद्ध नेता माननीय लोहिया जी द्वारा प्रतिपादित खम्भे वाला जो सोशलिज्म है, उसके सोशलिस्ट है। इसका पता नहीं कि खम्भे पर जो सोशलिज्म अटक गई है उस पर वह लटके हुये हैं या कहां हैं। स्वतंत्र पार्टी तो तथाकथित हो गई इसलिये, क्योंकि वह अपनी भारतीय परम्परा, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति मानती है। इस

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

कारण स्वतंत्र पार्टी तो तथाकथित हो गई, लेकिन राजनारायण जी मालूम नहीं कौन सी सोशलिज्म मानते हैं---खम्भे वाली या जैसी मैंने लिस्ट गिनाई। बकिया जो सब विदेशी सोशलिज्म हैं उनको अगर मानते हैं तो मुझे क्षमा किया जाय मैं कहूंगा यह दास्य मनोवृत्ति है। किसी दूसरे देश की परम्परा या विचारधारा को जबरदस्ती यहां के लोगों पर लादना, चाहे वह मानें या न मानें, यह दास्य मनोवृत्ति की चीज होगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, अगर आप स्पष्टीकरण का मौका दें तो मैं उनको बता दूं।

श्री अधिष्ठाता---इसमें स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ उन्होंने कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं किये हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वह पूछ रहे हैं कि हमारी कौन सी सोशलिज्म है। मेरा इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है।

कुंवर श्रीपालसिंह---मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं।

श्री राजनारायण---व्यवस्था के प्रश्न पर आपको ईल्ड करना ही पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में अगर एक बार एक बात कही गई तो मैंने उसकी उपेक्षा करदी, लेकिन वह बार बार उसी को रिपीट (दोहरा) कर रहे हैं चार बार से मैं सुन रहा हूं वह कह रहे हैं कि राजनारायण कौन सोशलिस्ट है जर्मन फ्रेन्च है या क्या है इसलिये मेरे लिये यह स्पष्टीकरण का अवसर है कि मैं यह स्पष्ट करूं कि मैं किस सोशलिज्म को मानता हूं। यह हो सकता है कि आप इस समय मुझे को बोलने न दें और बाद को मुझे स्पष्टीकरण का मौका दें, लेकिन स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---यह आपका कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आपके खिलाफ कोई पर्सनल बात नहीं कही गई है, इसलिये मैं आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर रिजेक्ट करता हूं।

श्री राजनारायण---तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। आपकी इस व्यवस्था से हमारी उग्र असहमति है। यूं मैं आपकी आज्ञा मानकर बैठा रहता हूं परन्तु मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करके अपनी व्यवस्था देंगे।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, मेरा दुर्भाग्य है कि अपनी मर्तबा तो चाहे जो कुछ कह जांय लेकिन जब कोई दूसरा कहे तो बुरा लगने लगता है।

श्री राजनारायण---आप अनाप-शनाप कहते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, यह अनाप-शनाप शब्द वापस लिया जाय। चूंकि माननीय सदस्य जापानी मिश्रित बनारसी सोशलिज्म के मानने वाले हैं। इसलिये अनाप-शनाप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इनके दबाने से नहीं दब सकता।

श्रीमन्, ऐसी ही एक धमकी मुझे और भी मिली। वह धमकी मौजूदा मंत्रिमंडल के एक मंत्री की तरफ से मिली। मेरे एक अभिन्न हृदय मित्र से बातचीत हो रही थी। उस बात-चीत के दर्मियान उन मंत्री महोदय ने कहा हमारे उन मित्र से मेरे बारे में कि मेरा उनका घर का झगड़ा है, मैं उनको देखूंगा।

एक सदस्य—सदन में या बाहर ?

कुंवर श्रीपालसिंह—जी नहीं, बाहर।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी मकसद से उसके यहां के अथवा बाहर के काम के सिलसिले में कोई धमकी नहीं दे सकता और अगर हमारे मित्र राजा साहब को धमकी दी गयी है तो उसका नाम आना चाहिये। उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करने का मैं नोटिस देता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, आप बीच ही में टपक पड़े।

अधिष्ठाता महोदय, यह जो मेरे ५–७ मिनट माननीय राजनारायण जी पर निछावर हुए हैं, वे मुझको दिये जायं। मुझे २० मिनट मिलने चाहिये थे जिसमें से ५–७ मिनट मेरे खराब हो गये हैं। इस बीच में व्यवस्था और अवमान के प्रश्न भी आ गये।

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि मुझे धमकी दी गयी। मैं गर्वोक्ति तो नहीं करता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि मुझे देखने की धमकी दी गयी। मैं विशुद्ध क्षत्रिय हूं और प्रतिलोम और विलोम अर्थात् मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों पक्षों से शुद्ध क्षत्रिय हूं। देखने दिखाने का यह हमारा पेशा रहा है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो देखने की धमकी दी है उसे हम देखते चले आये हैं चार सौ वर्षों से। यही देखते दिखाते हमारे पूर्वज उन्नाव जिले के मलयसिंगरामऊ गये और वहां से देखते दिखाते माननीय मंत्री जी के सीने पर कोदों दलने के लिये मैं यहां तक आ गया हूं। देखने दिखाने के लिये मुझे परवाह नहीं है और न डर है। श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा यह निवेदन करना है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, महज इसलिये कि नाम लेने के माने यह होंगे कि हम भी उसी स्तर पर आ गये लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन इच्छा हो, जिस प्रकार से इच्छा हो, जिस दिन देखना चाहें, देख लें।

अन्त में, एक चीज यह निवेदन करनी थी कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ग्रामोत्थान के लिये कुछ नहीं कहा। केवल ग्राम उद्योगों के बारे में कहा गया और उनके बारे में यह भी कह दिया गया कि उनको बड़े-बड़े उद्योगों के हितों में बांध दिया जायगा। ग्रामोत्थान तभी हो सकता है जब विशुद्ध ग्राम समस्याओं पर विचार हो। आज हमें इतने दिन हो गये स्वतंत्र हुए, लेकिन गांवों की सड़कें अभी तक कच्ची पड़ी हुई हैं। जिन पर गांव वाले आदमियों का साइकिल पर चढ़ कर जाना भी मुश्किल है, बरसात में तो पैदल जाने में भी परेशानी होती है। उन सड़कों की तरफ ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है। जो छोटे-छोटे नाले और नदियां हैं उनके ऊपर पुल बांधने की अत्यन्त आवश्यकता है। जितना भी खर्चा किया है वह ऐसी जगहों पर किया गया है जिससे गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं पहुंचता तथा भूमि की अनेकों मिलकियतों के स्थान पर केवल एक भूमिधरी ही कायम होनी चाहिये तब भूमि के झगड़े समाप्त होंगे और किसान अपनी भूमि का असली मालिक बन पायेगा।

श्रीमन्, अन्त में मैं फिर यही कहूंगा कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक चीज और कही और वह सहकारिता के विषय में कही लेकिन सहकारिता के विषय में, सहकारी खेती के बारे में विशेष प्रकाश नहीं डाला जो उनकी पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य बन गया है और जिसे उनकी पार्टी के अधिवेशनों में बड़ी मुख्यता दी गयी है। उनके घोषणा-पत्र में भी उसका एक प्रमुख स्थान होगा। उसके बारे में कुछ विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता थी ताकि लोगों की समझ में बात आती कि वाकई उससे उपज किस प्रकार बढ़ेगी और उससे ग्रामीण जनता को क्या लाभ पहुंचेगा ? इस पर उन्होंने कतई प्रकाश नहीं डाला। इसलिये मैं माननीय रघुरनतेज बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं और महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अब तो मुझे कुछ मौका दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--जो प्वाइंट आपने उठाया था उस पर विचार करके ही मैंने अपनी व्यवस्था दी है। आपके खिलाफ या आपकी जाती हैसियत पर उनकी कोई बात लागू नहीं होती। एक पार्टी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया।

श्री राजनारायण--महर्षि पातंजलि ने कहा है--

"समम् अजन्ति जनाहः अस्मिन समाजः", यानी जन जन में समता का व्यवहार हो। मैं वही समाजवादी हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी।

श्री राजनारायण--आपकी कृपा हुई जिससे मैंने आपकी सेवा में इतना बोल दिया ताकि वे सदस्य समझ लें।

***श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)--अधिष्ठाता महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन को बड़े गौर से सुना और पढ़ा। मेरी नाकिस राय में कांस्टीटयूशनल कन्वेन्शन के लिहाज से यह सम्बोधन बहुत उचित और गत वर्ष के सम्बोधनों से बेहतर है। जैसा माननीय श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि इस सम्बोधन में दोनों सदनों के बुलाये जाने का कारण और भावी पालिसी का जिक्र बड़े स्पष्ट रूप से किया गया है। इसके लिये महामहिम राज्यपाल निश्चय ही हमारे धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।

शुगर केन सेस ऐक्ट, १९५६ के उच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक करार दिये जाने से इस प्रदेश को ५० करोड़ रुपये से ज्यादा हानि होने की सम्भावना थी लेकिन इस सरकार ने बड़ी दौड़धूप करके राष्ट्रपति से अध्यादेश पास कराया और इस हानि से प्रदेश को बचाया। जिसके लिये प्रदेशीय सरकार तथा राष्ट्रपति दोनों ही इस प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। इतना ही नहीं बल्कि महामहिम राज्यपाल ने शुगर केन परचेज ऐक्ट पास करके जो इस मौसम की आमदनी को वसूल कर लिया, इसके लिये भी यह सरकार और महामहिम राज्यपाल हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त गत दो तीन महीनों में विशेष परिस्थिति के कारण जब दोनों सदन इस स्टेट के अन्दर नहीं बैठ पाये, उस बीच में जब जब जनता के हित के लिये अध्यादेश जारी करने की जरूरत पड़ी तो किस सतर्कता के साथ राज्यपाल महोदय ने वे अध्यादेश जारी किये, इसके लिये भी निश्चित रूप से यह सरकार और महामहिम राज्यपाल दोनों ही धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।

इकोनामी और आस्टरिटी के सम्बन्ध में, इस थोड़े से जमाने में, जो इस सरकार ने कदम उठाये हैं उसकी प्रशंसा इस सदन में काफी हो चुकी है। मैं भी उन तमाम विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। भले ही यह बात सही हो कि इस तरह की इकोनामी से कोई बड़ी धनराशि नहीं बच सकेगी लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है और हर देहात में इसका जिक्र पहुंचा और इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं।

हम अब यह भी सोचें कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिये अधिक से अधिक धनराशि की आवश्यकता है। उस बीच में हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी और हमें कुछ अपना पेट भी कसना पड़ेगा। यह अच्छा हुआ कि सरकार ने पहले अपनी कमर कसी और थोड़ा सा पेट भी कस लिया। डाक्टर जनता का इलाज करने के पहले अपना इलाज कर ले तो वह जनता का अच्छी तरह से इलाज कर सकता है। इस तरह से अब जनता को विश्वास हो गया है कि उसका सही इलाज इस सरकार द्वारा हो सकेगा। मितव्ययिता के सम्बन्ध में सरकार अपने कर्मचारियों से भी अच्छी तरह से उम्मीद करती है कि वह भी अब एकोनामी और आस्टेरिटी के मेजर्स अपनायें और जनता से भी वह आशा कर सकती है कि वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी अधिक टैक्स देने के लिये तैयार हो। इस सम्बोधन में तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जो धनराशि हमें नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल से मिली है उसकी रकम को पढ़ कर तशवीस हुई। इसी सदन में जब पिछली बार तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप रखा गया था उस समय ७०० करोड़ से अधिक रकम की मांग रखी गई थी और उस मांग को पेश करते हुये उस समय के प्लानिंग मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि इतनी रकम तो हम को अपनी अवस्था को और तृतीय पंचवर्षीय योजना को कायम रखने के लिये ही चाहिये और उस समय परकेपिटा आय के क्षेत्र में हम सारे सूबों से कम थे। मुझे बड़ी तशवीस और फिक्र है कि अब जब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की धनराशि को घटा दिया गया है तो इसका भी डर है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश का यह नक्शा न बन जाय कि वह दूसरे प्रदेशों से और अधिक पीछे रह जाय। दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े हैं और जो हमारी एकोनामी के सम्बन्ध में और उसके विशेष ट्रेन्ड्स के सम्बन्ध में, जो एक पुस्तिका पिछली सरकार ने बांटी थी उस सम्बन्ध में, इस सम्बोधन में कोई जिक्र नहीं है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो धनराशि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने दी थी उसके फलस्वरूप जो यहां की परकेपिटा आय बढ़ी वह और सूबों के मुकाबले में बहुत कम थी और यही एक कारण रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल हमें पूरी धनराशि नहीं देती। पहली योजना में १५३ करोड़ खर्च करने के बाद १३३ करोड़ की वृद्धि हुई और दूसरी योजना में २३४ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी ५९–६० तक केवल ९२ करोड़ रुपये की ही वृद्धि उसमें हुई है और इस सम्बन्ध में इसी वजह से, जहां तक मेरी जानकारी है, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल इस सूबे को अधिक धनराशि देने को तैयार नहीं होती। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सूबे में एक कमीशन बैठाये जो जांच करे कि इस प्रदेश में जो पंचवर्षीय योजना पर रकम खर्च होती है उसके फलस्वरूप यहां की आय क्यों नहीं बढ़ती जब कि दूसरे प्रदेशों में इन धनराशियों के खर्च होने के बाद वहां की पर कैपेटा आय बराबर बढ़ती है। यदि हम नेशनल डेवलपमेंट को विश्वास दिला सकें कि इस प्रदेश में भी पंचवर्षीय योजना का रुपया खर्च करने के बाद आय में इजाफा हो सकता है जितना कि और प्रदेशों में होता है तो मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश को भी अगली पंचवर्षीय योजना में अधिक हिस्सा मिल, सकता है। दूसरे जहां तक हमारी जानकारी है कि क्यों इस प्रदेश को कम रुपया मिला इसका एक कारण यह भी है कि स्माल सेविन्ग्ज के कलेक्शन में यह प्रदेश बहुत पीछे रह गया। यदि हम गत वर्षों के आंकड़े देखें तो यह सेविन्ग्ज हर वर्ष कम हुई हैं। सन् १९५५–५६ में स्माल सेविन्ग्ज में १,३४३ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, १९५८–५९ में वह रकम घट कर ९३७ करोड़ ही रह गई। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि हम केन्द्र से अपनी योजनाओं के लिये अधिक धनराशि चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से कुछ चीजों में तेज दौड़ना होगा, जिनमें सारे सूबे हम से आगे हैं। हमें स्माल सेविन्ग्ज के क्षेत्र में कुछ जागरूक होकर अधिक सतर्कता से कार्य करना होगा।

पंचायत चुनाव अभी समाप्त हो चुके हैं, गांव सभायें बन गई हैं, यह हमारे लिये सन्तोष की बात है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा कि जहां चुनाव हो गये हैं वहां के समाज में एक अजीब द्वेष की भावना फैल गई है। इसलिये यदि आप चाहते हैं कि पंचायतें ठीक तौर से काम करें तो यह भी आवश्यक है कि गांव के वातावरण को ठीक किया जाय और उसके लिये बहुत आवश्यक है कि जब तक वह वातावरण ठीक न हो जाय तब तक कोई दूसरा चुनाव, डायरेक्ट इलेक्टोरेट से कोई दूसरा चुनाव, इस बीच में आप न कराएं। निकट भविष्य में कोई डायरेक्ट चुनाव यदि आपने इन गांवों में कराया तो जो तफरीक है वह वैल-गीयर्ड रहेगी और उसके अन्दर लोग तेल डालते रहेंगे और हर गांव में दो पार्टियां बनी रहेंगी और गांव-पंचायतें, जो कि आपके जनतंत्र की पहली इकाई हैं, सुचारु रूप से काम नहीं कर पायेंगी।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिये प्रस्तुत किया गया है मैं उसमें अपने कुछ संशोधन रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस अभिभाषण में हमारे प्रदेश की सरकार की जो आन्तरिक स्थिति है और जिस प्रकार से उसका पुनर्गठन किया गया है, उसके सम्बन्ध में एक लफ्ज भी नहीं कहा गया है। मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश में एक नई मिसाल कायम की गई है और यह मसला सिर्फ कांग्रेस की अन्दरूनी स्थिति का या कांग्रेस के अन्दरूनी संगठन का मसला न होकर पूरे प्रदेश की जनता का मसला हो गया है। अगर घर वाले लड़ें भी और उनके आपस में लड़ने से उन्हीं के ऊपर असर पड़ता हो, तब तो पड़ोसियों को कोई सिरदर्द न हो, लेकिन यह तो ऐसी लड़ाई है जिसमें न पड़ोसी सो पाते हैं, न मुहल्ले वाले सो पाते हैं और न घरवालों को ही आराम मिल पाता है। पिछले चार वर्षों में जिस प्रकार की उठका-पटकी इस प्रदेश में हुई है उसकी जिम्मेदारी जनतंत्र पर नहीं डाली जा सकती, जैसा कि कल गोविन्दसहाय जी ने कहा कि जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता ही है और लड़ाई-झगड़े होत ही रहेंगे। यह बात इसलिये निराधार है कि विरोधी पक्ष की एक पार्टी की हुकूमत करीब २८ महीने तक रही। कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत केरल में करीब २८ महीने तक रही। वहां सिर्फ ३ व्यक्तियों का बहुमत था। विरोधियों की तरफ से ढाई-ढाई लाख रुपये की रिश्वत देकर भी सदस्यों को खरीदने की कोशिश की गई, मंत्री पद पर आरूढ़ करने के भी प्रलोभन दिये गये। इसी भारतीय संविधान के अन्तर्गत वह हुकूमत काम कर रही थी। लेकिन जो तीन सदस्यों का बहुमत था उसे घटाया नहीं जा सका और पूरे २८ महीने तक वह बहुमत, जब तक कि उसे डिजाल्व नहीं किया गया, काम करती रही। इसलिये यह दोष डेमोक्रेसी का या जनतंत्र का किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता बल्कि कांग्रेस संगठन के अन्दर जो अपने आदर्शों के प्रति आस्था का अभाव है और व्यक्तिगत हितों को लेकर जो बड़े-बड़े करोड़पतियों के इशारे पर नाचने की बात है, उसकी वजह से यह बात पैदा हुई है।

मैं नहीं समझता कि पहले जो लोग हुकूमत कर रहे थे वह नेक थे, गरीब जनता की परवाह करते थे। दोनों के वर्गहित एक ही हैं। दोनों कानपुर के करोड़पतियों के इशारे पर नाचने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बगैर पैसे लिये हुए नाचते थे और अब जो आये हैं वह पैसा लेकर नाचते हैं। इन बातों से जनतंत्र भी खतरे में पड़ता है और जनता की आस्था भी उठती है। पिछले चार वर्षों में इस प्रदेश में कुछ काम नहीं हो पाया है। दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को निकम्मा और स्वार्थी बतलाते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्वार्थी हैं और सन् ६२ के चुनाव में इस प्रदेश की जनता को इन दोनों से छुटकारा मिलना चाहिये।

इसके अलावा बहुत से प्रश्न हैं जिन पर बार-बार ध्यान दिलाया गया इस सदन में और सदन के बाहर भी, लेकिन हर मर्तबा उन पर गोल रहने की कोशिश की गई है। जहां तक पंचायतों के चुनाव की बात है, इन पंचायतों में पहली मर्तबा प्रधानों और सदस्यों के चुनाव हाथ उठवाकर किये गये थे। नतीजा यह हुआ कि गांव-गांव के अन्दर पार्टीबाजी हुई और अबकी मर्तबा भी यही तरीका अख्तियार किया गया था कि हाथ उठवा कर वोट मांगे जायंगे। जहां तक प्रधानों का चुनाव था मेरा निजी अनुभव है कि प्रधानों के चुनाव में गांवों के अन्दर झगड़े नहीं हुए। लेकिन जब आम सदस्यों के हाथ उठवा कर चुनाव हुए तो आम तौर पर इसी मौके पर झगड़े फसाद हुए। इस सदन में बारबार कहा गया था कि जैसे असेम्बली और लोक सभा के चुनाव होते हैं--गुप्त मतदान द्वारा--इसी प्रकार से पंचायतों के चुनाव भी होने चाहिये। लेकिन यह सरकार किसी की बात को नहीं मानती। सिर्फ एक बात को मानती है कि जितना आन्दोलन किया जाय उतना ही उससे मनवाया जा सकता है, नतीजा यह हुआ कि सदस्यों के जो चुनाव हुए पूरे इलाकों में वायलेंस हुआ, और आज भी सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि आइन्दा भी सदस्यों का चुनाव जब वह करायेगी तो गुप्त मतदान द्वारा करायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछले चार सालों से यह सवाल उठ रहा है, यह बात जरूर कही जाती है कि पूर्वी यू० पी० में संकट है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि पूर्वी जिलों का विकास रुका हुआ है और सरकार को उस सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिये। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि जब कभी पश्चिमी यू० पी० का सवाल आता है, खासतौर पर मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बारे में प्रश्न उठता है तो यही कहा जाता है वहां का विकास पहले ही हो चुका है। पूर्वी जमुना नहर इन तीन जिलों में बहती है, जो मुगलों के जमाने की पुरानी नहर है और एक मार्टिन की एस० एस० लाइट रेलवे है, ये कम्बख्त दो चीजें उस इलाके की किस्मत से बुरी तरह नत्थी हो गई हैं जिसके कारण इन तीनों जिलों का विकास ठप्प पड़ा हुआ है। इस अभिभाषण में यह बात कही जानी चाहिये थी कि यह प्रदेश की विधान सभा केन्द्रीय सरकार से इस बात की मांग करना चाहती है कि वह जल्द से जल्द मार्टिन की एस० एस० लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दे और उसके स्थान पर बड़ी रेलवे लाइन बिछा दे। जहां तक ब्राड गैज है जो दिल्ली से सहारनपुर को जाती है तो हर एक स्टेशन पर एक न एक फैक्ट्री है, जैसे मोदीनगर, मोहिउद्दीनपुर, मेरठ, दौराला आदि। लेकिन जहां तक यह १०० मील का टुकड़ा एस० एस० लाइट रेलवे का है उसमें कोई किसी प्रकार का उद्योग धन्धा नहीं है, और न अन्य प्रकार की तरक्की हो पाती है। इसलिये इन तीनों जिलों की जनता की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस रेलवे का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। यह गुड़िया रेलवे जब चलती है ठुमक ठुमक कर तो उसको रेलवे कहते हुए लज्जा आती है।

इसी प्रकार से अगली पंचवर्षीय योजना के संबंध में हमारा सुझाव है, इस इलाके की जनता की मांग है कि उस क्षेत्र के लिये कम से कम २,००० नलकूप वहां की खेती के विकास के लिये लगाने जाने चाहिये। मेरठ के ३, ४ मिनिस्टरों को भर्ती कर लिया, जैसे एमप्लायमेन्ट एक्सचेंज से कुछ आदमी पकड़ कर रख लिये जाते हैं, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई रखा जाय या निकाला जाय, जनता का इससे कोई लाभ नहीं है और न वह इससे संतुष्ट होने वाली है क्योंकि इसमें उसका कोई विकास नहीं होता। आज वहां पर बढ़ती हुई सिंचाई की आवश्यकतायें हैं, सांस्कृतिक आवश्यकतायें हैं, औद्योगिक आवश्यकतायें हैं, जब तक उनका समाधान नहीं होगा, तब तक वह इलाका खुशहाल नहीं होगा। वह जनता जो पहले खुशहाल थी अब धीरे धीरे संकट की तरफ बढ़ रही है। वह अपने जनमत को संगठित करेगी और सरकार को इस बात के लिये मजबूर करना चाहती है।

इसी प्रकार एक बात और कहना चाहता हूं कि चकबन्दी जिन जिन जिलों में हो रही है, खासतौर से मेरठ जैसे बड़े जिले में, वहां भी एक ही सेटिलमेन्ट आफिसर है। उसे कागजात देखने पड़ते हैं, मौका देखना पड़ता है और मुकदमों का फैसला करना पड़ता है। नतीजा यह होता है जैसा एक किसान ने बतलाया १९ तारीख इसलिये पड़ी कि सेटिलमेन्ट आफिसर उसके मुकदमे का फैसला सुनायेंगे लेकिन फैसला यह किया कि हम एक तारीख और लगायेंगे और उसमें फैसला सुनायेंगे। प्रत्येक बड़े जिले में जहां चकबन्दी का काम हो रहा है सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये और व्यक्तिगत रूप से हम लोग कई बार यह बात कह चुके हैं लेकिन सरकारी अधिकारी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं, इसलिये मजबूर हो कर सदन में यह बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास मैंने किया है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—श्रद्धेय अधिष्ठाता महोदय, संबोधन के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। महामान्य राज्यपाल का जो संबोधन है उसके द्वारा नीति का जो स्पष्टीकरण हुआ है वह पर्याप्त मात्रा में है। इस सदन की योग्य भाषा में जो विधानों द्वारा विधान प्रस्तुत किये गये हैं या जो विधान आने वाले हैं संबोधन में उनका वर्णन है और सदस्यों को उसका स्वागत

[श्री रामलखन मिश्र]

करना चाहिये कि इसी भाषा में यहां संबोधन होना चाहिये। पुनरुक्ति दोष से बचने के लिये बजट साहित्य है जिसका उसमें संकेत किया गया है और इस प्रकार नीति का पर्याप्त स्पष्टीकरण हो जाता है। संबोधन में खन्डों के वर्गीकरण और कृषि को आधार माना गया है इससे भी संबोधन में नीति का स्पष्टीकरण हो जाता है। संबोधन में परमानेन्ट लास्टेट्युटरी कमीशन का वर्णन है उससे भी नीति का संकेत हो जाता है। अगर हम संबोधन को पढ़ें तो चमत्कारिक ढंग से इस सदन की योग्य भाषा के अन्तर्गत नीति का वर्णन किया गया है और ऐसे अवसर पर राज्य सरकार को शासन सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से सुझाव देना चाहता हूं जिन पर चलने से शासन सुदृढ़ होगा और मंगलकारी होगा।

बस्ती जिले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तरी सीमा पर जहां नेपाल की सीमा बनती है वहां हमारे जिले में ६ तहसीलें हैं, उनमें तीन तहसीलों, डुमरियागंज, बासी तथा नौगढ़ को लेकर एक जिला बनाया जा सकता है और उससे काफी सुधार हो सकता है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो नेपाली बार्डर तक जाय जिससे सरकार को पर्याप्त मात्रा में समाचार मिल सके। कोई आदमी बस्ती जिले से बढ़नी जाना चाहे तो बरसात में गोंडा होकर या गोरखपुर हो कर ही जा सकता है वरना नहीं लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। उधर ऐसी नदियां हैं जिन पर पुल नहीं बना हुआ है। उससे कृषि पर काफी प्रभाव पड़ता है। दूसरे जो आन्दोलन होते हैं बार्डर एरिया पर, उनकी सूचना सरकार को पर्याप्त रूप से नहीं मिलती। इसलिये इस जिले में तीन तहसीलों से एक पृथक जिले का निर्माण होना आवश्यक है।

मैं इसका भी स्वागत करता हूं जो हमारे यहां पुलिस मंत्री बार-बार यह घोषणा करते हैं कि वर्ष के अन्दर यदि पुलिस शासन में सुधार नहीं हुआ तो मैं उसका उत्तरदायी हूंगा। यह बहुत ही मंगलकारी भाषण है और मैं आशा करता हूं कि हमारे पुलिस मंत्री आकाश से धरती पर उतरेंगे और थाने के लेविल पर जहां सब इंस्पेक्टर है उस पर भी उनकी दृष्टि जायगी। थानों में एक टार्गेट होना चाहिये। ५ सालों की अपराधों की सूची तैयार हो और थानों को अपराध निरोधक एक वर्षीय योजना बनाना चाहिये और उसके ऊपर शासन को ध्यान देना चाहिये वरना नीचे के स्तर पर सुधार नहीं हो सकता। कुछ ऐसा प्रकृति का नियम है कि ऊपर तो बर्फ जमी रहती है लेकिन नीचे पानी में तापमान कुछ ऐसा रहता है जिसमें जीवाणु जीवित रहता है, बर्फ उनको नहीं मार सकती। इसलिये केवल ऊपर जाने से नीचे सुधार होने की सम्भावना कम है। अतएव हमारी दृष्टि प्रत्येक थाने पर जानी चाहिये।

तीसरी बात हमें पंचायतों के चुनाव के संबंध में कहनी है कि नामजदगी से लेकर अन्त तक खुलेआम ऐसी अवैधानिकता बरती गयी है कि कुछ कहना नहीं। मैं स्वयं जानता हूं कि केवल एक किसान ने सभापति का पर्चा दाखिल किया और वह न हो कर दूसरा व्यक्ति हो गया। इसी प्रकार दो व्यक्तियों ने पर्चे दाखिल किये लेकिन एक को कह दिया गया कि कौवा पर्चा उठा ले गया और दूसरे को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार करों के बारे में हुआ कि किसी के ऊपर ५ आने बाकी हैं, किसी के ऊपर कुछ बाकी है। तो इस तरह से लोगों ने रुपया लेने का एक मौसम समझा। ऐसा मौसम आ गया था कि हम लोग बराबर देखते रहे मगर कुछ कर नहीं सकते थे। एक अवसर पर मैंने डी० पी० ओ० को स्पष्ट रूप से दिखाया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने कहा कि जनता की ओर से भी प्रार्थना पत्र आये तो मैं कुछ कर सकता हूं, स्वयं मैं कुछ कर नहीं सकता, इससे संभव है चुनाव याचिका पर असर पड़े। तो इस प्रकार बहुत भ्रष्टाचार रहा और मेरा ऐसा विचार है कि भ्रष्टाचार जनतन्त्र का नाश करने वाला है। यदि यह रोका न जाय तो भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ते-बढ़ते बहुत दूर तक जाती है। यों तो एंटी करप्शन कमेटी में प्रत्येक

एम०-एल० ए० रहता है, लेकिन वह असहाय सा होता है। इस ओर मंत्रिमंडल का विशेष ध्यान जाना चाहिये। यह रोग बहुत बढ़ता जा रहा है।

जहां तक ब्लाकों का संबंध है, इनमें जो अमरीकन ढांचा अपनाया जा रहा है वह तो ठीक है लेकिन हमारे यहां जो अपने देश के उपजाऊ तरीके हैं उनको भी ब्लाकों में अपनाना चाहिये, जैसे कुर्मी की खेती है, मुराऊ की खेती है। वैसे तो जापानी ढंग हम अपनाते हैं, और प्रकार के ढंग अपनाते हैं लेकिन जो थोड़े में ही विशेष उत्पादन की विधि है जिसको मुराऊ की विधि कहते हैं उसको हमें अपनाना चाहिये। लेकिन ब्लाकों के ऊपर तो सिर्फ रबी कैम्पेन और खरीफ कैम्पेन ने ऐसा आच्छादन कर लिया है जिससे केवल कागज तो दुरुस्त होता जाता है लेकिन पैदावार नहीं बढ़ती है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि कृषि के संबंध में वैज्ञानिकता की वर्षा होती जा रही है, किसानों को खेती के बारे में बहुत ज्ञान होता जा रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि रबी और खरीफ अभियान की ओर विशेषतौर से जानी चाहिये। यदि उधर हमारी दृष्टि नहीं गयी तो हमारे ब्लाक्स ठीक काम नहीं कर सकेंगे। जब हम ब्लाकों के द्वारा ही शासन का परिचालन करने जा रहे हैं तो इनमें हमें पर्याप्त सुधार करना चाहिये। ग्राम साथियों के कार्यों पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। ग्राम साथी ब्लाक्स पर जितना लिख देते हैं वह सारे कार्य हुए अथवा नहीं हुए इसके ऊपर दृष्टिपात होना चाहिये क्योंकि सरकार को गलत सूचना मिलती है। यों तो आंकड़ों के दृष्टिकोण से देश में बहुत काम हुआ है लेकिन स्थल पर जांच करने से वह सिद्ध नहीं होता। इधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अब चूंकि लाल बत्ती हो गई है इसलिये मेरा ध्यान भी भ्रम में पड़ गया है। इसलिये मैं और कुछ न कहकर बैठ जाता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय नवलकिशोर जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उस पर माननीय नेता विरोधी दल ने अपना संशोधन पेश किया था, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण को आदि से लेकर अन्त तक पढ़ा है और मुझे उसमें बहुत उदासीनता दिखाई दी। यह सरकार नई आई थी और उसको बहुत से थपेड़ों का सामना करना पड़ा था इसलिये इसमें कुछ उदासीनता होना स्वाभाविक ही था। लेकिन बहुत अच्छा होता यदि महामान्य राज्यपाल के भाषण में किसानों की दुर्दशा, बढ़ती हुई बेकारी, घूसखोरी, भुखमरी, गरीबी तथा अमीरों की अमीरी बढ़ती हुई और गरीबों की गरीबी बढ़ती हुई का जिक्र होता।

मान्यवर, जंगलों के किनारे के किसान आज खून के आंसू रो रहे हैं। इस सरकार ने ऐसे कानून बनाये हैं जिनके जरिये से वे सरकारी मवेशियों को अपने खेत में पकड़ नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं और जिन खेतों को वह बाप दादों के जमाने से जोतते चले आये हैं उनसे आज वे बेदखल किये जा रहे हैं, दस गुना जमा होने पर भी वह निकाले जा रहे हैं। मान्यवर, बाढ़ से पीड़ित व सूखा से बरबाद किसान सांस भी नहीं ले पाया था कि इधर काफी वर्षा और उपलवृष्टि हुई जिससे उनकी कमर बिलकुल टूट गई। इसका कोई जिक्र महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं आया। मुझे आशा थी कि इसका जिक्र जरूर आयेगा। मान्यवर, अपने को समाजवादी कहलाने वाली यह सरकार आज समाज का जो गला घोंट रही है उसका भी चित्रण मेरे मित्र राम लखन जी मिश्र ने किया है। अभी हाल में पंचायतों के चुनाव हुए हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, इस समय सदन में महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही है और मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पहले भी उठाया गया है और यह एक गलत परम्परा है।

श्री अधिष्ठाता—जब प्रश्न उठाया गया उस समय नहीं थे, लेकिन अब हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--मान्यवर, मैं जिक्र कर रहा था कि पंचायतों के चुनाव में जो नंगा नाच हुआ है उसका साधारण सा जिक्र हमारे साथी मिश्र जी ने किया है। मैं अपने यहां का जिक्र करना चाहता हूं कि इस विभाग ने जिसको चाहा है जनता की इच्छा के विरुद्ध उसको जिताया है। वोटिंग के मौके पर भाग दो बदला गया है इसके माने हैं कि किसानों के दो भाग्य बना दिये हैं। एक भाग्य तो परमात्मा ने बनाया था और दूसरा भाग्य सरकार ने सेक्रेटरी को दे दिया है जो मन चाहा बनाया है। आखिर तक लिस्ट बदली गई है। ३९ को २९ करके और २४ को ३० करके पर्चे खारिज किये गये हैं। इस मामले में खाली सेक्रेटरी और पंचायत इंसपेक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि सरकार और ऊंचे सरकारी अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। जो सरकार के आदेश निकले हैं वह दो-दो महीनों में अधिकारियों के पास पहुंचे हैं। एक आर्डर २७ अक्तूबर का था वह तहसील-दार और एस० डी० ओ० को २७ जनवरी को मिला। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखिये यह आदेश मुझे आज मिल रहा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा और निवेदन करूंगा कि वह पता लगायें कि वह पंचायत विभाग लखनऊ के पत्र कहां दबे रह गये थे। उनका संचालन क्यों नहीं समय से हुआ? अगर वह २७ अक्तूबर का पत्र ठीक समय से तहसीलदार के हाथ में, डिप्टी के हाथ में पहुंचा होता तो यह भाग २ की गड़बड़ी इतनी नहीं हुई होती क्योंकि उसमें नाम बढ़ाने के संबंध में कुछ हिदायतें थीं। नामिनेशन पेपर के सम्बन्ध में भी एक तार डाइरेक्टर का कलेक्टर को अपनी पावर डेलीगेट करने का ३ जनवरी को पहुंचा। अगर ३१ के पहले पहुंचा होता तो दफा १२ डबल बी का जो आशय था, उससे फायदा होता। अगर वह ३० तारीख के पहले पहुंच गया होता तो नामजदगियों में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो जालिम लोग जनता की इच्छा के विरुद्ध चुन गये हैं न चुने गये होते। उसके लिये यह लाखों रुपया गबन कराने वाली, चोरी कराने वाली, घूस दिलाने वाली जिम्मेदारी इस सरकार पर है और इस सरकार के अधिकारी जिम्मेदार हैं। ऐसे कानूनों और चिट्ठियों के रहते हुए उन्हें रोककर एक रास्ता खोल दिया गया जिसमें जनता से खुल कर लूट की गयी है। जैसा कि माननीय मिश्र जी ने फरमाया है कि नीचे से ऊपर तक एक जरिया बन गया था लोगों से पैसा लेने का।

आज किसानों की हालत बड़ी दयनीय होती जा रही है। आज तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा हमारे सामने रखी जा रही है। ७२५ करोड़ से घटकर ४९७ करोड़ इस सूबे को मिला है। चाहिए तो था कि उसके लिये यह सरकार केन्द्रीय सरकार से लड़ती। लेकिन यहां तो दूसरी ही लड़ाई लड़ी जा रही है। आज १४ साल की हुकूमत के बाद भी देहात की वही हालत है जो पहले थी। मैं अपनी कांस्टीटुएंसी विनायकपुर और गोरखपुर जिले का जिक्र करना चाहता हूं। कमिश्नर ने अपने डिवीजन की जांच करने के बाद रिपोर्ट दी। आज के प्रश्नों में नम्बर नहीं आ सका। मुझे गोरखपुर कलेक्टर की inspection रिपोर्ट मिली है। सभी लोग लिखते हैं लेकिन यह सरकार अपने मद में मस्त पड़ी हुई है। सरकार के अधिकारी सरकार से चौगुनी मस्ती में पड़े हुए हैं। एक होड़ लगी हुई है पैसा कमाई करने की और अपने को बढ़ाने की। सरकार की मोटरें गुजरने के लिये, जहां पर वे नाव पर जाती थीं, वहां एक पुल ५० लाख रुपया लगा कर बनाया जा रहा है। लेकिन उस ५० लाख में २० पुल ऐसे नहीं बनाए जाते जिनसे देहात के लोगों को आने-जाने में राहत मिले। उसके लिये ध्यान नहीं दिया जाता। यह सरकार कहती है कि धनाभाव है। जहां हजारों आदमी बराबर आते जाते हैं, जहां पर माताएं, बहनें नंगी हो जाती हैं, नाला पार करने में हर साल दो चार आदमी डूब जाते हैं उसकी परवाह इस सरकार को नहीं है। चाहिये यह था कि यह रुपया उधर लगाया जाता, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां पुल नहीं है, रास्ते नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं होता। बड़े-बड़े शहरों के पुल तो अंग्रेज भी बनाते थे, यह काम गुलामी के जमाने में भी होता था। अब आजादी के बाद देहातों को बनाना चाहिये।

मान्यवर, एक मिसाल मैं आपको सरकारी लापरवाही का दूं। पिपराइच में एक शुगर मिल थी। उसके ऊपर मजदूरों की ३० हजार रुपये की डिग्री तनख्वाह की ३ साल से बाकी थी। ४,२०० रु० का एवार्ड मिला जो बाकी है दो साल हो गये, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्यवाही वसूली की नहीं की। बम्बई का एक आदमी जिसका कर्जा बाकी था उस मिल पर, उसने कुर्क कराकर किसी लखनऊ की फर्म के हाथ, कुछ दिनों तक कब्जा रखने के बाद, उसको तीन लाख रुपये में बेच दिया। वह अपना रुपया निकाल लेगा। मालिक भी अपना रुपया ले लेगा। मजदूरों का रुपया डूब कर रह जायगा। अगर जल्द से जल्द सरकार के अधिकारी कार्यवाही नहीं करते तो मजदूरों का ३० हजार रुपया डूब जायगा।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में एक रिपोर्ट आयी थी। माननीय श्री शिब्बन लाल सक्सेना, माननीय मदन पाण्डेय और श्री नागेन्द्रसिंह आदि गोरखपुर के गणमान्य लोगों की एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने एक रिपोर्ट युनिवर्सिटी के कुकार्यों की दी थी जो यहां मिनिस्टरों को भेज दी गयी और आज भी मैं मुख्य मंत्री जी की सेवा में उसकी एक कापी अर्पित करूंगा। लेकिन उस पर हुआ क्या? जो खामियां थीं, जो गलतियां थीं वह और मजबूत कर दी गईं। आज वहां पक्षपात का बोलबाला है, मामूली मामूली कामों में पक्षपात हो रहा है। मास्टर बेचारे परेशान हैं। क्वार्टरों के एलाटमेन्ट में, तरक्कियों में सभी में उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अगर यह सब बातें ऐसी ही बढ़ती जायेंगी तो देश का उत्थान किस प्रकार से होगा?

आज देख लीजिए गांवों में तो स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, सिर पर कोई छत नहीं है। उनके मास्टर दो-दो महीने से चुनाव में और यह जो अभी जन गणना होगी उसमें लगे रह जायंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ शहरों में शिशु सदन लाखों रुपयों के बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। बड़े बड़े लोगों के और अफसरों के बच्चे जाकर उनमें पढ़ते हैं। उसके बाद यह कहा जाता है कि जो मुकाबिले में आयेगा वह आई० ए० एस० और पी० सी० एस० होगा। तो क्या वह देहाती स्कूलों के बच्चे मुकाबिला कर सकेंगे? कदापि नहीं कर सकेंगे। अगर समाजवाद लाना है तो देहातों में जाइए, देहातों का जीवन ऊंचा कीजिये। अभी बाढ़ आई, सारी खरीफ की फसल तबाह हो गई। हमसे देहातों में सवाल किया जाता है कि हमारे बच्चों के नाम कट गए, फीस माफ नहीं हुई। इस सरकार को शर्म नहीं आयी कि जहां इतनी बाढ़ की विभीषिका थी, लोग तबाह थे, वह यह आर्डर वहां नहीं भेज सकी कि बाढ़ के क्षेत्र में चार छः महीने के लिये ही बच्चों की फीस माफ कर दी जाय। स्कूल का मास्टर, प्रिंसिपल ठीक महीना पूरा होने पर फीस मांगता है। श्रीमन् आप सोचिये तो सही कि जिसके घर में कुछ भी नहीं है उसकी क्या हालत होगी जब उसका लड़का उससे आठ रुपया फीस के मांगेगा। अगर वह नहीं देता है तो उसका नाम कट जायगा। कितने ही इंटरमीडिएट फाइनल तथा हाई स्कूल के लड़कों का नाम काट दिया गया और वह घर बैठ गए। फिर भी यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है और कहती रहेगी, कहने से कोई उसको रोक नहीं सकता। जनता रोकेगी।

*श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के संबोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय नवलकिशोर जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो दिन से संबोधन के ऊपर भाषण सुनने के बाद मन में यह लालसा हो ही जाती है कि हम भी अपने कुछ बिचार व्यक्त करें। कल जब मैं एक माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था तो उनकी एक बात मुझे बहुत ही प्रिय लगी। उसे ही मैं आपके सामने पुनः रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का चरित्र अगर ऊंचा नहीं है ....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई। इसी बीच में २ बज कर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

श्री छत्रपति अम्बेश—मैं यह कह रहा था कि भाई यशपाल सिंह जी ने जिस समय कल चरित्र निर्माण की बात कही थी तो उन्होंने यह कहा था कि आज बात क्या है कि हम जो कहते हैं वह करते नहीं। इसी कारण हमारा आज जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके पश्चात् ही कुछ पूंजीपति लोग या कुछ अपने को पुराने शाह कहलाने वाले लोगों के भाषण हुए। उनमें से एक ने उनके इन शब्दों की आलोचना की। उन्होंने तो यह कहा था कि मेरे अन्दर तो यही कुछ बुराइयां हैं कि मैं सिगरेट आदि पीता हूं, वह तो यहीं तक सीमित रह गये लेकिन मैं अगर आगे जाऊं तो बहुत से कुकर्म बता सकता हूं। आज दिक्कत यह हो गई है कि यहां पर जनता की सेवा का ढिंढोरा पीटनेवाले वे लोग भी हैं जो कल तक जनता को चूसने वाले थे, जनता के साथ जिनका राक्षसी व्यवहार था। आज वह किसी दूसरे ढांचे के अन्दर कोई जनसंघ के सहारे से, कोई पी० एस० पी० के नाम से और कोई स्वतन्त्र नाम से आ गये हैं लेकिन यदि इनके कारनामों को देखा जाय तो वही इनके कारनामे नजर आयेंगे। इसमें किसी पार्टी की कोई बात नहीं है। जो लोग यहां पर इस तरह से डींग मारते हैं वह जनता के रक्षक हैं तो मैं कहता हूं कि वह जनता के भक्षक हैं। अभी जो यह पंचायतों का चुनाव हुआ है उसमें मुझे इनका नंगा नाच देखने का मौका मिला। इन चुनावों के अवसर पर मुझे गांव-गांव में घूमने का अवसर मिला है। यहां जो ये पुराने जमींदार और राजे महाराजे हैं इनके कृत्यों को यदि आज देखा जाय तो उससे शर्म के मारे आंखें नीची हो जायंगी। कुछ कृत्य तो ऐसे हैं जिनको देखकर मनुष्य की ऐसी भावना होती है कि यदि उसके अन्दर कुछ शक्ति हो तो इनको खत्म कर दे। तो क्या वे आदमी जो यहां पर जनता की सेवा की दुहाई देकर ऐसा काम करते हैं उनका कोई असर होगा? मैं समझता हूं उनका कोई असर नहीं हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम चरित्र निर्माण के लिये कार्य करें। परन्तु खेद है कि इस १२ वर्ष की अवधि में आजादी के मिलने के बाद भी चरित्र निर्माण के लिये स्कूल या कालेजों में या कहीं और स्थानों पर कोई ऐसी बात नहीं रखी गई है जहां पर चरित्र निर्माण कर सकें। मैं नहीं कहता हूं कि यह पौधा कब लगेगा। अगर इस तरह से यह पौधा लगता है तो उससे देश का कल्याण हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पंचायतों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं। पंचायतों के अन्दर जो अनाचार और अत्याचार हुये हैं वह बहुत ही शर्म की बात है। मैं यह समझता हूं कि उससे जनतन्त्र प्रणाली के लिये खतरा पैदा हो गया है जो भयानक है। इन पंचायतों के चुनाव के अन्दर जो मनुष्य बुरा से बुरा कर सकता था उसको करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे कि उमर की बात कही गई और कुछ दूसरे केसेज बतलाये गये। कहीं चोरी के नाम से और कहीं किसी प्रकार से कुछ केस लगा दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोग उससे वंचित रह गये। यही नहीं, बिरादरी का बोलबाला इतना जबरदस्त रहा कि उससे भगवान ही रक्षा करे। इन चुनावों के अन्दर बिरादरी का प्रभाव इतना बढ़ गया था जिससे हमें यह खतरा मालूम पड़ता है कि यदि इस बिरादराना असर को खत्म नहीं किया गया तो कहीं ऐसा न हो कि यह बिरादराना असर हमारे इस देश की रक्षा के लिये आगे चलकर घातक सिद्ध हो जाय।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आगरा एक पर्यटक केन्द्र होते हुये भी उसकी ओर विशेष दृष्टि सरकार की नहीं है। आगरा के अन्दर इतने विदेशी यात्री आते हैं जितने कि यू० पी० के अन्दर दूसरी जगह नहीं आते हैं। सब से अधिक यात्री यदि कहीं पर आते हैं इस यू०पी० के अन्दर तो वह आगरा में आते हैं। परन्तु आगरा इतना बड़ा क्षेत्र होते हुये भी और कवाल टाउन्स में होते हुये भी एक उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। यह बहुत बुरी बात

है। कवाल टाउन्स के अन्दर किसी शहर की हालत ऐसी खराब नहीं होगी जैसी आगरा की है। मैं नहीं समझता कि आगरा के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। आगरा के अन्दर एक पुल बनने की बात थी। पहले जो यहां पर पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ आशा बंधाई थी परन्तु अब शायद अगली पंचवर्षीय योजना में भी उस पुल के बनने की बात नहीं आयेगी। यह दुख की बात है। आगरा हमारे देश और प्रदेश का एक बड़ा भारी ऐतिहासिक स्थान है। देश और विदेश से सैकड़ों की तादाद में लोग आगरा को देखने के लिये रोजाना वहां पर जाते हैं, फिर भी उसकी इतनी उपेक्षा क्यों की जाती है यह मैं नहीं समझ सका।

आखिर में मैं कुछ हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले ५,४ साल के अन्दर मैंने महामहिम राज्यपाल के कई भाषणों को सुना है और बजट के भाषणों को भी सुना परन्तु मैं बतलाऊं कि जिसको हरिजन या अछूत कहते हैं उनके लिये उनके सम्बोधनों के अन्दर कोई बात नहीं सोची गई है। यह बात जरूर कही जाती है कि उनको बराबर का अधिकार दिया जाय और सर्विसेज के बारे में भी कहा जाता है कि उनको १८ प्रतिशत सर्विसेज मिलें परन्तु मुझे दुख इस बात का है कि आज उस बात को जो देश के लिये हमेशा कोढ़ सी रही, देश के लिये हमेशा नुकसान की चीज रही, कभी सोचा नहीं गया। अगर एक बड़ी बीमारी है और वह बीमारी फैल सकती है, हमारे पड़ोसी को भी हो सकती है और वह टी० बी० से भी ज्यादा भयंकर है, तो उसके लिये हमें सोचना चाहिये। वह बीमारी छुआछूत की बीमारी है और इसको दूर करने के लिये हमारी सरकार ने आज तक कुछ नहीं सोचा। यदि इस देश में इसको दूर करने के लिये नहीं सोचा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो ८ या १० करोड़ की तादाद में हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। वह धर्म परिवर्तन कर लेंगे या उनका क्या होगा, मैं नहीं समझ पाता। आज उनके साथ जो अमानुषिक व्यवहार हो रहा है उसे कहने में भी दुख होता है और मैं समझता हूं कि उसे सदन के सभी लोग जानते हैं। सर्विसेज में आज तक उनको एक प्रतिशत जगह भी नहीं मिली। इसके लिये एक कमेटी बैठी थी और उस में मैंने देखा था। बहुत सी सर्विसेज में तो उनका प्रतिशत पौन के करीब है। ज्यादा से ज्यादा उनको सवा या डेढ़ प्रतिशत जगहें मिली हैं।

पिछले पंचायत के चुनावों में जो बिरादरी के नाम पर हुए, मैं बतला सकता हूं कि केवल आगरा में अछूत कहे जाने वाले लोगों के साथ कितने ही प्रकार के अत्याचार हुए हैं और उन को जानकर आपको बड़ा दुख होगा। मैं नहीं जानता कि यह चीज अखबारों में आयी अथवा नहीं, लेकिन कई जगह दो तीन आदमी बिलकुल मार दिये गये हैं। यह कल की ही बात है कि आगरा में इस तरह की घटना हुई। मैं नहीं समझता कि आज के युग में जब कि बिरादरीवाद का खात्मा करने की बात चल रही हो, यह सब कैसे हो रहा है। तो महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने संबोधन में जहां उन्होंने अनेक बातों का जिक्र किया उसके साथ इस बात का भी जिक्र करना चाहिये था जिसका कि संबंध अपने प्रान्त की एक-चौथाई आबादी से है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। उनके उत्थान के लिये कोई योजना नहीं है कि वह कैसे आगे बढ़ सकेंगे। यदि हमने कुछ समय के अन्दर ही उनको उठाने का प्रयत्न नहीं किया और उन के लिये अगर हमने कोई ऐसा निश्चय नहीं किया कि इतने समय के अन्दर हम उनको सुधार देंगे अथवा उनको इतने प्रतिशत नौकरियां दिलवा देंगे, उनको रिहैबिलिटेट कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनको किस प्रकार सम्हाला जा सकेगा। क्या कह कर उनको बहकाया जा सकेगा।

आज हरिजनों को नौकरियों में रिजर्वेशन देने के नाम पर, उनको अन्य सुविधायें देने के नाम पर जनता में एक विशाल प्रचार हो रहा है। लोग कहते हैं कि तुम तो हरिजन हो, तुम्हारे लिये नौकरी बड़ी बात नहीं। जो इतर हरिजन हैं वे समझते हैं कि उनके लिये नौकरी मिलना बड़ी आसान बात है और जब बात होने पर मैं उनको कहता हूं कि

[श्री छत्रपति अम्बेश]

आइये हमारे आगरा में ही सैकड़ों की तादाद में आपको ऐसे हरिजन ग्रेजुएट्स मिलेंगे कि जिनको नौकरी नहीं मिलती, जो बेकार हैं, तो वे आश्चर्य करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी बात है। इतर लोग यह समझते हैं, जो आज सवर्ण कहलाने वाले हैं वे समझते हैं कि सारी चीजें आज हरिजनों के लिये की जा रही हैं, एक तरफ तो यह भावना है और दूसरी तरफ यह है कि हरिजन सैकड़ों की तादाद में बेकार हैं, उनको नौकरी दिलाने की कोई बात नहीं। १८ प्रतिशत का ढिंढोरा पीटा जाता है और उसे पीट कर हमने लोगों में एक द्वेष की भावना ही पैदा कर दी है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के प्रति एक बात यह कही गयी कि वह बहुत छोटा-सा है। यदि मैं इस संबंध में एक यह बात कहूं कि वेद की ऋचायें भी छोटी होती हैं तो अत्युक्ति न होगी। उन छोटी ऋचाओं में ही अधिक चीज समायी होती है, उनकी यही महत्ता होती है। मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल का भाषण भी इसी प्रकार का है कि जो छोटा जरूर है लेकिन उस में सारी चीजें सन्निहित हैं। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव धन्यवाद देने का रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के भाषण को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस कदर बातें कहीं गई हैं मगर चरित्र निर्माण के मुत्तालिक कुछ नहीं कहा गया है जब कि समाज की बुनियाद ही चरित्र है। जब चरित्र ही नहीं होगा तो चाहे भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो वह बढ़ता ही जायेगा और फिर जिस काम को बड़े आदमी करते हैं छोटे तो उसकी नकल ही किया करते हैं।

इस भाषण के प्रथम सफे पर ही कर्त्तव्यपरायणता की दुहाई दी गयी है। जब उसमें कर्त्तव्यपरायणता की बात को मैंने पढ़ा तो मुझे उसको उसी दृष्टि से जांचना पड़ गया और जांचने से पता चला कि कर्त्तव्यपरायणता के नाम पर नियमों का उल्लंघन होता चला गया और जहां जनतंत्र प्रणाली के अनुसार मिनिस्ट्री बननी चाहिये थी या उसका चीफ मिनिस्टर होना चाहिये था वह भी नहीं हुआ बल्कि चीफ मिनिस्टर स्वयं चोर दरवाजे से आये और उन्होंने अपनी कर्त्तव्यपरायणता दिखलायी। यह है कर्त्तव्यपरायणता का नमूना जिसे मैंने देखा।

दूसरी चीज जो हमने देखी इस महामहिम के अभिभाषण में वह देखी पंचायतों के चुनाव की और विकास खंडों की जो कि जनतंत्र की पहली सीढ़ी है। पंचायतों के चुनाव में जैसा कि अभी अन्य साथियों द्वारा कहा गया है इस कदर गलत और अनावश्यक बातें हुई हैं जिससे जनतंत्र का नाम ही मिट गया है। मेरे यहां एक विकास खंड में १२ हजार रुपया पंचायतों के चुनाव के नाम पर जमा किया गया। मैं अपने यहां के नौसाना, डुगेरा और खेरा आदि गांव की बात बता रहा हूं कि वहां पर दिन के दिन चुनाव हो रहा है और लिस्ट में वोटरों के नाम बढ़ाये जा रहे हैं। दिन के दिन जब १२ बजे मिनिस्टर साहब ने लिस्ट दी और उसमें नाम बढ़ाये गये। उन्होंने जाकर कहा कि यह नाम भी बढ़ा दो और वह बढ़ा दिये गये। जो लड़कियां मायके गई थीं उनके नाम बढ़ा दिये गये। जो ३/४ साल के बच्चे थे उनके नाम बढ़ाये गये और कई नाम इसी तरह से बढ़ाये गये। लोगों पर वोट डालने के लिये हर तरह का दबाव डाला गया और जिन लोगों ने अपना वोट उनको नहीं दिया उनके घरों को जला दिया गया। मेरे यहां गुलडिया मंडल में ३ घरों को जला दिया गया यह मैंने अपनी आंखों से देखा। एक-एक पर्ची के साथ दो-दो तीन-तीन पर्चियां दी गयीं। मैंने उनको पकड़ा और पकड़ कर अधिकारियों को दिखाया। गांवों में इतना आतंक छा गया, लाठियां चलीं, लोगों को मारा गया, झोपड़ियों को जला दिया गया, मारपीट हुई तथा गरीब और छोटे-छोटे आदमियों की तो आफत ही आ गयी। मेहतरों की तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हालत ही खराब हो गयी। एक तरफ के लोग पहुंचे, उनसे पूछने लगे भाई वोट किसको दोगे, उन्होंने कहा—हुजूर आपकी सरकार है आपको ही वोट देंगे। १० मिनट बाद दूसरी पार्टी के लोग पहुंचे उन्होंने पूछा भाई वोट किसको दोगे, उन्होंने कहा आपको। वोट पड़ते वक्त उन बेचारों की खींचातानी पड़ गयी, मारपीट की नौबत आ गयी, लाठियां तक चल गयीं। इस कदर बदअमनी फैल गयी इन पंचायतों के चुनाव से कि पता नहीं इसको सुधारने में कितने दिन लग जायेंगे। मेरा कहना है कि जिस तरह से आप चुनाव प्रधानों का बैलेट द्वारा कराते हैं वैसे इनका चुनाव भी हाथ उठाकर न हो और बैलेट द्वारा ही हो ताकि इस प्रकार के झगड़े न हों।

इसी भाषण को जब और आगे मैंने पढ़ा तो देखा कि मितव्ययिता की बात कही गयी है। इसमें मितव्ययिता की बड़ी भारी मिसाल दी गयी है। मितव्ययिता हमने कहां देखी, मितव्ययिता हमें तब देखने को मिली जब हमने आडिट रिपोर्ट को उठा कर देखा और उसको पढ़ा। वैसे तो हम हर सार बजट को देखते हैं और मितव्ययिता को भी देखते हैं। हर साल बजट उसी तरह से बढ़ता चला जाता है जिस तरह से सुरसा का शरीर। पहले बजट एक अरब कुछ का था अब आगे एक अरब ४० करोड़ का आ रहा है। दिन पर दिन मितव्ययिता बढ़ती जा रही है। आडिट रिपोर्ट को देखने से पता लगा कि सिंचाई विभाग में २८,२९,२३,९०९ रुपये व्यय हुये जिनके वाउचर्स और बिल्स ही नहीं हैं। इसी तरह विद्युत् विभाग में १६,२७,१७,४५३ रुपये खर्च हुये और सार्वजनिक निर्माण में ८,२९,६२,२५४ रु० का खर्चा है। यह मितव्ययिता है। १२ करोड़ का आकस्मिक व्यय १९५९–६० के बजट में है जो सब आंकड़े जोड़ो तो जिस सरकार के बजट का १/११ हिस्सा आकस्मिक व्यय में फिजूल खर्ची में जाय वह सरकार मितव्ययी होने का दावा कैसे करती है? यह मितव्ययिता नहीं है। थोड़ी-सी तनख्वाहें घटा करके मोटर छोटी कर लो, बंगले छोड़ कर के यहां रहने लग गये, क्या यही मितव्ययिता की निशानी है? यह तो प्रजा से टैक्स के रूप में रुपया छीन कर बुरी तरह बरबाद किया जा रहा है और इससे पब्लिक पर बुरा असर पड़ रहा है।

मंडलों की, ब्लाकों की हालत यह है कि वहां पर उस्तादी सिखाने के लिये वी० एल० डब्ल्यू, ग्राम सेवक मौजूद हैं। वह कहेंगे कि ऐसे बोओ, ऐसे धान लगाओ लेकिन अगर उनसे कहा जाय कि जरा करके बताओ तो कहेंगे कि बस हमसे सीख लो, हम कर कुछ नहीं सकते।

आबपाशी के लिए, सिंचाई के लिए दरख्वास्तें पड़ती हैं, कुओं के लिए पड़ती हैं और ६–६ महीने हो गये। किसका ताल्लुक है? बी० डी० ओ० का ताल्लुक है और होता कुछ नहीं। कहा जाता है कि अधिक अन्न उपजाओ। हम अधिक क्यों उपजाएं? हमको कपड़ा मिले चौगुना भाव पर तो हम भी पैसा ही ज्यादा पैदा करेंगे। ऐसी फसल पैदा करेंगे जिससे पैसा ज्यादा मिले। हम तो मूंगफली बोयेंगे, गन्ना बोयेंगे। अगर हमारे भाव का ठीक से निश्चय नहीं किया जाता तो हम अधिक अन्न नहीं उपजायेंगे। आप खूब खयाल कर लें, आप घाटे में रहेंगे और कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। कपड़े का भाव लगाते हैं तो जहां से चलता है वहां से लेकर बुनाई कताई, सब का हिसाब लगा लिया जाता है और अनाज का भाव जो मन में आता है तय कर दिया जाता है, कोई हिसाब ही नहीं।

अब आगे आता है कि सुधार हो। हम तो चाहते हैं कि मुल्क आगे को बढ़े तरक्की हो, गवर्नमेन्ट अच्छी चले। उसके लिए हमें यह सोचना है कि हम कितने अच्छे चल रहे हैं। यह जो हालत फैली हुई है हमारे विधान मंडल में जो ऐंचातानी मच रही है क्या इसका असर पब्लिक पर नहीं पड़ रहा है? लेकिन जनता की सेवा करने का किसी को खयाल नहीं है, सब कुर्सी की लालच में लड़ रहे हैं, देश की खातिर किसी

[श्री टीकाराम]

को कुछ नहीं करना है न किसी को फिक्र है । ऐसा हो रहा है जैसा कि अकबर इलाहाबादी का शेर है—

दुःख है लीडर को मगर आराम के साथ ।

दुखः तो है मगर आराम के साथ है, यह हालत है। हमारी पब्लिक की हालत यह है कि वह तुम्हारी तरफ देखती है । हम को यहां भेजा है कि जाओ कहो और सुनाओ और यहां कहने की बात कोई सुनने वाला नहीं है और न मानने वाला है । सरकार की हालत यह है कि वह तो चूं चूं का मुरब्बा बन गयी है। पहले १९८ थे फिर ११६ रह गये, अब पता नहीं कितने हैं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह चूं-चूं का मुरब्बा क्या होता है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—कभी खाके देखा नहीं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—यह कानपुर में बहुत ज्यादा पाया जाता है ।

*कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्हें बधाई देती हूं और साथ ही साथ श्री नवल किशोर जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गत वर्ष की प्रगति का सिंहावलोकन किया है और अग्रिम वर्ष के प्रभावशाली कार्यक्रम की ओर संकेत किया है । मैं दो तीन दिन के भाषणों के दर्मियान बराबर यह सुनती चली आ रही हूं कि यह अभिभाषण बहुत संक्षिप्त है और निस्सार है । कहा गया है प्रकृत्या महीयसां मित भाषिणः । सभी यहां के जितने भी राजनीति के पंडित हैं और विभिन्न प्रकार के पंडित हैं जानते हैं कि महापुरुष अपनी बात संक्षेप में कहते और लिखते हैं और उस पर आचरण वास्तविक रूप में करते हैं। श्रीमन्, वर्तमान सरकार ने इस प्रदेश के लोकप्रिय नेता स्वतन्त्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी, विपत्ति विघ्नों के तूफान से अटल चट्टान की तरह टकराने वाले अदम्य साहसी, निरभिमानी नैष्ठिक कार्यकर्त्ता श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति करने का संकल्प किया है । मेरी दृष्टि से उसमें प्रदेश के सभी जन और विरोधी दलों का सहयोग सहर्ष अपेक्षित है ।

मान्यवर सत्रावसान में कुछ अध्यादेश जारी किये गये जिनकी काफी यहां आलोचना की गई । ये अध्यादेश सरकार की सतर्कता और कर्त्तव्यपरायणता तथा सार्वजनिक हितों की सुरक्षा रखने की भावना के द्योतक हैं । श्रीमन्, मूलतः अध्यादेश में न तो गुण ही होते हैं और न ही दोष । उनको तो हमें सार्वजनिक हितों की कसौटी पर कसना चाहिये । वर्तमान मंत्रिमंडल ने जो अध्यादेश जारी किये हैं उस मंत्रिमंडल को जनता का पूर्ण विश्वास और समर्थन प्राप्त है । मैं उदाहरण के लिये निवेदन करना चाहती हूं कि गन्ना क्रय अध्यादेश यदि जारी न किया गया होता तो ५० करोड़ रु० की महान् धनराशि पूंजीपतियों के हाथों में गई होती और जिसकी विरोधी दल अवश्य ही आलोचना करते और इस सरकार को जघन्य पाप का दोषी ठहराये बिना न रहते ।

इसी प्रकार से श्रीमन्, यदि कोर्टफीस अमेंडमेन्ट आर्डिनेन्स अविलम्ब जारी न किया गया होता तो प्रदेश के राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़े बिना न रहता और विरोधी दल उसकी अवश्य आलोचना करते । इसी प्रकार से श्रीमन्, उत्तर प्रदेश पंचायत राज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आर्डिनैन्स जारी करके सरकार ने गुप्त मतदान प्रणाली की व्यवस्था की जिससे प्रधानों के अधिकांश—मैं अधिकांश शब्द प्रयोग कर रही हूं चुनाव निर्विघ्न और न्यायपूर्ण हुये। क्या इस गुप्त मतदान प्रणाली को निन्दनीय कहा जा सकता है ? हां, यह बात सही है कि पंचायतों के चुनावों में, विशेषतया सदस्यों के चुनावों में बहुत सारे अधिकारियों ने ऐसी बातें की हैं जो वास्तव में निन्दनीय हैं और उनकी सूचना सरकार को है और अगर नहीं है तो सभी सम्मानित सदस्यों को सरकार को उसकी सूचना देनी चाहिये और सरकार, वास्तव में उन अधिकारियों को जितना भी घोरतम दंड दिया जा सके, दे ताकि अन्य अधिकारियों को सबक मिल सके। श्रीमन्, किसी भी दृष्टि से देखा जाय तो इन अध्यादेशों से सार्वजनिक हितों का ही संपादन हुआ है और सरकार अपनी कर्त्तव्यपरायणता और सतर्कता के लिये धन्यवाद की पात्र है।

मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय योजना का महान अभियान नूतन वित्तीय वर्ष के साथ आरम्भ होने जा रहा है। हमें संतोष है कि आयोजना आयोग ने उत्तर प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ४९७ करोड़ की धनराशि की सिफारिश की है परन्तु श्रीमन्, बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी और प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुये यह धनराशि पर्याप्त प्रतीत नहीं होती। अतः मेरा सरकार से निवदन है कि इस धनराशि में और वृद्धि की जानी चाहिये। वृद्धि के विषय में मेरा सुझाव है कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये जिस पर कि मैं शुरू से ही जोर देती चली आयी हूं और खास तौर से इन्टेंसिव खेती के लिये। औद्योगीकरण के द्वारा भी प्रदेश की आय बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उद्योगों का विकास संतुलित, विस्तृत और व्यापक रूप से होना चाहिये। एक मेरा निवेदन सरकार से और है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक अतिरिक्त विशेष योजना बनानी चाहिये। पर्वतीय क्षेत्रों को खुश और वैभवशाली बनाने के लिए हर प्रकार की चीजें नहीं चल सकतीं इसलिये वहां के लिये काटेज इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की व्यवस्था होनी चाहिये, जिसके लिए बिजली की विशेष योजना बनायें।

मान्यवर, सृष्टि के अन्दर सर्वप्रिय दो चीजें हैं—जान और माल, जिनकी सुरक्षा का भार पुलिस विभाग के ऊपर रहता है। विगत वर्षों में अपराधों की संख्या बढ़ रही थी और प्रदेश में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था चिन्ताजनक हो रही थी, जिसके लिये पुलिस आयोग की नियुक्ति की गयी थी, जिसका प्रतिवेदन सदन के समक्ष आने वाला है। लेकिन मैं गौरव के साथ कह सकती हूं कि पुलिस विभाग की बागडोर ऐसे दक्ष मंत्री के हाथ में दी गयी है जो अपनी दृढ़ता और कुशाग्र बुद्धिमत्ता के बारे में प्रसिद्ध हैं, जो जहां अपराधियों को दंड देने में प्रसिद्ध हैं वहां ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कार देने में भी प्रसिद्ध हैं। पुलिस विभाग ही ऐसा विभाग है जिससे शीघ्र ही सरकार यश या अपयश की भागी बन जाती है। जिस दिन से पुलिस विभाग उनके हाथ में आया है प्रदेश की जनता के अन्दर एक संतोष की लहर पैदा हो गयी है और शांति का वातावरण पैदा हो गया है, और जनता को सुरक्षा का पूर्ण विश्वास हो गया है। मेरा तात्पर्य चौधरी चरण सिंह जी से है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ सादगी और मितव्ययिता की ओर कदम उठाये हैं, उनकी बड़ी आलोचना की गयी। भगवान की सृष्टि में भी हर चीज चाहे वह अच्छी हो या बुरी उसकी आलोचना की जाती है और की जाती रहेगी। लोग इसकी भी आलोचना करते हैं कि भगवान भी हैं या नहीं। लेकिन विरोधी दल के लोगों को यह तो अवश्य ही विचारना चाहिये कि उनके यह कदम प्रसंशनीय हैं या नहीं। श्रीमन्, कोई शुभ विचार या मंगल कार्य प्रारम्भ में बीज रूप में ही होता है और शनैः शनैः सब के सहयोग के जलदान से और सब के उद्योग से वह वट वृक्ष का रूप धारण करता है। मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस विषय में जितना भी सहयोग दे सकें और सुझाव दे सकें दें। इसके लिये वास्तव में सरकार को उनका आभारी होना चाहिये।

मान्यवर, मैंने माननीय नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकी सिंह, का भाषण पढ़ा जिसमें उन्होंने विरोधीदल की आचार संहिता बतायी है जो बड़ी

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

उदार आदर्श है। उन्होंने बताया है कि विरोधी दल को सरकार की हर बातों की यानी भली बातों की आलोचना नहीं करनी चाहिये बल्कि उसको सरकार के रचनात्मक तथा भले कार्यों में जितना सहयोग हो सके, देना चाहिये। उनके भाषण को पढ़ कर उनके विषय में जो स्थानीय चर्चा सुनती रही थी, उससे मेरा विचार ही बदल गया उन्होंने जो भाषण दिया है, उसकी उदारता के लिये मैं अनुगृहीत हूं। लेकिन मुख्य मंत्री जी द्वारा सादगी और मितव्ययिता का सूत्रपात हुआ है, उसके बारे में भी यदि वे अपने सुझाव दे देते और दो शब्द उदारतापूर्वक प्रशंसा के कह देते तो उनकी उपरोक्त भाषण की पुष्टि हो जाती। मैं पुनः आशा करती हूं कि वह अपने दल का और उत्तर प्रदेशीय विरोधी दल का सहयोग हर भले कार्य में सरकार को देंगे और सच्चे मानों में आदर्श विरोधीदल के नेता होंगे और इससे विरोधी दल की स्वस्थ परम्परा कायम होगी। मान्यवर, सरकार ने विद्या-मंदिरों में, जहां शान्ति और नीरवता की शुद्ध वायु बहती है, जब यह देखा कि उपकुलपतियों की चुनाव प्रणाली के कारण वहां अशान्ति का वातावरण हुआ और वहां पर कुछ अशोभनीय घटनायें पिछले वर्षों में घटी हैं तो सरकार ने उपकुलपतियों की नियुक्ति प्रणाली में परिवर्तन किया। वास्तव में सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है।

अन्तिम बात मुझे यह कहनी है कि सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों के निर्वाचित अध्यक्षों की घोषणा की है। यह निर्वाचित अध्यक्षों की घोषणा करके सरकार ने जनता के जनतांत्रिक विचारों का आदर किया है, इसलिये सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, कुछ यहां लोगों ने विभिन्न तरह से कहा। लेकिन मैं एक विषय पर श्री नवल किशोर जी और विरोधी दल के कुछ लोगों से सहमत हूं। मुझे उनके नाम नहीं याद हैं। अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मंत्री यहां होते। जो यह सादगी और मितव्ययिता की चीज है, वास्तव में बड़ी अच्छी है। हमारे अधिकारियों के अन्दर भी इसकी सुनिश्चित और शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिये कि जो अधिकारी सच्चे, ईमान-दार और मितव्ययी सिद्ध हों सरकार द्वारा उनको पुरस्कृत और सम्मानित किया जाये। वास्तव में भ्रष्टाचार या इस तरह की चीजें जो पनपती हैं वह इसीलिये कि समाज के अन्दर साज-सज्जा, वैभव शक्ति से ही व्यक्ति ऊंचा माना जाता है, और गलत बातों को मान्यता दी जाती है। आज विशाल भवन रुपये पैसे और वैभव के पैमाने से जनकी उच्चता मापी जाती है। ऐसी हालत में अधिकारियों का ही क्या अपराध है, वे भी वैभवशाली बनना चाहते हैं, वे भी समाज में सम्मानित व सुप्रतिष्ठित बनना चाहते हैं। छोटे से छोटा अधिकारी देखता है कि जो वैभवशाली है तथा ठाटबाट से रहता है उसी की इज्जत व उन्नति होती है न कि सच्चे व सादे की, अतः वह रुपये को सम्मान का आधार मान कर उसे किसी भी उपाय से प्राप्त करता है। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी को रुपये या वैभव द्वारा जो सम्मान की मान्यता है उसे बदल कर सादगी तथा मितव्ययिता की ही प्रशासन व प्रदेश में मान्यता देनी होगी। प्रशासन में शीघ्र ही सादे व मितव्ययी अधिकारियों को पुरस्कृत करने की प्रणाली प्रारम्भ करनी होगी क्योंकि जिस बात को उस युग के राजनीतिक या धार्मिक नेता सम्मान का आधार मानते हैं, सभी अधिकारी व समाज वैसा ही आचरण करने लगता है क्योंकि सर्वथा सभी जन समाज में सम्मानित जीवन चाहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है—'यद् यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवे इतरो जन', अतः "सादा जीवन, उच्चविचार" का मंत्र माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उपदेशों, पुरस्कारों तथा अन्य साधनों से प्रशासन में पढ़ाने की व्यवस्था करें।

मैं प्रशंसा के लिये कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहती लेकिन यदि अधिकारी वर्ग में सादगी न आयी तो मेरा ऐसा खयाल है कि हमारी जो योजनायें हैं बढ़ते हुए असंतोष के कारण वह कल्पना के रूप में रह जायंगी। तो आवश्यकता इस चीज की है कि अधिकारियों में भी सादगी लायी जाय। मैं समझती हूं कि हमारे यहां का अधिकारीवर्ग मननशील, सामयिक सादगी के धर्म को समझने वाला अवश्य ही होगा।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देती हूं और श्री नवलकिशोर जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । आज तीसरा दिन है जब कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं चर्चा सुन रही हूं । आज मेरी भी कुछ तबियत हुई कि मैं भी उसके बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करूं । राज्यपाल के अभिभाषण में लिखा हुआ है और हर एक से मैं सुनती हूं कि उत्पादन को बढ़ाना चाहिये अपनी आबादी के लिहाज से, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सुझाव किसी तरफ से नहीं आया । मेरा आपके द्वारा सुझाव है कि खेती के बारे में जो नारा लगाया जाता है कि खेती उसी की है कि जो उसको बोता जोतता है, उसी के अनुसार किसान को पूरा हक जमीन पर होना चाहिये और सरकार को इस तरह की सुविधा उनको देनी चाहिये इससे उत्पादन बढ़े । आज हर जगह किसान को परेशानी है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार जमीन में रद्दोबदल कर दे, हमारे खेत और जमीन बदले न जायं । इसलिये मेरा सुझाव है कि जमीन में किसान का पूरा हक होना चाहिये तभी उसको शान्ति रह सकती है और वह पैदावार बढ़ा सकता है ।

दूसरे यह जो गांव समाजों के चुनाव हुये हैं उनमें जैसा कि हर एक सदस्य ने बताया है जिले में बहुत ज्यादतियां और अत्याचार हुये हैं । इस संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि जहां ग्राम समाजों के चुनाव हुये हैं वहां बहुत जगहों में लड़ाई झगड़े हुये हैं लेकिन हमारे यहां गहरौली और जैतपुर में कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ लेकिन वहां के अधिकारियों ने वहां की काउंटिंग रोक रखी है । मुझे इसका दुख है कि इस प्रकार का कार्य किया गया है । मैं चाहती हूं कि सरकार कोई भी हो वह न्यायप्रिय होनी चाहिये, उसे जनता के दुखों को देखना चाहिये, वही सरकार मान्य हो सकती है ।

आज मुझे खुशी है कि नई मिनिस्ट्री है और नई मिनिस्ट्री की सरकार बैठी है । मुझे एक किस्सा याद आ गया । जब पिछली बार बाढ़ आई हुई थी और जब मैं यहां से वापस घर गई थी तो हमारे यहां रास्ता ऐसा है कि वहां यमुना और बेतवा बड़ी कठिनाई से पार होती हैं, जब मैं पार कर के उस तरफ गई तो एक इक्के पर एक छोटा-सा १५–१६ साल का लड़का बैठा था, उसने बड़े प्यार से कहा कि आप इसमें बैठ जाइये, मैं उसके इक्के पर बैठ गई । उसके बाद वह मुझसे कहने लगा कि रानी साहब आपको वोट दिया गया लेकिन जब से आप हुई हैं हमारे जिले में कुछ नहीं हुआ, अगर यहां से गुप्ता जी जीत गये होते तो हमारे जिले में बेतवा और जमुना का पुल बन गया होता । गांव गांव में सड़कें बन गई होतीं, बिजली लग गई होती । मैं तो सोचती थी कि ३ साल कैसे कटेंगे, अब १ मिनिस्ट्री तो मैं देख चुकी, अब ११ मास और रह गये उसमें दूसरी भी देख लूंगी, इसकी मुझे खुशी है । मुझे खुशी है कि गुप्ता जी हमारे जिले के कोने-कोने से और खास तौर से मौदहा तहसील से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जरूर उसका खयाल करेंगे । मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि जो भी थोड़ा-सा न्याय और तर्कवान होता है उसकी सरकार कायम रहती है, उसको कोई हिला नहीं सकता, लेकिन जो अन्याय या अत्याचार करता है उसकी सरकार हमेशा खत्म हुई है और होगी ।

*श्री एस० जी० दत्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे भी मौका दिया कि मैं अपने खयालात गवर्नर महोदय के भाषण पर प्रकट कर सकूं । मैंने सदस्यों के भाषण भी सुने और उनके जो ऐतराजात थे उनको भी मैंने सुना । किसी माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नर ने कोई पालिसी जाहिर नहीं की । किसी ने कहा इसमें क्या रखा है, बिलकुल छोटा-सा है और इससे किसी किस्म का एनकरेजमेंट नहीं हुआ । तो अर्ज यह है कि गवर्नर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री एस० जी० दत्त]

महोदय ने अपने एड्रेस में यह कह दिया कि जो कुछ भी है वह आपको वित्त मंत्री जी, जोकि एक बड़े लायक आदमी हैं, उनके बजट भाषण से मालूमात होंगी, और ज्यादा जोर नहीं दिया मुख्तलिफ चीजों के ऊपर । हमारे मुखालिफ पार्टियों के लोग हमेशा ही गवर्नमेंट की निन्दा करने के लिये तैयार रहते हैं । बाज तो अपने रास्ते से गुमराह होकर हमारे नये मुख्य मंत्री श्री गुप्त जी को कहते हैं कि यह चोर दरवाजे से आ गए हैं । बाज कहते हैं कि आप यहां कैसे आ गये । ऐसी-ऐसी बातें हैं, जिनसे जनता का कोई हित नहीं होता । यह तो एक नुक्ताचीनी करना और किसी को गिराने की चीज है । इससे कोई फायदा नहीं । मुझे अफसोस है कि इस वक्त हमारे माननीय राजनारायण जी यहां मौजूद नहीं हैं, होते तो अच्छा होता । उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें कांग्रेस पार्टी के मुताल्लिक कहीं कि एक मिनिस्ट्री आई उसको खा गये, दूसरी आई है तो उसको खाएंगे । मुझे पता नहीं कि मिनिस्ट्री खाने वाले हैं या मिनिस्ट्री देखने वाले हैं ।

डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें जो लोग पावर में होते हैं उ में चलती ही हैं और जो पावर में नहीं होते उनके अन्दर भी चलती हैं । जैसा कि लोहिया साहब की पार्टी । उनके साथ कई शिरकत में थे । एम० एल० ए० होकर यहां आये और आज उनके साथ नहीं हैं । इधर चले आए । हमारे यहां टीकाराम पुजारी जी बैठे हैं । यह वहां थे और यहां आ गये । तो यह तो होता ही रहता है ।

एक सदस्य---सीताराम शुक्ल जी उधर से इधर आ गये ।

श्री एस० जी० दत्त---यह तो होता ही रहता है । तो हमारे सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सिवा कांग्रेस की निन्दा करने के और अपनी पार्टी का प्रोपोगंडा इस प्लेटफार्म से करने के और कुछ नहीं किया । कुछ सदस्यों ने बड़े कांस्ट्रक्टिव इशारे दिये हैं और उनसे जनता का भी फायदा है और सरकार का भी । यह ठीक है कि नई सरकार आई है, पर है तो उसी पार्टी की सरकार । पालिसी में चेन्ज भी हो सकता है और है । वह तो आपके सामने आएगा । यह मैं कह सकता हूं कि नई सरकार के आने से बहुत सारा रद्दो-बदल हुआ, इकानामी में हुआ, और बहुत सारी बातों में होगा, यह उम्मीद की जाती है । चाहे सम्पूर्णानन्द जी हों, चाहे गुप्ता जी हों, हमारे लिये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस सरकार ही है । फर्क होगा तो आपके लिये होगा ....

एक सदस्य---आपके लिये भी है ।

श्री एस० जी० दत्त---आप क्या बोलते हैं, जनसंघ तो आ ही नहीं सकता ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि बीच में न बोलें, उनको अपनी बात कहने दें ।

श्री एस० जी० दत्त---अपने देश के भविष्य के लिये हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी बनाने जा रहे हैं और यह हर एक को मालूम है, हमने ऐलान किया है और उसके लिये कोशिश भी कर रहे हैं कि इस देश में सोशलिस्ट सोसायटी हो ताकि जो आर्थिक विषमता है वह दूर हो और गिरे हुए लोग उठे हुए लोगों के बराबर हो जायं, तालीम की हैसियत से, माली हैसियत से, सामाजिक हैसियत से । हमारा देश ऐसा ऊपर उठ जाय कि हम दूसरे देशों के साथ कदम-ब-कदम चल सकें । यह हमारी मंजिले मकसूद है जो राजनारायण जी को भी पता है और दूसरों को भी मालूम है और उसके ऊपर हमारी सरकार अमल करने की बेहद कोशिश कर रही है ।

योजनायें बनायी गईं इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये, जराअत को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये गये । फसल भी बढ़ी, गो इनसानी पैदावार के लिहाज से उतनी नहीं बढ़ा सके । लेकिन यह जरूर है कि खेतीबारी को बढ़ाने के लिये हमारी सरकार ने तीसरी योजना में बहुत कुछ साधन

रखे हैं । सवाल यह है कि अगर हमारी खेतीबारी इस मुल्क में बढ़ जाती है तो हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी क्योंकि रा मैटीरियल बढ़ेगा । तभी कारखाने भी खुलते हैं । पहले हमारे यहां बटवारे की वजह से जूट की कमी हो गई थी, लेकिन अब उसकी पैदावार बढ़ गई है । रुई के भी कारखाने बढ़े हैं । गरज कि हमारे सूबे ने काफी तरक्की की है । यह ठीक है जैसा आपने कहा देखिये कितने देहातों में गड़बड़ी है, पंचायतों के चुनाव हुए और उसमें बेइन्तहा बेइन्साफी के साथ चुनाव हुए । डेमोक्रेसी चलाने के लिये और ऐसी लिबरल डेमोक्रेसी के लिये, ऐसी चीजों का होना नामुमकिन नहीं है । पर खेतीबारी और इंडस्ट्री के लिहाज से जो सूबे ने तरक्की की है, वह पहले नहीं थी । भले ही आप आंकडे देते रहें । यह आपका दिल और लोग भी जानते हैं कि तरक्की हुई है । मैंने जनता से पूछा और बिजनेसमेन ने मुझसे कहा कि १५ सालों के बाद यह देश सोना उगलेगा, इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की है । तो मैं मानता हूं कि आपकी नुक्ता-चीनी से तकवियत मिलती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—टी० बी० कितनी बढ़ी ?

श्री एस० जी० दत्त—हमने तो आपको भी बढ़ा दिया, मास्टर साहब । कुछ लोग तो खामख्वाह नुक्ताचीनी करते हैं । अगर आप संजीदगी से देखें तो काफी तरक्की हुई है । मेरे यहां सनत खुल गई है । यह कांग्रेस ही की सरकार है जिसके राज्य में इतनी तरक्की हुई । श्रीमन्, हम और हमारी सरकार इस बात की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी माली, सामाजिक और तालीमी तकवियत इतनी बढ़ जाय कि हम दूसरे देशों के साथ कदम ब कदम चल सकें और मैं अपने विरोधी दल के सभी सदस्यों से कहूंगा कि बजाय इसके कि वे नुक्ताचीनी करें वे अच्छे कामों में सरकार की मदद करें ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण में बरेली के सदस्य द्वारा प्रस्तुत जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके लिये हम लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि हम इसका समर्थन करें । श्रीमन्, मेरी बुद्धि से तो राज्यपाल का अभिभाषण एक स्टेटमेंट आफ पालिसी ऐन्ड प्रोग्राम होता है किन्तु यहां क्या है ? न पालिसी न प्रोग्राम । यदि मैं यह कहूं कि Ad de memoio वह केवल है अर्थात् एक स्मृति-पत्र है तो कोई अतियुक्ति न होगी । राजा साहब, जौनपुर ने जैसा कहा कि वह एक केटालाग है । वह मैं गैरमौजू नहीं समझती इसमें न तो स्टेटमेंट आफ पालिसी नजर आई, न प्रोग्राम नजर आया ।

इसमें चार तजवीजें की गयी हैं । पहली नैशनल होल्डिंग्स, दूसरे एस्टेबलिशमेंट ऐंड कामर्शियल एस्टेबलिशमेंट ऐक्ट, तीसरे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स और चौथे यूनीवर्सिटीज । जहां तक पहली दो तजवीजों का सवाल है मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह केवल डिटेल्स का सवाल है । इसमें न तो कोई पालिसी है, न प्रोग्राम है । तीसरे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स का सवाल है इसमें कहीं यह नहीं दिखाया गया है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे । चौथे यूनीवर्सिटीज का सवाल है, इसके बारे में कुछ अर्ज करूंगा । यूनीवर्सिटीज के मुताल्लिक यह लिखा गया है कि कुछ खराबियों का दूर करना है । मुझे एक कहावत याद आती है "७० चूहे खा कर बिल्ली चली हज करने" । खुद जो गोट बैठाते रहे और वे चले हैं हमारी खराबी दूर करने ? हां, १० वर्ष तक जब एक राज्य में यहां के मिनिस्टर वहां के कोषाध्यक्ष रहे तब कोई खराबियां नहीं थीं डेढ़ वर्ष नहीं हो पाये खलबली मच गयी । अब परमात्मा की कृपा से मुख्य मंत्री के पद पर पीठासीन हैं तो डेढ़ वर्ष के अन्दर जो खराबियां पैदा हो गयीं उन्हें रफा करने वे आये हैं और हम लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि हम उनके हिमायती बनें और मानें कि वे खराबियां हैं और उनको रफा किया जाय । चश्मबद्दूर, ! सुभान अल्लाह ! क्या खराबियां दूर करने वाले यह तशरीफ लाये हैं, १० वर्ष तक वे खराबियां नजर नहीं आयीं । अगर ये खराबियां थीं तो उन्हीं १० वर्षों की वजह से थीं ।

[श्री सुरथबहादुरशाह]

खैर छोड़िये। यूनीवर्सिटीज में क्या होगा, वहां क्या होना चाहिये, आउटपुट कैसे बढ़ेगा, रिसर्च में क्या फेसिलिटीज मिलेंगी, इसका कहीं भी राज्यपाल के सम्बोधन में कोई जिक्र नहीं है। छात्रों के लिये क्या फैसिलिटीज हों और किस प्रकार उनकी मदद की जाय, इसका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र क्या है कि वाइस-चांसलर्स बदले जायं। कैसे बदले जायं? एलेक्शन हो, उसमें चांसलर का नामिनी हो, एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल का नामिनी हो और एक चीफ जस्टिस का नामिनी हो। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि जो चांसलर के ५-५ नामिनीज वहां मौजूद हैं? क्या वे चांसलर के नामिनी नहीं हैं? और अब एक कोई दूसरा नामिनी होगा? एक्जीक्यूटिव कौंसिल के जो सारे के सारे मेम्बर्स मौजूद हैं। एलेक्टेड और एक्स-आफिशियो, जैसे कि डीन्स, वे एक्जीक्यूटिव कौंसिल के नामिनी क्या नहीं हैं? चीफ जस्टिस का एक नुमायन्दा होगा। मैं समझता हूं कि सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़ कर जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में हाई कोर्ट का एक जज रहा है, जस्टिस गोरखनाथ मिश्र रहे हैं, जस्टिस विशेश्वरनाथ रहे हैं जस्टिस टामस रहे हैं, जस्टिस गुलाम हसन रहे हैं। हां, जब से इनका राज्य हुआ तभी से वह खत्म किया गया और आज दूसरी शक्ल में उनका नामिनी आयेगा। अगर हम यह कहें कि ३ हजार रुपये की नौकरी है, बंगला है, मोटर कार है, आप चाहते हैं कि इस पर आपका आदमी हो तो कुछ गलत नहीं होगा।

तीसरे श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण में उसका कारण यह दिया जाता है—

"It is likely to take considerable time in going into all issues covered by its terms of reference."

यानी उन्होंने जो कमीशन मुकर्रर किया है उसकी रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा लिहाजा जल्दी है। यहां की खराबियों को रफा करने के लिये, बड़ी लम्बी बहसों के बाद आपने यह कमीशन तय किया। तो अगर उसकी रिपोर्ट आने में देर है तो उनसे कहिये कि जल्दी दें। लेकिन आपको तो स्टैट्यूट मेंकिंग पावर को लेना ही है और उसके बाद साल भर तक उस पावर को अपने अख्तियार में रखें। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, दो मिनट और हमको भी मिल जायं।

श्री उपाध्यक्ष—समय बहुत कम है, आखिर में आप बोल रहे हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह—यह मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन चूंकि अभी एक महिला बोली थीं, इसलिये मैं तब खड़ा नहीं हो सकता था।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा तो दो मिनट तो अभी आपके हैं, आप तीन मिनट बोल लीजिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—धन्यवाद। तो मैं कमीशन की बात कह रहा था कि अगर उसकी रिपोर्ट आने में देर है तो उसको जल्दी मांगिये, लेकिन यह बहाना क्यों ढूंढ़ रहे हैं कि उसकी वजह से हम यह करने जा रहे हैं। अगर आपको यह करना मंजूर है तो साफ-साफ कबूल कीजिये कि हम महज अपना आदमी बिठाना चाहते हैं, पिट्ठू वहां रखना चाहते हैं और गोट बिठाना चाहते हैं। सन् ५२ से दो मर्तबा कांग्रेस सरकार ने ऐक्ट्स बदले, स्टैट्यूट्स बदले। अब उसी का नतीजा अगर यह हो रहा है तो यह हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनके ऊपर आती है। स्वर्गीय राजा महाराज सिंह के द्वारा एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल पास हुआ था, यानी वे सरकार के पक्ष के नहीं थे, तब भी उस बिल के बदौलत इतने वर्ष यूनिवर्सिटी का कार्य बड़ी आसानी और अच्छी तरह से चला। मगर हमारी सरकार और हमारी सरकार के मुशीरकार जिनके ऊपर कि यह मुनहसिर है, उन्होंने अभी तक ऐसा बिल नहीं पेश किया जिससे १०-१२ वर्ष आसानी से काम चल सकता। अंग्रेज को लानत कीजिये, गालियां दीजिये लेकिन यह मैं कहूंगा कि उसके राज्यकाल में यूनिवर्सिटी की आटोनोमी पर कभी इतना आघात नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है और आगे भी ये करेंगे महज इसलिये कि ये जानते हैं कि इनके

पीछे क्या ताकत है, कितने मुसाहिब हैं। महज इस वास्ते कि वह यह जानते हैं कि उनके पीछे उनकी ताकत है या अपने उन माहिरों की वजह से जो इस फन में माहिर हैं और इस सदन में जो उनके पीछे उनके मुसाहबीन बैठे हैं, उनके बल पर वह हमको विवश करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप कीजिये या न कीजिये। लेकिन परमात्मा के नाम पर आटोनोमी और जनतंत्र के नाम पर आघात न कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं तरमीम का समर्थन करता हूं और धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये विवश हूं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नवलकिशोर जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय राज्यपाल का सम्बोधन किन परिस्थितियों में हुआ है उससे प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति भली-भांति परिचित है। राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अध्यादेश जारी किये गये हैं उनका काफी विरोध हमारे विरोधी पक्ष की ओर से हुआ है। किन परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय को इन अध्यादेशों को जारी करना पड़ा और उनसे प्रदेश का कितना हित हुआ है, यह भी सदन में बताया जा चुका है।

मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी नई सरकार के आगमन से, हमारे विरोधी दल के नेता, जिनका भाषण इस अवसर पर हम लोग पिछले कई वर्षों से सुनते चले आये हैं जो तेजी और जोश-खरोश उनके कल के भाषण में था उससे हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है कि जो हिम्मत विरोधी पक्ष में आनी चाहिये थी, वह आना प्रारम्भ हुई है। मुझे मायूसी हुई उन बातों पर जो उनके द्वारा यहां पर कही गई हैं। उन्होंने आरम्भ किया कि मंत्रियों ने अपनी तनख्वाहों में नाम मात्र की कमी करके ढिंढोरा पीटा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। यह तो सभी जानते हैं कि लाख दो लाख की कमी करने से कोई देश का खास हित नहीं हो सकता। लेकिन मंत्रियों ने टोकिन ग्रांट के तौर पर किफायतशारी करने की इच्छा जाहिर की है और इसका असर अन्य लोगों पर भी पड़ेगा और जब हमारा आगामी बजट आयेगा तो हम जान सकेंगे कि कितनी किफायतशारी हमारी सरकार कर सकी है और आगे भी करने का इरादा है।

विरोधी दल के नेता ने इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटा है कि जो हमारे मुख्य मंत्री जी की विधान परिषद् से नामजदगी हुई है। किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता हुई इसका श्रेय भी नेता विरोधी दल को है। राज्यपाल महोदय के समक्ष वैधानिक आपत्ति उठाकर उनकी नामजदगी के लिये उनको विवश कर दिया गया। यह जाहिर बात है कि वह आगामी निर्वाचन जो रानीखेत में होने वाला है उसमें चुनाव लड़कर आने वाले हैं। इस समय इसलिए नामजदगी हुई जिससे रिट वगैरह से बचा जा सके। यह कदम उचित है या नहीं इस विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता हूं। गुप्ता जी के इस पद पर सुशोभित होने से जनता को कितनी प्रसन्नता हुई है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के अवसर पर विरोधी पक्ष ने इस माननीय सदन में उपस्थित होना आवश्यक नहीं समझा।

(व्यवधान)

अपनी बात तो हम देख लेंगे। उसकी चिन्ता मत कीजिये। लेकिन आज आपके पक्ष की क्या दशा है? इस सम्बोधन पर हुए विरोधी पक्ष के अनेक भाषणों से ऐसा लगता था कि राज्यपाल के भाषण पर वह विवाद नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनारायण या विरोधी दल के अन्य लोगों के भाषणों पर ही विवाद कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब कि विरोधी दल के नेता ने सदन में उस अवसर पर उपस्थित न होने का निश्चय किया। मेरी समझ में नहीं आता कि सात हफ्तों में कौन से ऐसे जघन्य पाप इस सरकार ने किये थे जिनके कारण हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने इस सदन में उपस्थित होना आवश्यक नहीं समझा।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में जहां तक अध्यादेशों की बात है, एक माननीय सदस्य ने इस बात पर बड़ा ऐतराज किया कि गन्ने के बारे में क्यों अध्यादेश जारी किया गया? ५०–६० करोड़ रुपया जो पूंजीपतियों की जेब में जा रहा था, उसको वसूल करने के लिये जो अध्यादेश जारी किया गया उस पर बड़ा एतराज किया गया, यह खेद की बात है। पंचायतों के बारे में अध्यादेश जारी किया गया। प्रधानों का जो चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से हुआ, उसका यहां काफी समर्थन किया गया। जो कुछ इस चुनाव के सम्बन्ध में कहा गया बहुत कुछ सही हो सकता है। जो इसमें सबसे गड़बड़ी की बात थी वह वोटर्स लिस्ट थी। अगर अगला चुनाव जनरल एलेक्शन की वोटर्स लिस्ट पर किया जाय तो रोज-रोज वोटर बदलने की बात समाप्त हो जायगी। दूसरे नामजदगी के सम्बन्ध में यह हुआ कि जिन्होंने एक और दो बजे नामजदगी के पर्चे दाखिल किये उनके भी नाम खारिज कर दिये गये कि देर में आये क्योंकि उनके पास ठीक समय पर फार्म दाखिल करने का कोई प्रमाण ही नहीं था। इसलिये आगे फार्म दाखिल करने वालों को एक सर्टिफिकेट दिया जाय कि इस वक्त इन्होंने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है।

महामहिम राज्यपाल के भाषण में इस वर्ष पिछड़े हुए इलाकों और विशेषकर बुन्देलखंड का जिक्र नहीं किया गया है। तुलसी, आल्हा, ऊदल और रानी लक्ष्मी बाई का यह क्षेत्र बुन्देलखंड निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ है। उसकी उन्नति के लिये कोई इशारा नहीं है। उस क्षेत्र में औद्योगीकरण की सख्त आवश्यकता है। माताटीला से बिजली मिलने के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो बड़ा उद्योग लगने वाला हो, वह बुन्देलखंड में लगाना चाहिये। कोई भी प्रदेश जब तक उसका सब तरफ से विकास न हो, उन्नतिशील प्रदेश नहीं कहा जा सकता।

दूसरे देश की भावी संतानों का सुधार बिना शिक्षा के नहीं हो सकता और शिक्षा की नींव प्रारम्भिक शिक्षा है। जिन अध्यापकों के पास छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जब तक उनकी पेट भर रोटी का पूरी तरह से प्रबन्ध नहीं होगा तब तक शिक्षा की यह नींव लड़खड़ाती ही रहेगी। एक रुपया, दो रुपया या चार रुपया उनकी मंहगाई बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है। उन अध्यापकों को जो प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनकी ओर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अगर वह नींव ही कमजोर रह जायगी तो आज विश्वविद्यालयों वगैरह में जो हाल हो रहा है, वही हाल होगा। इसलिये आवश्यक है कि प्राइमरी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनके वेतन की समस्या हल की जाय। उनको इतना वेतन दिया जाना चाहिये कि वह पेट भर रोटी खा सकें। तब हम अपने देश के भावी कर्णधारों का ठीक तरह से निर्माण कर सकेंगे और उनको उचित शिक्षा दे सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नवलकिशोर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये कुछ प्रकाश डाला है। मान्यवर, दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गईं। इन दो पंचवर्षीय योजनाओं में जनता का कितना धन अपव्यय हुआ है, यदि इस पर भी वह अपने अभिभाषण में कुछ प्रकाश डालते, तो अच्छा था।

श्रीमन्, मितव्ययिता की बात जो महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में कही है तो मैं देखता हूं कि मंत्रियों का वेतन घटाया जाना या उपमन्त्रियों का वेतन थोड़ा घटाया जाना ही कोई मितव्ययिता नहीं है। श्रीमन्, इसके लिए बहुत विचार करना चाहिए था, सरकार के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग हैं, उनमें किसी की तनख्वाह घटा दी जाय या मंत्री जी कत्तई तनख्वाह न लें तो कोई मितव्ययिता इतने बड़े राज्य में हो जायगी यह समझ में नहीं आता। मैं तो समझता हूं कि यह शायद सन् १९६२ का जो चुनाव आ रहा है उसी के लिये इसका जनता में एक प्रचार मात्र किया गया है।

मान्यवर, अगर मितव्ययिता करनी है तो सरकार को देखना चाहिये कि उसके विभाग में क्या हो रहा है। मैं राशन डिपार्टमेंट की बात कहता हूं कि सप्लाई विभाग ने अभी साल भर या दो साल पहले तेरह-तेरह और चौदह-चौदह रुपये मन गेहूं खरीदा। यदि मेरी जानकारी सही है तो माननीय मुख्य मन्त्री जी देखेंगे कि आज उस राशन विभाग को रीजनल फूड कंट्रोल की ओर से यह निदेश ईश्यू किये गये हैं कि वह गेहूं जो खत्तियों में जमा है वह नीलाम कर दिया जाय। गेहूं सड़ रहा है श्रीमन्। यह तेरह-तेरह, चौदह-चौदह रुपये मन का खरीदा हुआ गेहूं खत्तियों में भरा गया। फिर उसको सुखाने की या देखने की बारी नहीं आयी। इधर जनता भूखों मर रही है और उधर राशन विभाग का गेहूं खत्तियों में सड़ रहा है। श्रीमन्, यदि इसकी ठीक प्रकार से इन्क्वायरी माननीय मुख्य मन्त्री जी करायेंगे तो देखेंगे कि प्रदेश का कितना गेहूं उनके इस विभाग की लापरवाही के कारण सड़ गया। पहले यह विभाग अस्थायी था, अब स्थायी कर दिया गया है और इसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को काफी अनुभव है। श्रीमन्, एक बात और है कि राशन विभाग में जो गड़बड़ी हो जाती है उसका ठीक पता नहीं चलता। उसका एकमात्र कारण यह है कि उसका एकाउन्ट विभाग रीजनल फूड कंट्रोल के अन्डर में है।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि यह जो उसका एकाउन्ट विभाग है उसे वहां से हटाकर के ए० जी० के अन्डर में दें।

श्रीमन्, यदि मितव्ययिता करनी है तो और भी दूसरे ऐसे विभाग हैं जहां कि यह हो सकती है। जैसे कि आपका प्लानिंग विभाग, उनके बी० डी० ओज के पास कारें रहती हैं। सदन में कई बार इसकी मांग की गई कि यह जो बी० डी० ओज के पास कारें रखी गई हैं उनको वापस लिया जाय। यह सभी लोग जानते हैं कि माननीय मन्त्री जी भी स्वयं परिचित होंगे कि बी० डी० ओ० के अन्डर में ८० या १०० गांवों से अधिक नहीं होते। वह ब्लाक ऐसे सेन्टर में बनाये जाते हैं कि उनका एरिया दो मील के अन्दर ही रहता है। तो कारों के लिये कोई ठीक स्थान भी वहां नहीं होता है और हमारे प्रदेश में अभी ऐसी सड़कें ही नहीं बनी हैं कि जिससे सभी जगह कारों से पहुंच सकें। इस कारण जो कारें बी० डी० ओज को दी गई हैं उनका उपयोग कुछ नहीं होता है। उनका उपयोग यही होता है कि बी० डी० ओ० के लड़के और लड़कियां पढ़ने उसमें बैठकर जाते हैं या बाजार से सब्जी लाने में उसका उपयोग होता है या कभी सिनेमा चले गये। इसके अलावा और कोई उपयोग इन बी० डी० ओज की कारों का नहीं हो पाता है। इस प्रकार से लाखों रुपया प्रदेश का इन बी० डी० ओज की कारों के लिये खर्च हो रहा है। उन कारों के लिये लाखों रुपया पेट्रोल में भी व्यय होता है। यदि सरकार की दृष्टि मितव्ययिता की ओर गई थी तो उसकी दृष्टि उधर जानी चाहिये थी, लेकिन मैं तो देखता हूं कि जनता का लाखों रुपया ऐशो आराम, भत्ते और इन कारों पर खर्च किया जाता है।

प्लानिंग विभाग के बारे में मैं एक बात यह भी बतलाऊं कि प्लानिंग विभाग से जितना रुपया ब्लाकों के पास जाता है यदि उसकी ठीक प्रकार से इंक्वायरी की जाय, तो मालूम होगा कि वह सही रूप से व्यय नहीं होता है। जो रुपया मन्जूर होता है चाहे वह कुंयें के लिये हो, चाहे वह गलियों के लिये हो, और चाहे वह नालियों के लिये हो वह रुपया उन लोगों के लिये ही मन्जूर होता है जोकि प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते हैं। जो व्यक्ति बी० डी० ओ० या उनके क्लर्कों को प्रसन्न करते हैं या परसेन्टेज देते हैं। यदि सरकार अपनी सी० आई० डी० से इसकी जांच कराये तो पता चलेगा कि वहां पर निर्माण-कार्य ठीक प्रकार से

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

नहीं होता है। ऐसे कितने ही कुंयें मेरे क्षेत्र में और मेरे जिले में हैं कि जो पुराने कुयें थे उन कुओं के लिये रुपया मन्जूर हुआ और उनके निर्माण के लिये रुपया दिया गया, लेकिन रुपया मन्जूर होने के बाद उनकी मरम्मत कर दी गई और उसके लिये बिल बना दिया गया और बी० डी० ओ० ने पेमेंट कर दिया। इन पिछले दो पंचवर्षीय योजना काल में जो निर्माण-कार्य हुआ है उसमें कितना टिका रहा, यदि उसकी ठीक प्रकार से मुख्य मन्त्री जी जांच करायें तो वह समझ लेंगे कि यह जो मैं कह रहा हूं बिलकुल सच है। इन पंचवर्षीय योजनाओं में व्यक्ति बनाये जाते हैं। वह व्यक्ति अपना पेट भरते हैं। उनका निर्माण होता है। उससे जनता को कोई लाभ नहीं होता है इस तरह से प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है।

ढिंढोरा पीटा जाता है कि इतना निर्माण-कार्य हुआ, लेकिन इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है कि जितना कार्य हुआ उसमें से कितना कार्य टिका है। जितनी सड़कें बनीं या डाम बने उनमें से कितने कार्य टिकाऊ हुये? जो पुराने समय के पुल या सड़कें बनी हुई हैं उनको तोड़ना भी कठिन हो जाता है और तोड़ने में काफी समय लगता है, लेकिन अब जो नये पुल या डाम बनते हैं वह दूसरी वर्षा नहीं आ पाती है कि टूट जाते हैं या बह जाते हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं। सड़कों और पुलों का पेमेन्ट नहीं होता है कि वह टूटने शुरू हो जाते हैं। उनकी मरम्मत के लिये दूसरा बिल फिर लाया जाता है। इस प्रकार से आज सरकारी कार्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन सब बातों का जिक्र महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में कुछ भी नहीं किया गया है।

सरकार चाहे सम्पूर्णानन्द जी की हो या किसी दूसरे की हो यह तो बदलती ही रहती हैं, लेकिन इतना जरूर अब मुझे दिखाई देता है कि सरकार के साथ जो वक्ता थे वह जरूर बदल गये हैं। पहले वे कुछ और बातें कहते थे और अब दूसरी बातें कहते हैं। पहले वे खिलाफ बोला करते थे, लेकिन आज तारीफ करने लगे हैं। इन वक्ताओं की वाणी जरूर बदल गई है, कार्य बदल गया हो ऐसी बात नहीं है, और न मन्त्री का कार्य बदला है। ऐसी हालत हो गई है कि सरकार को पता नहीं चलता कि कब आ जायें और कब वह खिसक जाये। यही कारण है कि इतने महत्वपूर्ण महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के चलते समय एक भी कैबिनेट मिनिस्टर यहां नहीं बैठता। मान्यवर, आपने देखा होगा कि पिछले तीन दिन में व्यवस्था मांगी गई कि जब इतने महत्वपूर्ण भाषण हो रहे हैं उस समय एक राममूर्ति जी तो यहां रहे हैं, जो भी कभी-कभी गायब हो जाते हैं, लेकिन और कोई मन्त्री उपस्थित नहीं रहा।

सरकार के समक्ष तो केवल अब दो बातें हैं---एक तो सन् १९६२ तक कैसे वह अपनी नाव पार करे और दूसरे सन् ६२ के बाद कैसे सरकार बनाई जाय। इसी में सारा प्रदेश आज बरबाद हो रहा है। हमारे लिये तो सब समान है, जैसा हमने डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की सरकार का स्वागत किया, चाहे कोई भी सरकार आये, विरोधी उसी प्रकार उसका स्वागत करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपसी गुटबन्दी तथा धड़े बाजी को समाप्त किया जाय, माननीय मुख्य मन्त्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त जी इस ओर ध्यान दें और कुछ अपने विभागों को कसने का प्रयास करें ताकि प्रदेश का फायदा हो क्योंकि प्रदेश का फायदा किसी एक व्यक्ति के फायदे से अधिक बड़ा है।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मन्त्री आपके पैर में चोट है इसलिये आप बैठ कर ही बोल सकते हैं। विरोधी दल के नेता से पूरी बराबरी अब हो गई।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, तीन रोज से श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर, जो उन्होंने सदन के समक्ष दिया, टीका-टिप्पणी और इसके सम्बन्ध में सुझाव स्वतः सुनने का अवसर मुझे मिला तथा अनुपस्थिति में अपने कमरे में भी कुछ भाषणों को सुनने का अवसर मिला। मैं उन सब सुझावों के लिये, जो माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रश्नों के ऊपर समय-समय पर इस सदन में दिये हैं तथा इस अवसर पर दिये हैं, उनका अनुगृहीत

हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनके वे सुझाव, जो शासन के सुधार में और उसको स्वस्थ बनाने में सहायता प्रदान करेंगे, उन पर सरकार अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनपर अमल करने की चेष्टा करेगी।

वे टीका-टिप्पणियां और आलोचनायें, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में इस सदन में प्रस्तुत की गई हैं, कई प्रकार की हैं और कई विषयों से सम्बन्ध रखती हैं। उन सब विषयों की चर्चा थोड़े से समय में इस सदन में उत्तर के रूप में मैं नहीं कर सकूंगा, परन्तु मैं मोटे तौर से उन सब बातों को अवश्य सदन के समक्ष रखने की धृष्टता करूंगा जो टीकाटिप्पणी के रूप में इस अभिभाषण के सम्बन्ध में कही गई हैं। मुख्यतः मैं उन माननीय सदस्यों तथा विरोधी दलों के नेताओं की बातों की चर्चा करूंगा जिनको उन्होंने इस सदन में आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया है।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अब की कदाचित् पहली बार इतने संक्षिप्त रूप में रखा गया। इसका मुख्य कारण था और वह यह कि बहुत-सी नीतियां, बहुत-सी घोषणाएं समय-समय पर कांग्रेस दल की ओर से, कांग्रेस की सरकार की ओर से होती रही हैं। उन तमाम बातों को इस अवसर पर दोहराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। आखिर जो सरकार आज फिर से बनी है वह कांग्रेस दल की ही तो सरकार है। उस पहली सरकार की नीतियों के विरोध में या उन घोषणाओं के विरोध में, जिन्हें समय–समय पर किया गया है, कार्य करने के लिये यह सरकार नहीं आई है। यह सरकार उन्हीं नीतियों की पुष्टि और समर्थन करने के लिये आई है जो समय–समय पर कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस सरकार की ओर से तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से घोषित होती रही हैं। इसलिये इस भाषण में, यदि कोई नई नीति निर्धारित न होने के कारण, कोई नई नीति की चर्चा नहीं की गई है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है।

जहां तक कांग्रेस की नीतियों का सम्बन्ध है और उन शासकों का सम्बन्ध है जो कांग्रेस की ओर से इस प्रदेश के शासन को चला रहे हैं, उनमें कोई नई नीति शासन की ओर से निर्धारित नहीं की जा सकती है। जो हमारी नीतियां हैं, वे तो सर्वविदित हैं और नीतियों की जगह तो कांग्रेस संगठन है और वह स्थान है जहां से कांग्रेस अपने आदर्शों का पालन करना चाहती है। जो समय–समय पर हमारी घोषणायें होती हैं उन्हीं को सम्पादित करने की हम लोग चेष्टा करते हैं और जो सरकारें कार्य करती हैं वे उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करती हैं। तो ऐसे समय में जबकि थोड़ा समय ही शेष है जबकि बजट हमारे सामने पेश होगा और उसमें उन बहुत से कार्यों का तथा नीतियों का जिनका अगले वर्ष के कार्यक्रम से सम्बन्ध होगा, घोषित की जायेंगी और उस समय सदस्यों को अवसर रहेगा उन नीतियों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने का और उनके सम्बन्ध में टीका–टिप्पणी करने का। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि इस अवसर पर कोई ऐसी चीज राज्यपाल महोदय के भाषण में न रखी जाय जोकि महज दोहराने के लिये ही हो क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, नीतियां तो समय–समय पर हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री जी द्वारा और उनके साथियों द्वारा तथा कांग्रेस की ओर से बार–बार घोषित होती रही हैं।

आज आवश्यकता तो यह है कि जो भी नीतियां कांग्रेस ने घोषित कर रखी हैं, जो प्रोग्राम अब तक हम बना चुके हैं और जिन्हें हम अपनी योजनाओं के तहत में मन्जूर भी कर चुके हैं, उनको किस प्रकार से पूरा किया जाय और स्वस्थ परम्पराओं को स्थापित किया जाय। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उन स्वस्थ परम्पराओं को जन्म दें और उससे स्वस्थ शासन हमारे बीच में बने और उससे हमारे बीच में वह वातावरण बने जिससे अधिक से अधिक जनता की सेवा हो। आज आवश्यकता है एक स्वस्थ शासन की, आज आवश्यकता है तेजी के साथ काम करने की, आज आवश्यकता है उन घोषणाओं को पूरा करने की जो समय–समय पर यहां पर होती रही हैं और जो इस सदन के बाहर कांग्रेस के नेताओं द्वारा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

तथा कार्यकर्ताओं द्वारा इस देश और प्रदेश में प्रसारित की जाती रही हैं। इसलिये आज कोई नई पालिसी या नीति को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय नेता विरोधी दल ने यह आपत्ति की थी कि इस भाषण में कोई नई चीज उन्हें देखने को नहीं मिली। मेरा कथन है कि नई चीज तो उसी तत्वावधान में होगी जो आगे आने वाले वर्ष में हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की तहत में करने जा रहे हैं। तृतीय योजना के उद्देश्य और ध्येय प्रसारित हो चुके हैं और उनकी चर्चा भी समय-समय पर इस सदन में हो चुकी है। तो यह सरकार भी उसी योजना की तहत में उन कार्यों को सम्पादित करेगी कि जिनका ध्येय उस योजना की तहत में निर्धारित कर दिया गया है। इस कारण उस लम्बे चौड़े भाषण के स्थान पर संक्षेप में उन्हीं चीजों का जिक्र किया गया है जो कि एक मोटे तौर से सरकार आगे आने वाले समय में पूरा करने जा रही है। हो सकता था कि यदि हम हर चीज का ब्योरेवार जिक्र उसमें करते तो अधिक इस सदन के सदस्यों को प्रकाश मिलता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई और इसलिये उसको अधिक ब्योरेवार देने के विषय में हमने कोई चर्चा उस सम्बोधन में नहीं की।

आपत्ति और आलोचना इस विषय की हुई कि सरकार ने जो मन्त्रियों के सुभीते और वेतन इत्यादि में कुछ परिवर्तन किये हैं वे तो एक ढोंग स्वरूप हैं, उनके पीछे कोई भावना नहीं है, उनके पीछे महज एक प्रचार की भावना है। मैं, अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज अच्छी है और जो प्रदेश के हित में हम कदम उठाने वाले हैं उसको इस तरह से कहकर वातावरण को अशुद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। आज हम में से कौन ऐसा है जो यह नहीं जानता कि हमें अधिक से अधिक साधनों को मुहइया करना है, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना है और धन हमें ऋणों के द्वारा इकट्ठा करना है, करों के द्वारा इकट्ठा करना है और बचत के द्वारा इकट्ठा करना है। हम ऐसा महसूस करते हैं, जैसे सदन के सदस्य महसूस करते हैं कि हम अपने खर्चे में कमी ला सकते हैं और उससे हम उन चीजों को और उनके कार्यान्वित करने में प्राथमिकता दे सकते हैं जो नितान्त आवश्यक हैं, जिनके आधार पर लोगों का स्तर ऊंचा किया जा सकता है, लोगों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसी भावना से प्रेरित रहते हुये हमने मन्त्रियों के भत्ते में, उनकी तनख्वाहों में कमी की और इसी भावना से प्रेरित होकर अपनी और अपने मंत्रियों की मिसाल प्रस्तुत करके उस बचत की योजना और उस कमी की योजना को शासन के अन्दर फैलाने की चेष्टा की। इसके पीछे हमारा यह उद्देश्य था कि स्वतः मन्त्रिगण, स्वतः वे लोग जो गवर्नमेंट का संचालन करते हैं और जो स्वतः बचत और कमी जगह-जगह पर देखना चाहते हैं, वह स्वतः उस ओर अग्रसर हों और मिसाल पेश करें। हम जानते थे कि जो कमी हम मन्त्रिगण की तनख्वाहों में करेंगे या उनके भत्ते में करेंगे वह हमारे १४० करोड़ के बजट में बहुत नगण्य-सी दिखाई पड़ेगी, परन्तु जैसी हमने ख्वाहिश इस कमी के सिलसिले में रखी थी, मैं प्रसन्नतापूर्वक यह इस सदन के सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि जिस भावना से प्रेरित होकर हमने यह कार्य किया था वह हमारी भावना और प्रेरणा उन लोगों तक पहुंची है जिनके बीच में हम यह कमी और बचत की योजना प्रस्तुत करना चाहते थे।

इस ७ हफ्ते के दौरान में जो निर्णय हमने लिये और जिन निर्णयों के सिलसिले में हमारे अधिकारियों ने कार्य करना प्रारम्भ किया, हमारे वित्त विभाग का यह कहना है कि उससे ५० लाख रुपया हर साल हमारी बचत का कार्य प्रारम्भ हो गया। यानी जो कुछ अभी तक हम ने स्टेप लिये हैं--मन्त्रियों की तनख्वाहों की कमी, उसमें भत्ते की कमी, उसमें सरकारी कर्मचारियों को जो भत्ता मिलता है टूअर इत्यादि के सिलसिले में और जो मकान इत्यादि में हमने परिवर्तन किया है, बड़े-बड़े मकानों में दफ्तर इत्यादि रख दिये हैं और मन्त्रियों को छोटे-छोटे मकानों में रहने के लिये आमन्त्रित किया है और जो बहुत-सी फिजूल खर्ची थी कि जहां

दो आदमियों की जगह पर एक आदमी काम कर सकता था उसमें कमी लाकर हमने काम प्रारम्भ किया है, जिसके लिये थोड़ा समय ही हमें निर्णय करने और सोचने विचारने को मिला है उससे ५० लाख रुपये का रेकरिंग एक्सपेन्डीचर हमने बचाया है (तालियां)।

यह ५० लाख की रकम भी कोई भारी रकम नहीं है, १४० करोड़ रुपये के बजट में प्रति वर्ष बचाने के लिये, लेकिन मैं नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो हमारा पहला कदम है उधर चलने का, जिधर हम सब चलना चाहते हैं और चलकर प्रदेश में अधिक से अधिक खर्च में कमी लाकर उन चीजों पर अधिक व्यय करना चाहते हैं जिन पर व्यय करने की नितान्त आवश्यकता है, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा।

अभी एक सदस्य इसी भत्ते इत्यादि के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। वह जीप इत्यादि, मोटर इत्यादि पर चलने फिरने में जो व्यय होता है उसकी चर्चा कर रहे थे। मैं नम्रता से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम उधर ही चल रहे हैं, चलना चाहते हैं जिधर उनकी चलने की ख्वाहिश है।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो बताया गया कि सरकार ने आते ही आते ६-७ आर्डिनेन्सेज जारी कर दिये और सरकार का संचालन उन ढंगों से करना आरम्भ किया जो जनतान्त्रिक परम्पराओं के विरुद्ध हैं। मैं उन परिस्थितियों का जिक्र नहीं करना चाहता जिनसे इन चन्द महीनों में प्रदेश को गुजरना पड़ा है और न उन बातों की ही चर्चा इस अवसर पर करना चाहता हूं जिन बातों के कारण मन्त्रिमन्डल में परिवर्तन हुआ, एक नया मन्त्रिमन्डल प्रदेश में बना। यह घटनायें ऐसी हैं, जो सदन के सदस्यों की नजरों के सामने से गुजरी हैं और वे उनकी भलीभांति जानकारी रखते हैं। जब नया मन्त्रिमन्डल बनता है तो उसे कुछ सोचना भी होता है, कुछ विचारना भी होता है और बहुत-सी चीजों का उसे अध्ययन करना होता है। स्वतः मैं तो तीन-चार साल से शासन से अलाहदा था और शासन से अलाहदा रहने के कारण मुझे बहुत-सी चीजों की जानकारी नहीं थी और बहुत-सी चीजों की जानकारी तो अब तक भी नहीं हो पाई है क्योंकि सब जानकारियों को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता ही है। मेरे कई साथी भी शासन से अपरिचित थे। इसलिये यदि हमने उस समय जबकि नया मन्त्रिमन्डल बना, उसके थोड़े ही दिन बाद हमने विधान सभा या विधान परिषद् का सेशन नहीं बुलाया तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है ? आखिर किसी शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये इस बात की आवश्यकता होती है कि जो शासन चलाने वाले हैं वह चीजों को समझें भी तो, वह जानकारी भी तो प्राप्त कर लें। वह जब तक जानकारी प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक इस सदन के सामने न तो अपने अनुदान प्रस्तुत कर सकेंगे और न उन विषयों के सम्बन्ध में अधिकारपूर्ण रूप से बात ही कर सकेंगे। तो यदि हमन सेशन दो महीने तक नहीं बुलाया और उन दो महीनों में जो कार्य हमको पूरे करने थे, वह हमारी नजरों के सामने आये और जोकि आवश्यकीय कार्य थे, जो जरूरी कार्य थे, वह कार्य बिना आर्डिनेंस के कैसे पूरे किये जा सकते थे।

मैं उन माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा जिन्होंने इस सम्बन्ध में आपत्ति की है। स्वतः मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो ऐसा समझते हैं कि शासन में आर्डिनेंस लागू करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, लेकिन जो परिस्थितियां हमारे बीच में आईं क्या उनके अनुसार यह आवश्यकीय नहीं था कि हम उन विषयों के सम्बन्ध में आर्डिनेन्स लाते जोकि बहुत जरूरी थे ? कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमें में हमारे विरुद्ध फैसला दिया जिससे हमारी करोड़ों रुपये की आमदनी पर असर पड़ने वाला था। वह कार्य ऐसा था जो शीघ्रता से होना चाहिये था। क्या सदन यह पसन्द करता कि वह रुपया जो हम इकट्ठा करते हैं सेस के द्वारा वह मिल-मालिकों की जेबों में बना रहे और वे मिल मालिक सरकार के खिलाफ अदालत में जाकर फिर मुकदमेबाजी करें और कहें कि जो वर्षों से सेस का रुपया इकट्ठा कर लिया गया है उसे सरकार वापस करे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन का कोई

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सदस्य इस तरह की नीति को बरतना नहीं चाहता था और न बरतना चाहेगा। तो ऐसी हालत में यदि हमने उस रकम को सरकारी कोष में रोकने का प्रयास किया और आगे भी उस सेस को इकट्ठा करने का प्रयास एक आर्डिनेंस द्वारा किया तो क्या हमने यह कोई ऐसी कार्यवाही की है जिसके खिलाफ आवाज उठ सकती है? यदि हमने मंत्रियों के वेतन में आर्डिनेंस के द्वारा कमी की और प्रारम्भ से मंत्रियों की यूनीफार्म तनख्वाहें रखने का प्रयत्न किया तो क्या वह कोई ऐसी चीज़ की है जिसको सदन की धारणा के विरुद्ध कहा जा सकता है? कई आर्डिनेंस जो जारी किये गये वे उन्हीं पिछली बातों से सम्बन्ध रखते थे जिन पिछली बातों के सम्बन्ध में बहुत ज़माने से, समय-समय पर इस सदन में विचार होता रहा है और यह सदन अपने विचार उनके सम्बन्ध में दे चुका है। ऐसी हालत में यह कहना कि यह सरकार आयी और इसने आर्डिनेंसेज के द्वारा शासन करना शुरू कर दिया, उसके सम्बन्ध में नम्रता से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह कथन और दृष्टिकोण सही नहीं है। जिन परिस्थितियों में सरकार को यह करना पड़ा उन परिस्थितियों को सहानुभूतिपूर्वक इस सदन को देखना चाहिये और फिर उसको इस कार्य की आलोचना करनी चाहिये।

जहां इन आर्डिनेंसेज़ की आलोचना की गयी और हमने कोई नयी पालिसी नहीं रखी, इसकी आलोचना की गयी तथा बचत की आलोचना की गयी वहां इन बातों की तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन बातों की बिला वजह शिकायत हुई।

विश्वविद्यालय के उपकुलपति चुनने के सम्बन्ध में सरकार ने नयी नीति घोषित की है और जिसके विषय में एक बिल वह लाना चाहती है, वह नीति भी कोई नयी नीति नहीं है। यह नीति वही नीति है जिसको यह सदन स्वतः स्वीकार कर चुका है। उस नीति के तहत में विश्वविद्यालय में उपकुलपति को चुनने की योजना गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिये इस सदन ने बनायी है। उसके बारे में इसी सदन ने एक विधेयक स्वीकार किया है, यदि वही योजना दूसरे विश्वविद्यालयों में भी जारी कर दी जाय तो वह किस प्रकार से नयी योजना है, उसमें नया परिवर्तन कौन-सा है? और यह योजना तो इस सदन ने सबसे आखिर में स्वीकार की थी क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो अधिनियम है वह सब से बाद में बना है और लखनऊ और इलाहाबाद के अधिनियमों में जो परिवर्तन हुए वे पहले हुए थे। बाद में तो गोरखपुर और संस्कृत विश्वविद्यालयों के अधिनियम बनाये गये थे। इन अधिनियमों में इस सदन ने और कौंसिल ने जिन उसूलों का प्रतिपादन किया था उन्हीं को हम लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिये रखना चाहते हैं। वह क्यों रखना चाहते हैं उसका कारण तो माननीय सदस्यगण स्वयं जानते ही हैं कि उनके न होने से विश्वविद्यालयों का वातावरण किस प्रकार का बना हुआ है। यदि उसमें हम परिवर्तन करने की बात करते हैं तो यह आपत्ति की जाती है कि हम यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर अनधिकार चेष्टा या हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय का अधिनियम घोषित हुआ और इसी सदन ने उसको स्वीकार किया तब क्या यह सदन यह भूल गया था कि वह उस नीति को पसन्द नहीं करता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो नीति गोरखपुर और संस्कृत विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के चुनाव के सम्बन्ध में इस सदन ने स्वीकार की थी और जिस नीति को विशेषज्ञों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये पार्लियामेंट में रखा था कि उपकुलपति के चुनाव में उसको लोगों के वोटों का आश्रित नहीं बनना चाहिये परन्तु उसका चुनाव के लिये विशेषज्ञों की सलाह से, निष्पक्ष विशेषज्ञों की सलाह से एक पैनल तैयार होना चाहिये और उस पैनल से चान्सलर महोदय एक व्यक्ति को उपकुलपति के लिये चुन लें। तो मैं कहना चाहता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय और अपने यहां स्वतः गोरखपुर विश्वविद्यालय के तजुर्बे के बाद जो नियम, अधिनियम या कायदे बनाये गये हैं, यदि वे ही कायदे इन विश्वविद्यालयों में रख दिये जायं तो क्या इन विश्वविद्यालयों के होने वाले वाइस चांसलर उन वोटों की दौड़धूप से नहीं बच जायेंगे जो उन्हें जगह-जगह दौड़ धूप करके वोट प्राप्त करने में करनी पड़ती है?

आज विश्वविद्यालयों के अन्दर जो परिस्थिति है वह इस बात की मांग करती है कि किसी विश्वविद्यालय का उप-कुलपति ऐसा व्यक्ति हो जो विद्यार्थियों में सम्मान प्राप्त करता रहे, जो अध्यापकों में सम्मान प्राप्त करता रहे और जो अपने शिक्षा काल में सदा ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने सदैव उच्च आदर्श अपनाने की चेष्टा की हो और जो अपने उच्च आदर्श के द्वारा सदा विद्यार्थी समाज में श्रद्धा का पात्र बना रहे। यदि सरकार की ओर से इस बात की चेष्टा की जाती है तथा दूषित वातावरण को बदलने के लिये यदि विश्वविद्यालयों के अधिनियम में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो यह दोषारोपण किया जाता है कि सरकार अपने किसी पिट्ठू को वहां रखना चाहती है। जिन लोगों के हाथ में यह काम सुपुर्द होने वाला है, यदि यह समझा जाय कि वे सरकार के पिट्ठू को रखेंगे तथा वे इस भावना के होंगे, तो उसके सिलसिले में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन क्या कोई यह कह सकता है कि जो इस प्रदेश का चीफ जस्टिस उस कमेटी में होगा वह सरकार के किसी पिट्ठू को रखने की चेष्टा करेगा? यह सरकार निष्पक्ष भावना से प्रेरित होकर उस पैनेल में ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहती है जिनको सभी जगह मान्यता मिली हो और जिन्हें विद्यार्थियों के बीच में और उनके हृदय में जगह पाने के लिये काफी क्षमता हो। यदि आज इस प्रकार से परिवर्तन की और विधान में इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता पड रही है, उसके सिलसिले में सरकार के ऊपर दोषारोपण लगाया जाय तो मैं सरकार की ओर से इतना ही नम्रता से कह सकता हूं कि वह दोषारोपण पूर्णतया भ्रमात्मक है।

हम विश्वविद्यालयों के अन्दर एक स्वस्थ परम्परा और स्वस्थ वातावरण चाहते हैं। हम वहां शिक्षा और अध्ययन का वातावरण चाहते हैं तथा विद्यार्थियों को उन परम्पराओं की तहत में ले जाना चाहते हैं जहां चल कर और जहां शिक्षा प्राप्त करके वे अपने को कल का ऐसा नागरिक बना लेंगे जो देश के लिये उपयोगी नागरिक होकर अपने को देश के कार्य में जुटा सकें। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने उस अधिनियम में परिवर्तन करने की योजना बनायी है जिसे सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

श्री राजनारायण——यह भी तो बतला दीजिये कि राज्यपाल ही चांसलर क्यों रहें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——राज्यपाल ही चांसलर इसलिये रहें क्योंकि अपने प्रदेश में बहुत से विश्वविद्यालय कायम हुए हैं और उत्तरोत्तर कायम होते चले जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के सारे खर्चे का भार सरकार को वहन करना पड़ता है। यदि राज्यपाल चांसलर रहते हैं तो विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों के निर्मित करने में एक संतुलित नीति बरत सकेंगे। यदि कोई विश्वविद्यालय कोई विभाग खोलते हैं तो वे चांसलर की सलाह से ही खोल सकेंगे। ऐसा न करने पर चांसलर गवर्नमेंट को सलाह दे सकता है कि फलां विश्वविद्यालय में फलां विभाग पहले से खुला हुआ है इसलिये फलां विश्वविद्यालय में फलां विभाग खोलने की इजाजत न दी जाय। इस तरह से एक यूनिफार्मिटी होगी और सारे विश्वविद्यालयों की नीति में एक संतुलन कायम रहेगा।

क्या हम और आप नहीं जानते हैं कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहते हुए भी हम प्राइमरी शिक्षा को वह सहायता नहीं दे रहे हैं जो कि हमें देनी चाहिये? क्या हम और आप नहीं जानते हैं कि हम प्राइमरी स्कूल के टीचरों को उतनी भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं जितनी कि हमारे चपरासी पाते हैं? तो हमें उनकी तनख्वाह को बढ़ाना है। यदि इसी तरह से विश्वविद्यालय खुलते रहे तो हमारी सरकार के ऊपर करोड़ों रुपये की लाइबिलिटी बढ़ जायगी। तो उस लाइबिलिटी को न बढ़ने देने के लिये तथा वहां का सही वातावरण बनाये रखने के लिये राज्यपाल का ही चांसलर रहना आवश्यक है जिससे वे सरकार से बातचीत करके और सही जानकारी प्राप्त करके उन्हें सही और ठीक सलाह दे सकें। हमारी मंशा राज्यपाल को वहां रखने से यह नहीं है कि राज्यपाल हमारे आदेशों के द्वारा इन शिक्षा संस्थाओं को संचालित

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

करें। आज भी बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि जिन में राज्यपाल स्वतः निर्णय लेते हैं और उनके द्वारा वह विश्वविद्यालयों को चलाते हैं।

श्री राजनारायण---केवल यह कहने की बात है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं श्री राजनारायण जी की बहुत-सी बातों को तो समझा नहीं सकता, यद्यपि सदन के बाहर तो मैं उनको समझाने और रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अपने दुराग्रह के कारण वह मेरी बातों पर विचार नहीं करते। फिर भी मेरा तो यही विश्वास है कि जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा, अच्छी बातें उनकी समझ में स्वतः आती चली जायंगी, वह हमारी बातों को याद करेंगे और अपने रास्ते को बदलने में वह क्षमता दिखायेंगे जिसका कि दिखलाना नितान्त आवश्यक है।

श्री राजनारायण जी ने अपनी टीका-टिप्पणी के सिलसिले में हिन्दी के विषय में बहुत चर्चा की और इस बात पर बहुत जोर दिया कि सरकार हाई कोर्ट में और हर स्थान पर हिन्दी के प्रसार में कमी दिखलाती रहती है। जहां तक हाई कोर्ट का सम्बन्ध है जैसा कि हमारे संविधान में आदेश है और जैसा कि सब को पता है कि १५ साल तक जितने भी जजमेंट्स और डिक्रीज या आर्डर्स हैं वे सब अंग्रेजी भाषा में ही होंगे।

श्री राजनारायण---ऐसा नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष---आप उनको भाषण देने दीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कल जब आप बहुत जोर से बोल रहे थे उस समय मैंने एक शब्द भी बोल कर आपको भाषण के दौरान में नहीं टोका, जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो स्वस्थ परम्पराओं का तकाजा है....

श्री अध्यक्ष---आप भाषण जारी रखें, मैं उनको रोक दूंगा।

श्री राजनारायण---वह संविधान को गलत समझे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप सीधे बात न करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह जिस हिन्दी के प्रसार की चर्चा करते हैं, जहां तक हिन्दी के प्रसार का सम्बन्ध है हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है। इस सरकार का और सभी प्रदेश की सरकारों का यह कर्तव्य है कि सब हिन्दी के प्रसार में जुटें और ऐसा समय शीघ्रता से अपने बीच में लायें कि जिस से वास्तविक ढंग से हिन्दी राष्ट्र की भाषा बन सके। सभी प्रदेशों की सरकारें और केन्द्रीय सरकार इस काम में जुटी हुई हैं, लेकिन हिन्दी के विषय में ऐसा कोई रिजिड ऐटीट्यूड दृष्टिकोण हमें नहीं बनाना है कि जिससे दक्षिण के अहिन्दी प्रदेशों में ऐसी भावना पैदा कर दें कि हम हिन्दी को लेकर, उसको राष्ट्रभाषा बना कर हिन्दी का एक इम्पीरियलिज्म उनके दिलों पर स्थापित कर रहे हैं। आज जो उस भाषा से अपरिचित हैं और जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनमें ऐसा भाव कदापि नहीं आने देना है। आज देश को काश्मीर से केप कामोरिन तक एक बनाये रखना है। आज यह आवश्यक है कि जो भी कदम हम उठायें भाषा के सम्बन्ध में उसमें हमारी भावना यदि रहे कि अभी जो भाई उस भाषा का अध्ययन नहीं कर पाये हैं उनको अपने स्तर पर, भाषाई स्तर पर जल्द से जल्द लायें और उनकी भावनायें भी अपनी दृष्टि के सामने रखें, हमारी ऐसी योजनायें हिन्दी के प्रसार के लिये हों कि हम सबकी सद्भावनायें लेकर आगे बढ़ सकें। मुझे कई बार केन्द्रीय कमेटियों में दक्षिण के मंत्रियों के साथ बैठने का अवसर मिला है जो आज भी अपने को इस विचार में सान नहीं पाये हैं कि हिन्दी देश की राष्ट्र-भाषा बन कर रहे। ऐसे व्यक्तियों को अपना साथी और सहायक बनाना है और ऐसे व्यक्तियों से सद्भावना प्राप्त करना है तभी हम

हिन्दी को वास्तव में राष्ट्र भाषा का आसन प्रदान कर सकते हैं और उचित मात्रा में हिन्दी की अधिक सेवा कर सकेंगे । यदि हमने उत्तर में हिन्दी के इम्पीरियलिज्म को कायम करने में अपना समय दे दिया और दक्षिण के व्यक्तियों को अपना साथी नहीं बनाया तो मैं कहता हूं कि हमारी चाहे जितनी चिन्ता हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने के लिये विभिन्न योजनाओं के द्वारा हो हम उसमें सफल नहीं हो सकेंगे। तो जहां तक उनके जोश का सम्बन्ध है हिन्दी के प्रति जहां तक उनके उत्साह का सम्बन्ध है, मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं। लेकिन उनसे और उन सब व्यक्तियों से जो कि हिन्दी को वास्तविक राष्ट्रभाषा का स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि उस कदम को इस तरह से चलाने की चेष्टा कीजिये जिससे कि सारे भारतवर्ष के लोग हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्थापित कर सकें और वास्तविक रूप में हिन्दी राष्ट्र-भाषा बन सके। यदि हमने उत्तर में हिन्दी के सिलसिले में बहुत जोर और जब्र का तरीका बरता तो उससे देश का भला नहीं होने वाला है। उससे देश की एकता बंधने वाली नहीं है। मैं इसलिये श्री राजनारायण जी से जिन्होंने बहुत तीव्र आलोचना इस सरकार की की थी, निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हाई कोर्ट का सम्बन्ध है--और हाई कोर्ट के सम्बन्ध में यह बात भी जरूरी होती है कि हम हाई कोर्ट से भी राय लें--हमने हाई कोर्ट के पास उस सुझाव को भेज देने के लिये आदेश दिया है। अलावा उन तीन चीजों के जिनके विषय में हिन्दी का इस्तेमाल अभी १५ वर्ष तक नहीं हो सकता है। किन चीजों में हाई कोर्ट में हिन्दी का इस्तेमाल हो सकता है, यह राय हम हाई कोर्ट से जान रहे हैं। जब यह राय हमारे पास आएगी तो अवश्य हम राजनारायण जी को बुलाएंगे और उनकी राय को दिखाएंगे और उसके बाद वह ऐसी चीज सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो कोई कारण नहीं कि यह सरकार जो हिन्दी के सम्बन्ध में अगुवा रही है वह हिन्दी का प्रसार हाई कोर्ट या अन्य स्थानों पर जहां उसका प्रसार न हुआ हो, करने की चेष्टा न करे।

एक विषय कई साथियों ने उम्र के सिलसिले में भी उठाया था कि सारे देश में रिटायरमेंट की एज ५५ है और यहां ५८ कर दी गई है। शायद राजनारायण जी ने भी अपना कोई सुझाव मेरे पास भेजा था। वह सुझाव भी विचारा जा रहा है। स्वतः मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनकी राय आज ही नहीं बल्कि इससे पूर्व भी यह रही है और नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में जब इस प्रदेश के नियोजन मंत्री के नाते मैं जाता था और जब वहां पर इस प्रश्न के ऊपर कोई मामला विचारा गया था तो मैंने इस प्रदेश की सरकार के विचारों को उनके समक्ष रखा था और वह ५५ साल की रिटायरमेंट की एज की ही बात थी। आज हम और आप जानते हैं कि ५५ साल और ५८ साल के विषय में, केन्द्रीय सरकार ने जो पे कमीशन बैठाया था, उसने भी विचार किया और उसने कदाचित् यह सिफारिश की कि ५८ साल की उम्र मंजूर की जाय। लेकिन उस रिपोर्ट के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार ने ५५ साल की एज को स्वीकृति दी। हम भी अपने आप को केन्द्रीय सरकार और अन्य प्रदेशों की सरकार से इस सम्बन्ध में अलग नहीं रखना चाहते। परन्तु ५८ साल की एज का यहां पर एक निर्णय हो चुका है और जब तक उस निर्णय के विषय में और इस विषय में कि यदि हम ५५ वर्ष के निर्णय पर फिर से पहुंचें तो उसके क्या इम्प्लीकेशन्स होंगे, क्या-क्या बातें हमारे सामने आएंगी, उन सबका अध्ययन न कर लें तब तक कुछ करना ठीक न होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रश्न आज विचाराधीन है और जैसा मैंने कहा मैं तो उन व्यक्तियों में से हूं जिसने कि नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो ५५ साल की उम्र की ही बात कही थी। तो मैं आज भी उसी बात का मानने वाला हूं। लेकिन जो निर्णय पहले हो चुका है उस निर्णय को हमें तोल लेना है और उसके क्या-क्या पहलू हैं उनको अध्ययन कर लेना है, तभी हम कोई घोषणा कर सकते हैं कि हम आइंदा रिटायरमेंट एज क्या रखेंगे।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कई और प्रश्न हमारे समक्ष रक्खे गये और वह पंचायत से सम्बन्ध रखते थे। देहात की गरीबी से सम्बन्ध रखते थे। देहातों में गरीबी है इस बात का तो मैं विरोध नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि देहात में गरीबी है, लेकिन इन १०, १५ वर्षों में देहात के रहने वाले का स्तर ऊंचा हुआ है। कोई इसको अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं सकता। आज देहात का किसान वह किसान नहीं है जो २०, २५ साल पहले था। आज उसमें परिवर्तन है, उसके स्तर में तबदीली है। भले ही अभी उसको उच्च स्तर तक पहुंचने के लिये परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह परेशानियाँ और दिक्कतें ६ महीने या साल भर में जाने वाली नहीं हैं। इनके जाने के लिये समय चाहिये।

विरोधी दल के नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है और राज्यपाल महोदय ने भ्रष्टाचार के रोकने के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं कही है। इस विषय में भी मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात तो सुनते-सुनते हम लोग अघा गये। भ्रष्टाचार है इससे कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन क्या भ्रष्टाचार महज इस सदन में लम्बे-लम्बे भाषण देने से या सदन के बाहर प्लेटफार्म पर उसकी चर्चा करने से हमारे बीच से हटने वाला है? भ्रष्टाचार तब जायेगा जब हमारे समाज का स्तर ऊंचा उठेगा और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उससे लड़ने के लिये उद्यत रहेगा। यह नहीं हो सकता कि यहां सरकार अपने अधिकारों से, कानूनों से चन्द व्यक्तियों को सजा देने से भ्रष्टाचार में रुकावट डाल दे। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में सने होंगे सजा देगी, उन व्यक्तियों को सजा देगी जो इस जुर्म में पकड़े जायंगे, यह उसका कर्तव्य है और उसको उसे निभाना चाहिये, जब जब उसके सामने इस प्रकार के प्रश्न आयें। लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार समाज का कलंक है और जब तक समाज में प्रत्येक व्यक्ति उससे लड़ने के लिये तैयार नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। आखिर सरकारी कर्मचारी हैं कौन? वे भी तो इसी सदन के सदस्यों के कोई रिश्तेदार हैं, कोई भाई है, भतीजा है, बेटा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है। आखिर को जब तक बाहर समाज में भ्रष्टाचार के प्रति वह प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न नहीं होगी जो होनी चाहिये तब तक भ्रष्टाचार हटेगा कैसे? हम रोजमर्रा भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं अधिकारियों के बारे में यह भी कोई शोभनीय बात नहीं है। अगर हमको इस कलंक से लड़ना है तो प्रत्येक दल के व्यक्ति को सहयोग देना पड़ेगा और प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को और सामाजिक जीवन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति को उससे भिड़ना होगा। तब समाज का स्तर निखरेगा और एक बदले स्वरूप में हमारी नजरों के सामने दिखाई पड़ेगा। उसके लिये हम सब को कार्य करना है तथा निजी जीवन में उन गुणों को लागू करना है और दिखाना है कि हम किसी भी जगह उसके साथी नहीं बनेंगे, सदा भ्रष्टाचार के विरोधी बन कर रहेंगे। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? हममें से जो बहुत ज्यादा पढ़े हैं और जो बहुत सी परम्पराओं से परिचित हैं क्या वे आज रोजमर्रा के जीवन में अपने निजी स्वार्थों के लिये भ्रष्टाचार के बढ़ाने में सहायता प्रदान नहीं करते हैं? क्या हमारे वकील लोग जो काफी पढ़े-लिखे हैं या तिजारत करते हैं और वे लोग जो अन्य जगहों पर जिम्मेदारी का काम करते हैं उन्हें उस भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति से क्या हम लड़ते-भिड़ते देखते हैं? वह वकील जो रोजमर्रा कचहरी में काम करता है और वकील तो हमारे समाज का वह एक तबका है जो बहुत पढ़ा-लिखा है, जो बहुत-सी बातों में हमारा अगुवा रहा है, आज क्या वह कचहरी में भ्रष्टाचार के साथ भिड़ता है? क्या सदा वह उसकी पार्टी नहीं रहता और मुन्सरिम को २, ३,४ रुपया देकर मुकदमे की तारीखें नहीं बढ़वाता? क्या उस शिक्षित व्यक्ति का जो समाज में काम करता है उसका कर्तव्य नहीं है कि वह भ्रष्टाचार को मिटाने में सहयोग दे? अवश्य उसका भी कर्तव्य है। यहां सदन में बराबर सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की

बात करते हैं, और करनी चाहिये। लेकिन बार-बार उसको दोहराने से भ्रष्टाचार जाने वाला नहीं है। हम सब इस बात का तहय्या करें कि हम अपनी-अपनी जगह पर रहते हुए उससे लड़ेंगे, भिड़ेंगे और उसे उभरने नहीं देंगे तब कदाचित् भ्रष्टाचार के बारे में जो बातें हैं वे हमारे नये सामाजिक जीवन में उभर सकेंगी ?

इस बात की बहुत चर्चा की गयी जो अनावश्यक थी, जो परम्पराओं के विरुद्ध थी कि यह सरकार तो अप्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गयी है, इस सरकार के रूप में यहां नहीं बैठना चाहिये वैसे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि इस प्रश्न का संबंध व्यक्तिगत रूप से मुझ से है और मेरे साथियों से है लिहाजा बहुत आदरपूर्वक मैं उन आलोचकों से पूछना चाहता हूं कि सरकारों का निर्माण किस प्रकार से होता है ? सरकारें जो गणतंत्र परम्परा में बनती हैं बहुमत में जो दल होता है वह सरकार बनाता है।

एक सदस्य--तिकड़म से बनती है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अगर तिकड़म से बनती है तो राजनारायण जी जो उस दल के नेता हैं वह तिकड़म से उस दल के नेता बने होंगे और सब दलों के नेता भी तिकड़म से बने होंगे। अगर यही परम्परा और दलों में नेता बनने की है और तिकड़म से ही नेता दलों के बनते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से उस जुर्म का भागी बन सकता हूं जो जुर्म और दलों के नेता पर भी आयद होता है। जो दल बहुमत में आता है वह अपने नेता को चुनता है और वह नेता अपनी सरकार बनाता है। तो मैं नहीं जानता कि यदि कांग्रेस के दल ने किन्हीं परिस्थितियों में मुझे नेता चुन लिया तो कांग्रेस दल का यह ढंग कहां से अप्रजातांत्रिक हो गया और क्या यह नेता के चुनने की प्रथा नहीं रही है और क्या यह प्रथा अन्य दलों में पाई नहीं जाती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक मत से न चुना जाय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुमत से चुना जाय, लेकिन इसमें आपत्ति क्या हो सकती है ? मैं बतलाना चाहता हूं कि जो दल होते हैं उनमें बहुत से लोग महत्वाकांक्षी होते हैं दल के नेता बनने के। दो साल हुए या चार साल हुए प्रजा समाजवादी दल के नेता का चुनाव था। दो व्यक्ति खड़े हुए थे और उसमें जिस व्यक्ति को अधिक वोट मिले वह नेता चुना गया। वह परम्परा क्या है अगर एक राय से बन गया तो क्या यह प्रजातांत्रिक उसूल के खिलाफ बात है ? मैं समझ नहीं पाया। यह कहना कि दिल्ली से मैं नेता बना तो दिल्ली से बना हुआ व्यक्ति यहां नेता बन कर रह नहीं सकता। नेता बन कर वही रह सकता है जो दल के सदस्य हैं उनका विश्वास उसे प्राप्त हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों के इस कहने से कि दिल्ली की वजह से मैं इस दल का नेता चुना गया हूं मैं यद्यपि सहमत नहीं हूं, लेकिन उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि एक मिनट भी मैं इस पद पर बैठने के लिये तैयार नहीं हूं यदि मेरे साथियों का समर्थन तथा विश्वास मुझे प्राप्त नहीं है। लेकिन आज तो यह एक फैशन हो गया है....

श्री अध्यक्ष--मैं इस चीज को पसन्द नहीं करता कि यहां किसी दल के अन्दर की बात की ज्यादा चर्चा हो। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं माफी चाहता हूं। यहां हर दल के आदमी ने कहा और बहुत बातें कही गयीं इसलिये मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि मैं अपनी सफाई कर दूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इतना इशारा बहुत काफी है।

श्री राजनारायण--सभी दल जनतांत्रिक हैं। जनता से संबंधित विषयों की जनता में अवश्य चर्चा होनी चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक बात विरोधी दल के नेता ने यह कही कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट घटा है, बढ़ा नहीं है । मैं अदब से उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी सूचना सही नहीं है। जो मेरे पास आंकड़े स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने दिये हैं उनसे विदित होता है कि उत्तरोत्तर एम्पलायमेंट बढ़ा है ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मैंने यह नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष---नेता विरोधी दल कहते हैं कि यह बात उन्होंने नहीं कही । किसी दूसरे दल के नेता ने कही होगी ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक बात पंचायतों के सिलसिले में यह कही गयी कि पंचायतों को अधिक अधिकार यह सरकार नहीं दे रही है । पंचायत का ऐक्ट भी इसी सदन से पास हुआ है । यदि उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और अधिक अधिकार देने की आवश्कता है तो जहां तक इस सरकार का संबंध है मैं यह नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देने के लिये उद्यत है और यदि कोई संशोधन इस विषय का आयेगा यह सरकार स्वतः इस विषय पर विचार करके कोई निर्णय लेगी तो अवश्य इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा । अभी अन्तरिम जिला परिषद् का जो बिल कौंसिल में गया हुआ है वह कौंसिल के विचारार्थ प्रस्तुत है । यदि उसमें कोई इस प्रकार के संशोधन किये जा सकते हैं जिससे पंचयतों के अधिकार बढ़ाये जा सकते हों तो मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि वे अधिकार इन संशोधनों के द्वारा बढ़ाये जायं ।

मैं सदन का और अधिक समय न ले कर इतना और कहूंगा कि जिस दृष्टिकोण को सदन के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है वह दृष्टिकोण एक सहयोग का दृष्टिकोण है और जो कुछ इस सरकार के द्वारा आप करवाना चाहते हैं या हम सरकार के द्वारा करना चाहते हैं सरकार उसको करने में तभी समर्थ हो सकेगी जब इस सदन के प्रत्येक सदस्य का सहयोग उस कार्य पूर्ति के लिये मिले । हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना जनता की योजना है और जो कार्य इस योजना के तहत में होने वाले हैं यदि उनमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तो वह परिवर्तन अवश्य होना चाहिये और वे सारे सुझाव जो सदस्यों की तरफ से सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे सदा उस दृष्टि से देखे जायेंगे जिस दृष्टि से देखकर वे कार्यान्वित किये जा सकते हैं । मैंने सदन का कुछ समय लिया और कुछ विचार भी प्रकट किये । हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ बातें ऐसी भी हो गयी हों जो पसन्द न आयी हों, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस स्पिरिट में मैंने बातें कहीं हैं सदन उसी स्पिरिट में उनको देखेगा । अध्यक्ष महोदय, अधिक न कहते हुए जो कुछ भी मुझे जवाब देना था उसको खत्म करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अब माननीय नेता विरोधी दल यह बतायें कि अपने संशोधन के संबंध में वे पहले उत्तर देना चाहते हैं या बाद में ?

श्री त्रिलोकीसिंह---अन्त में ।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है । तो अब मैं जिसके संशोधन हैं उनको केवल ५-५ मिनट दूंगा ।

श्री राजनारायण जी आप तो जरूर बोलेंगे ?

श्री राजनारायण---जी हां ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरी प्रार्थना है कि मेरा समय भी श्री राजनारायण जी के समय में जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, तो मैं आपको दस मिनट दे देता हूं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं पुनः आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हम भ्रामक बातों में विचरण न करें जो कुछ भी कहें स्पष्ट कहें और निश्चयात्मक ढंग से कहें। 'जो-जो, 'ये ये' बिलकुल भ्रामक शब्द हैं।

हमने जो टिप्पणी की थी वह हमारी टिप्पणी किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। बात यह है कि जनतन्त्र में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा या नहीं और मैं तो इस निश्चित मत का हूं कि अगर हमारे माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिये गये थे क्योंकि उनके पास शक्ति आई....

श्री अध्यक्ष—यह खयाल रहे कि आप अपने संशोधन पर ही बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण—उन्होंने कहा था इसलिये मैंने कह दिया। आखिर में आप देखेंगे कि मंत्रि-परिषद् का गठन है यानी जिस ढंग पर मंत्रि-परिषद का गठन हुआ है....

श्री अध्यक्ष—कारण पर प्रकाश नहीं डाला गया यह आप कहते हैं....

श्री राजनारायण—मैं कारण पर नहीं जा रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं। चाहे गुप्त जी मुख्य मंत्री रहें या संपूर्णानन्द जी रहें। मेरा मूल निवेदन यह है कि एक ही व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष हो और वही मुख्य मंत्री हो तो यह बहुत ही अशोभनीय बात है। दूसरी बात यह है कि मैं विधान सभा में सोशलिस्ट पार्टी का नेता हूं और जिस समय मैं संगठन का सदर चुन लिया जाऊंगा तो मैं उसी समय त्याग-पत्र दे दूंगा। यह विचारने की बात है कि संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है। यह भी मूल प्रश्न है कि संगठन हावी होगा सरकार पर या सरकार हावी होगी संगठन पर। अगर संगठन हावी होता है तो अध्यक्ष पद पर होने के बाद मुख्य मंत्री के पद के लिये इस्तीफा देना जम्हूरियत की परम्परा के विरुद्ध है।

तीसरी बात जो कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने हिन्दी के विषय में कहा। श्रीमन्, संविधान हमारे और आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि वह ३४८ (२) के खण्ड (१) के उपखन्ड (२) को पढ़ लें। वह इस प्रकार है कि—

"(२) खन्ड (१) के उपखन्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।"

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आपने अन्त में डिक्री, जजमेंट और आर्डर को नहीं पढ़ा है।

श्री राजनारायण—३४८ का खण्ड (१) इस प्रकार है कि....

श्री अध्यक्ष—आप सारा समय इस बहस में ही न निकालें।

श्री राजनारायण—यह बहुत स्पष्ट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मूथम साहब जो मुख्य न्यायपति थे जब वह जाने लगे तो इलाहाबाद के कुछ एडवोकेट उनसे मिले और उन्होंने कहा कि, श्रीमन्, आप जा रहे हैं यदि हाई कोर्ट की नियमावली में हिन्दी प्रवेश कर जाते तो बड़ा अच्छा होता। मैं उनके उद्गार बताता हूं। उन्होंने कहा था कि मुझे प्रसन्नता होती यदि मैं यह कर जाता। लेकिन तुम्हारे जजेज (जो खानदानी गुलाम हैं) वह नहीं चाहते कि हिन्दी हो।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, जजेज के लिये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मैं समझता हूं कि बहुत न्यायसंगत नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं कोटेशन दे रहा हूं, आप बैठिये। खानदानी गुलाम कोई अशोभनीय शब्द नहीं है।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि शायद उन्होंने सुना नहीं। आप मूथम साहब की बात कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कहा।

श्री राजनारायण--नहीं, श्रीमन्, यह तो मैं कह रहा हूं। मूथम साहब ने तो यह कहा कि तुम्हारे यहां के जजेज नहीं चाहते हैं यह इलाहाबाद के एडवोकेटों को उन्होंने बताया था। 'खानदानी गुलाम' तो मेरा है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उनके लिये कोई अपशब्द न कहें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अपशब्द नहीं, अशोभनीय भले ही कह दें।

श्री अध्यक्ष--अपशब्द ही है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप ही कोई शब्द बतला दें ऐसों के लिये जो अंग्रेजी राज हो तब कहें जी हुजूर, कांग्रेस राज हो तब कहें जी हुजूर, सोशलिस्ट राज हो तो कहें जी हुजूर, प्रजा सोशलिस्ट राज हो तब भी जी हुजूर कहें, यानी जो खानदान परम्परागत राज का गुलाम हो।

श्री अध्यक्ष--यह बात बाहर हो सकती है।

श्री राजनारायण--तो मैं कहता हूं कि ऐसे परिवार के लोग जो हमेशा शासन भक्त रहे हैं, उसी खानदान के लोग विशेषतया जजों के पदों पर आसीन हैं। वह नहीं देखना चाहते कि हिन्दी कभी आये। वह हिन्दी के जानी दुश्मन हैं। मैं महात्मा गांधी के शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब तक भारतवर्ष की भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक भारत गुलाम है। अगर भारत गुलाम है तो हम सब लोग गुलाम हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी दक्षिण के मंत्रियों से मिलते हैं। हम वहां की जनता से मिलते हैं। मुख्य मंत्री कहां से आ रहे हैं? आज ३० लाख परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी मुख्य मंत्री बन रहा है। साढ़े ३९ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले ढकेले जा रहे हैं। हिन्दी की मांग है, उनकी जो साढ़े ३९ करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं। हिन्दी का विरोध बंगला, उड़िया, तामिल, तेलगू से नहीं है। हिन्दी बड़ी बहन है और ये छोटी बहनें हैं। जब बड़ी बहन फूले फलेगी तो छोटी बहन भी फूले फलेगी, हंसेगी।

कौन कहता है कि तामिल वाले हिन्दी नहीं चाहते तामिल जनता हिन्दी चाहती है। वहां की जनता ने प्रस्ताव पास किया है। लेकिन चन्द मुट्ठी भर वहां के शासन वाले लोग, जो पुरानी गुलाम सभ्यता के द्योतक हैं, वह हिन्दी को नहीं चाहते, जिनके घरों में अब भी माता, पिता के स्थान पर ममी और डेडी कहा जाता है, जिनकी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भूषा, अंग्रेजी भवन, अंग्रेजी भोजन है। आज वह कैसे चाहेंगे कि अंग्रेजी हटे। इसलिये जो तर्क माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया हिन्दी की साम्राज्यशाही का जो उत्तर प्रदेश के उच्च नेता हैं, अगर वह यह कहते हैं कि हिन्दी की साम्राज्यशाही हो जायगी तो इसका अर्थ है कि हिन्दी प्रदेश में ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतः इसको प्रचारित कर रहे हैं कि हिन्दी साम्राज्यशाही हो जायगी। इसलिये इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। अगर वास्तव में हिन्दी के प्रति आदर है तो अंग्रेजी को हटाओ, हिन्दी को प्रतिष्ठित करो, हर जगह प्रतिष्ठित करो।

अब मैं १७ वें प्वाइन्ट को लेता हूं। ब्रिटेन की रानी के स्वागत के लिये काशी नरेश से कहा जाता है कि तीन लाख रुपया खर्च करो। गोरखपुर हवाई अड्डे पर १५ मिनट रुककर वहां हवाई जहाज बदलने में डेढ़ लाख रुपया खर्च हो गया। आगरा में लाखों रुपया खर्च हो गया। इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने शिकायत की कि मैं वहां

गया तो धक्का लगा दिया गया। भ्रष्टाचार जो है वह तो अलग है। रानी से मिलने के लिये २५ तारीख को स्टाफ कार में जाया जाय, फिर दिल्ली से आगरा आया जाय और आगरा से यहां आया जाय, तो वह खर्चा कहां जायगा ? यह बात मैं बाद को लूंगा। ब्रिटेन की रानी के आगमन पर जो इस प्रदेश की जनता के धन का अपव्यय किया जा रहा है वह माननीय चन्द्रभानु गुप्त या राजनारायण का धन नहीं है। वह गरीब जनता का खजाना है, जो हमारे हाथ में है। उसको पानी की तरह बहाना, उसका दुरुपयोग करना कहां का शिष्टाचार है ?

कहते हैं कि हम लगान कम नहीं करेंगे। लेकिन लगान जनता कम करवा लेगी अगर उसमें ताकत आयेगी। सोशलिस्ट पार्टी ने जो आन्दोलन शुरू किया था अगर उसी आन्दोलन में उत्तर प्रदेश में दस हजार जनता जेल चली गयी होती तो सरकार लगान माफ कर देती। सरकार सोचे समझे, और जो किसान छः एकड़ से कम वाले हैं, उनका लगान माफ कर दे।

भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। मैं मानता हूं कि हम भी भ्रष्टाचारी, वे भी भ्रष्टाचारी, सभी भ्रष्टाचारी, अगर उनको इससे संतोष हो, तो मैं मान लेता हूं। मगर इस सदन में जिन बड़े-बड़े अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये, और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी ने मकान बनवाया वह अनुचित था।

श्री अध्यक्ष—देखिए आप फिर वैयक्तिक हमला कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सब एक दफा हो चुका है।

श्री राजनारायण—जी हां, हो चुका है मगर.....

श्री अध्यक्ष—मैं बारबार इजाजत नहीं दूंगा कि आप किसी व्यक्ति पर इस तरह से हमला करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त— मैं भी अपनी आपत्ति दोहराना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बार-बार अधिकारियों के विषय में इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन अधिकारियों के बारे में जो कि यहां जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह इस तरह से अनधिकार चेष्टा करते हैं जिसकी इजाजत उन्हें कभी नहीं मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—किसी अधिकारी के ऊपर हमला करना यह यहां की प्रथा नहीं है।

श्री राजनारायण—आप अधिकारी को छोड़िए मगर जिसके ऊपर कि आरोप करते समय एक मुख्य मंत्री कह चुके हैं कि जांच करायेंगे.....

श्री अध्यक्ष—मैं इसके लिए इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण—मैं दूसरी बात कहता हूं। ४० गांव ऊंचा करने में धन का अपव्यय हुआ। गांव थे ही नहीं तो ऊंचे कहां हुए ? एक भूतपूर्व मंत्री कह गए हैं कि तीन गांव ऐसे मिले, क्या उसकी जांच होगी ?

मैं अब भी कहता हूं। नाम न लीजिए, मैंने छोड़ दिया उसी का नतीजा है। एक अफसर साहब जिनको जाना है आगरा जिस दिन कि अपने प्रदेश में रानी एलिजाबेथ आने वाली हैं। वह साहब सीधे जाते हैं दिल्ली गाड़ी लेकर २५ को, दिल्ली में २६ को जलसा देखते हैं और फिर आगरा लौट आते हैं। सीधे आगरे क्यों नहीं गए ? यह भ्रष्टाचार है और जिसने ऐसा किया है वह दंडित होना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, दो मिनट मुझे भी....

श्री अध्यक्ष—अब समय नहीं है, आपने संशोधन नहीं दिया था।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, दो मिनट। जिस देश को गुलाम बनाना हो उस देश की भाषा को मेट दो और जिस घर को गुलाम बनाना हो उस घर में फूट डाल दो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजिता रह गई। जब तक अंग्रेजी खत्म नहीं होगी तब तक देश स्वतंत्र नहीं हो सकता है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि मेरे संशोधन के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जरा भी जिक्र नहीं किया। इसके मानी हैं कि मौनम् स्वीकार लक्षणम्। जिसका विरोध न किया जाय वह करीब करीब मंजूर है। मेरी रिक्वेस्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि दरअस्ल वह निर्दोष है, इसलिये आप उसे कबूल कर लें। कोई मुखालिफत उसकी नहीं की गई है लिहाजा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, हुजूरवाला, उस दिन समय समाप्त हो गया था मेरे बोलने से पहले ही....

श्री अध्यक्ष—आप इस समय नई बात नहीं कह सकते। अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में ही जो कुछ आप कहना चाहें कहें।

श्री सीताराम शुक्ल—बिलकुल, टु दी प्वाइंट और ब्रीफ में बोलूंगा। मैंने उस दिन अर्ज किया था कि सरकार बहुत अच्छी है, सबको बहुत आराम देने का प्रयत्न करती है। लेकिन पब्लिक धीरे-धीरे खिलाफ जा रही है, सरकारी कर्मचारी शिकायत करते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस वालों की शिकायत करते हैं, तो क्या बात है? मैं आपके द्वारा अर्ज कर दूं बाई दी वे.... (हंसी)....अब यह जो लोग हंस रहे हैं वह मेरे टाइम में नहीं कटना चाहिये, तो मेरी प्रार्थना है कि लोग यह शिकायत क्यों करते हैं? पहले पार्टी, हुजूरवाला, ठीक होगी तब सरकार ठीक होगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सही है कि एक दिन में सब को ठीक नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि मुल्क गरीब था, गुलाम था, कैरेक्टर गिर गया है मगर क्या एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता? क्या प्रेसीडेंट भी अच्छा नहीं हो सकता? क्या मिनिस्टर भी पार्टीबाजी और तरफदारी से ऊंचा नहीं उठ सकता? अगर आप देश को उठाना चाहते हैं तो पहले अपने को ठीक करना पड़ेगा।

"यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत् तदेवेतरोजनः
स यत् प्रमाणम् कुरुते लोक स्तदनुवर्त्तते।"

भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह से आचरण बड़े आदमी करते हैं लोग उसकी नकल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द हो तो पहले दिल्ली से बन्द करना पड़ेगा। यह हो ही नहीं सकता है कि टिकट दिया जाय ऐसे आदमियों को जो असेम्बली में आने लायक नहीं हैं, मिनिस्टर उनको बनाया जाय जो फिट नहीं हैं यहां बैठने के लिये और थानेदार, पटवारी तथा कुर्क अमीन से हम उम्मीद करें कि वह ठीक आचरण करेंगे। आप अपने को ठीक कर डालिये तो फिर सरकारी कर्मचारी ठीक होंगे और उसके बाद पब्लिक ठीक होगी। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप सच्चाई को पकड़िये। आप अच्छे रहेंगे तो यह कुर्सी आपके पीछे घूमेगी। कुर्सी सदा अच्छे आदमियों के साथ घूमती है। उसके पश्चात् सरकारी कर्मचारी भी अच्छे हो जायेंगे।

एक बात मैं राजनारायण जी से कहना चाहता हूं। उन्होंने बड़े जोश में आकर यह कह दिया कि हिन्दी का झगड़ा तैलगू से है, तामिल से है और बंगला से है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हिन्दी का झगड़ा केवल अंग्रेजी से है। आप यह बातें यहां पर यू० पी० असेम्बली में कहते हैं तो उससे मद्रासी या बंगाली की बात का क्या मतलब है? यहां पर तो यू० पी० की बात हो रही है जहां पर कि सरकारी कर्मचारी अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में फाइल चलती हैं

और नोट भी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। जब कि यहां से जी० ओ० भी जा चुका है तब भी जिलों में अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी जाती हैं और उस पर पते लिखे जाते हैं। यह सरकारी कर्मचारी ही सरकार की आज्ञा को डिफाई करते हैं। जिस समय मेरी बात हुई थी उस समय आप भी विराजमान थे। मैंने मुख्य मंत्री जी से यह कहा था कि हिन्दी के लिये लोग सत्याग्रह करने वाले हैं। तो मैंने कहा था कि शायद मैं भी उसमें शरीक हो जाऊं।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

आचार्य दीपंकर—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में जो ५ प्वाइंट थे उनके सम्बन्ध में अपनी बातों की पुष्टि करते हुए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जिस ढंग से मन्त्रिमंडल का गठन किया गया उसके सम्बन्ध में पूरे हाउस की क्या राय है यह इस बात से प्रकट है कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय यहां अपना अभिभाषण देने आये तो इस विधान मंडल के बहुसंख्यक सदस्यों ने उसमें अपने आपको अनुपस्थित रखा। यह एक ऐसी बात है जो कि कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। वास्तव में देखा जाय तो मन्त्रिमंडल में कुछ सदस्य आयें और कुछ चले जायं यह एक विशेष पार्टी के अन्दर का एक अन्दरूनी गठन का प्रश्न होता है जिसके सम्बन्ध में हम बाहर वालों को विचार-विमर्श नहीं करना चाहिये, लेकिन जब अन्दरूनी झगड़ा एक पराकाष्ठा को पहुंच जाय और घरेलू झगड़ा पूरे मुहल्ले, गली, पूरे गांव और सारे शहर की नींद हराम कर दे तो तब क्या हो? जब पूरे ४ वर्ष तक यह आपसी झगड़ा और विवाद चलते-चलते यह रूप धारण कर ले, जब कि पिछले चार वर्षों में यह होता रहे कि यह मन्त्री गया और वह आयेगा और हमारा राजकाज का कार्य भी ठप्प हो जाय, विशेष निर्माण सम्बन्धी कार्यों के अन्दर जब एक अनिश्चित भावना पैदा हो जाय तो फिर प्रदेश की जनता के लिये एक विचार करने की बात हो जाती है।

मैं यह बात महसूस करता हूं कि जहां तक राज्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है वह जिस प्रकार से ट्रेन्ड हो गये थे उस पुराने ब्रिटिश शासन काल में और राज्य कार्य करने के लिये जो उनको एक इन्सपिरेशन मिला करता था वह अब समाप्त हो गया है। जहां तक शासक पार्टी का सम्बन्ध है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये जो उनके अन्दर प्रेरणा थी वह भी समाप्त हो गई और जाती रही। इस कारण दोनों घोड़ों पर बेलगाम यह सरकार दशा विहीन आज के वक्त में चल रही है। इस वजह से उसमें आज यह नौबत आती है कि वह आत्मविश्वास उस कांग्रेस संगठन में नहीं रह गया है जो जनतंत्र में जिम्मेदारी होती है उसको वहन कर सके। इसी वजह से जिन राजनीतिक प्रश्नों का समाधान आम जनता द्वारा और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिये उन राजनीतिक प्रश्नों का समाधान वह घरेलू कांग्रेसिया सुलतान अपनी इच्छा से और अपने आदेश के द्वारा करता है। यह जो बात है यह प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा में आज डेमोक्रेसी के कंकाल पर बैठ कर हम अपने फूल चढ़ाने आये हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है, उसे यहां माना गया है, अगर यह मान भी लिया जाय कि यह सुल्तान की इज्जत आबरू का सवाल है, उसे चुना ही जाना चाहिये तो वह....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप दूसरी पार्टी के व्यक्ति के बारे में और किसी नेता के बारे में बहुत अपशब्द कह रहे हैं। इस तरह से सुल्तान आदि शब्द कहना यदि आपके किसी नेता को कह दिया जाय तो बड़ी ज्यादती होगी। यह अनुचित है और वह यहां मौजूद भी नहीं हैं।

आचार्य दीपंकर—मैं आप की आज्ञा पालन करता हूं और उन शब्दों को वापस लेता हूं। मैं मानता हूं कि अपनी भावनाओं का प्रतिपादन मुझे अन्य प्रकार से करना चाहिये था; यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष—यह पार्लियामेंटरी पद्धति नहीं है।

आचार्य दीपंकर--मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इस विधान सभा में जो पद्धति स्वीकार की गयी है मंत्रिमंडल के गठन के बारे में, चाहे वह वैधानिक हो--विधान में जो अख्तियारात दिये गये हैं उनको मैं अवैधानिक नहीं कहता--लेकिन संसदीय प्रणाली की जो परम्परायें हैं उन पर इससे आघात अवश्य हुआ है और इसलिये इस चीज के प्रति मैं अपना रोष प्रकट करना चाहता हूं। इसलिये जो संशोधन मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में अपनी उक्तियां दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय त्रिलोकीसिंह, आप १० मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री त्रिलोकीसिंह---इतना बहुत काफी है। मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का और नेता सदन का आभार मानता हूं कि जिन्होंने जिन बातों का मैंने जिक्र किया था उनको सुना और उन पर विचार किया। उन लोगों का भी मैं विशेष आभार मानता हूं कि जिन्होंने मेरी प्रशंसा की, जिस प्रशंसा का, मैं बहुत नम्रतापूर्वक उनकी सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि, मैं पात्र नहीं था और न हूं।

मुझे यह जान कर हैरत हुई, अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन द्वारा जानकर कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई नयी नीतियां नहीं निर्धारित की गयी हैं। वे ऐसा करना जरूरी नहीं समझते इसलिये कि यह सरकार एक दल की है जो पिछले १५ साल से इस प्रदेश में शासन कर रही है। पंचवर्षीय योजनाओं का काल है और उनकी समझ में कोई ऐसी बात आवश्यक है ही नहीं नीति की कि जिसका जिक्र उसमें किया जा सके। जिनका वे तो सदन के बाहर कांग्रेस की सभाओं में या ऐसे अन्य मौकों पर उनके नेताओं द्वारा प्रतिपादित की जाती हैं। मुझे यह जान कर हैरत हुई और अगर उनकी बात को मैं सही समझता तो फिर शिकायत करने का मौका नहीं था। लेकिन मैं उस शपथ से बंधा हुआ हूं कि जो इस आदरणीय सदन का सेवक होने की हैसियत से, जिस दिन मैं पहले-पहल सदन में आया था, मुझे मान्यवर, आप के समक्ष लेनी पड़ी थी। वह क्या है? जब कभी इस प्रकार का सम्बोधन दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में किया जाता है तो बतलाया जाता है कि हमें क्यों बुलाया गया है और वह महज ब्योरे की बात नहीं होती बल्कि उसमें नई नीति का निर्धारण होता है।

एक बात से मुझे दुख हुआ। यूनिवर्सिटी के सिलसिले में यह बात कही गयी कि वह जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी अधिनियम में स्वीकार की गयी थी उसी के अनुसार है। अगर किसानों को जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता है तो वह इसलिये कि सदन में उसको स्वीकार कर लिया है। हम अब उन्हें मालिक कैसे बनावें? यह बात अगर विरोधी दल वाले कहें तो ठीक है। इस विधान सभा का मकसद क्या है? इसके कार्य क्या यह हैं कि जो पहले से चला आया है उसी पर चलें? मान्यवर, इस विधान सभा को यह भी अधिकार है और उसका कर्त्तव्य है कि इस पूरे प्रदेश की जनता के सेवक के नाते जब भी वह जो चीज जरूरी समझे और जिस बात के लिये भी वह कानून बनाना चाहे, उसके लिये कानून बनाये और पुराने कानून को बदले। एक तरफ तो इसी अभिभाषण में यह है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिल में बदलाव किया जायेगा, यूनिवर्सिटी बिल में बदलाव किया जायेगा और दूसरी चीजों में बदलाव किया जायेगा। दूसरी तरफ, मान्यवर, सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम क्या करें, यह तो यहां की चीज है, जो सदन निश्चय कर चुका है, उसी को हम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जमींदारी ऐण्ड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट में बदलाव करके किसानों को जमीन का मालिक नहीं बना सकते। क्या उस कानून में भी तब्दीली करके उनको जमीन का मालिक नहीं बनाया जा सकता है? अगर उधर वाले यह समझते हैं कि इधर से, विरोधी दल की तरफ से, उसमें कोई रुकावट डालेगा, तो मैं निहायत नम्रतापूर्वक, यह निवेदन करूंगा, और अपनी तरफ के समस्त सदस्यों की तरफ से निवेदन करूंगा कि इसके लिये संशोधन लायें, इस ओर से उसका समर्थन होगा और अगर वह इसके लिये तैयार हों, तो मैं स्वयं भी संशोधन पेश कर सकता हूं कि जितने भी सीरदार इस उत्तर प्रदेश में हैं उन्हें जमीन

का मालिक बना दिया जाय। लेकिन है यह कि जब कोई अच्छी बात कही जाती है तो पुराने कानून को सामने रख कर मजबूरी बता दी जाती है।

आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में भी संविधान में लिखा है कि जब कोई बात करने की नितान्त आवश्यकता हो, तभी अध्यादेश जारी करना चाहिये। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था और मैं चाहता था कि नेता सदन उसका जवाब देंगे कि अगर उनकी तनख्वाहों में कोई कटौती की गयी तो क्या वह अध्यादेश निकाल कर ही की जा सकती थी?

७५ रुपये माहवार किराया मकान लेने की बात थी। मैंने मकान नहीं लिया, लेकिन क्या मैंने इसके लिये किसी को लिखा कि मैं मकान नहीं लेना चाहता हूं, इसके लिये कानून में बदलाव किया जाय? मैंने ७५ रुपये मासिक भी नहीं लिया, जितने भी राजनीतिक स्थान हैं न तो उनकी सर्विस बुक होती है, न उन्हें पेंशन या ग्रेचुइटी आदि की सुविधा दी जाती है, वे यदि चाहें तो कम वेतन स्वीकार करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था और आज भी नम्र-निवेदन करना चाहता हूं कि नीयत इतनी नहीं है जितना कि उसका ढोल पीटा जाता है। एक पाई की भी अगर बचत होगी तो उसका हम स्वागत करेंगे। मेरी हमेशा से यह राय रही है और अब भी है कि जहां फिजूल खर्ची है उसको दूर किया जाय। मैंने ७ तारीख को अर्ज किया था कि यह बात नक्कारों की आवाज के अन्तर्गत कहीं दिखावटी ही न रह जाय, महज स्वांग ही न रह जाय।

करप्शन का जिक्र किया गया। वकील भ्रष्टाचारी, कर्मचारी भ्रष्टाचारी, व्यापारी भ्रष्टाचारी, अध्यापक भ्रष्टाचारी, सभी भ्रष्टाचारी हैं। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार का भी कुछ कर्त्तव्य होना चाहिये। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि रिश्वत लेना जुर्म है, आफेन्स है। इसके लिये होना यह चाहिये कि जब भी सरकार के पास रिश्वत लेने की कोई रिपोर्ट आये तो फौरन उसे गिरफ्तार किया जाय और अदालत द्वारा उस पर कार्यवाही हो। उसका फैसला न्यायाधिकारी करें। आज अगर एक शिकायत आती है तो उसकी जांच उसी विभाग के उच्चाधिकारियों को दी जाती है। इससे भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। इसके लिये जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था बनाइये कि जो भी रिश्वत ले और ज्यों ही उसकी सूचना आये उसे गिरफ्तार किया जाय और अदालत उस पर कार्यवाही करे, अदालत में ही उसकी जांच हो। इससे देखेंगे कि न सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेंगे, न वकील रिश्वत दिलायेंगे, न पेशकार रिश्वत लेंगे और भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो जायेगा। लेकिन यहां की सरकार ने तो रिश्वत देना भी जुर्म करार दे दिया है। संसार के किसी सभ्य देश में रिश्वत देना जुर्म नहीं है, सिवाय हिन्दुस्तान के।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे इस की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही दो मिनट में बन्द कर दूंगा।

(लाल बत्ती बुझा दी गयी)

लेकिन उत्तर प्रदेश में और हिन्दुस्तान में उस पार्टी की तरफ से जिसकी आज दुहाई नेता सदन ने दी, रिश्वत देने को जुर्म करार देकर रिश्वत को और व्यापक कर दिया और कुछ सुधार करना है तो विकेन्द्रीकरण करें, भूअभिलेखों को बनाने का अधिकार पंचायतों को दें और पुलिस को स्थानीय निकाय के मातहत करें और रिश्वत की शिकायत होने पर मुकदमा चलाना चाहिये।

एक हिन्दी के बारे में माननीय नेता सदन का ध्यान अनुच्छेद ३४८ (२) की ओर, भारतीय संविधान के, दिलाना चाहता हूं। मेरे पास अंग्रेजी में उसकी कापी है, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं—

"Notwithstanding anything in sub-clause (*a*) of clause (1), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi Language, or any other language used for any official purposes of the State."

श्री अध्यक्ष--यह राजनारायण जी पढ़ चुके हैं, सिर्फ उन्होंने प्रोवाइ जो नहीं पढ़ा, उसको आप पढ़ दीजिये।

श्री त्रिलोकीसिंह--इसके लिये आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बतलाया कि राजनारायण जी पढ़ चुके हैं और मैंने फिजूल इतना समय लिया, लेकिन मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--इसमें से उन्होंने सिर्फ यह चीज नहीं पढ़ी कि--"Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such High Court." (हंसी)

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं उसको नहीं कहता हूं। मैं यह अर्ज करता हूं कि मैंने इसको पूरी तरह से पढ़ लिया था और उस बात को भी सुन लिया था जो जजमेंट और डिक्री के बारे में नेता सदन ने कही थी, लेकिन इस सरकार ने, १०-११ साल हो गये इस संविधान को लागू हुए, इस अनुच्छेद के खंड २ के अन्तर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर कोई हुक्म नहीं निकाला कि हाई कोर्ट की कार्यवाही, जजमेंट, डिक्री न सही, वहां कागजों का दाखिल होना, दावा इत्यादि हिन्दी भाषा में किया जा सके मेरी समझ में नहीं आता है कि इसके करने में क्या रुकावट है और मैं आपके द्वारा माननीय नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह कदम उठाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--माननीय नवलकिशोर।

मैं समय के बारे में यह १५ मिनट बैठक को तो बढ़ा देता हूं, लेकिन अगर सदन की राय हो तो जब तक प्रस्ताव के ऊपर राय न ले ली जाय तब तक के लिये समय दूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक प्रार्थना है कि विभाजन लाबी में कराया जाय, क्योंकि मुझे शक है कि उधर से लोग इधर आने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष--नवलकिशोर जी, आपके लिये ५-७ मिनट काफी हैं, काफी लोग जवाब दे चुके हैं।

श्री नवल कशोर (जिला बरेली)--१० मिनट दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--अच्छी बात है।

श्री नवलकिशोर--अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने कि मेरे प्रस्ताव के ऊपर वाद-विवाद में हिस्सा लिया, बड़ा आभारी हूं। साथ ही उन साथियों का भी जिन्होंने अपने संशोधन पेश किये। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय नेता विरोधी दल ने मेरी इस बात को माना कि महामहिम राज्यपाल महोदय का जब भी सम्भाषण या सम्बोधन हो उस समय किसी भी व्यक्ति को उसमें अनुपस्थित नहीं होना चाहिये, यदि कि वह लखनऊ में उपस्थित हो।

मान्यवर, जो बहुत सा वाद-विवाद हुआ, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि जिन्होंने उनमें से बहुतों का जवाब दे दिया। मैंने यह महसूस किया कि ज्यादातर जोर कांग्रेस के आन्तरिक मत-भेद पर दिया गया और उस पर जरूरत से ज्यादा प्रकाश डाला गया। आपने स्वयं चेयर से यह बात कही कि यह एक अच्छी प्रथा नहीं है। बहरहाल, मैं इस बात को मानता हूं कि जब सत्ताधारी दल की नीतियों का असर शासन पर पड़े तो कुछ थोड़ी-सी चर्चा हो तो दूसरी बात है।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने हमारे कुछ साथियों को जो सम्भाषण में नहीं आये थे इस बात का उपदेश दिया, सलाह दी और मैं समझता हूं नेक-नीयती से दी कि वह पार्टी के अनुशासन की चिन्ता न करें और जो बात सही हो उसको

कहें और करें। मैं आपके द्वारा वही बात दोहराना चाहता हूं जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने एक बार सदन में कही थी। उन्होंने कहा था और बिलकुल सही कहा था कि यह एक दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में कुछ आपसी मतभेद हैं, लेकिन विरोधी दलों को यह बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिये कि हमारे आपसी झगड़े कुछ भी हों परन्तु जहां तक विरोधी दलों का सम्बन्ध है, वहां कांग्रेस पार्टी एक है, बिलकुल ठोस है और उसके अन्दर पूर्ण एकता है।

मान्यवर, यहां पर बहुत सी फैन्टास्टिक बातें भी कही गयीं। हमारे एक साथी ने कहा कि सेशन को डिजाल्व किया जाय और नया चुनाव कराया जाय। कुछ लोगों ने कहा कि फौजी गवर्नमेंट बनने का अन्देशा है। मैं नहीं जानता कि सदन को डिजाल्व होने की क्या बात है, क्या अनसूटेबिलिटी है जिसके लिये डिजाल्व किया जाय। सरकार को हटाने के लिये 'अविश्वास का प्रस्ताव' लाया जा सकता है और यदि शक्ति हो तब पास कराया जा सकता है। बहुत से सज्जनों ने मुख्य मन्त्री जी के ऊपर भी आक्षेप किये। मैं समझता हूं कि वह एक डेलीकेसी थी इसलिये उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं महसूस करता हूं कि जिस तरीके से यह मंत्रिमंडल बना है वह बिलकुल डेमोक्रेटिक और कांस्टीट्यूशनल है। उनकी विधान-परिषद् में नामजदगी भी वैधानिक है। जहां तक मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है उन्होंने अपनी घोषणा कई मर्तबा कर दी है कि वह इस सदन में डाइरेक्ट चुनाव से लड़कर और चुनकर आना चाहते हैं। इसके बाद किसी प्रकार की कोई शंका होना उचित नहीं है।

जहां तक यह कहा गया कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी किसी की मानोपली नहीं है और न इसको कोई खतरा ही है। हो सकता है कि कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट हों, दलों के निहित स्वार्थ हों वे खतरे में हों वह दूसरी बात है। फौजी हुकूमत की बात कही गई साम्य-वादी दल के नेता की तरफ से। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसी आशंका निकट भविष्य में नहीं दिखाई देती कि फौजी हुकूमत होने वाली है। हां, मैं उनकी बात को चुनौती अवश्य मानता हूं देश और प्रदेश की तमाम राजनीतिक संस्थाओं के लिये जिनकी आस्था जनतंत्र और प्रजातन्त्र में है। जनतन्त्र या प्रजातन्त्र जोकि आज इस देश के अन्दर करीब-करीब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, अगर हम जनतांत्रिक तौर पर सहयोग और एकता के साथ नियोजन को कामियाब न बना सके, जनतांत्रिक प्रणाली द्वारा देश की आर्थिक स्थिति में सुधार न कर सके, जनसाधारण का आर्थिक स्तर ऊंचा न कर सके तब हो सकता है कि मेरे मित्र को जो आशंका है वह आगे चल कर सही हो जाय।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। समाजवादी नेता की बातों का जवाब देना तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने एकेडेमिक इश्यूज ही क्रिएट किये हैं कि क्या शक्ति होती है, क्या सत्ता है, क्या उसका सम्बन्ध हो, विकेन्द्रीकरण कैसे हो, इत्यादि। मैं समझता हूं कि जो प्रोफेसर्स हैं या यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स हैं वह इस पर सोचें और अपने आर्टिकिल्स लिखें।

एक बात जरूर है कि आर्डिनेंस पर बड़ा जोर दिया गया। मुझे खुशी है कि नेता विरोधी दल ने सात आर्डिनेन्सेज में से केवल एक आर्डिनेन्स पर ही आपत्ति की और वह यह कि अगर मंत्रियों की तनख्वाह में कमी करने के लिये अध्यादेश न लाया गया होता तो वह वैसे भी हो सकता था और उन्होंने आक्षेप भी किया कि यह इसलिये लाया गया ताकि उससे बड़ा भारी प्रचार हो जाय, प्रोपेगैन्डा हो जाय। मैं अगर इस बात को मान भी लूं कि यह सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से यह काम सम्भव हो सकता था कि मंत्री महोदय कम तनख्वाह लेना स्वीकार करते, लेकिन जहां तक उनका आक्षेप है कि प्रोपेगैन्डा हुआ वह तो, मान्यवर, जिस दिन मंत्रिमंडल ने तय किया था उसी दिन वह तमाम अखबारों में छप गया था और उसका प्रोपेगेन्डा हो गया था। इसके अलावा अगर थोड़ी देर के लिये यदि मैं यह भी मान लूं कि अगर यह आध्यादेश न लाया गया होता तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि इस अध्यादेश के जारी करने से कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बरखिलाफ मैं तो यह समझता था कि

[श्री नवल किशोर]

हमारे नेता विरोधी दल इसका स्वागत करेंगे और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि वह एक पाई की बचत का भी स्वागत करेंगे । मैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूं इतना ही काफी नहीं है । जब सरकार की यह नीति है कि वह एक एक पाई की बचत करना चाहती है तो मैं उनसे यह चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल और उनके तमाम साथी अपने तमाम ऐसे सुझावों को जो उनके पास हों और जिनसे सरकारी कोष की बचत हो सकती हो, वह सरकार के पास भेज दें ताकि सरकार उनको कार्यान्वित करने की चेष्टा करे ।

मुझे केवल एक बात और कहना है । यह नया जो मंत्रिमंडल आया है उसको आये हुए केवल दो माह ही हुए हैं, उनको सभी साथियों का सहयोग प्राप्त होना चाहिये । मैं फिर एक बार अपने उन सब साथियों का जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के विषय में भिन्न भिन्न विचार रखे, उनका आभारी हूं। यद्यपि उन सब लोगों ने जो जो संशोधन पेश किये हैं वह अच्छा ही समझ कर किये हैं, लेकिन मुझे खेद है कि मैं उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता । मैं बहुत नम्रता से यह भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष महामान्य राज्यपाल का जो सम्बोधन हुआ वह संविधान की धारा १७६ में प्रदर्शित भावनाओं के अनुसार ही हुआ है । इन बातों के समावेश की उसमें गुंजायश नहीं है इसलिये मुझे खेद है कि मैं उनका कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को, जिस रूप में मैंने उसे पेश किया है, स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को किया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं ।

इसके पास होने से फिर यह समझा जायगा कि जो संशोधन हैं वे गिर गये । इस हिसाब से आप अपनी राय दें ।

श्री राजनारायण—इस अवसर पर मैं, श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्यपाल का संबोधन हुआ वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें संशोधन के पहले शासक दल के भी बहुत से लोग नहीं आये थे । तो मैं चाहता हूं कि लाबी में जाकर वोटिंग हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—पहले मैं ऐसे ही देख लूं, फिर बाद में जैसा ठीक समझूंगा करूंगा ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में —२५८,

विपक्ष में—११ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
९ फरवरी, १९६१ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

क्रम-संख्या	नाम तहसील	रकबा जिसमें खरीफ की फसल को क्षति पहुंची	मकानों की संख्या जो बिलकुल बर्बाद हो गये	मकानों की संख्या जिनमें केवल आंशिक क्षति पहुंची	रकबा जिसमें रबी की फसल न बोई जा सकी या जिसमें ठीक समय में बोवाई न हो सकी
		एकड़			एकड़
१	सीतापुर ..	६०,०००	१,७३६	११,६६४	४६०
२	सिधौली ..	७५,०००	१,८२३	२,१७७	४,९८३
३	बिसवां ..	९४,६८०	१,५३९	९,९०८	१३,७६३
४	मिश्रिख ..	७७,८७९	१,९२६	५,७७८	२,९२०
	योग ..	३,०७,५५९	७,०२४	२९,५२७	२२,१२६

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७० पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तालिका (लाख रु०)

क्षेत्र	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि	केन्द्रीय वर्किंग ग्रुप्स द्वारा निर्धारित धनराशि			५१७ करोड़ रु० की योजना जो नियोजन आयोग के विचारार्थ भेजी गई है	४९७ करोड़ की प्रस्तावित योजना
		निश्चित योजना (Category 'A')	(अतिरिक्त) योजना (Category 'B')	योग		
१	२	३	४	५	६	७
१—कृषि एवं सामुदायिक विकास ..	२०,०५८·३७४	१५,४९०·००	..	१५,४९०·००	१५,७७५·५६९	१५,०८२
२—सिंचाई तथा शक्ति ..	२५,९३६.४१९	१५,७८२·००	४,८७१·००	२०,६५३·००	१६,६३२·२०२	१६,५०७
३—उद्योग	३,४२२·९८०	२,११०·००	..	२,११०·००	२,११०·०००	२,०१०
४—परिवहन	४,६४३·०२०	२,११५·००	..	२,११५·००	२,०६५·०००	१,८१५
५—समाज सेवायें ..	१८,१९८·०८६	१२,४२८·००	६९०·००	१३,११८·००	१२,१८९·६१५	११,८६४
६—विविध	२०४·७५०	११३·००	..	११३·००	१३२·७००	१३३
योग ..	७२,४६३·६२९	४८,०३८·००	५,५६१·००	५३,५९९·००	४८,९०५·०८६	४७,४११
उत्तराखंड ..	३,९००·०००	२,८००·००	..	२,८००·००	२,८००·०००	२,८००
कुल योग ..	७६,३६३·६२९	५०,८३८·००	५,५६१·००	५६,३९९·००	५१,७०५·०८६	५०,२११

इस रकम में चकबन्दी योजना के संबंध में ग्रास आउटले (Gross outlay) सम्मिलित है । नियोजन आयोग ने सलाह दी है कि इस योजना का नेट आउटले (Net outlay) ही केवल सम्मिलित किया जाय, जिसके कारण ५२५·०० लाख रु० की कमी हो जायगी ।

अनुवाद शाखा विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सभापति, श्री देव करण सिंह, श्री गांधी आश्रम, अकबरपुर, जिला फैजाबाद हैं तथा श्री अनन्तप्रसाद माथुर, उप संचालक उद्योग (ग्रामीण उद्योग), कानपुर उसके पदेन सचिव हैं । अन्य सदस्यों की नामावली विज्ञप्ति संख्या २९८४/(आई) (२)/१८-ए---४५७-६०, दिनांकित १४ सितम्बर, १९६० की संलग्न प्रतिलिपि में दी हुई है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश सरकार

उद्योग (क) विभाग

संख्या २९८४-आई/१८-ए--४५७-६०

लखनऊ, १४ सितम्बर, १९६० ई०

विज्ञप्तियां

विविध

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०,१९६०) की धारा १ की उपधारा (३) के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के गवर्नर १४ सितम्बर, १९६० को वह दिनांक निश्चित करते हैं जब से उक्त अधिनियम के शेष उपबन्ध प्रचलित होंगे ।

संख्या २९८४-आई (२)/१८-ए--४५७-६०

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०,१९६०) की धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के गवर्नर १४ सितम्बर, १९६० से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना करते हैं ।

२--उक्त अधिनियम की धारा ५ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के गवर्नर उक्त बोर्ड के सदस्यों की संख्या पंद्रह निश्चित करते हैं तथा यह निदेश देते हैं कि १४ सितम्बर, १९६० से उक्त बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा--

१--श्री देवकरण सिंह, श्री गांधी आश्रम, अकबरपुर, जिला फैजाबाद . . . सभापति

२--श्री अक्षय कुमार करण, श्री गांधी आश्रम, सेवापुरी, वाराणसी ३--श्री रामस्वरूप गुप्त, खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, पुखरायां, कानपुर ४--श्री ब्रजमोहन तिवारी, स्वराज आश्रम, जनरलगंज, कानपुर ५--श्री मोतीचन्द्र वर्मा, सेक्रेटरी, हिन्दी भवन, कालपी, जिला झांसी ६--श्री रामसूरत मिश्र, संचालक, सधन क्षेत्र, अजगरा, वाराणसी ७--श्री रामलाल मिश्र, सर्वोदय संस्थान, रनीवा, जिला फैजाबाद ८--श्री रामधारी उपाध्याय, श्री गांधी आश्रम, लखनऊ ९--श्री महेशचन्द्र वुध, श्री गांधी आश्रम, इलाहाबाद १०--श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एम० एल० ए०, सभापति, उत्तर प्रदेश गुड़ ऐंड खंडसारी एसोसियेशन, आलमगीरीगंज, बरेली	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य
११--उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार १२--विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश १३--वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार १४--उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश १५--निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश	सरकारी सदस्य

इन्द्र देव नारायण साही,
आई० सी० एस०,
आयुक्त एवं सचिव ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

नत्थी 'क'

१ दिसम्बर, १९६० ई० को जिलाधीश, कानपुर, के समक्ष कानपुर जिले के बाढ़ क्षेत्रों के प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रजा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उक्त जिले की तात्कालिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये जो मांग-पत्र जिलाधीश को पेश किया उसमें दी गई मांगों की सूची निम्नांकित है:--

मांगों की सूची

१--बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की लगान व आबपाशी माफ की जाय ।

२--मौजूदा लगान व आबपाशी, बीज, कर्जे की किस्तें, तकावी की वसूली मुल्तवी की जाय ।

३--बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की फीस माफ की जाय ।

४--बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले आटे की दुकानें खोली जायं और जानवरों के चारे की व्यवस्था की जाय तथा वस्त्रहीनों को कपड़े दिये जायं ।

५--गिरे हुये मकानों के पुनर्निर्माण के लिये जरूरत के मुताबिक उदारतापूर्वक अनुदान व तकावी दी जाय ।

६--ऊंचे स्थानों पर मकान बनाने के लिये गांव समाज से निःशुल्क भूमि दी जाय ।

७--बेकारों को काम दिया जाय या बेकारी का भत्ता दिया जाय ।

८--गांव पंचायत के उम्मीदवारों को जमानत का पैसा वापिस किया जाय ।

९--कारपोरेशन में शामिल किये गये गांव के टैक्स की माफी की जाय और खेतों की सिंचाई की दरों को जिले के अन्य स्थानों के मुताबिक किया जाय ।

१०--अलाभकर जोतों से लगान न लिया जाय तथा कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिये बीज, खाद व पानी की समुचित व्यवस्था की जाय ।

११--सिंचाई की बढ़ी हुई दरों को पूर्ववत् किया जाय ।

१२--विकास कार्यों में दिया जाने वाला अनुदान बी० डी० ओ० को वाउचर देने के एक माह के अन्दर प्रार्थी को दे दिया जाय ।

१३--जिले में बढ़ते हुये जरायम भ्रष्टाचार व कांग्रेस कुनबापरस्ती को रोका जाय तथा जनता की जान व माल की रक्षा की जाय ।

१४--कानपुर बिजली सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन की अकर्मण्यता के कारण कानपुर शहर में जो बिजली का अभाव हो गया है तथा जिसके कारण लगभग एक लाख मजदूरों के बेकारी का प्रश्न खड़ा हुआ है उसे युद्ध स्तर पर हल किया जावे तथा जिन अधिकारियों की अकर्मण्यता एवं लापरवाही के कारण यह नौबत आई है उसक विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाय ।

नत्थी 'ख'

नत्थी 'क' में अंकित मांग संख्या १, २, ३, ५, ६ और १० पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नांकित है---

मांग संख्या १--मालगुजारी, लगान व आबपाशी में नियमानुकूल छूट देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। करीब ६८० ग्रामों में १ १/२ लाख रु० मालगुजारी में छूट देने का प्रस्ताव है।

मांग संख्या २--क्षति की मात्रा को ध्यान में रखते हुये जिन खातों में छूट मिल सकती थी उनकी मालगुजारी की वसूली स्थगित है।

मांग संख्या ३--इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

मांग संख्या ५--गिरे मकानों के पुर्ननिर्माण के लिये अनुदान व तकावी देने में उदारता बरती गई है। अनुदान व तकावी मिलने की सीमा भी बढ़ा दी गई है।

मांग संख्या ६--बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जिन लोगों के मकान गिर गये हैं उनको मकान बनाने के लिये भूमि दिलाने के लिये आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

मांग संख्या १०--छोटी जोतों का लगान माफ करना सम्भव नहीं पाया गया। कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिये बीज, खाद व पानी की समुचित व्यवस्था जहां तक सम्भव है, की जाती है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे २८९ पृष्ठ पर)

३० सितम्बर १९६० को समाप्त होने वाले रबी १३६० फसली की बकाया मालगुजारी की धनराशि का जिलेवार ब्योरा

१	देहरादून	..	
२	सहारनपुर	..	१९,३५६
३	मुजफ्फरनगर	..	
४	मेरठ	..	
५	बुलन्दशहर	..	
६	अलीगढ़	..	
७	मथुरा	..	
८	आगरा	..	
९	मैनपुरी	..	
१०	एटा	..	
११	बरेली	..	
१२	बिजनौर	..	
१३	बदायूं	..	
१४	मुरादाबाद	..	१,७६, ३५७
१५	शाहजहांपुर	..	
१६	पीलीभीत	..	
१७	रामपुर	..	
१८	फर्रुखाबाद	..	
१९	इटावा	..	
२०	कानपुर	..	
२१	फतेहपुर	..	
२२	इलाहाबाद	..	
२३	बांदा	..	
२४	हमीरपुर	..	
२५	झांसी	..	
२६	जालौन	..	
२७	वाराणसी	..	१०,१७,४२७
२८	मिर्जापुर	..	५,९१,६०३
२९	जौनपुर	..	४२,५३५
३०	गाजीपुर	..	..
३१	बलिया	..	..
३२	गोरखपुर	..	१,२१,१४१
३३	बस्ती	..	..
३४	आजमगढ़	..	..
३५	देवरिया	..	..
३६	नैनीताल	..	४,८४७
३७	अलमोड़ा	..	..
३८	गढ़वाल	..	..
३९	टेहरी-गढ़वाल	..	..
४०	चमोली	..	..
४१	उत्तरकाशी	..	..
४२	पिथौरागढ़	..	..
४३	लखनऊ	..	१,०९,६९९
४४	उन्नाव	..	१,५०,१४०
४५	रायबरेली	..	..
४६	सीतापुर	..	..
४७	हरदोई	..	..
४८	खीरी	..	..
४९	फैजाबाद	..	८,४५,६५३
५०	गोंडा	..	..
५१	बहराइच	..	..
५२	सुल्तानपुर	..	..
५३	प्रतापगढ़	..	..
५४	बाराबंकी	..	१,७५,४३८

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९४ पर)

जिले का नाम	जन-हानि	पशुधन की हानि	१३६८ खरीफ की फसलों की हानि जितने ग्रामों में क्षति की मात्रा रुपये में ५० नया पैसा या उससे अधिक रही	सम्पत्ति की अनुमानित हानि	क्षेत्र जिसमें पानी भर जाने से रबी की बुवाई न हो सकी	वित्तीयवर्ष १९६०–६१ में अब तक बाढ़ के सम्बन्ध में स्वीकृत की गई		विशेष विवरण
						अहेतुक सहायता	तकावी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
						रु०	रु०	
बरेली ..	४	३	१४८	४,३३१ मकान	..	४०,०००	१,१०,०००	
शाहजहांपुर	३	..	६१३	१३,०५८ मकान	..	५०,०००	१,३०,०००	
बलिया	..	..	२०९	१२ मकान	..	२०,०००	..	
गोरखपुर	६	..	८९३	३,३७५ मकान	..	१,०७,०००	३,१५,०००	
आजमगढ़	..	..	५७	२५० मकान	..	२०,०००	..	
लखनऊ	.	..	२५४	२,००० मकान (लगभग)	..	७,९०,०००	३,२४,०००	
उन्नाव ..	..	..	६१२	..	..	३५,१००	८६,०००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सीतापुर	..	..	१,५०५	१,०३९ मकान	..	२,२०,०००	२,५०,०००	
हरदोई	..	..	..	६,६६४ मकान (लगभग)	..	१,१६,६००	६,५५,०००	बाढ़ से कुल १७२५ गांवों की फसल को कमोबेश क्षति पहुंची।
खीरी ..	..	..	२९२	..	..	५०,०००	१,२०,०००	
फैजाबाद	..		९	४६ मकान	..	१०,०००	..	
बहराइच	..	..	५८९	..	..	५०,०००	७५,०००	केवल ३५० एकड़ क्षेत्र में पानी भर जाने से रबी की बुवाई न हो सकी।
सुलतानपुर	..	..	२६३	२६ मकान	..	१,३०,०००	१,७५,०००	
बाराबंकी	..	..	८०९	३० मकान	..	२,४०,०००	२,००,०००	
योग ..	१३	३	६,३४३	३०,८३१	..	१८,७८,१००	२४,४०,०००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

जिला लखनऊ के तहसील लखनऊ और मोहनलालगंज के उन ग्रामों की सूची जिनमें इस वर्ष बाढ़ से फसल को क्षति पहुंची है ।

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
	तहसील लखनऊ	३५	मखदुमपुर
		३६	लोनापुर
१	रैठा	३७	देवरिया
२	श्तनिग्रा	३८	सिकन्दरपुर खुर्द
३	पुरवा	३९	हंसेमऊ
४	बौरूमऊ	४०	लौलाई
५	दुग्गौर	४१	भखारा
६	धोबैला	४२	मेहौरा
७	खतैया	४३	बसंतौली
८	सरौरा	४४	समीउद्दीनपुर
९	आलीनगर	४५	सरसांवां
१०	नराइनपुर	४६	अहिमामऊ
११	घैला	४७	अरदौनामऊ
१२	दाउदनगर	४८	जुग्गौर
१३	अल्लूनगर दिगुरिया	४९	इरादतनगर
१४	कोलहवागरा	५०	कुतुबपुर खालिसपुर
१५	लोहरामऊ	५१	वरवालिया
१६	गाजीपुर बलराम	५२	जियामऊ
१७	गौरभीत	५३	महानगर रहीमनगर
१८	फैजुल्लागंज	५४	खुरमनगर
१९	रहीमनगर डंडौली	५५	मोहिबुल्लापुर
२०	काकौली	५६	लखनऊ सिटी
२१	रूपपुर खादरा	५७	बरावां खुर्द
२२	मदेहगन्ज	५८	बड़ी कलन
२३	अहिबरनपुर	५९	मजराहर
२४	पुरनिया	६०	अराजी महताव बाग
२५	भीखमपुर	६१	ककराबाद
२६	जुगौली	६२	वंशीगढ़ी
२७	शेखपुर कसैला	६३	सैथा
२८	इस्लाम बाड़ी	६४	वरावां कलन
२९	शेखापुर	६५	पीरनगर
३०	उजारियों	६६	जेहटा
३१	मलेसेमऊ	६७	मौरा
३२	बाघामऊ	६८	गोपरामऊ
३३	चन्दियामऊ	६९	किला मोहमदीनगर
३४	भैंसोड़ा	७०	औरंगाबाद खालसा

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
७१	कुसमारी
७२	कुसमौरा हलवापुर
७३	अतरौली
७४	कमलापुर
७५	कोंदरी भाओली
७६	मुताकीपुर
७७	खरगपुर फरीड़ीनगर
७८	जरेहरा
७९	सराई शेख
८०	शाहपुर
८१	उत्तरघौना
८२	कल्यानपुर
८३	सिकन्दरपुर इनायतअली
८४	नांमऊ
८५	तिरवा
८६	दरावनगर
८७	सैदपुर पुरही
८८	गोंडौली
८९	लतीफनगर
९०	हरौनी
९१	वाणी
९२	वेटी
९३	मिर्जापुर लोटवा
९४	रहीमनगर पांडियाना
९५	भटगांव
९६	सराई शाहजादी
९७	भौकापुर
९८	हुलासखेड़ा
९९	नराइनपुर
१००	सादुल्लानगर
१०१	दादूपुर
१०२	रामचौरा
१०३	बंथरा सिकन्दरपुर
१०४	गढ़ी चुनौती
१०५	भाटगांव
१०६	भदोई
१०७	फरूंखाबाद चिल्लवां
१०८	कल्ली पूरव
१०९	हैबतमऊ मवैया
११०	खटोला
१११	चकौली
११२	अमौसी
११३	मलक
११४	हरीहरपुर
११५	युसुफनगर
११६	हसनपुर खिओली
११७	रतौली
११८	कमलाबाद
११९	बिजनौर
१२०	रसूल इठौरिया
१२१	अलीनगर खुर्द
१२२	अहमदपुर उर्फ कमलापुर
१२३	सदरौना
१२४	कल्ली पछिम
१२५	अशरफ नगर
१२६	नकटौरा

तहसील मोहनलाल गंज

क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	बरवालिया
२	मौगतिया
३	मीरनपुर
४	अकबरपुर वेनीगन्ज
५	सुल्सामऊ
६	मीरनपुर
७	डिवरुझ भढ़स्वा
८	रती
९	वीरसिंहपुर
१०	दयालपुर
११	गौतम खेड़ा
१२	जबरौली
१३	मदारी खेड़ा
१४	गौरा
१५	रघुनाथ खेड़ा
१६	कुराह
१७	मेलदांली
१८	गन्ती बेहटा
१९	हुलास खेड़ा
२०	उत्तरांवा
२१	कमलपुर विचेलका
२२	बाजूपुर ढ़कवा
२३	नूरपुर वेहटा

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
२४	चौंरासी	३५	महमूदपुर
२५	धौराहिया	३६	फरीदपुर
२६	सलेमपुर	३७	सूर्य मऊ
२७	सेफतनगर	३८	टिकनिया मऊ
२८	लखपारा	३९	अलिया मऊ
२९	मोहमदाबाद	४०	गौरिया कलन
३०	नेजमपुर	४१	मस्ते मऊ
३१	धौराहरा	४२	वक्कास
३२	शांशघाट	४३	घुसकर
३३	डोंडामऊ	४४	वस्तौली
३४	सल्लाही मऊ	४५	फतेहपुर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

गंगा तथा घाघरा की कटान से प्रभावित ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
१	सिरसिया	१७	खाप खारी पाकड़
२	कमलापुर	१८	परसी पेटी
३	बधबन	१९	मल्देपुर
४	चक्की दियारा सुलतानपुर	२०	खापे हबतपुर
५	खीरू छपरा	२१	हैबतपुर
६	कठौड़ा	२२	मेलसड़
७	दिवारा अमरपुर	२३	अगराली
८	डूहा बिहरा	२४	माफी दुबहड़
९	दियारा सीसोटार	२५	हांस नगर
१०	शाहपुर	२६	हल्दी
११	कोट	२७	मुड़ा डीह
१२	अजीरपुर	२८	बेलहरी
१३	भीखारीपुर	२९	बादिलपुर
१४	शरफुद्दीनपुर उर्फ मुबारकपुर	३०	गंगौली
१५	खाप शरफुद्दीनपुर	३१	गरया
१६	देवरिया खुर्द		

संसद सदस्य विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०२ पर)

उन्नाव शहर में २१-३-५८ से १५-२-६० तक एलाट की गई दूकानों की सूची

क्रम-संख्या	दूकान का पता		जिस व्यक्ति को एलाट की गई उसका नाम		एलाटमेंट की तारीख
१	२		३		४
१	२६७, सदर बाजार	..	श्री मुख्तार अहमद	..	१-५-५८
२	८३/१, जगन्नाथ गंज	..	श्री सतीश प्रकाश	..	९-५-५८
३	७५/६, जगन्नाथ गंज	..	श्री गंगा प्रसाद हलवाई	..	१५-५-५८
४	८०-८१, जगन्नाथ गंज	..	श्री राम चन्द्र अग्रवाल	..	१८-६-५८
५	२६ए, जगन्नाथ गंज	..	श्री कृष्ण मोहन निगम	..	१-८-५८
६	९९, जेरधस	..	श्री वाजिद अली	..	८-८-५८
७	१४३/३, जगन्नाथ गंज	..	डाक्टर ए० मुशीर सिद्दीकी		२२-८-५८
८	२९, मुबारिस नगर	..	श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव		६-११-५८
९	१३७, शाह गंज	..	श्री महावीर नारायन मेहरोत्रा		२३-४-५९
१०	६५, मोती नगर	..	श्री मुश्ताक अहमद	..	२५-४-४९
११	१०१, जगन्नाथ गंज	..	श्री बाबू राम	..	२७-४-५९
१२	१३७/२, जगन्नाथ गंज	..	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	..	८-५-५९
१३	२, जगन्नाथ गंज	..	श्री राम भरोसे, हलवाई	..	१३-५-५९
१४	६५, मोती नगर	..	श्री मोहम्मद जुबेर	..	१०-६-५९
१५	७५/३, जगन्नाथ गंज	..	श्री राधे श्याम	..	१७-६-५९
१६	२६६, सदर बाजार	..	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	..	९-९-५९
१७	२६७, सदर बाजार	..	श्री वसी अहमद	..	..
१८	४४, शाह गंज	..	श्रीमती शिव रानी	..	२६-९-५९
१९	२२६, शाह गंज	..	श्री अब्दुल वाहिद	..	१-१२-५९
२०	२५, जगन्नाथ गंज	..	श्री गया प्रसाद शुक्ल	..	१२-२-६०

अनुपम प्रतिलिपि संस्था

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

१९५७ से १९६० तक गुड़, खांडसारी तथा चीनी के थोक भावों का संक्षिप्त विवरण

गुड़ का थोक भाव प्रति मन रु० और न० पै० में			खांडसारी का थोक भाव प्रति मन रु० और न० पै० में (बलिया बरेली, कानपुर) केन्द्र			मिल की चीनी का थोक भाव प्रति मन रु० और न० पैसे में		
१९५७			१९५७			१९५७		
जनवरी ८.०० से १५.००	दिसम्बर ११.०० से १८.००	उच्चतम १८.०० दिसम्बर	जनवरी २२.०० से २८.५७	दिसम्बर २८.०० ३४.२९	उच्चतम ३४.२९ बलिया	जनवरी २८.२५ से २८.६२	दिसम्बर ३५.६२	उच्चतम ३६.७५ अगस्त गोलागोकरन नाथ
१९५८			१९५८			१९५८		
जनवरी १०.०० से १८.००	दिसम्बर १३.३३ से १८.२०	उच्चतम २८.०० अक्तूबर	जनवरी २७.५० से ३३.१४	दिसम्बर ३१.०० से ३४.२१	उच्चतम ३७.०० जुलाई मशीन की	जनवरी ३५.६२ से ३६.१८	दिसम्बर ३६.५४ से ३७.४७	उच्चतम ३७.५० जुलाई गोलागोकरननाथ
१९५९			१९५९			१९५९		
जनवरी १०.०० से २०.००	दिसम्बर १४.०० से २३.००	उच्चतम २५.०० अक्तूबर	जनवरी ३०.०० से ३३.१४	दिसम्बर ३९.०५ से ४७.००	उच्चतम ४७.०० मशीन की, दिसम्बर	जनवरी ३६.७३ से ३७.६४	दिसम्बर* ४१.१८ से ४२.१८	उच्चतम ४५.४२ ई–२९ नवम्बर
१९६०			१९६०			१९६०		
जनवरी १३.०० से २०.२५	सितम्बर १४.५० से २०.००	उच्चतम २०.००	जनवरी ३४.०० से ४२.८६	सितम्बर ३२.०० से ४०.००	उच्चतम ४२.८६ बलिया	जनवरी ४२.०० से ४५.००	दिसम्बर* ४०.०० से ५०.००	उच्चतम ५० ०० केवल जौनपुर

*दिसम्बर, १९५९ और १९६० के आंकड़े खुले बाजार में चीनी के थोक भाव हैं। इनका औसत रुपया ४२.५० प्रति मन है। नियन्त्रित चीनी का थोक भाव ३९.०५ से ४१.१८ रु० के बीच है।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न सख्या १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०४ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी प्रख०ड में प्रस्तावित जिलेवार योजनाओं की सूची

क्रम-संख्या	योजना का नाम	अनुमानित धन जो लगेगा (रु० लाखों में)					सम्भावित प्रारम्भ होने की तिथि
		झांसी	जालौन	बान्दा	हमीरपुर	योग	
१	२	३	४	५	६	७	८
	(अ) वृहद् उद्योगों के अन्तर्गत--						
	पिछड़े स्थानों में औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने की योजना (अभी विचाराधीन है)	१ केन्द्र					
	(ब) लघुस्तरीय एवं ग्राम उद्योगों के अन्तर्गत--						
१	हस्तकर्घा विकास योजना	१५.७६	०.९८	०.९५	१.८२	१९.५१	१९६१-६२
२	औद्योगिक आस्थानों की स्थापना	२.००	२.००	२.००	२.००	८.००	१९६३-६४
३	हस्तकला सहकारी समितियां	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०	०.४०	१९६२-६३
४	प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	३.७५	३.७५	४.१९	२.६९	१४.३८	१९६१-६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५	ऋण एवं अनुदान योजना—						
	(अ) ऋण	९.८५	७.९०	९.३८	६.९०	३४.०३	१९६१–६२
	(ब) अनुदान	०.१४	०.१०	०.०८	०.१०	०.४२	
६	सहायक विकास अधिकारी उद्योग योजना ..	०.८०	०.४६	०.८०	०.६६	२.७२	१९६१–६२
७	गुड़ विकास योजना	..	०.२६	०.२६	०.७७	१.२९	१९६१–६२
८	ग्राम समूह उद्योग योजना	१०.४३	१०.००	१०.००	१०.००	४०.४३	१९६१–६२
९	शक्तिचालित करघा योजना	२६.३२	..	..	..	२६.३२	१९६१–६२
१०	लघु उद्योग निगम को विवरण तथा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कक्ष की स्थापना के लिये ऋण की योजना	१.०५८	..	..	..	१.०५८	१९६५–६६
११	दर्शनीय स्थानों और मुख्य रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन केस स्थापित करने की योजना एवं मुख्य शिल्प केन्द्रों का शिल्पकों द्वारा निरीक्षण करने की योजना ..	०.०९०५	..	..	..	०.०९०५	१९६३–६४
१२	नकली वस्तुओं की बिक्री को रोकने तथा व्यापार चिन्हों के अभिलेखन योजना का विस्तार करना ..	०.१७३	..	..	..	०.१७३	१९६१–६२
१३	हस्त निर्मित कागज योजना	..	..	०.०७५	..	०.०७५	१९६३–६४
१४	अगेट पत्थर बनाने के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना	..	..	०.८१	..	०.८१	१९६२–६३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर)

विधान सभा, उत्तर प्रदेश, (१९६१) प्रथम सत्र, प्रथम गुरुवार को श्री राम दुलारे मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६ के उत्तर में उल्लिखित विवरण--

नियोजन विभाग में सहकारी समितियों द्वारा १ जनवरी, १९६० से १५ नवम्बर, सन् १९६० तक कराये गये विभिन्न निर्माण-कार्यों की संख्या व स्थान का विवरण--

क्रम-संख्या	स्थान	निर्माण-कार्यों की संख्या
१	कानपुर	७
२	गोंडा	१
३	बस्ती	४
४	शाहजहांपुर	१
५	टेहरी-गढ़वाल	३
६	पौड़ी-गढ़वाल	१
७	पिथौरागढ़	१
८	उत्तरकाशी	१

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ड'

(देखिये प्रश्न संख्या १३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३११ पर)

तालिका

तालिका जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रदेश को जिन १९ चीनी मिलों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, उनके नाम दिये हुये हैं--

क्रम-संख्या चीनी मिल का नाम

पच्छिमी उत्तर प्रदेश--

१--देवबन्द
२--लक्सर
३--मंसूरपुर
४--खतौली
५--रोहाना
६--शामली
७--सखौती टांडा
८--बेगमाबाद
९--बुलन्दशहर
१०--काशीपुर
११--बिलारी
१२--बरेली
१३--हरदोई
१४--गोला

पर्वी उत्तर प्रदेश--

१५--मसेवा
१६--तुलसीपुर
१७--बलरामपुर
१८--जरबल रोड़
१९--परताबपुर

नोट--कुछ अन्य चीनी मिलों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिये प्रश्न संख्या १४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

तालिका

पदों के नाम	वेतन-क्रम विवरण	उनके रचना की तिथि	राज्य कोष को सालाना रुपये की बचत
(क) वे पद जो समाप्त कर दिये गये			रु०
(१) आयुक्त, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	आई० सी० एस० .. कमिश्नर का वेतन-क्रम।	२७-७-६०	१५,६००
(२) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग।	सीनियर आई० ए०एस० का वेतन-क्रम और ३०० रु० विशेष वेतन।	२७-७-६०	२०,४००
(३) सहायक निदेशक, जन स्वास्थ्य विभाग के दो पद।	५००-१२०० ..	२१-४-५७ अक्तूबर, १९६०	२१,६००
(४) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	रु० ५००-१२०० ..	६-३-१९५५	१०,२००
(५) सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	रु० २५०-८५० (प्रारम्भ ३०० रु० प्रतिमास से	२४-८-१९५५	६,९००
(६) असिस्टेन्ट रीजनल एकाउन्ट्स आफिसर, झांसी।	रु० २२०-६७५ ..	१४-५-१९५९	४,७४०
(७) संयुक्त शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश।	रु० १२५०-५०-१५०० १५० रु० विशेषवेतन	१०-८-१९५७	१८,६००
(८) संयुक्त शिक्षा संचालक के वैयक्तिक सहायक,	रु० २५०-८५० ..	२२-५-१९५९	५,८८०
(ख) वे पद जो अस्थगित (Abeyance) में या बिना भरे रक्खे गये—			
(१) डिप्टी लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ..	सीनियर आई० ए० एस० का वेतन-क्रम और २०० रु० विशेष वेतन।	राज्य सरकार के आई० ए० एस० कैडर का स्थायी पद।	२२,८००
(२) सचिव, न्याय विभाग (वाद) उत्तर प्रदेश शासन।	सीनियर हायर जुडिशियल सर्विस का वेतन क्रम और ३०० रु० विशेष वेतन।	..	२२,५७५

पदों के नाम	वेतन-क्रम विवरण	उनके रचना की तिथि	राज्य कोष को सालाना रुपये की बचत
			रु०
(३) जूडिशियल मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू के दो पद।	आई० ए० एस० का सुपर टाइम का वेतन क्रम।	२०-४-१९६०	५,४००
(४) पशु पालन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	१८००-१००-२०००	सितम्बर, १९५१	३६,०००
(ग) वे पद जो अवनत किये गये--			
(१) विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	रु०१२५०-१५००और ३०० रु० विशेष वेतन	१०-१०-१९६०	२,४००
(२) उप सचिव, खाद्य रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सीनियर आई० ए० एस० का वेतन क्रम और २०० रु० विशेष वेतन।	२९-७-१९५६	१२,७२०
(३) सेक्रेटरी, बोर्ड आफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश	सीनियर आई० ए० एस० का वेतन क्रम और ३०० रु० विशेष वेतन।	१-६-१९५७	६००
			२,०६,४१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३२१ पर)

विधान सभा के सत्र १९६० के दिनांक ३१-८-६० के लिये निर्धारित सर्वश्री गेंदा सिंह तथा गौरी शंकर राय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १-२ के उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
१--क्या यह सही है कि गन्ने का डेफर्ड पेमेन्ट मिलों की मर्जी पर नहीं बल्कि (statutory) व्यवस्था शुगर पालिसी में भारत सरकार ने कर दी है ? यदि हां, तो किस वर्ष से, और उन वर्षों में उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को यह रकम न मिलने का क्या कारण है ?	१--जी हां (१९५८-५९ से) किन्तु किस हिसाब और किस दर से गन्ना किसानों को यह अतिरिक्त मूल्य मिलेगा ऐसा कोई शेड्यूल अभी तक केन्द्रीय सरकार ने विज्ञापित नहीं किया है ।
२--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त डेफर्ड पेमेंट के फारमूला में परिवर्तन करने का भी अधिकार राज्य सरकारों को मिला हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या किया है ।	२--जी हां, लेकिन केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा एक सात सदस्यों की समिति नियुक्त की गई है जो इस संबंध में एक उचित फारमूला बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३२२ पर)

प्रथम सत्र १९६० के ४थे सोमवार के लिये निर्धारित श्री राम सुन्दर पाण्डेय के तारांकित प्रश्न संख्या ३–४ का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
३––क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में चीनी मिलें नहीं हैं वहां के किसानों का ईख विकास का रुपया जो उनके गन्ने के कीमत से काटा गया है किस प्रकार किसानों को दिया जाता है।	३––कोई कमीशन किसानों के गन्ने के मूल्य में से नहीं काटा जाता अतः उसको किसानों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।
४––क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले का गन्ना शाहगंज, जिला जौनपुर तथा देवरिया जिले की चीनी मिलों को दिया गया है और गन्ना विकास मद में अब तक किसी प्रकार की सहायता विकास परिषदों द्वारा नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों?	४––आजमगढ़ जिले का गन्ना शाहगंज, जिला जौनपुर तथा देवरिया जिले की चीनी मिलों को दिया गया है। इस गन्ने पर प्राप्त कमीशन का कुछ अंश विकास परिषदों द्वारा इस क्षेत्र के विकास कार्यों पर व्यय किया गया है।

वीरेन्द्र वर्मा,
उप मंत्री (सहकारिता)।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०––२४३ एल० ए०––१९६१––८४५।